(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 8] सातवीं विधान सभा के अष्टम् सत्र का तीसरा दिवस [संख्या 3

बुधवार,

दिनांक 7 मार्च, 1984

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई.

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री महावीर प्रसाद ।

टोंक जिले में विद्युत दुर्घटनाएं

26. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) टोंक जिले में वर्ष 1980 से अब तक कितनी विद्युत दुर्घटनाएं हुई हैं ? उनमें कितने व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुए, कितने व्यक्तियों को प्राणों से हाथ धोना पड़ा ? उनके आश्रितों को विभाग द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा मुआवजे के रूप में कितनी-कितनी राशि किन-किन व्यक्तियों को कब-कब प्रदान की गई ? कृपया सविवरण सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इन विद्युत दुर्घटनाओं के मामलों की जांच किन-किन अधिकारियों द्वारा करवाई गई एवं कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये । तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(3) इस प्रकार की दुर्घटनाएं आगे न हों इस हेतु विभाग ने क्या-क्या प्रयत्न किये हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्रीमती कमला): (1) टोंक जिले में वर्ष 1980 से अब तक (फरवरी, 84 तक) कुल 25 विद्युत दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें 19 विभागीय कर्मचारी व 6 जनता के व्यक्ति दुर्घटना ग्रस्त हुये । उक्त 25 दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों की मृत्यु हुई जिनमें 3 विभागीय कर्मचारी व 6 जनता के व्यक्ति थे । दुर्घटना की तारीख, प्रकृति एवं विद्युत मण्डल द्वारा दिये गये मुआवजे का विवरण सूची "अ" में सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) वांछित सूचना सूची "ब" में दर्शा दी गई है ।

(3) सुरक्षा उपकरणों का पूर्ण उपयोग

(श्रीमती कमला)

करते हुए सावधानी एवं सुरक्षात्मक ढंग से काम करने के निर्देश सभी कर्मचारियों को दिये गये हैं व कुछ मामलों, जिनमें अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी थी, में कार्यवाही की गई है एवं बाकी में की जा रही है।

(विवरण एवं सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखे)

श्री महावीर प्रसाद जैन । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री से कहना चाहता हूं कि दुर्घटनाएं हर वर्ष यानि 1980 में हुई 1981 में हुई, 1982 में हुई और 1983-84 में हुई। इस प्रकार से दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जिस प्रकार का उत्तर मंत्री महोदया ने दिया कि निर्देश दिये गये हैं, तो क्या कोई इन्क्वायरी बिठाने को वे तैयार हैं कि कौन व्यक्ति इसको देखते हैं कि लाइनों में फेंसिग थी या नहीं, अर्थिग किया गया या नहीं ? 9 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी जिसमें से 8 व्यक्ति जनता के मारे गये और उनको कोई मुआवजा भी नहीं दिया। कह दिया कि प्रावधान नहीं है। क्या यह दुर्घटनायें तकनीकी कारणों से नहीं हुयीं ? 1980 के बाद से दुर्घटनायें लगातार हो रही हैं। यह तो इन्सानों का हिसाब है, मवेशी का तो कोई हिसाब ही नहीं है। हजारों की संख्या में मरे हैं, जंगल में तार टूट जाते हैं, गिर जाते हैं और मवेशी मर जाते हैं, इस प्रकार से हजारों जानवर मारे गये हैं। न उनका मुआवजा दिया जाता है न डिपार्टमेन्ट इसके लिये कुछ करने जा रहा है।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय इस तरह की जो दुर्घटनायें होती हैं वे आम तौर पर 3-4 कारणों से होती हैं। एक तो जो सुपरवाइजरी आथोरिटी होती है, आफिसर होते हैं उनकी लापरवाही से कभी कभी दुर्घटना हो जाती है। प्रोपर सेफ्टी डिवाइसेज के बिना ही काम शुरू कर देते हैं। दूसरा, जो कर्मचारी हैं उनकी गलती से दुर्घटनायें होती हैं। वह सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनता है या रबर के दस्ताने नहीं पहनता है। ज्यादा कानफिडेंस के कारण दुर्घटनायें हो जाती हैं। आम व्यक्ति के साथ जो दुर्घटनायें होती हैं। वह इस कारण होती हैं कि कभी कभी अर्थिग नहीं होता है, वायर टूट जाता है और आदमी या जानवर करेंट में आ जाता है। इस तरह से तीन या चार कारणों से दुर्घटनायें होती हैं। जहां तक मृत्यु का सवाल है जिन व्यक्तियों की कर्मचारियों की लापरवाही से दुर्घटना हुई है उस की जांच की है तो जिन्होंने सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाई, रबर के दस्ताने नहीं पहने, खुद की लापरवाही से दुर्घटना हुयी, वह अलग है, अधिकारियों की जिनमें लापरवाही रही उसमें ए. ई एन., एक्स. ई. एन लाइन मैन को दंडित करने की कार्यवाही की है, वायर मैन को दंडित करने की कार्यवाही की है। एक दो केस ऐसे हैं जिनमें रिपोर्ट अभी तक नहीं आयी है, रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जायेगी।

इसमें दुखदायी पहलू जो है वह यह है कि हम आदमी को, आम आदमी को मुआवजा नहीं दे पाते हैं क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है उनके लिये तो कम्पेन्सेशन का एक्ट है उसके अन्तर्गत नियम बने हुए हैं। इसलिये

(श्रीमती कमला)

उनको तो उसके अन्तर्गत मुआवजा दे दिया जाता है। लेकिन आम आदमी को तभी दे सकते हैं जब कि वह क्लेम करे कि विद्युत बोर्ड की लापरवाही से यह दुर्घटना हुयी है। ऐसी स्थिति में जो हमको देना पड़ता है वह मुआवजा दिया जाता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, आप देखें अब औसत व्यक्ति से ये अपेक्षा करते हैं कि जिस परिवार के आदमी को मार दिया, वह इनके दरवाजे पर आये। प्रश्न यह उठता है कि जमीन पर तार टूट कर पड़ कैसे जाता है, फैंसिंग क्यों नहीं की गयी थी, तार टूट गया तो उसका फ्यूज क्यों नहीं उड़ाया गया? इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय मंत्री महोदया ने यह प्रश्न आने के बाद भी दुर्घटनाग्रस्त के प्रति सहानुभूति प्रकट नहीं की, इस पर विचार करने की कोशिश नहीं की कि एक परिवार में बाप और दो बच्चे मर गये, सारे परिवार को नष्ट कर दिया. . . .

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जिस बात से चिन्ता हो रही है, वह मेरे ध्यान में है बहुत समय से। मैंने इस सम्बन्ध में बात की है, बोर्ड के अधिकारियों से कहा है कि यदि आपकी रिपोर्ट से यह साफ हो जाये कि बोर्ड की लापरवाही से मरा है आदमी या मवेशी तो उसको बिना मांगे ही मुआवजा दिया जाना चाहिए, ऐसा प्रावधान करें। आज बोर्ड के अधिकारी यह विचार कर रहे हैं कि उनको किस प्रकार से मुआवजा दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : एक सवाल।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। श्री भंवर लाल शर्मा।

श्री हरीश शर्मा : बोर्ड की गलती है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): आपके अधिकारियों की गलती है, उनकी लापरवाही है, ऐसे मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (ए) के अन्तर्गत दंड का प्रावधान है। क्या आप इसके अन्तर्गत उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे? यह क्या कि आदमी मर जाये और आप केवल अनुशासनात्मक कार्यवाही करके चुप हो जायें, तो यह क्रम चलता ही रहेगा।

श्री अध्यक्ष : कम्पेन्सेशन चाहिए तो तो पुलिस में जायें, एफ आई. आर. लोज करवायें।

श्रीमती कमला : अटेम्प्ट–टू–मर्डर तो है नहीं। कोई उन्होंने जानबूझ कर तो किया नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : धारा 304 (ए) आई. पी. सी. ऐसे ही अपराधों के लिये है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, बैठ जायें।

प्रश्न संख्या 27

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आ गया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, लोगों को मार दिया गया है, ...

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री महावीर प्रसाद जैन : रोज व्यक्ति मर रहे हैं। अभी भी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 1984 में मरे, 1983 में मरे हैं . . . .

श्रीमती कमला : जांच में . . .

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदया, बैठ जायें। मैंने इजाजत नहीं दी है।

वीरवर अमरसिंह राठौड़ की छतरी का रख–रखाव

28. **श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)** : क्या कला, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि नागौर स्थित वीरवर अमर सिंह राठौड़ की छतरी जीर्णावस्था में है? यदि हां, तो क्या पुरातत्व विभाग इस ऐतिहासिक स्मारक की मरम्मत कराने का कोई इरादा रखता है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा आवंटित बजट कितना है और मरम्मत का कार्य कब शुरू होने वाला है? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कला, संस्कृति एवं पुरातत्व (श्री बुलाकीदास कल्ला) : जी नहीं। इस ऐतिहासिक स्मारक की मरम्मत की गई है। इस हेतु वर्ष 1981–82 में 20,000/- की स्वीकृति जारी की गई थी तथा कार्य वर्ष 1981–82 में प्रारम्भ कर 1982–83 में समाप्त किया गया।

श्री उम्मेद सिंह : इस का क्षेत्र कुल कितना है? जो आपने राशि स्वीकृत की है क्या इसको आप पर्याप्त समझते हैं?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 259 स्मारक एक तरह से प्रोटेक्टेड मानूमेन्ट्स, संरक्षित स्मारक घोषित कर रखे हैं। वर्ष 1983–84 में उनके रख–रखाव, उनकी सुरक्षा पर 59 हजार रुपये की राशि खर्च की गई है। 20,800 से अधिक की राशि इन छतरियों पर, चार दीवारी की मरम्मत, छतरियों की मरम्मत पर खर्च की गई है। पूरे राजस्थान के बजट को देखते हुए यह बहुत अधिक है। आगे इन छतरियों की मरम्मत और सुरक्षा के लिये तखमीना बना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री उम्मेदसिंह : इसका क्षेत्रफल कितना है?

श्री बुलाकीदास कल्ला : 2243।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्रीमती विद्या पाठक।

राशन की चीनी का आवंटन

29. **श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)** : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने

(श्रीमती विद्या पाठक)

की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डीलर्स को राशन की चीनी उसके क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर आवंटित की जाती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि बहुत से उपभोक्ता राशन की चीनी उठाते ही नहीं हैं ?

(3) यदि हां, तो क्या बची हुई चीनी की सूचना अथवा मात्रा कभी किसी डीलर ने कभी पुन: सप्लाई विभाग को दी ? यदि हां, तो गत एक वर्ष में राज्य के कुल कितने प्रतिशत डीलर्स ने उपरोक्त कार्यवाही की ? गत एक वर्ष में जयपुर में सी-स्कीम, आदर्श नगर, राजापार्क, जवाहर नगर, गांधी नगर, तिलक नगर, और बनीपार्क में कुल कितने उपभोक्ताओं के लिये कितने डीलर्स को कितनी चीनी आवंटित की गई और कितने उपभोक्ताओं के नहीं उठाने के कारण कितनी चीनी बच गई ?

(4) क्या उपरोक्त के आधार पर राज्य सरकार वितरण व्यवस्था में परिवर्तन करने का सोचती है ?

(5) क्या यह सही है कि डीलर्स द्वारा घटिया स्तर की चीनी राशन में देने की अनेकों शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं जब कि राज्य सरकार द्वारा अच्छी किस्म की चीनी का आवंटन किया जाता है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इनकी क्या जांच प्रक्रिया निर्धारित कर रखी है ?

(6) राज्य सरकार के पास उसमें सुधार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

राज्य मन्त्री खाद्य एवं आपूर्ति (श्री घासीराम यादव) (1) जी हां !

(2) कुछ उपभोक्ता राशन की चीनी नहीं उठाते हैं !

(3) माह के अन्त में शेष बची हुई चीनी की सूचना सभी डीलरों द्वारा सम्बन्धित जिला रसद अधिकारियों को दी जाती है और सम्बन्धित जिला रसद अधिकारी आगामी माह का आवंटन शेष बची हुई चीनी को समायोजित करते हुए ही करते हैं ! इस प्रकार की प्रक्रिया राज्य के सभी जिलों में डीलरों द्वारा अपनाई जाती है। गत एक वर्ष में जयपुर में सी-स्कीम, आदर्श नगर, राजापार्क, जवाहर नगर, गांधी नगर तिलक नगर और बनीपार्क में कुल 16,12,212 यूनिटों के लिये 65 डीलरों को 6272 क्विन्टल चीनी आवंटित की गई। 1,09,230 यूनिटों पर चीनी नहीं उठाने के कारण 46 क्विन्टल 42 किलो 730 ग्राम चीनी बच गई।

(4) जी नहीं।

(5) मिलों से मंगाकर जो चीनी डीलरों को वितरण हेतु दी जाती है उसे डीलरों द्वारा घटिया किस्म की चीनी में परिवर्तित कर देने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मिलों से खराब चीनी प्राप्त हो जाने पर उसका वितरण रोक दिया जाता है और उसे मिल से बदलवाने की कार्यवाही की जाती है,

(6) राज्य सरकार उपरोक्त प्रक्रिया

(श्री घासीराम यादव)

को उचित समझती है,

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि जो उपभोक्ता राशन की चीनी नहीं उठाते हैं, जो चीनी बच जाती है वह बची हुई चीनी का क्या किया गया ?

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, जो चीनी बच जाती है उसे काट कर ही डीलर्स को चीनी देते हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : मन्त्री महोदय, आपके आफिसर्स ने जो आपको उत्तर दे दिया वह आपने पढ़ दिया। सारे क्षेत्रों में त्राहि त्राहि मची हुई है इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिये। शिकायतें विभाग में भरी पड़ी हैं, 400 ग्राम की जगह 200-200 ग्राम और 150-150 ग्राम चीनी डीलर्स उपभोक्ताओं को देते हैं, बाकी चीनी समाप्त कर दी जाती है और सीधे बाजार में बेच दी जाती है जिससे वास्तविक एडवान्टेज उपभोक्ताओं को नहीं होता है। राशन की चीनी नहीं उठाते हैं लेकिन राशन कार्ड में चीनी लिखी हुई है। मैंने स्वयं ने आज तक राशन की चीनी नहीं मंगवाई लेकिन मेरे नाम पर चीनी लिखी हुई है। यह शहरों में होता है। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में भी होता है। आपने केवल किताबों में देख कर पढ़ दिया। अभी जो चीनी आवंटित की गई है उसका वितरण आज तक हुआ है या नहीं, आप मालूम करवा लीजिये। आपको मालूम हो जायेगा कि कितनी चीनी राशन कार्ड्स पर उठाई जा रही है, कितनी गड़बड़ी है ? आप कह रहे हैं कि व्यवस्था ठीक है लेकिन हजारों शिकायतें सारे दफ्तरों में भरी पड़ी हैं, आपके यहां भी लोगों ने शिकायतें की हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। कम से कम 50 शिकायतें मैंने लिख कर भेजी हैं लेकिन एक में भी कार्यवाही नहीं हुई और राशन कार्ड से सामान उठाया जा रहा है....

श्री घासीराम यादव : मेरी जानकारी में एक भी शिकायत भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में आपकी मुझे प्राप्त नहीं हुई है। आपने केवल यह पूछा था कि डीलर्स द्वारा घटिया स्तर की चीनी राशन में दे देने की अनेकों शिकायतें हैं। उसका मैंने जवाब दे दिया कि खराब चीनी प्राप्त होने पर उसका वितरण रोक दिया जाता है। अब आप दूसरा प्रश्न कर रही हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : राशन कार्ड में चीनी लिखकर बाजार में बेची जा रही है, गांवों में त्राहि त्राहि मच रही है, एक-एक आदमी को 5-5 डीलरशिप दे दी जाती हैं। एक व्यक्ति का नाम मैं बता देती हूं, श्री राधेश्याम डंगायच, इनके नाम पर 5-5 जगह की डीलरशिप दे रखी हैं, लेकिन कुछ नहीं किया गया। यह आपके विभाग की नेग्लीजेन्सी है। इस व्यवस्था में कुछ सुधार हो, इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर रहे हैं।

श्री घासीराम यादव : अब आप यह शिकायत कर रही हैं। मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई। आपने केवल मिलों के बारे में पूछा था प्रश्न में वह प्रक्रिया मैंने बता दी।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह। संक्षेप में।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि डीलरशिप देते हैं वह प्रोफेशनल बिजनेसमैन को देते हैं ? एक-एक व्यक्ति को 5-5 जगह की डीलरशिप दे देते हैं....

श्रीमती विद्या पाठक : मैंने आज तक अपने राशन कार्ड की चीनी नहीं मंगवाई यह राशन कार्ड से मालूम हो जायेगा।

श्री घासीराम यादव : आप अपने राशन कार्ड की चीनी नहीं मंगवाती, इसका तो मैं क्या करूं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायं। आर्डर, आर्डर। श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय कम से कम कोई नीति बनाने जा रहे हैं ? डीलर्स को जो चीनी दी जाती है वह सब मार्केट में ब्लेक कर दी जाती है, इस सम्बन्ध में क्या नीति अपना रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य! समय की बचत करें, बैठ जायं।

श्री हेमाराम चौधरी। अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 30

श्री हेमाराम चौधरी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री महाराम चौधरी।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न। आर्डर, आर्डर। समय की बचत करें। कृपया बैठ जायं। अंकित न हो।

श्री मेघराज तावड़ : ××××

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री मेघराज तावड़ : ×××

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं। आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

श्री महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी : प्रश्न से पहले मैं वितरण व्यवस्था के बारे में....

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये। अगला प्रश्न।

नागौर जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालय

31. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले में उच्च माध्यमिक विद्यालय कहां-कहां किस-किस सत्र में खोले गये या कार्यरत हैं ?

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री महाराम चौधरी)

(2) क्या तहसील नागौर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खींवसर, चावण्डिया में अध्यापकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो किस-किस विषय के पद सत्र 1982-83 व 1983-84 में रिक्त रहे? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति इस सत्र में कर दी जायेगी? यदि हां, तो कब तक?

शिक्षामंत्री (श्रीमती कमला): (1) नागौर जिले में 1955-56 से लेकर 1983-84 तक उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गये। माननीय सदस्य चाहें तो सबके नाम बोल कर सुना दूं वरना सूची तो आपके पास उसकी है ही।

क्र.सं.	उच्च माध्यमिक विद्यालय का नाम	सत्र
1.	नागौर	1955-56
2.	छोटी खाटू	1956-57
3.	मूण्डवा	1958-59
4.	डेगाना	1959-60
5.	मारोठ	1960-61
6.	खींवसर	1961-62
7.	लाडनूं	1966-67
8.	मेड़ता सिटी	1970-71
9.	परबतसर	1970-71
10.	मकराना	1970-71
11.	नाबांव	1970-71
12.	जसवन्तगढ़	1971-72
13.	कुचामन सिटी	1971-72
14.	चावण्डिया	1982-83
15.	कुचेरा	1982-83
16.	जायल	1982-83
17.	रियाबड़ी	1982-83
18.	हरसौर	1982-83
19.	साजू	1982-83
20.	जावला	1982-83
21.	मनाना	1982-83
22.	कुकनबाली	1982-83
23.	मौलासर	1982-83
24.	निम्बीजोधा	1982-83
25.	डीडवाना	1983-84

(2) जी हां। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खींवसर व चावण्डिया में रिक्त पदों की स्थिति निम्न प्रकार रही :—

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खींवसर :

1) व्याख्याता (भौतिक विज्ञान) फरवरी, 1984 से रिक्त है।

2) व्याख्याता (अंग्रेजी) सितम्बर, 1983 से रिक्त है।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चावण्डिया :

1) व्याख्याता (नागरिक शास्त्र) 18.3.1983 से रिक्त है।

2) उद्योग अध्यापक 18.3.1983 से रिक्त है।

(3) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रयत्न

(श्रीमती कमला)

बराबर जारी हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। सुनने दें।

श्री महाराम चौधरी : मैं कहना चाहता हूं, जो आपको सूचना दी है....

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें नहीं करें।

श्री महाराम चौधरी : खींवसर उच्च माध्यमिक विद्यालय के अन्दर 82–83 और 83–84 के अन्दर लगातार 6 विषयों के अध्यापकों के स्थान रिक्त हैं। आपको गलत सूचना दी है। इस सम्बन्ध में खींवसर उच्च माध्यमिक विद्यालय के लड़कों ने दीवाली के आसपास भूख हड़ताल भी की थी। मैंने भी 5-7 बार निवेदन किया है। आप इस सम्बन्ध में अपने अधिकारियों से जानकारी कर लें। जिन अधिकारियों ने गलत सूचना दी है उनके खिलाफ कार्यवाही करें।

इसी प्रकार चावण्डिया के अन्दर 82–83 और 83–84, पिछले दो सालों से 5-4 विषयों के अध्यापकों के स्थान रिक्त रहते आये हैं। इसकी भी सूचना आपको गलत दी है।

मुझे बड़ा अफसोस है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर अध्यापक लगाये नहीं जाते हैं. लगाये भी जाते हैं तो जोइन नहीं करते हैं इसकी वजह से आज यह हालत हो गयी है ग्रामीण क्षेत्र के लड़कों की कि कहीं नौकरी के अन्दर सलेक्शन नहीं होता है जिससे उनका बड़ा नुकसान होता है। इसका भी अफसोस है कि इसकी ओर कतई तवज्जह नहीं दी जाती है।

मुझे तो अन्त में तीसरे प्रश्न के जवाब को सुनकर ताज्जुब हो रहा है, 3 साल से बराबर प्रयत्न करते आ रहे हैं लेकिन आज तक प्रयत्न कारगर हुआ नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम यह तो बता दें कि प्रयत्न कब तक पूरे कर लेंगे ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो समस्या माननीय सदस्य ने उठायी है, इसका इनके प्रश्न से ही ताल्लुक नहीं है। बहुत सारी जगह ऐसी दिक्कतें हैं, सारी जगह विद्यालयों में महसूस की जाती हैं। इसके दो तीन कारण हैं। एक कारण तो यह है कि जिन अध्यापकों को हम लगाते हैं वे वहां पर कार्यभार सम्भालकर छुट्टी लेकर चले जाते हैं। इतनी छुट्टियां अध्यापकों को मिलती हैं, मेडिकल और कैसी-कैसी छुट्टियां, जिससे बराबर छुट्टियों पर चलते रहते हैं।

एक माननीय सदस्य : थोड़े दिनों के बाद अध्यापक डेपुटेशन पर भी चले जाते हैं।

श्रीमती कमला : नहीं, डेपुटेशन बिलकुल बन्द कर दिया गया है।

दूसरी दिक्कत यह है कि कुछ सब्जैक्ट्स ऐसे हैं—अंग्रेजी, गणित, भौतिक शास्त्र, जिनके अध्यापक नहीं मिल रहे हैं, बाजार से भी लेने की कोशिश की है, मैरिट लिस्ट....

(व्यवधान)

अगर अंग्रेजी में बोलूं कि मैरिट लिस्ट

(श्रीमती कमला)

या ओपन एडवरटाइजमेण्ट से लेने की कोशिश की है, तब तो आपके लिए सही है। हिन्दी में बोला तो गलत लग रहा है।

जो अध्यापक मैरिट लिस्ट के अनुसार उपलब्ध नहीं हैं उनको सीधे विज्ञापन या नियोजन कार्यालय से लेने की कोशिश की गयी है। इन जगहों से ही अध्यापक मिल जायं, ऐसे व्यक्तियों को भी लगाते हैं तो वे या तो जोइन नहीं करते हैं या छुट्टियां ले लेते हैं....

श्री अध्यक्ष : जन प्रतिनिधियों के पास तो ऐसे बहुत से व्यक्ति आते हैं।

श्रीमती कमला : देहातों में लगने के लिए बहुत कम तैयार होते हैं, उसकी व्यवस्था की थी। जो मौजूदा स्थिति में लगे हुए हैं, उनको पदोन्नति से या ट्रांसफर से कहीं लगाते हैं तो वह कार्य-भार सम्भाल कर छुट्टी पर चले जाते हैं, झूंठा मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर छुट्टी पर चले जाते हैं। ऐसा मालूम होने पर यह व्यवस्था की है कि छुट्टियां रद्द कर दी जायं या मेडिकल बोर्ड बैठाया जाय। ऐसी कार्यवाही की जाय कि या तो वे छोड़कर चले जायें या जोइन करें।

जो नये व्यक्ति लगाते हैं उनके लिए निर्धारित समय होता है ताकि इस समय में जोइन न करने पर अपॉइन्टमेण्ट रद्द कर दिया जाय और नये व्यक्ति को नौकरी दी जाय। मुझे खेद है कि अधिकारियों की जितनी सतर्कता होनी चाहिए वह उन्होंने नहीं बरती। इसकी व्यवस्था चल रही है। मैंने विभागाध्यक्षों और सचिव महोदय को निर्देश दिये हैं कि अगर इसकी व्यवस्था नहीं होती है तो जिला शिक्षा अधिकारी या बड़े अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाय, जिन्होंने आदेश की अनुपालना नहीं की है। अगर आप उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे तो वह अपने आप अपने स्तर की कार्यवाही करेंगे।

तीसरा कारण यह है कि जितने ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं उनमें टीचर्स होते हुए भी बहुत से टीचर्स जाना नहीं चाहते हैं। यह बहुत भारी समस्या है। आपने जो बात कही कि अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट दी है। इसकी मैं तुरन्त जांच करवा लूंगी और जिन अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट दी है उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगी।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : मैं मंत्री महोदया से जानकारी करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों, जहां पर सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल्स हैं, में सम्बन्धित विषयों के अध्यापक नहीं होते हैं तो कितना नुकसान छात्रों का होता है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए पर यहां 80 प्रतिशत, कहीं-कहीं 90 प्रतिशत लड़के फेल हो जाते हैं जब कि 90 प्रतिशत पास होने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : हमारी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में तो शत प्रतिशत फेल हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : दूसर मेरा यह निवेदन था, क्या आप बतायेंगे कि पिछले 4—5 सालों के अन्दर जिन अध्यापकों के स्थानान्तरण ग्रामीण क्षेत्र की पाठशालाओं में किये हैं और जिन्होंने जोइन नहीं किया, उनसे से

(श्री रामसिंह विश्नोई)

से कितनों को सस्पैण्ड किया ? ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा निम्न स्तर से उच्च स्तर तक होती रहती है।

ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर यदि आप अध्यापकों को अट्रेक्शन नहीं देंगे तो लोग वहां नहीं जायेंगे। 20-20 साल के जो अच्छे अच्छे अध्यापक हैं उनको विशेष रियायत ग्रामीण भत्ता या ऐसा कुछ अट्रेक्शन दिया जाना चाहिए जब तक ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर कोई अट्रेक्शन नहीं देंगे वहां अध्यापक कैसे जायेंगे ? सब ट्रांसफर करा लेते हैं क्योंकि वह सोचते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, उसकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी। मेरी मां बीमार है, उसके इलाज की व्यवस्था नहीं होगी। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आप इसको व्यक्तिगत रूप से नहीं लेंगे, तब तक ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जो शिक्षा का ह्रास हो रहा है, वह होता रहेगा।

श्री महाराम चौधरी : आपके पास जो प्रार्थना पत्र आये हुए हैं, उनमें से जो आपके पास पेण्डिग हैं, उन पर कार्यवाही नहीं की जा रही है। आपने जो शिक्षा नीति अपनाई है, उस नीति के कारण शहरी लड़कों में. . .

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य, प्रश्न से सम्बन्धित पूरक प्रश्न पूछा जाय।

श्री महाराम चौधरी : इसी नीति के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्टाफ नहीं लगाया जाता है। यही तो कमी है।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो राज्याधिकारियों की चालाकी से या उनकी कृपा से अध्यापक लोग शहरों में एक ही जगह टिके रहते हैं और दूसरी ओर शहरों में विशेष सुविधायें दी जा रही हैं, वहां पर मकान किराया मिलता है; शहरी भत्ता मिलता है। इसलिए यह जो शहरों में जमाव हो रहा है उसको कम करने के लिये शहरों की सुविधाओं को कम करके आप गांवों में यह सुविधायें क्यों नहीं बढ़ाना चाहते हैं ?

श्री सुजानसिंह यादव (बंहरोड) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग ने एक नीति निर्धारित कर रखी है कि पांचवीं तक के बच्चों को पास करते जायेंगे। उनका इम्तहान होता है और उनको पास कर दिया जाता है। इस प्रकार गांवों के बच्चों के भविष्य के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। परिणाम यह होता है कि गांवों के बच्चे, जो पांचवीं और छठी कक्षा में आते हैं, को अपना नाम तक लिखना नहीं आता है। इसलिए यह नीति खत्म कर देनी चाहिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) ; अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से यह पूछना चाहूंगा जैसा कि इन्होंने स्वीकार किया है कि कुछ पद रिक्त हैं और उन पदों पर नियोजन नहीं किया गया जिससे पढाई में नुकसान हुआ। तो यह किन अधिकारियों की गलती से हुआ ? क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ? और यदि नहीं की गई तो क्या अब करने का इरादा है ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो तीन बातें सामने रखी गई हैं। सबसे

(श्रीमती कमला)

पहले तो माननीय सुजानसिंह जी ने यह बात कही कि पांचवीं क्लास के बच्चों को पास किया जाता है। पांचवीं कक्षा के लिये नहीं तीसरी क्लास के बच्चों के लिये अनग्रेडेड सिस्टम ऑफ एजूकेशन भारत सरकार के निर्देश से चालू किया गया है। इसके अंतर्गत हर सप्ताह में एक बार उनका आन्तरिक मूल्यांकन किया जाता है कि कौन बच्चा प्रतिभावान है, किसमें कितनी क्षमता है और किस प्रकार की रुचि है। लेकिन गड़बड़ यह है कि जिस तरह से उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिये वह नहीं किया जाता। इसलिए यह बात सही है, जैसा आपने कहा, बच्चे प्राथमिक बातें भी नहीं सीख पाते हैं। इसलिए पिछले साल हमने संभागीय और राज्य स्तरीय बैठक करके एक चार्ट तैयार किया है।

श्री अध्यक्ष : स्टेशनरी का खर्चा बहुत बढ़ जायगा।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, स्टेशनरी का खर्चा बढ़ जायगा तो कोई बात नहीं मगर . . . .

श्री अध्यक्ष : वह समय पढ़ने में लगाये तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्रीमती कमला : मूल भावना यह है कि पढ़ाने में ज्यादा समय लगाना चाहिये। इसलिए एन. सी. ई.आर.टी. के सामने भी हमने यह कार्यक्रम रखा है।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा पर 2 अरब 60 करोड़ का खर्चा कर रहे हैं तो यह फलीभूत होना चाहिये।

श्रीमती कमला : भारत सरकार और हमारी तरफ से हम प्रयत्नशील हैं कि ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिये ताकि उस पर कोई चेक हो सके और ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाने में लगाया जावे।

दूसरी बात यह कही गई कि शहरों में ज्यादा टीचर्स रहते हैं। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट पूल की व्यवस्था की गई थी। अब हमने इसका सर्वे कराया है। जितने बच्चे है उन्हीं के अनुपात से टीचर्स दिये जायेंगे और डिस्ट्रिक्ट पूल का सिस्टम खतम कर दिया जायेगा। गांवों को खाली करने की जो परम्परा है उसको हमने बन्द करने की चेष्टा की है।

तीसरी बात यह कही गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में टीचर्स को इन्सेन्टिव होना चाहिये। हर गांव में तो ऐसा नहीं किया जा सकता लेकिन हार्ड एरियाज हैं, जैसे डेजर्ट एरिया हैं, ट्राइबल एरिया हैं, ज्योग्राफिकली डिफिकल्ट एरिया हैं कम से कम उनमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था करने का हमारा प्रयास है, ऐसी मेरी मान्यता है। लेकिन जैसा आप जानते हैं राज्य सरकार के सीमित साधनों को देखते हुए हम कितना इस दिशा में कर पायेंगे, यह एक विचार करने की बात है।

भारद्वाजजी ने जो बात कही कि शहरों में जो सुविधायें मिल रही हैं उनको बन्द कर देना चाहिये। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेरा प्रश्न अनुत्तरित रह गया।

श्री अध्यक्ष : दोहराइये।

श्री हरिसिंह : मेरा प्रश्न यह है, जैसा

(श्री हरिसिंह)

कि माननीय मंत्री महोदया ने स्वीकार किया, कुछ अधिकारियों की गड़बड़ियों के कारण जो स्थान रिक्त हैं उन पर समय पर नियोजन नहीं हो सका। यह आपकी नॉलेज में था। क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध आपने कोई कार्यवाही की ? और यदि नहीं की तो क्या अब करने का इरादा है ?

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही इस बात का जवाब दिया है, जैसे ही मुझे पता लगा कि बहुत से अधिकारियों ने डाइरेक्शन के बावजूद भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया और कहीं पर व्यवस्था नहीं की। किसी ने झूठे सर्टिफिकेट बीमारी के दिये, उनके लिए मेडिकल बोर्ड की और उनकी पोस्टिंग खारिज करके दूसरे आदमी लगाये जाने चाहिये, इसकी अभी मेरे पास इण्डिविजुअल रिपोर्ट नहीं आई है। कल मैंने डी. ई. ओज. की बैठक बुलाई है उसमें भी इस पर विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : इसमें जांच कर लीजिये।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा मंत्री महोदया को कि उन्होंने ऐसी नीति अपनाई कि सत्र के अन्दर ट्रान्सफर नहीं करेंगे। लेकिन बीच-बीच में ट्रान्सफर किये गये हैं इसलिए सीटें खाली हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी तहसील में सेन्ट पर्सेन्ट रिजल्ट नहीं रहे हैं। क्या आप ऐसे अध्यापकों के खिलाफ जांच करवायेंगे ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि पूरे राज्य में तीस पर्सेन्ट के नीचे रिजल्ट हैं। उनका सर्वे कराया गया है। मैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहती थी लेकिन अब बच्चों की परीक्षा आ रही है इसलिए आने वाली छुट्टियों में यह कार्यवाही की जायगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री कौशल।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में कई जगह कई सब्जेक्ट के टीचर की जगह खाली हैं. जैसे कॉमर्स के टीचर नहीं हैं और बारह महीने वहां पर अध्यापक नहीं गया। मेरे यहां भी लड़के सेन्ट पर्सेन्ट फ़ेल हुए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? इसका मतलब है, आपकी चलती नहीं है। आपके अधिकारी कहते हैं मंत्री जी के टेलीफोन आते हैं ट्रान्सफर के लिए।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, शायद मैं पहली मन्त्री हूं जिसने टेलीफोन पर ट्रान्सफर करने के लिये नहीं कहा। बाकायदा मैंने नीति बना रखी है। जनरल ट्रान्सफर के अलावा कोई ट्रान्सफर नहीं किये गये हैं। 15 जनवरी तक जो खाली जगह थी उनकी पूर्ति नई नियुक्तियों से करने का प्रयास किया है। पदोन्नति को छोड़कर ट्रान्सफर नहीं किये जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। शिक्षा मंत्री।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो भी काम किया है वह नीति के अनुसार किया है। नीति की क्रियान्विति के लिए अगर टेलीफोन किया है तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है मंत्री महोदय को चाहिये कि डिपार्टमेन्ट में जहां जहां भी जगह खाली हैं उनकी जुलाई के पहले उनके पास सूचना आ जानी चाहिये ताकि उनको भरने की, कहां कहां पर कौन कौन से सबजेक्ट के टीचर की जगह खाली है, व्यवस्था कर दी जाये। उसके बाद में सिर्फ इतना ही रह जायेगा कि जिन लोगों का अगर प्रमोशन होना है उसकी भी लिस्ट बना ली जाय ताकि स्कूल जब जुलाई में खुले तो उन लोगों का पोस्टिंग हो सके और जगह रिक्त नहीं रहें अन्यथा तो मंत्री महोदय के पास यह इन्फार्मेशन भी नहीं होती है कि कहां कहां पर कितनी जगह खाली हैं। मैं मंत्री महोदय महोदया को सूचित करना चाहूंगा कि आज भी राजस्थान में फोर्टी सिक्स जगह ऐसी है जहां पर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के सीनियर टीचर अवेलेबल नहीं हैं और वहां पर पोस्ट खाली पड़ी हैं। तो मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय अपने डिपार्टमेन्ट को हिदायत कर दें कि जहां पर जिस सबजेक्ट के टीचर अवेलेबल नहीं हों वहां पर उस सब्जेक्ट को नहीं खोला जाय। एक बात।

दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि कितने प्राइमरी स्कूल खुल रहे हैं, उसमें कितने स्टाफ की जरूरत है और उसके आगे कितने मीडिल स्कूल खुल रहे हैं? उनके स्टाफ की भी पूरी व्यवस्था जुलाई में ही कर लेनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह प्रश्न आपका अलग से है। यह नीति सम्बन्धी प्रश्न पूछा गया था। यह प्रश्न तो जो लापरवाही बरती गयी है उसके बारे में है।

शिक्षा मंत्री।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया कि डिपार्टमेन्ट के पास पहले से ही सूचना रखनी चाहिये कि किन किन का किस किस ग्रेड में प्रमोशन होना है। पदोन्नतियों का जहां तक सवाल है उसके लिये कानून बने हुये हैं, डी. पी. सी. होती है और उसके बाद में ही प्रमोशन होता है। पहले से ही यह कैसे सोचा जा सकता है, कितने लोगों का प्रमोशन होना है।

श्री अध्यक्ष : पदोन्नति की लिस्ट तो समय पर तैयार हो जाती है।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने विषयों के टीचर्स की उपलब्धि के बारे में कहा है। एग्रीकल्चर, कामर्स और विज्ञान के विषयों के बारे में तकाजे आते ही रहते हैं। राज्य सरकार की यह कोशिश रहती है कि उनको पूरा किया जाय। राज्य सरकार की यह नीति भी है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सैकण्डरी और हायर सैकन्डरी स्कूल जहां हैं वहां पर तीनों ही फैकल्टीज हो। राज्य सरकार अब

(श्रीमती कमला)

उसके मुताबिक यह कोशिश भी कर रही है कि वहां पर इन सब्जेक्ट्स के सीनियर टीचर्स भी हों। पर, अध्यक्ष महोदय, हमारे पास उनकी कमी, और थोड़ी व्यवस्था में कमी होने की वजह से पहले देरी हुई है। अब राज्य सरकार इस कमी को दूर करने की भरपूर चेष्टा कर रही है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री हीरालाल आर्य।

बीजासन माताजी महाराज तहसील इन्द्रगढ़ में पानी एवं रोशनी की व्यवस्था

32. श्री हीरालाल आर्य : (पीपल्दा)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या देवस्थान राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीजासन माताजी महाराज दरा नायब तहसील इन्द्रगढ़ में हजारों यात्री हर साल दर्शन करने आते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्थान पर पेयजल व रोशनी की उचित व्यवस्था नहीं होने से यात्रियों को कठिनाई पड़ती है ?

(3) उक्त असुविधाओं को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा ये समस्यायें कब तक दूर कर दी जावेंगी ?

राज्य मन्त्री देवस्थान (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जी हां।

(2) मन्दिर के आस पास पानी और बिजली की व्यवस्था पूर्णतया सन्तोषजनक नहीं है।

(3) यह एक सार्वजनिक मन्दिर है जिस के लिये बिजली-पानी की व्यवस्था करने का दायित्व मन्दिर के प्रवन्धकों का है। फिर भी राज्य सरकार इस ओर आवश्यक व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ?

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मन्दिर के आस पास कोई व्यवस्था नहीं है। लोग वहां रहते हैं, वहां पानी-बिजली की अव्यवस्था है।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : वहां लोगों के लिये या मन्दिरों के आस पास के लिये पानी और रोशनी की व्यवस्था करने की बात थोड़े ही है।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है अपने उत्तर में, मन्दिर के आस पास पानी और बिजली की व्यवस्था नहीं है। इससे लोगों को असुविधा होती है। पानी-बिजली की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी मन्दिर के प्रवन्धकों की है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस मन्दिर में लाखों लोगों के द्वारा भेंट-पूजा व चढ़ावा आता है जिससे लाखों रुपये की आमदनी होती है लेकिन कुछ प्रभावशाली लोग, जो कि प्रवन्धकों में से हैं, उस भेंट-पूजा व चढ़ावे के रुपये पैसे का दुरुपयोग करते हैं। यह मंदिर चूंकि सार्वजनिक है इसलिये वहां लोगों ने इसकी शिकायत राज्य सरकार को की।

(श्री हीरालाल आर्य)

बाद में जनता के हित को ध्यान में रखते हुए एक ट्रस्ट भी बनाया गया था।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है। मन्दिर का जो पहले ट्रस्ट बनाया गया था उसको भी समाप्त कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें। आप भाषण दे रहे हैं।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा हूं। सारी स्थिति स्पष्ट करके अब मन्त्रीजी ही बता दें कि इसकी व्यवस्था कब तक हो जायेगी ?

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी इसके साथ ही मेरे प्रश्नों का भी जवाब दे दें। पहला यह कि क्या देवस्थान विभाग द्वारा इस मन्दिर के लिये कोई ट्रस्ट नियुक्त किया गया था ? और किया गया था तो कब किया ? दूसरा ट्रस्ट जो नियुक्त किया गया उसमें कौन सदस्य थे और कौन कौन सी व्यवस्था उस ट्रस्ट को करनी थी ?

श्री अध्यक्ष : और उसकी तारीख भी।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह मन्दिर नाथ सम्प्रदाय का है। नाथ सम्प्रदाय के लोगों का ही वहां पर प्रबन्ध है। उस मन्दिर की यह परम्परा सदैव से ही रही है कि जो भेंट-पूजा व चढ़ावा आता है उसको वही लोग लें। पानी रोशनी वगैरह की व्यवस्था वह लोग ही करते आ रहे थे।

श्री दाऊदयाल जोशी : करते ही नहीं थे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री जयकृष्ण शर्मा : करते आ रहे थे। मैं बोल रहा हूं कि करते ही आ रहे थे। जब जनता ने इसकी शिकायतें की तो यह शिकायत असिस्टेन्ट कमिश्नर देवस्थान के पास गयी तो उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया। नायब तहसीलदार और तहसीलदार को उसका सदस्य रखा। उसमें दूसरे लोग भी सदस्य थे उनको वह सभी अधिकार थे जो कि ट्रस्टीज के होते हैं। जैसे नीचे की कोर्ट से ऊपर की कोर्ट में जाते हैं फैसले के विरुद्ध उसी तरह देवस्थान कमिश्नर के पास असिस्टेन्ट कमिश्नर के फैसले के खिलाफ लोगों ने अपील की। उस अपील पर जजमेन्ट सितम्बर, 1983 में हुआ है। वह राज्य सरकार के पास कन्सीडरेशन में पड़ा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है, अध्यक्ष महोदय, जो भी भेंट, पूजा और चढ़ावा आता है वह तो जो प्रबन्धक हैं वह लेते है, तो इसकी किस प्रकार सुचारु व्यवस्था हो सके इसके बारे में राज्य सरकार सोच रही है, किस प्रकार

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

लोगों को सुविधा मिल सके। अब राज्य सरकार के पास जो प्रस्ताव विचाराधीन है उस पर शीघ्र निर्णय लेगी जिससे कि वहां पर आने वाले लोगों को पानी-बिजली की सुविधा को लेकर दिक्कत नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह तो बतावें कि कितना पानी पर और कितना बिजली पर पैसा खर्च होगा ? उनकी क्या योजना है और वह कब तक पूरी होगी ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आयुक्त देवस्थान विभाग का फैसला हुआ है दो महीने पहले।

श्री हीरालाल आर्य : कब व्यवस्था होगी ? वहां पर प्रबन्धक लोग अलग कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, दूसरी पार्टी को भी अपनी कार्यवाही करने का अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। अगला प्रश्न।

श्री गुलाबचन्द कटारिया :

राज्य में कोयले का आवन्टन

33. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्यमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राजस्थान सरकार ने 1 जनवरी, 1983 से 1 जनवरी, 1984 तक केन्द्र से कितना कोयला मांगा एवं उसकी पूर्ति हेतु कितना कोयला राज्य को प्राप्त हुआ तथा उसमें से कितना कोयला राज्य ने वास्तव में उठाया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में जितना कोयला आवंटित हुआ उतना नहीं उठाया गया ?

(3) आवंटित कोयले को नहीं उठाने का क्या कारण रहा ?

राज्य मन्त्री, खाद्य एवं आपूर्ति (श्री घासीराम यादव) : (1) राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से कोयले के आवन्टन की मांग नहीं की जाती है। रेलवे बोर्ड द्वारा प्रत्येक माह के लिये सोफ्ट कोक के 275 वैगन एवं बी० एच० हार्ड कोक के 100 वैगन का कोटा प्रतिमाह निर्धारित है। इसके अतिरिक्त सड़क द्वारा परिवहन हेतु 2000 मै० टन प्रति माह का कोटा कोल इन्डिया लिमिटेड द्वारा सोफ्ट कोक निर्धारित किया हुआ है। 1 जनवरी,1983 से 1 जनवरी, 1984 तक सोफ्ट कोक के 677½ वैगन बी० एच० हार्ड कोक के 680 वैगन एवं सोफ्ट एस० एल० बी के 902½ वैगन स्पोन्सर किये गये थे। इसके एवज में उपरोक्त अवधि में 75 वैगन सोफ्ट कोक, 75 वैगन बी० एच० हार्ड कोक, तथा सात सौ साड़े 32 वैगन एस० एल० बी कोयला प्राप्त हो चुका है। शेष मात्रा प्राप्त होना बाकी है।

(2) कोल सप्लायर्स, जिन्हें कोयला

(श्री घासीराम यादव)

लाने का भार सौंपा गया था, पूर्ण कोयले की मात्रा अभी तक नहीं ला सके हैं। उनकी आंशिक शिथिलता के कारण एवं निदेशक, रेलवे मूवमेन्ट, कलकत्ता द्वारा अपेक्षित वैगनों की उपलब्धि न करा सकने के कारण राज्य की निर्धारित कोयले की मात्रा का अब पूर्ण लदान नहीं हो सका।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न का जवाब इसमें आया है उसमें सोफ्ट कोक के साढ़े छः सौ वैगन, हार्ड कोक के 680 वैगन के बदले में 75 वैगन सोफ्ट कोक, 75 वैगन बी. एच. हार्ड और 732½ वैगन एस. एल. बी. कोयला प्राप्त हो चुका है। यह कुल मांग जो हमारी है उसका 12 या 13 प्रतिशत है। हमें बतायें कि कोयला लाने का काम कौन-कौन सी फर्म या एजेन्सीज को अलाट करते हैं। क्या इन कम्पनियों के अतिरिक्त किसी और को अधिकृत कर रखा है ? दूसरा प्रश्न यह है कि हमने जो कोयला 1983 में मंगवाया राजस्थान के सभी कोयला डिपो, जिनकी संख्या 500 है, ने भी प्रति वैगन के हिसाब से देने के लिए आपको कहा था ? अगर कहा था तो उन लोगों को स्वीकृति क्यों नहीं दी ? क्या यह भी सच है कि जितना पिछले साल कोयला आना चाहिए था, उसमें से जो रह गया, अन्त में एक ही पार्टी ने सारा काम किया ? इसका रिकार्ड हमारे पास नहीं है, आप बतायें।

श्री घासीराम यादव : माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है कि कौन-कौन सी एजेन्सीज हैं। इसके बारे में सवाल नहीं था। इसलिए आप अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं। जितने लोगों ने एप्लाई किया था उन सबको पिछले साल फिर दुबारा काम दिया। जिन की एप्लीकेशन पड़ी थी उनको भी दिया। 1979-80 में सोफ्ट कोक जितना आना था वह 633 स्पोन्सर किया गया था। 1980-81 में 533 आया और 1981-82 में 537 स्पोन्सर किया था उसके बदले 502 आया। हार्ड कोक 1979-80 में 1200 के मुकाबले 34 आया, 1980-81 1200 के मुकाबले 19 आया, 1981-82 में 1200 के बदले साढ़े चालीस आया और 1982-83 में 1200 के बदले 14 आया। जो हमारा पिछला तजुर्बा था उसके हिसाब से यह फिर भी ठीक है। हमने सबको इसके बारे में नोटिस दिया, सोफ्ट कोक 677 और हार्ड कोक 680 आया यह पिछले परफोर्मेन्स के हिसाब से अच्छा है। जिन्होंने एप्लाई किया था उनको आधा-आधा दे दिया।

दूसरा, आपने पूछा है कि अन्त में एक ही पार्टी ने सारा काम किया, इसका कोई हिसाब नहीं है। जिन्होंने एप्लाई किया था उनको ही दिया, लेकिन सबको आधा-आधा दिया। आधा इसलिए दिया कि पूरा नहीं दे सकते थे।

श्री अध्यक्ष : यह स्पष्ट हो गया कि आधा ही मिलेगा।

श्री घासीराम यादव : कोयला डिपो को स्वीकृति नहीं दी, ऐसी बात नहीं है, जिन्होंने मांगा है उनको दिया है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्त्ता।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जितना कोयला राजस्थान को ग्रावंटित होता है, उसका 12 प्रतिशत ही ग्राया। ग्राप यह बात बतायें कि कोयला कलकत्ता से लाते हैं वहां इसकी क्या रेट है ग्रौर ग्राज राजस्थान में कोयला कम ग्राने के कारण यहां के उपभोक्ताग्रों को किस भाव से मिलता है ? क्या इसके बारे में ग्राप सोचते हैं ?

श्री सुजानसिंह यादव : मंत्री महोदय ने वैगनों की संख्या भी दी, लेकिन डीलर्स का नाम नहीं दिया। मेरी जानकारी जहां तक है उसके मुताबिक जहां से कोयला जाता है डीलर्स रास्ते में कोयला बेच देते हैं ग्रौर पूरा यहां तक नहीं भेजते। मंत्री महोदय ने ग्रपने विभाग के द्वारा किसी डीलर की इन्क्वायरी करवाई है या नहीं ? जो वितरण हुग्रा उसके बारे में भी इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। ग्रगर की है तो क्या ऐसा कोई केस मंत्री महोदय ने रखा है ?

श्री ग्रध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री घासीराम यादव : माननीय सुजान सिंह ने जो सवाल किया है वह काफी हद तक सही है। हमारे पास सिविल कांट्रेक्ट है, हम उनसे तीन हजार रुपये सिक्योरिटी लेते हैं। ग्रगर 6 महीने के ग्रन्दर नहीं लाते तो हम उनकी सिक्योरिटी जब्त कर देते हैं। ई. सी. एक्ट के तहत इस प्रकार कोई प्रावधान नहीं है कि हम उनके खिलाफ इसके ग्रतिरिक्त कोई ग्रौर कार्यवाही कर सकें।

माननीय सदस्य ने पूछा, भाव क्या है ? कोयला गांवों में ग्रधिक जाता है, शहरों में कोयला नहीं जाता। शहर में रसोई गैस की एजेन्सी बन गई है इस कारण शहर में कोयला सप्लाई कम है। हम सोफ्ट कोयला लाते हैं, लेकिन वह कोई लेता नहीं।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रगला प्रश्न।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं कहता हूं, ग्रध्यक्ष महोदय, कोयले में बहुत घाटा हुग्रा है। लाखों रुपये की गड़बड़ी हुई है।

श्री नाथूसिंह : 6 फर्मों को इन्होंने दे रखा है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हर साल 50 लाख रुपये का इसमें घोटाला होता है, मैं इनको चैलेंज करता हूं........

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मुझे सदन से बाहर निकाल दीजिए ग्रगर यह बात गलत हो। गलत नहीं तो मंत्री महोदय इस्तीफा दे दें।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रगला प्रश्न। श्री रघुवीर सिंह।

(व्यवधान)

चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

विस्तार में न जावें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ग्रध्यक्ष महोदय, पचास लाख सालाना गबन हुग्रा है, यह जानबूझ कर........

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ×××

श्री अध्यक्ष : आप इसको अन्य तरीके से ला सकते हैं। मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ×××

श्री अध्यक्ष : श्री चन्द्रवीर सिंह।

श्री घासीराम यादव : अगर यह बात सही है तो आप लिख कर दें। मैं जांच करवाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हो रहा है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। कृपया शान्त रहें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ×××

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री घासीराम यादव : चावल के बारे में भी मेरे खिलाफ चार्ज लगाया गया। माननीय विपक्ष के नेता ने चार्ज लगाया, मैंने उसका जवाब नहीं दिया और वह टाइम्स ऑफ इण्डिया में निकल गया। मैंने कहा कि यह गलत है, लेकिन भैरोंसिंह जी ने यह बात नहीं बताई, मैंने तो जनरल ही कहा है और अखबार में निकला, राजस्थान पत्रिका में भी निकला। जो वक्तव्य दिया है, मैं कहता हूं वह लायें। ब्लिट्ज में भी निकला है, वह बात गलत थी। मैंने कहा ही नहीं और भैरोंसिंह जी ने कह दिया। कोई माननीय सदस्य कहें कि मैंने एक पैसे का गबन किया है तो मैं जांच करवा सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

(12.00 मध्याह्न)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। स्थान ग्रहण कीजिए।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर) : आपने मेरा नाम पुकार लिया।

श्री अध्यक्ष : पुकार लिया पर मैं असहाय हूं। मैं क्या कर सकता हूं, आपके दल के माननीय सदस्य सहयोग नहीं करते।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछ लिया आपकी अनुमति से। अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकार लिया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। शांत रहें तो मैं व्यवस्था तो दूं कुछ।

एक प्रश्न की विशेष तौर से इजाजत देता हूं। श्री चन्द्रवीरसिंह!

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

आर० डी० 1202 के टूटने से हुई क्षति का मुआवजा

34. श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर): क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर क्षेत्र आर० डी० 1202 टूटने से ग्राम अवाय में पानी घुस आया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त गांवों के जल मग्न होने का खतरा बना हुआ है ? क्या सरकार उक्त ग्रामवासियों को मुआवजा देकर अन्य सुरक्षित क्षेत्र में बसाने का विचार रखती है ?

राजस्थान नहर परियोजना मंत्री (श्री चन्दनमल वैद) : (1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : क्या यह सही है कि 8-1-84 को अवाय ग्राम की समूची आबादी ने ठिठुरती हुई सर्दी में नहर के टूट जाने से ऊंचे टीबों पर जाकर शरण ली ? क्या यह सही है कि 8-1-84 की रात को श्री सूरमाराम मेघवाल की पत्नी ने इसी कारणवश बेघर होकर खुले आकाश के नीचे टीबे पर एक पुत्र को जन्म दिया ? क्या यह सही है कि आर०सी०पी० के अधिकारियों के मना करने के बावजूद भी माननीय मंत्री महोदय ने इस कार्य को जल्दी में करवाया और जल्दी में करवाने के कारण यह नहर टूटी और, अध्यक्ष महोदय, मेरे पास सबूत है । अध्यक्ष महोदय, 8-1-84 को नहर टूटी और, अध्यक्ष महोदय, यह वायरलेस देते हैं दिसम्बर में :

"Refer your wireless dated 15.5.83. Great anxiety caused to Minister, R.C.P. While conveying displeasure of your irresponsible wireless message, Minister firmly desires that water has to reach Mohangarh on 4th January, 1984, by all means, as per agreed programme. Water will be received by Hon'ble Governor of Rajasthan at Mohangarh on 4.1.84, positively. No valid reason for further delay. If water does not reach Mohangarh on 4.1 84 as per programme, disciplinary action will be taken. Chief Engineer, R. C. P. should take over reins after return from Delhi on 20.12.83 to see that water. as per programme, reaches Mohangarh on 4 1.84."

अध्यक्ष महोदय, जो नहर टूटी है वह केवल मन्त्री महोदय की जल्दबाजी के कारण टूटी है ।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, मैं इस चीज को जरा साफ कर दूं । कोई नहर नहीं टूटी, कोई चैनल नहीं टूटी । स्थिति यह थी कि 1202 आर० डी० तक पानी पहुंचा था । वहां से कच्ची चैनल कन्सट्रक्शन के लिए, निर्माण के कार्य के लिए और पीने के पानी के लिए हमने बनाई हुई थी....

श्री अध्यक्ष : आपकी कान्सटीट्यूएन्सी में पहले नहर थी नहीं इसलिए पूरी जानकारी नहीं है।

श्री चन्दनमल बैंद : अध्यक्ष महोदय, मैं जरा इसको साफ कर दूं। 5 तारीख से राजस्थान नहर की बंदी थी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तीनों के लिए, हमारे निर्माण का कार्य बन्द नहीं हो जाये और हमारे दूसरे मजदूर काम कर रहे हैं उनको पीने का पानी मिलता रहे इसलिए पक्की नहर और कच्ची जो चैनल थी उन दोनों के संगम पर हमने एक मिट्टी का बंधा बनाया था जिससे वहां पानी इकट्ठा हो जाये। इस मिट्टी के बंधे का जहाँ पानी इकट्ठा होता था उसका रेगुलेशन 25 किलोमीटर ऊपर से होता है। इस वास्ते हमने सुरक्षा की दृष्टि से पहले से ही कि कहीं पानी ओवर टाप करके जो कच्ची दीवार है वह टूट न जाये। इस वास्ते कच्ची चैनल से पहले से ही यह एस्केप दाहिनी ओर बना दिया था कि अगर टूट भी जाये तो इस एस्केप से पानी निकल जाये और अवाय गांव की तरफ नहीं जाये। अवाय गांव कच्ची चैनल के बायीं तरफ है और उस कच्ची चैनल से 100 मीटर से लेकर एक किलोमीटर दूर है। जैसी हमको आशंका थी कि पानी आने से 8 तारीख को वह कच्चा बंधा टूट गया जिसमें केवल 811 हजार रुपया खर्च हुआ था वह कच्चा बंधा टूट गया और टूट करके पानी आया। हमने जो एस्केप बनाया था उसी एस्केप में से दाहिनी तरफ पानी निकल गया। अवाय गांव जो कि 100 मीटर से एक किलोमीटर दूर है उस तरफ एक बूंद भी पानी नहीं गया। अब यह कहना कि अवाय गांव डूब गया, गांव के लोग धोरों पर रहे, उन्होंने वहां बच्चे को जन्म दिया। बच्चा जन्म देने के लिए कोई मुमानियत नहीं है। आप धोरों पर दें चाहे महल में दें—मैं इसके लिए मना नहीं कर सकता लेकिन एक बूंद भी पानी अवाय गांव में नहीं गया। इसका निरीक्षण मैंने किया है, कृषि मन्त्री जी ने किया है, महामहिम राज्यपाल महोदय ने किया है और विरोधी दल के नेता ने भी किया है और इन चारों ने यही कहा है कि पानी उधर एक बूंद भी नहीं गया है। हमने गांव वालों से यह बात की है और गांव वाले भी कहते हैं कि एक बूंद भी पानी हमारी तरफ नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद भी आप यह कहें कि टीबों पर उन्होंने रात गुजारी, उन्होने बच्चे को जन्म दिया तो, अध्यक्ष महोदय, मैं क्या करूं कोई टीबे पर रात गुजारे या बच्चे को जन्म दे उसकी मर्जी है।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : टीबों पर रात इसलिए गुजारी क्योंकि आपने यह काम जल्दबाजी में करवाया और जल्दबाजी से करवाने के कारण ही यह नहर टूटी। यह तो भगवान का शुक्र था कि राइट बैंक टूटा। अगर लेफ्ट बैंक टूटता तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, अवाय गांव डूबता ही नहीं उसमें दस-दस फीट पानी आता है।

श्री चन्दनमल बैंद : बैंक नहीं टूटा है। हमारे एस्केप में से पानी गया।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह साफ जाहिर है कि माननीय मन्त्री महोदय ने यह काम जल्दबाजीमें करवाया है, यह साबित करता है। आपके आर०सी०पी०

(श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी)

कर्मचारियों ने आपको यह आगाह कर दिया था कि आप यदि इस तरह से जल्दबाजी में काम करवायेंगे तो यह नहर टूटेगी। मैं अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय को फिर आगाह करना चाहूंगा कि जिस तरह से राजस्थान नहर का काम चल रहा है उस प्रकार यह काम चलाया गया तो नहर फिर जगह-जगह से टूटेगी।

श्री चन्दनमल बैद : यह जरूरी है कि नहर जल्दी से जल्दी पूरी हो। राजस्थान के इन्ट्रेस्ट को सुरक्षित रखने के लिए और राजस्थान में पानी लाने के लिए जरूरी है कि नहर जल्दी से जल्दी बने।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या 36—यह जोधपुर सम्भाग के लोक-महत्व का प्रश्न है। इसलिए इसको ले लें।

श्री अध्यक्ष : इस पर मैं विचार करूंगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह तो अभी ही फरमाने का है इसलिए स्थगित किया जाये।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा) : बहुत महत्व का है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : कौन सा प्रश्न।

श्री रामसिंह विश्नोई : 36

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर विचार कर लूंगा। इसका उत्तर नहीं दिला सकूंगा।

श्री दलाराम (वन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय पाइन्ट आफ आर्डर। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं कल करीब 4 बजे से कुछ काम के लिए चला गया था....

श्री अध्यक्ष : मैं आपको बाद में अवसर दे दूंगा। पहले अध्यक्षीय व्यवस्था दे देता हूं उसके बाद स्पष्टीकरण कर दें।

श्री दुलाराम : मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्य ने जो गैलेरी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से प्रचार करने की कोशिश की है हो सकता है इस क्वेश्चन आवर के बाद अखबार वाले इधर-उधर चले जायेंगे और स्पष्टीकरण मैं दूंगा शायद वह अखबार में नहीं छप सकेगा...

श्री अध्यक्ष: आर्डर। अध्यक्षीय व्यवस्था के बाद मैं फिर अवसर दे दूंगा।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष आसन पर हैं फिर भी मन्त्री महोदय बोले जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठ जायें। मैं अभी आपको अवसर दे दूंगा अध्यक्षीय व्यवस्था देने के बाद।

श्री दुलाराम : देना ही है तो पहले ही दे दीजिए। बड़ी कृपा होगी आपकी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप जानते हैं। पूर्ववर्तिता अध्यक्ष में होती है। वह जब व्यवस्था दे रहा है उसके बाद में आपको अवसर दे दूंगा।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत समिति के प्रधानों के रिक्त स्थान

27. श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (मावली) : क्या निर्वाचन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 26 दिसम्बर, 1983 तक राज्य में कितने प्रधानों के स्थान रिक्त थे ?

(2) मावली पंचायत समिति के प्रधान के चुनाव कराने की घोषणा कब की गई ?

(3) क्या जिस समय मावली के चुनाव की घोषणा की गई उस समय और भी स्थान रिक्त थे ? यदि हां, तो उनके प्रधानों के चुनाव की घोषणा क्यों नहीं की गई ?

(4) मावली की घोषणा के बाद फतेहपुर (सीकर) के चुनाव की घोषणा कब की गई और क्या वह पुनः स्थगित की गई ? यदि हां, तो उसका क्या आधार था ?

(5) क्या सरकार प्रधानों के शेष रिक्त स्थानों के चुनाव कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) चार पंचायत समितियों (मावली, फतेहपुर, उदयपुरवाटी व नवलगढ़ के प्रधानों के स्थान रिक्त थे।

(2) मावली पंचायत समिति के प्रधान के उप चुनाव कराने की अधिसूचना दिनांक 26-12-83 को प्रसारित की गई ?

(3) जी हां। फतेहपुर, उदयपुरवाटी और नवलगढ के प्रधानों के स्थान भी रिक्त थे। प्रत्येक पंचायत समिति में प्रधान के उप चुनाव की अधिसूचना अलग से निकाली जाती है। इन पंचायत समितियों के विषय में जिलाधीशों से चुनाव के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए थे। दिनांक 6-1-1984 को जिलाधीश, झूंझुनू ने उदयपुरवाटी व नवलगढ़ के प्रधानों के उप चुनाव अप्रेल, 1984 में कराने का प्रस्ताव भेजा।

(4) फतेहपुर के प्रधान के उप चुनाव कराने की अधिसूचना दिनांक 5-1-84 को जारी की गई। श्री नारायणसिंह एवं श्री परसराम मोरदिया, सदस्य, विधान सभा ने यह अनुरोध किया कि पंचायत समिति फतेहपुर में कई पंचों की मृत्यु हो जाने के कारण प्रधान के चुनाव स्थगित कराए जावें। इस स्थिति को देखते हुए फतेहपुर पंचायत समिति के प्रधान के उप चुनाव स्थगित किए गए।

(5) जी हां, यथाशीघ्र।

पंचायत समिति सांचोर में गोचर भूमि पर नाजायज काश्त

30. श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(25)

(श्री हेमाराम चौधरी)

(1) क्या यह सही है ग्राम अगडावा, ग्राम पंचायत होतीगांव, पंचायत समिति सांचौर में गोचर जमीन एवं सरकारी सिवाय चक जमीन में सैकड़ों बीघा में नाजायज काश्त लोगों द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो वर्ष 1981-82, 1982-83, 1983-84 में किन-किन लोगों द्वारा कितने-कितने बीघा जमीन पर कब-कब काश्त की गई थी ?

(2) उक्त नाजायज काश्त की गई फसल के बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या उक्त सरकारी जमीन पर नाजायज की गई काश्त की फसल को सरकार द्वारा जब्त की जाकर नीलाम की गई है ? यदि हां, तो कब एवं कितनी रकम में नीलाम की गई है ?

उत्तर

(1) ग्राम अगवाडा में सरकारी सिवायचक एवं गोचर भूमि पर वर्ष 1981-82, 1982-83 एवं 1983-84 में कोई नाजायज कब्जा नहीं किया गया है। केवल वर्ष 1983-84 में सरकारी जमीन गै० मु० खार रकबा 718 बीघा 15 वि० पर 53 लोगों द्वारा अतिक्रमण कर नाजायज काश्त की गई है जिनकी सूची संलग्न कर दी गयी है।

(2) अतिक्रमियों द्वारा की गई नाजायज काश्त की फसल को नीलाम कर दिया गया है।

(3) जी हां। उक्त नीलामी दिनांक 9-2-84, 11-2-84 के बीच राशि रु० 36,681.00 में की गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मंडावा से मुकुन्दगढ़ तक बस सेवा

34. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष फरवरी माह से जनता की मांग पर मंडावा (झुंझनू) से मुकुन्दगढ़ रेलवे स्टेशन तक रात्रि को व प्रातः सवाई माधोपुर-लुहारू 17 अप व 18 डाउन से उतरने वाले यात्रियों को लाने ले जाने हेतु बस सेवा प्रारम्भ की गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बस सेवा दिनांक 7 दिसम्बर, 1983 से बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो किन आदेशों से उक्त बस सेवा बन्द की गई ?

(3) क्या यह सही है कि बस मालिकों ने अपनी मर्जी से निर्धारित शर्तों के उल्लंघन में उक्त बस सेवा बन्द कर दी है ? यदि हां, तो मोटर वाहन नियमों के अन्तर्गत उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त बस सेवा अब कब तक चालू कर दी जावेगी ?

(26)

उत्तर

(1) जी हां । जन प्रतिनिधियों की मांग पर फरवरी, 83 में निगम द्वारा जयपुर—मंडावा मार्ग पर संचालित एक वाहन को वाया मुकुन्दगढ़ रेलवे स्टेशन होकर चलाया गया था । यह वाहन सवाई माधोपुर-लुहारू 17 अप व 18 डाउन से उतरने वाले यात्रियों के सुविधार्थ संचालित की गई थी ।

(2) जी नहीं । यह वाहन मई, 1983 से ही बन्द कर दी गई थी । इस मार्ग यथा मुकुन्दगढ़ रेलवे स्टेशन होकर वाहन संचालन निगम के उस नीतिगत निर्णय के अन्तर्गत बन्द किया गया था जिसमें अधीनस्थ आगारों को अनार्थिक संचालन को बन्द करने के निर्देश थे । उक्त वाहन संचालन के फलस्वरूप जयपुर से मंडावा जाने वाले सीधे यात्रियों को अधिक समय लगने के कारण असुविधा होती थी ।

(3) जी हां । बस मालिकों के विरुद्ध मोटर व्हिकल्स एक्ट की धारा 60 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, जयपुर के समक्ष विचाराधीन है ।

(4) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्णय लिये जाने के उपरान्त इस सम्बन्ध कार्यवाही की जायेगी ।

चौमूं से जोरावरसिंह की ढाणी (सीकर) वाया मूण्डरू नांगल मार्ग पर दिये गये परमिट

35. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चौमूं (जयपुर) से जोरावर सिंह की ढाणी (सीकर) वाया मूण्डरू, नांगल मार्ग पर प्राइवेट बस मालिकों को परमिट दिए हुए हैं ? यदि हां, तो कब से तथा उक्त मार्ग पर कितनी बसें चलती हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर चलने वाली बसें केवल नांगल तक ही जाती हैं तथा आगे नहीं चलती हैं ?

(3) क्या उक्त बसों को नांगल से जोरावर सिंह की ढाणी (सीकर) तक नहीं चलाने की छूट सरकार द्वारा दी गई है ? यदि नहीं, तो उक्त मार्ग पर नांगल से आगे बसें कब से व क्यों नहीं चलाई जा रही हैं ?

(4) क्या सम्बन्धित बस मालिकों की उक्त धांधली व विभागीय लापरवाही के लिए भविष्य में कोई कड़ी कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । इस मार्ग पर प्राइवेट बस मालिकों को वर्ष 1968 से परमिट दिये हुए हैं तथा वर्तमान में 7 वाहन संचालित हो रहे हैं ।

(2) जी हां ।

(3) विभाग द्वारा कोई छूट नहीं दी गयी है । बस मालिकों द्वारा रास्ता खराब होने के कारण स्वेच्छा से ही बसें आरम्भ से ही नहीं चलायी जा रहीं हैं ।

(4) जी हां । मोटर वाहन अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत बस मालिकों के

(राज्य मंत्री, यातायात)

विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

बारां सब-डिपो पर वाहनों की आवश्यकता

36. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बारां सब डिपो पर कितने वाहनों की आवश्यकता है तथा वर्तमान में कितने वाहन चल रहे हैं ? क्या सब डिपो पर पूरा स्टाफ है ?

(2) सब डिपो पर जनवरी, 1984 में प्रति किलोमीटर आय क्या है ? क्या यह औसत आय से अधिक है ?

(3) प्रति वाहन से कितने प्रतिशत यात्री भार अपेक्षित है तथा जनवरी, 1984 में बारां सब डिपो का यात्री भार कितने प्रतिशत था ?

(4) क्या निगम बारां सब डिपो की स्थिति पर विचार करके इसे डिपो बनाने की आवश्यकता अनुभव करता है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बारां सब डिपो पर 20 वाहनों की आवश्यकता है तथा वर्तमान में 20 वाहन संचालित हैं। इन 20 वाहनों हेतु वांछित सभी श्रेणियों के कर्मचारी स्वीकृत पदों के अनुरूप कार्यरत हैं।

(2) बारां सब डिपो की माह जनवरी, 84 की आय प्रति कि. मी. 4.30 पैसा है जो निगम की औसत आय से अधिक है।

(3) कोटा संभाग में प्रति वाहन से 72 प्रतिशत यात्री भार अपेक्षित है तथा जनवरी, 84 में बारां सब डिपो का यात्री भार 80 प्रतिशत था।

(4) जी नहीं, आगार की स्थापना का आधार आय प्रति किलोमीटर या यात्री भार की उपलब्धता न होकर 30 या अधिक अनुसूचित सेवाओं का संचालन है। बारां सब डिपो द्वारा वर्तमान में 20 सेवाओं का संचालन ही किया जाता है। संचालन की दृष्टि से बारां सब डिपो में और अधिक अनुसूचित सेवाओं की वृद्धि का औचित्य नहीं है।

झालावाड़ डिपो से परिवहन बसों के रूट

37. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग): क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ डिपो से परिवहन निगम की कितनी बसें किस-किस नम्बर की किस-किस रूट पर चल रही हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में झालावाड़ डिपो में उपकरणों व टायरों का अभाव है ?

(3) क्या यह भी सही है कि झालावाड़ सुनेल गाड़ी बन्द कर दी गई है ? झालावाड़ सुनेल गाड़ी पुन: कब तक प्रारम्भ कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना संलग्न परिशिष्ट में दर्शा दी गई है। परिवहन निगम में मार्ग पर संचालन के लिये नम्बर वार वाहन आवंटित नहीं किया जाता है वरन् संचालन योग्य उपलब्ध वाहन किसी भी मार्ग पर संचालन हेतु भेजा जा सकता है।

(2) जी हां। कुछ टायर, जैक व स्पेनर का अभाव है। जैक एवं स्पेनर के क्रय हेतु आदेश किए हुए हैं जो प्राप्त होते ही शीघ्र उपलब्ध हो जायेंगे। कुछ व्हिल स्पेनर प्राप्त हो गये हैं जो शीघ्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं। टायर कम्पनियों द्वारा एक-साइज बढ़ जाने के कारण टायर उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं जिसके लिये प्रयास जारी है।

(3) जी हां, शीतकाल में पर्याप्त यात्री भार उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त गाड़ी बन्द कर दी गई है जिसे 1-4-84 से पुनः प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)।

आदर्शनगर, जयपुर में रिहायशी इलाकों में भारी यातायात

38. **श्री शिवराम शर्मा** (बनीपार्क),

श्री वीरेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या आदर्श नगर, जयपुर में रिहायशी इलाकों में भारी यातायात नियमानुसार वैध है ?

(2) क्या विशाल गुड्स ट्रान्सपोर्ट कंपनी आदर्श नगर, जयपुर के गोदाम तक भारी वाहनों का यातायात स्वीकृत है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त मार्ग पर ट्रकों व भारी वाहनों पर रोक लगाई गई है ?

(3) क्या शहर के आबादी वाले इलाकों में भारी यातायात की रोक के बावजूद भी यातायात पुलिस भारी वाहनों को चलने की स्वीकृति प्रदान करती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) स्वीकृति नहीं है। उक्त क्षेत्र में भारी वाहनों के यातायात पर रोक लगाई हुई है।

(3) राजकीय भारी वाहनों एवं आवश्यक वस्तुओं के वितरण में लगे भारी वाहनों जैसे डीजल, पेट्रोल, कैरोसीन, गैस चीनी, दूध, गेहूं आदि के वाहनों को आवश्यकतानुसार विशेष परिस्थितियों में निषेध क्षेत्र में प्रवेश की यातायात पुलिस द्वारा समय निर्धारित करते हुये कम ट्रैफिक के समय में स्वीकृति दी जाती है।

अकलेरा तहसील के गांव भालता को निगम बस सेवा का अभाव

39. **श्री भैरूलाल** (मनोहर थाना) : क्या यातायात राज्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि झालावाड़

(श्री भैरू लाल

जिले की अकलेरा तहसील के ग्राम भालता एवं उसके क्षेत्र की जनता का तहसील व अदालत तथा सामाजिक कार्यों हेतु अकलेरा के लिए दैनिक आवागमन रहता आया है ?

(2) क्या यह भी सच है कि पक्की सड़क से जुड़ा हुआ होने के उपरान्त भी इस क्षेत्र की जनता को पथ परिवहन निगम की ओर से कोई बस सुविधा नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार भालता ग्राम तक बस चलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) भालता ग्राम पक्की सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है तथा निगम को कोई परमिट स्वीकृत नहीं हैं। जहां तक निजी बसों को परमिट स्वीकृत किये जाने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

श्री एकलिंग जी का मन्दिर

40. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री एकलिंगजी का मन्दिर महाराणाओं के वक्त में भी ऋषभदेवजी के मन्दिर के समान स्टेट का मन्दिर था ? यदि हां, तो यह मन्दिर महाराणाओं को कैसे और क्यों दिया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री एकलिंगजी मन्दिर का ट्रस्ट गठित किया गया ? यदि हां, तो कब और इसके कौन सदस्य थे और हैं ? प्रारम्भ से अब तक के सदस्यों की सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान निर्माण के पूर्व ही उक्त मन्दिर का प्रबंध तत्कालीन मेवाड़ राज्य के महकमा खास एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेन्ट के आदेश संख्या 9477 दिनांक 29-4-48 के द्वारा रियासत से हटा कर महाराणा के निजी ताल्लुक से कर दिया गया तभी से उक्त मन्दिर का प्रबन्ध महाराणा के पास है।

(2) जी हां, उक्त मन्दिर का निजी प्रन्यास वर्ष 1955 में महाराणा द्वारा गठित किया गया था जिसके निम्न सदस्य थे,

1. महाराणा श्री भूपाल सिंह जी
2. राव मनोहर सिंह जी बेदला
3. कोठारी श्री गिरधारी सिंह जी
4. श्री जमनालाल जी दशोरा
5. कर्नल राव श्री खुमानसिंह जी सलूम्बर

उसके पश्चात उक्त प्रन्यास को राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर के निर्णय दि. 30-4-76 व 4-4-78 के द्वारा एक सार्वजनिक प्रन्यास घोषित किया जा चुका है। सहायक आयुक्त, उदयपुर द्वारा गठित प्रन्यास के निम्न सदस्य वर्तमान में हैं :—

1. महाराणा श्री भगवतसिंह जी

(श्री देवस्थान राज्य मंत्री)

2. महाराणा करणसिंह जी, करजाली वाले

3. कुंवर श्री नरेन्द्रसिंह जी, भोपालगढ़

4. श्री सुरेश चन्द्र चटर्जी

5. पाण्डे चन्द्रनाथ

बाड़मेर जिले के पुराने मन्दिर की देखरेख

41. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले के ग्राम विसूकला में बहुत पुराने मन्दिर की देखरेख कौन करता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त मन्दिर की मरम्मत व देखरेख करेगी ? यदि हां, तो कब से व क्या ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले के गांव बिसूकला में पुराने मन्दिर की देखरेख देवस्थान विभाग द्वारा नहीं की जा रही है क्योंकि यह विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियंत्रित राजकीय मन्दिर नहीं है।

(2) प्राइवेट मंदिरों की मरम्मत आदि देवस्थान विभाग द्वारा नहीं की जाती है और न ही इनके लिए बजट में कोई प्रावधान है।

उदयपुर स्थित चारभुजा जी का सार्वजनिक मन्दिर

42. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या देवाली उदयपुर स्थित चारभुजा जी का मन्दिर देवस्थान विभाग से सहायता प्राप्त सार्वजनिक मन्दिर है ? यदि हां, तो आज दिन उस पर कब्जा किसका है ?

(2) क्या विभाग इस सार्वजनिक मंदिर पर कुछ लोगों के अधिकार को समाप्त करने की कार्यवाही कर रहा है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या विभाग जब तक विवाद का हल नहीं होता अपने कब्जे में मन्दिर को लेकर व्यवस्था करेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। मन्दिर पर कुमावत समाज के एक वर्ग का कब्जा है।

(2) मन्दिर श्री चारभुजा जी देवाली जिला उदयपुर को राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत जांच कर पंजीकृत करने की कार्यवाही सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर के यहां विचाराधीन है। यह कार्यवाही माह मई, 1981 से श्री धनराज कुमावत द्वारा दिनांक 29-4-81 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ की गई है जो न्यायिक प्रक्रिया में है। विचाराधीन जांच का निर्णय हो जाने के पश्चात ही उक्त मन्दिर के स्वामित्व व वास्तविक प्रन्यासियों के सम्बन्ध में निर्णय हो सकेगा।

(3) जी नहीं।

शाही रेल यात्री वहन की कुल क्षमता

43. श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) शाही रेल (पैलेस ग्रान व्हील्स) की यात्री वहन करने की कुल कितनी क्षमता है ? अब तक कुल क्षमता के विरुद्ध अधिकतम कितने यात्रियों ने यात्रा की ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त रेल गाड़ी में निःशुल्क यात्रा भी करवाई जाती है ? यदि हां, तो अब तक किन–किन व्यक्तियों को ? नाम व यात्रावार सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) शाही रेल की वहन क्षमता 102 है। अब तक क्षमता के विरुद्ध अधिकतम 89 यात्रियों ने एक ट्रिप में यात्रा की।

(2) जी हां, सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

बाड़मेर जिले के ग्राम बिसूकला के पुराने मन्दिर की मरम्मत

45. श्री अमीन खां (शिव)—क्या कला संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) बाड़मेर जिले के ग्राम बिसूकला में बहुत पुराना एक मंदिर ?

(2) क्या उक्त पुरातत्व के ऐतिहासिक मन्दिर की मरम्मत कराने की सरकार व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, एक हजार वर्ष प्राचीन देवी का मन्दिर है।

(2) यह संरक्षित स्मारक नहीं है। इसके संरक्षण तथा मरम्मत का मामला विचाराधीन है।

शिक्षण संस्थाओं में सहायता के रूप में विनियोजित पूंजी

46. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य की कितनी शिक्षण संस्थाओं में ऋण सहायता एवं अंशदान के रूप में 31 मार्च, 1983 में कितना रुपया विनियोजित था ?

(2) इस धनराशि के आॅडिट की क्या व्यवस्था है ?

(3) राज्य सरकार को इन संस्थाओं के आॅडिट की रिपोर्ट किस रूप में व किस स्तर पर प्राप्त होती है ?

(4) क्या राज्य सरकार इनके आॅडिट की वर्तमान प्रणाली तथा इन संस्थाओं में विनियोजित पूंजी के व्यय के औचित्य के विषय में सन्तुष्ट है ? यदि नहीं, तो इस विषय में सरकार द्वारा क्या उपाय इस व्यवस्था के काम में सुधार के लिये किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में शिक्षण संस्थाओं को अनुदान के रूप में 31 मार्च, 83 (वित्तीय वर्ष) में निम्न प्रकार से राशि भुगतान की गई :—

1–कालेज शिक्षा	46 महाविद्यालय	272.22 लाख
2–प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा	1138 शिक्षण संस्थायें	752.35 लाख
3–संस्कृत शिक्षा	73 शिक्षण संस्थायें	42.12 लाख

ऋण के रूप में भारत सरकार से संस्थाओं को जो राशि दी गई है एवं वसूली 31 मार्च, 83 तक की संलग्न तालिका पर अंकित है।

(2) लेखों का आडिट विभागीय आडिट पार्टी, सी. ए., मुख्य लेखाधिकारी की आडिट पार्टी, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की पार्टी तथा महालेखाकार द्वारा समय समय पर किया जाता है।

(3) संस्था द्वारा व्यय की गयी राशि तथ्यात्मक स्थिति के रूप में महालेखाकार/चार्टर्ड एकाउन्टेंट से प्राप्त होती है।

(4) किन्हीं मामलों में स्थिति असंतोषप्रद रहती है, जिसके लिये वांछित कार्यवाही की जाती है।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

पं. स. मूण्डवा व नागौर के डीलर्स को दिया गया केरोसिन

47. **श्री महाराम चौधरी (नागौर)** : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति मूण्डवा व नागौर व नागौर शहर के केरोसिन डीलर्स को कितना कितना केरोसिन तेल 1 अप्रेल, 1983 से 15 फरवरी, 84 तक दिया गया ? कृपया पृथक् पृथक् तारीखवाइज व डीलरवाइज विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) अनियमितता के कारण किस किस केरोसिन डीलर के खिलाफ कब कब जांच की जा कर क्या क्या कार्यवाही की गई ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(परिशिष्ट "क" "ख" "ग")

(2) विवरण सदन के पटल पर दी गई है।

परिशिष्ट "घ"

(सूची एवं विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

टोंक जिले की अ. जाति/जन जाति की बस्तियों का विद्युतीकरण

48. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

टौंक जिले में वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक कृषि कनेक्शन, अनुसूचित जन जातियों की बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे एवं वर्षवार कितने कितने कृषि कनेक्शन, किन किन गांवों में और किन किन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की बस्तियों में दिये गये ? कृपया पूर्ण ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

टौंक जिले में वर्ष 1980-81 से वर्ष 1983-84 तक के लक्ष्य एवं कृषि हेतु दिये गये कनेक्शन निम्न प्रकार हैं:--

वर्ष	लक्ष्य	दिये गये कनेक्शनों की संख्या
1980-81	385	401
1981-82	255	311
1982-83	200	222
1983-84	137	109 (फरवरी 84 तक)

जिन जिन ग्रामों में कृषि कनेक्शन प्रदान किये गये हैं उनका वर्षवार ब्योरा दर्शाते हुए सूची [अ]सदन के पटल पर रख दी गई है। टोंक जिले में वर्ष 1980-81 से वर्ष 1983-84 तक हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य एवम् विद्युतीकृत की गई हरिजन बस्तियों का विवरण निम्न प्रकार से है:—

वर्ष	लक्ष्य	ग्रामों की संख्या जिसमें बस्तियां विद्युतीकृत की गई	विद्युतीकृत बस्तियां
1980-81	–	2	12
1981-82	–	8	17
1982-83	20	27	35
1983-84	18	28	63(फरवरी 84 तक)
		66	127

टौंक जिले में वर्ष 1980-81 से वर्ष 1983-84 (फरवरी 84 तक) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बस्तियों का विद्युतीकरण व बस्तियों का विवरण जो विद्युतीकृत की गई है, सूची "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

जिला नागौर में 33 के. वी. सब स्टेशन की बिजली बन्द होना

49. **श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

ग्राम नुवा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर में 33 के. वी. सब स्टेशन की बिजली पिछले 1 साल से कब-कब और किस-किस समय में बन्द रही ?

उत्तर

ग्राम नुवा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर में 33 के. वी. सब स्टेशन की बिजली पिछले एक साल में (15.2.83 से 15.2.84 तक) जिस दिन कुल 15 मिनट से अधिक बन्द रही उसका विवरण परिशिष्ट

(ऊर्जा मन्त्री)

"अ" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के किये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

वर्ष 1983 में मेहरोली से अजीतगढ़ के बीच अस्त-व्यस्त विद्युत लाइन

50. **श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या 1983 में मेहरोली से अजीतगढ़ (सीकर) के बीच आंधी तूफान के कारण बिजली के खम्भे गिरे तथा विद्युत लाइन अस्त व्यस्त हुई? यदि हां, तो उक्त लाइन को सुचारु करने के लिए कितनी राशि व्यय हुई?

(2) क्या उक्त लाइन को सुचारु करने के लिए ठेकेदार के माध्यम से काम करवाया गया? यदि हां, तो कितनी राशि में क्या क्या कार्य करवाया गया?

उत्तर

(1) जी हां, महरोली से अजीतगढ़ के बीच 33 के.वी. लाइन के खम्भे आंधी तूफान के कारण गिरे थे, जिसकी सुचारु व्यवस्था करने के लिये मण्डल की 43,270/– रुपये की राशि व्यय हुई।

(2) जी हां, उक्त लाइन का कार्य ठेकेदार मैसर्स अजय कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, जयपुर के माध्यम से करवाया गया था जिस पर 19,770/–रुपये की राशि व्यय हुई जिनका विवरण दर्शाते हुये परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

तहसील लाडनूं के गांवों का विद्युतीकरण

51. **श्री रामधन (लाडनूं) :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लाडनूं तहसील के कई गांव अभी तक विद्युतीकरण से नहीं जुड़े हुए हैं? यदि हां, तो कितने?

(2) क्या यह भी सही है कि पिछले दो साल में इस तहसील के किसी भी गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ है? यदि हां तो क्यों?

(3) क्या सरकार इस तहसील के गांवों का विद्युतीकरण का इरादा रखती है? यदि हां, कितनों का और कब तक?

(4) क्या यह भी सही है कि लाडनूं तहसील के विद्युतीकृत गांवों में बहुत ही पुराने कनेक्शन पेंडिंग हैं? यदि हां, तो कहां कहां?

(5) क्या यह भी सही है कि तहसील लाडनूं के ग्राम ओडिन्ट हिरावनी सुनारी तथा बल्यू रताऊ लेडी तथा निम्बी जोधा में अनुसूचित जाति के मोहल्लों का विद्यतिकरण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। लाडनूं तहसील के 60 ग्राम विद्युतीकृत नहीं हैं।

(2) जो नहीं। दिनांक 30-3-1982 को ग्राम हुडास का विद्युतीकरण हुआ है।

(3) लाडनूं तहसील के ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने हेतु योजना बनाई है। कितने गांवों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायगा, इसके बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(ऊर्जा मन्त्री)

(4) जी हां। लाडनूं तहसील के विद्युतीकृत गांवों में विद्युत कनेक्शन लेने हेतु 1436 प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं जिनका ग्राम वार विवरण परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है।

(5) जी नहीं। ग्राम लेडी, निम्बी जोधा व सुनारी में अनुसूचित जाति के एक एक मोहल्ले का विद्युतीकरण किया जा चुका है, एवं ओडिन्ट में 7 खम्भे, लेडी में 12 खम्भे व सुनारी में 7 खम्भे की विद्युत लाइनों का कार्य प्रगति पर है जिसके इस माह के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है। ग्राम हीरावनी, बल्दु व रताऊ में हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण हेतु कोई भी प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं हैं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 11 में देखें)

अन्ता सब-डिवीजन क्षेत्र में 3 फेस लाइट देने का समय निर्धारण

52. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अन्ता सब ड़िवीजन क्षेत्र में दिन में 3 फेस लाइट देने का कितने घन्टे समय निर्धारित किया गया था, उसमें से कितने घन्टे बिजली उपलब्ध कराई गई ?

(2) क्या यह सही है कि दिन में निर्धारित समय से कम बिजली उपलब्ध कराई गई है ? यदि हां, तो क्या इससे होने वाले आर्थिक नुकसान के लिए विद्युत बोर्ड उपभोक्ताओं को मुआवजा देगी ?

उत्तर

(1) अन्ता सब डिवीजन क्षेत्र में 3 फेस बिजली देने का जो कार्यक्रम माह नवम्बर (12-11-83) से फरवरी, 1984 तक बनाया गया था तथा इसमें जिस समयावधि में बिजली उपलब्ध नहीं कराई जा सकी उसका विवरण संलग्न सूची "अ" में दर्शाया गया है।

(2) अन्ता में विद्युत कम उपलब्ध कराई जाने के कारण 132 के. वी. एवं अन्य वोल्टेज के सब स्टेशन से लोड सेडिंग एवं लाइन की खराबी थी।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

राज्य में विद्यालय क्रमोन्नत करने का मापदण्ड

53. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर): क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष शिक्षा सत्र में कितने राजकीय माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को क्रमशः उच्च माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है ?

(2) उक्त विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का क्या मापदण्ड रखा गया था ? कृपया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र वार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस सत्र में 4 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में तथा 650 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है।

(2) विद्यालयों को क्रमोन्नत करते

(शिक्षा मन्त्री)

समय भवन व्यवस्था, छात्र-संख्या, स्थानीय मांग तथा विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। विद्यालयों का विधान सभा क्षेत्र के अनुसार विवरण नहीं है। पंचायत समिति वार विवरण उपलब्ध है वह संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

बीजासन माता जी महाराज दरा की कृषि भूमि

54. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या देवस्थान राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीजासन माता जी महाराज दरा नायब तहसील, इन्द्रगढ़ के नाम कृषि भूमि कहां पर स्थित है ? नाम, स्थान, ख. नं., रकबा, वर्तमान में किसका कब्जा है आदि की पूर्ण सूचना सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त सम्पति की इन्कम मन्दिर को प्राप्त हो इस हेतु सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की अथवा की जा रही है ?

उत्तर

(1) मन्दिर श्रीबीजासन माताजी दरा नायब तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी के नाम राजस्व रेकार्ड के अनुसार ग्राम थोडा में 134 बीघा 13 बिस्वा, ग्राम अनथोडा में 36 बीघा 16 बिस्वा, ग्राम खेडली माफी में 2 बीघा 10 बिस्वा तथा ग्राम श्योदानपुरा में 22 बीघा 13 बिस्वा कुल 197 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। ग्राम का ख. नं. रकबा तथा वर्तमान कब्जों की सूचना संलग्न है।

(2) मन्दिर के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित उपरोक्त समस्त 197 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि पर मन्दिर के पुजारियों का कब्जा है तथा वे ही इससे आय प्राप्त करते हैं। यह मन्दिर वर्तमान में देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय मन्दिर नहीं है। उक्त मन्दिर की व्यवस्था सुचारु रूप से चलाने व मन्दिर की आय का सदुपयोग मन्दिर के हित में करने की दृष्टि से मन्दिर को राजकीय नियंत्रण का मामला विचाराधीन है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

राज्य में विद्युत उपलब्धि हेतु लक्ष्य

55. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य में विद्युत की उपलब्धि बढ़ाने हेतु विभाग ने वर्ष 1983–84 और 1984–85 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए तथा लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्या-क्या प्रयास किए ?

(2) वर्ष 1983–84 में उपभोक्ताओं की कितनी मांग थी एवं हमने विभिन्न स्रोतों से कितनी-कितनी यूनिट बिजली प्राप्त की ? आवश्यकता और उपलब्धता में कितना

(श्री महावीर प्रसाद)

अन्तर रहा तथा इसको पूरा करने के क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? कृपया सविवरण सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1982-83 में विद्युत उपलब्धि 4243 मिलियन यूनिट रही। वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 में विद्युत उपलब्धि का लक्ष्य अनुमानतः क्रमशः 5288 मि. यू. व 5754 मि यू. निर्धारित किया गया है। अधिक विद्युत उपलब्धि हेतु अनेकों परियोजनाओं को पूरा किया गया है, कार्य चालू है।

(2) वर्ष 1983-84 में उपभोक्ताओं की मांग 7298 मिलियन यूनिट आंकी गई है। पीक सीजन में मांग 220 लाख यूनिट प्रतिदिन होती है। चालू वर्ष में विभिन्न स्रोतों से फरवरी, 1984 तक. 5086.6 मि. यू. बिजली प्रतिदिन उपलब्ध हो सकी है जिसका स्रोतवार विवरण निम्न प्रकार है—

स्रोत	यूनिट (लाख में)
भाखड़ा व्यास	22028.88
केन्द्रीय सहयोग	1055.18
राजस्थान अणुशक्ति गृह	9962.61
चम्बल	5695.98
सतपुड़ा	3781.78
सिंगरोली	3535.45
कोटा तापीय विद्युत गृह	4731.82
स्थानीय ताप	74.68
कुल योग	50866.28

राज्य में बढ़ती हुई विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्न परियोजनाओं को समयानुसार पूरा कर लिया गया है।

परियोजना	अधिष्ठापित क्षमता मेगावाट में	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की स्थिति
1. कोटा तापीय परियोजना (प्रथम चरण द्वितीय यूनिट)	100	जुलाई, 80	कार्य पूरा कर लिया गया है।
2. सिंगरोली उच्च तापीय परि० (चतुर्थ यूनिट)	200	नवम्बर, 83	"
3. देहर जल विद्युत परियोजना (पांचवीं एवं छठी यूनिट)	2 X 165	जुलाई, 83 नवम्बर, 83	" "
4. सिंगरोली उच्च तापीय परियोजना (पांचवीं यूनिट)	200	फरवरी, 84	"

(ऊर्जा मन्त्री)

इसके अतिरिक्त माही जल विद्युत परियोजना की 25 मेगावाट क्षमता की प्रथम यूनिट को चालू करने का लक्ष्य दिसम्बर, 1984 निर्धारित किया गया है जिस पर कार्य प्रगति पर है। अन्य स्रोतों जैसे केन्द्र द्वारा संचालित बिजली घरों से तथा मध्य प्रदेश से भी आवश्यकतानुसार बिजली प्राप्त कर मांग को पूरा करने का प्रयत्न किया जाता है।

प्रशासन गांवों की ओर

56. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्व अभियान व प्रशासन गांवों की ओर अभियान में जनवरी, फरवरी, 83 के दौरान पंचायत समिति नागौर व मूण्डवा के किन-किन प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए खेल मैदान हेतु भूमि उपलब्ध कराई गई ?

(2) किन-किन संस्थाओं को आज तक उपलब्ध कराई गई इस जमीन के आदेश सम्बन्धित संस्थाओं को नहीं मिले और कब तक यह पूर्ति कर दी जायेगी ? विवरण व संस्थावार सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) उक्त अभियान के दौरान 6 माध्यमिक, 24 उच्च प्राथमिक एवं 103 प्राथमिक विद्यालयों को स्कूल भवन एवं खेल मैदान हेतु भूमि आवंटित की गई। सूची संलग्न है।

(2) आवंटित भूमि के आदेशों की प्रतियां सभी सम्बन्धित संस्थाओं को भेजी गई हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

कोटा जिले की पं० स० सुल्तानपुर व सांगोद में प्रशासन गांवों की ओर

58. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) कोटा जिले की पंचायत समिति सुल्तानपुर एवं सांगोद में कितने मामले "प्रशासन गांवों की ओर" के तहत आयोजित केम्पों में खाते अलग करवाने के आये ?

(2) क्या वे खाते अलग-अलग कर दिये गये ?

उत्तर

(1) कोटा जिले की पंचायत समिति सुल्तानपुर में 116 एवं सांगोद में 260 मामले "प्रशासन गांव की ओर" के तहत आयोजित केम्पों में खाते अलग करवाने के आये।

(2) जिले की पंचायत समिति सुल्तानपुर में 116 मामलों में से 83 मामलों में तथा सांगोद के सभी 260 मामलों में खाते अलग-अलग कर दिये गये।

कमाण्ड एरिया का नान-कमाण्ड में परिवर्तन

99. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1535 अ. ता., जो कि दिनांक 16-3-83 को प्रश्न-सूची में आइटम संख्या 654 में सम्मिलित किया गया, के बिन्दु चार के उत्तर में कहा गया है कि कमाण्ड एरिया को नान-कमाण्ड में परिवर्तन करने हेतु कार्यवाही जिला स्तर पर की जा रही है और जल्दी ही इस सम्बन्ध कार्यवाही की जावेगी ?

(2) क्या सरकार ने उक्त उत्तर के अनुरूप कार्यवाही पूर्ण कर ली है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस सम्बन्ध में मौके पर भूमि का सर्वे कराया जा रहा है। सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होते ही आगे शीघ्र कार्यवाही की जावेगी।

नागौर तहसील मन्दिरों की जमीन पर नाजायज कब्जा

60. **श्री महाराम चौधरी (नागौर)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) नागौर तहसील में जनवरी, फरवरी, 1983 में चलाये गये राजस्व अभियान में किस-किस गांव में मन्दिरों की कितनी-कितनी भूमि व जायदादों पर दूसरे लोगों का नाजायज कब्जा पाया गया ?

(2) क्या सरकार ने इन नाजायज कब्जों को हटा कर भूमि व जायदाद मन्दिरों के नाम पर करा दिये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नागौर तहसीलों में निम्न ग्रामों की मन्दिरों की भूमि पर लोगों का नाजायज कब्जा पाया गया—

नाम ग्राम	मामलों की संख्या	क्षेत्रफल बीघा	क्षेत्रफल बिस्वा
1. घिरोद	24	2158	09
2. सोलियाणा	23		
3. सारडा	8		
4. कादरपुरा	2	10	02
5. बापोड	3	87	00
6. बसवाणी	3	164	00
7. घुढो	7	324	00
8. सेनणी	18	51	10
9. नागडो	2	20	00
10. खुण्डाला	1	10	00
11. धायबास	2	20	00
12. लालावास	4	50	00
योग	97	2895	01

(2) सभी मामलों में संवत् 2020 की सेटलमेंट में काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिये जा चुके थे। इस कारण कब्जे नहीं हटाये जा सके।

लाडपुरा, दीगोद एवं मांगरोल उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि आवंटन

61. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

तहसील लाडपुरा, दीगोद, मांगरोल एवं पीपल्दा के उपनिवेशन के क्षेत्र में आवंटन योग्य कितनी भूमि है ? इस भूमि का आवंटन अब तक क्यों नहीं किया गया ? अब यह आवंटन कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

जिले के उपनिवेशन क्षेत्र में तहसील लाड़पुरा में 374 एकड़, मांगरोल में 4836 एकड़, दीगोद में 1880 एकड़, पीपल्दा में 624 एकड़, कुल 7714 एकड़ आवंटन योग्य भूमि है। अब तक इस भूमि का आवंटन नहीं होने का कारण 5290 बीघा जमीन असिंचित होना, उपलब्ध भूमि के लिए आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होना, भूमि कहीं-कहीं पर छोटे टुकड़ों में होना, तथा भूमि की कीमत दी जाना रहा है। इस शेष भूमि के आवंटन हेतु सम्बन्धित उप जिलाधीशों को शीघ्र आवंटन किये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

सीकर जिले के ट्रांसफार्मर

62. **श्री दीपेन्द्रसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) पिछले दो वर्षों में सीकर जिले में कितने ट्रांसफार्मर जले एवं उनको ठीक कराने पर कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) उक्त अवधि में जले ट्रांसफार्मर कितनी अवधि में ठीक करा दिये गये ?

(3) ट्रांसफार्मर की रिपेयर के लिए विभाग में कर्मचारी होने के उपरान्त भी क्या अन्य निजियों से भी ट्रांसफार्मर ठीक कराए गए ? यदि हां, तो उन्हें कितनी राशि का भुगतान किया गया और क्या वह भुगतान उचित था ?

(4) क्या इस प्रकार इतनी संख्या में ट्रान्सफार्मरों के जलने एवं उन पर व्यय की गई राशि के दुरुपयोग की जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्या अब जांच कराई जायगी।

उत्तर

(1) पिछले दो वर्षों 1982–83 व 1983–84 (माह फरवरी, 84 तक) में सीकर जिले में 18 पावर एवं 609 वितरण ट्रान्सफार्मर जले। 82–83 एवं 83–84 (फरवरी तक) में 6 पावर एवं 447 वितरण ट्रान्सफार्मर मरम्मत कराये गये। इस पर वर्ष 1982–83 में 1,81,869.65 रुपये एवं वर्ष 1983–84 (माह फरवरी, 84 तक) में रुपये 4,12,519.02 की राशि व्यय हुई।

(2) ट्रान्सफार्मरों के जलने, बदलने एवं मरम्मत कराने की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। जले हुए ट्रान्सफार्मर के स्थान पर उपलब्ध नये या रिपेयर्ड ट्रान्सफार्मर लगा कर अल्पावधि में बदल दिया जाता है तत्काल ट्रान्सफार्मर उपलब्ध न होने पर निकट के ट्रान्सफार्मर से विद्युत की वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाती है।

(ऊर्जा मन्त्री)

(3) जी हां। वर्ष 1982-83 में रु. 1,81,869 65 एवं वर्ष 1983-84 (माह फरवरी, 84 तक) रु. 4,12,519.02 की राशि का भुगतान किया गया। ट्रान्सफार्मर की मरम्मत पर होने वाले अनुमानित व्यय को सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात् ही जले हुए ट्रान्सफार्मर को फर्मों द्वारा मरम्मत कराया जाता है।

(4) प्राकृतिक विपदाएं एवं ट्रान्सफार्मर की क्रमिक घिसावट के कारण ट्रान्सफार्मर जलते रहते हैं। उनकी जांच कराने के पश्चात् ही मरम्मत कराई जाती है। अतः उनकी मरम्मत पर राशि के दुरुपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगनप्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रामकंवार बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से फागी विधान सभा क्षेत्र में अध्यापकों की कमी के विषय में,

(2) श्री नाथूसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में लोकायुक्त का पद 6 अगस्त, 1982 से खाली पड़ा रहने के विषय में,

(3) श्री हंसराज शर्मा व चुन्नीलाल, सदस्य विधान सभा की ओर से जिला सवाई माधोपुर के ग्राम भगवतगढ़ में डाक्टरों की लापरवाही से नसबन्दी करते समय एक महिला की मृत्यु हो जाने के विषय में,

(4) सर्वश्री बालचन्द्र आर्यवीर, अनंग कुमार जैन, हरीश शर्मा छीतरलाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 9 व 24 जनवरी, 1984 को झालावाड़ जिले के सुनेल कस्बे में 2 बच्चों के अपहरण के विषय में,

(5) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा मास्टर प्लान के विपरीत अनिमित तरीके से जमीन को खुर्द बुर्द करने के विषय में,

(6) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील कोलायत के व अन्य कई गांवों में भेड़ों में जूं की बीमारी लगने से हजारों भेड़ें मरणासन्न स्थिति में होने के विषय में,

(7) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले की पंचायत समिति, इटावा की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्यालय इटावा से हटाये जाने की आशंका के विषय में,

(8) श्री फतेसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से कुशलगढ़ क्षेत्र के ग्राम मुराकुआ में कुछ किसानों को बिजली के लिये दिये गये ऋण की जबरदस्ती वसूली के विषय में,

(9) सर्वश्री गुलाब चन्द कटारिया, नन्दलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की

(श्री अध्यक्ष)

ओर से गत 24 फरवरी को उदयपुर के दैनिक मनु टाइम्स के कार्यालय में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगा देने के विषय में,

(10) सर्वश्री मेघराज तावड़, राज बहादुर व त्रिलोकसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से किसानों की मांगों को लेकर गंगानगर में प्रारम्भ किये गये रास्ता रोको आन्दोलन के विषय में,

(11) श्री महावीर प्रसाद जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील टौंक में ग्राम ऊम और काबरा के बीच स्थित तालाब की जमीन में बीज डालने पर वहां के गरीब व्यक्तियों से भारी रकम की वसूलियां करने के विषय में,

(12) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम लवेरा खुर्द, तहसील भोपालगढ़ में मेघवालों के श्मशान पर एक व्यक्ति द्वारा नाजायज कब्जे से अन्तिम क्रिया में होने वाली कठिनाइयों के विषय में,

(13) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जनगणना के सेवानिवृत कर्मचारियों को रोजगार न दिये जाने के विषय में,

(14) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान के राज्य कर्मचारियों द्वारा 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर में किये जाने वाले आन्दोलन के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायगा।

श्री बन्सीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा नगर में लेबर कालोनी में सड़कें, शौचालय, नालियां आदि खराब होने के विषय में।

यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। इसे आवश्यक कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकार को भेजा जा रहा है।

कल और परसों जो दो आपत्तियां उठाई गई थी मैंने उनके सम्बन्ध में अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। वह मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न पर व्यवस्था

भूतपूर्व माननीय सदस्यों के देहावसान की जिलाधीश द्वारा सूचना

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि सुश्री पुष्पा जैन व श्री यदुनाथ सिंह ने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री चन्द्रसिंह बरफा तथा श्री गज्या जी पटेल के निधन की सूचना क्रमशः जिलाधीश, जोधपुर व जिलाधीश, जयपुर ने विधान सभा सचिवालय को न देकर सदन के विशेषाधिकार का हनन किया है। मैंने इस विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त की। जिलाधीश जयपुर ने इस विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना प्राप्त होने के बाद श्री गज्या जी पटेल के निधन

(श्री अध्यक्ष)

की पुष्टि की है और समय पर सूचना नहीं देने के कारण खेद व्यक्त किया है। इसी जिलाधीश, जोधपुर ने श्री चन्द्रसिंह बरफा के निधन की पुष्टि करते हुए सूचना भेजने में विलम्ब पर खेद प्रकट किया है।

सुस्थापित परम्पराओं के अनुसार जिलाधीशों द्वारा इस प्रकार की सूचना न देने पर विशेषाधिकार के हनन का कोई प्रस्ताव नहीं बनता। फिर भी चूंकि सदन में दिवगंत माननीय सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और इसके लिये समय पर सूचना प्राप्त होना आवश्यक है अतः मैंने राज्य सरकार को निर्देश दे दिये हैं कि वे इस बात की व्यवस्था करें कि सम्बन्धित जिलाधीश अपने क्षेत्र में दिवगंत भूतपूर्व अथवा वर्तमान विधायकों के निधन की सूचना तुरन्त भेजे।

इन सदस्यों को श्रद्धांजलि, . . .

(व्यवधान)

कभी कभी हो जाता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : आपके नेता को यहां श्रद्धांजलि अर्पित कर दी, झण्डे झुक गये, मातमी धुन बज गई।

श्री अध्यक्ष : दोनों दिवगंत भूतपूर्व विधायकों को 12 तारीख को सदन में श्रद्धांजलि अर्पित की जायगी।

व्यवस्था

महामहिम राज्यपाल का निर्धारित समय से पूर्व सदन में अभिभाषण

कल दिनांक 6 मार्च, 1984 को सदन में माननीय सदस्य श्री नाथूसिंह ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि महामहिम राज्यपाल ने विधान सभा के आठवें सत्र के लिए विधान सभा सदस्यों को दिनांक 5 मार्च, 1984 को दिन के 11.00 बजे आहूत किया था, किन्तु स्वयं महामहिम राज्यपाल सदन में निर्धारित समय से कुछ पूर्व आ गये। अतः कुछ सदस्य उनके भाषण के समय उपस्थित होने से वंचित रह गये। इस कारण से महामहिम राज्यपाल को दुबारा अभिभाषण पढ़ने के लिए कहा जाय।

मैंने व्यवस्था के प्रश्न को कल ही निरस्त कर दिया था। इस मुद्दे में किसी प्रकार की वैधानिक या अन्य कठिनाई नहीं है। जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि सभी सदस्यों को सदन में दिनांक 5 मार्च, 1984 को प्रातः 10.45 बजे समवेत होने का अनुरोध एक बुलेटिन द्वारा किया गया था। इस विषय में कोई विवाद नहीं है कि महामहिम राज्यपाल को सदन में निर्धारित समय पर ही आना चाहिये और वे ऐसा करते भी हैं, किन्तु कभी-कभी यदि एक दो मिनट पूर्व या एक दो मिनट बाद यदि वे सदन में पधारते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी अस्वाभाविकता या वैधानिक कठिनाई नहीं होती।

आशा है माननीय सदस्य इस विषय को इस प्रकाश में ही लेंगे।

श्री दुलाराम।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय राज्यपाल भले ही समय से पूर्व आ जाय पर भाषण समय पर शुरू होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्षीय व्यवस्था के पश्चात् इस विषय पर इस तरह की चर्चा नहीं हो सकती, माननीय सदस्या ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : आन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर ।

श्री दुलाराम : मेरा भी एक पाईन्ट ऑफ ऑर्डर ही है ।

श्री त्रिलोक सिंह : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर में कल हजारों किसानों ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर । मैंने सरकार से जानकारी चाही है ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ।

श्री त्रिलोक सिंह : हम इसको बरदाश्त नहीं कर सकते ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । मैंने सरकार से जानकारी चाही है ।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : लाठी चार्ज हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने जानकारी चाही है ।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर इसलिये है, एडजार्नमेंट मोशन सबसे पहले आता है । एडजोर्नमेंट मोशन ही हमने दिया है, मामला छोटा नहीं है । उनकी बात सुनने से पहले हमारी बात सुन ली जाय ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, आपने जो स्थगन प्रस्ताव दिया उसकी अध्यक्ष ने व्यवस्था दी है । इसलिये पहले तो आ गया, इसमें दो राय नहीं हैं । मैंने प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास तथ्यों की जानकारी के लिये भेजा है । जैसी अपनी सदैव परम्परा रही है जब तथ्य आ जाते हैं तब वक्तव्य दिलाया जाता है या अन्य कोई कार्यवाही करनी है उस हिसाब से करते हैं । इसलिये मैं समझता हूं ।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : हमारा निवेदन यह है कि इनके बयान के बाद हमारी बात सुन ली जाय ।

श्री अध्यक्ष : बात मैंने सुन ली और सरकार से सूचना ले रहा हूं....।

अनेक माननीय सदस्य : लाठी चार्ज हो रहा है । हत्याएं हुई हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो परम्पराएं हैं, उनको तोड़ रहे हैं । कहीं भी कोई लाठी चार्ज हो या अन्य कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो....।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकसिंह : आज ही सरकार से वक्तव्य दिलाया जाय ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : लाठी चार्ज हुआ, लाठी चार्ज के बाद हवाई फायर

(श्री दाऊदयाल जोशी)

हुए और अब गोली चलाना बाकी है। यह सरकार गोली भी चलायगी।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा चल रही है। टेलीफोन से भी सूचना प्राप्त की जा सकती है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : यह सरकार गोली चलायगी।

श्री अध्यक्ष : यदि आप जल्दी सूचना सूचना चाहते हैं तो उस बात की भी व्यवस्था की जा रही है।

श्री दुलाराम।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मन्त्री गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है, वहां पर हवाई फायर हुए हैं। गंगानगर की सूचना हमारे पास उपलब्ध है....।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : सूचना उपलब्ध है तो आज ही वक्तव्य दिलाया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। आप कृपया बैठ जायं।

सरकार के पास सूचना है तो मैं समय निश्चित कर दूंगा....।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : हवाई फायर हुए हैं और यहां सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं 12 तारीख को।

श्री यदुनाथ सिंह : जब सूचना आज मौजूद है तो क्यों नहीं आज ही वक्तव्य दिलाया जाता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आज या फिर 12 तारीख को।

(व्यवधान)

जो कुछ आपने कहा है, उस पर विचार कर लूंगा।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर। भाषण नहीं।

श्री यदुनाथ सिंह : सरकार से वक्तव्य आज ही दिलवायेंगे न ? सरकार के पास सूचना मौजूद है।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन कर दिया कि मैं इस पर विचार कर लूंगा।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : जब जानकारी है तो वक्तव्य आज ही दिलाया जाय।

अनेक माननीय सदस्य : आज ही सरकार से वक्तव्य दिलाया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । बैठ जायें, माननीय सदस्य ।

श्री त्रिलोक सिंह : हजारों आदमी गिरफ्तार हो जायं और सरकार कुछ कहने को तैयार नहीं ।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : किसानों की हत्या हो रही है । आज ही वक्तव्य दिलाया जाना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने अभी आप के समक्ष यह निवेदन किया है कि सूचना तैयार है । तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि अवसर दे दूंगा ।

(व्यवधान)

आप बैठ जायं कृपया ।

श्री दुलाराम ।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री दुलाराम, आवासन मन्त्री का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री दुलाराम (आवासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रातः मैंने अखबार में पढ़ा माननीय सदस्या श्रीमती विद्या पाठक ने मेरे ऊपर दो चार्जेज लगाये हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : कौन कौन से ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर । माननीय सदस्य ।

अंकित न हों ।

अनेक माननीय सदस्य : ×××

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । कृपया बाधा न डालें ।

श्री दुलाराम : मेरा निवेदन सुन लें । उसके बाद आप कह देना । चान्दी मैंने इकट्ठी की या किसने की ।

(व्यवधान)

आप पहले सुन लें ।

श्री मेघराज तावड़ : विरोधी दल के सदस्यों को तोड़ने के लिये भी रुपया इकट्ठा किया जाता है ।

श्री दुलाराम : उन्होंने एक तो यह चार्ज लगाया है कि रायसिंहनगर में 25 अप्रैल, 83 को देश की प्रधान मंत्रीजी राष्ट्र की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी पधारीं, उस समय मैंने चांदी इकट्ठी की, कुछ धन इकट्ठा किया और वह मैंने उनको भेंट भी किया । यह अखबार में भी लिखा हुआ है ।

दूसरा उन्होंने यह चार्ज लगाया कि मैंने एक टेण्डर . . .

(व्यवधान)

वह भ्रष्टाचार की बात तो मैं बाद में बताऊंगा . . . . ।

(व्यवधान)

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री दुलाराम)

अगर कहीं भी कोई तनिक भी सत्य और असत्य की बात हो, शर्म और बेशर्म की बात हो . . .

(व्यवधान)

मेरा निवेदन सुन लें फिर आपकी मर्जी आय सो कह देना, मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

मेरा निवेदन यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय देश की प्रधान मंत्री रायसिंहनगर सन् 83 में गई थीं। देश की प्रधान मंत्री सन् 83 में ही नहीं 78 में भी गई थी। उस समय विपक्ष के माननीय सदस्यों ने यह आरोप लगाया है, उस समय मंत्री थे। उस समय भी रामनारायण चौधरी और मैं हम दोनों ने जब श्रीमती इन्दिरा गांधी को रायसिंहनगर बुलाने की बात कही तो जनता पार्टी की सरकार ने और विपक्ष के नेता श्री भैरोंसिंह ने हमें यह धमकी दी थी कि अगर श्रीमती इन्दिरा गांधी गंगानगर या रायसिंहनगर गईं तो हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे :

श्री दाऊदयाल जोशी असत्य है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : असत्य बोल रहे हैं।

अनेक माननीय सदस्य : कतई असत्य बयान कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायें। कृपया बैठ जायें।

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको जलन लग रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे ही 8 अप्रैल, 78 को श्रीमती इन्दिरा गांधी गंगानगर गईं उस समय आपके गृह मंत्री और जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको बोलने नहीं दिया . . . .

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : यह कोई स्पष्टीकरण नहीं है . . .

(व्यवधान)

यह कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

श्री दुलाराम : मेरा स्पष्टीकरण दे रहा हूं, आपको सुनना पड़ेगा। जिस तरह से मैंने सुना, आपको भी सुनना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय भी वर्तमान विधायक राधेश्याम ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को 51 हजार रुपये की माला पहनायी। अपने साथियों के साथ मिल कर के श्रीमती इन्दिरा गांधी को गंगानगर ले गये थे, क्या उस समय किसी ने धन इकट्ठा किया था ? हम यह महसूस कर रहे हैं कि अगर हमने उस समय धन इकट्ठा किया था तो क्या आप श्रीमती इन्दिरा गांधी को देने में बख्श देते ? किसी कीमत पर बख्शने वाले नहीं थे . . .

(व्यवधान)

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री दुलाराम)

इन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी को गंगानगर में बोलने नहीं दिया . . .

(व्यवधान)

आप मेरी बात सुन लीजिये पूरी . . .

(व्यवधान)

मैं सब पर आ रहा हूं।

उसी दिन श्रीमती इन्दिरा गांधी रायसिंह नगर गईं। मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हिम्मत कर के हालांकि राजस्थान सरकार की सारी पुलिस हमारे खिलाफ थी, गृह मंत्री वहां पर डेरा डाले हुए बैठा हुआ था, भैरों सिंह जी वहां जमे हुए बैठे थे, उन्होंने सड़कें बन्द कर दीं, बसें बन्द कर दीं, नहरों का पानी बन्द कर दिया, रेलें बन्द कर दीं. . .

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दुलाराम : मैं बताता हूं सब बात, आप बैठिये तो सही।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

अनेक माननीय सदस्य : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय भी बैठ जायं, आप भी बैठ जायं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : आपको एक इन्दिरा गांधी की फिक्र है। आपके जिले में किसान पिटे, उसकी फिक्र नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, मंत्री महोदय, जो आपके ऊपर आरोप लगाये है . . .

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : मैं मेरे दिल की गाथा जो है . . .

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा था कि इस सदन को चलाने के और सदन में किस तरह से वाद विवाद हो उसके नियम हैं।

(व्यवधान)

आपको बताने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं और आप बार बार बाधा पैदा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। आपको मैं फिर नाम से सम्बोधित करूंगा। यह नहीं होगा, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

कृपया मुझे बाध्य न करें। आप, माननीय सदस्य, बार बार बाधा पैदा करते हैं। सदन की कार्यवाही के हित में नहीं है।

हमारे वाद विवाद के नियमों से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। जब कोई माननीय सदस्य कुछ कह रहे हों उस समय किसी माननीय सदस्य को बीच में उठ कर बाधा

××× माननीय अध्यक्ष के निदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

पैदा नहीं करनी चाहिए। इससे सदन का समय जाता है और सदन की गरिमा भी गिरती है। इसके मायने यह होते हैं कि जो डिबेट के नियम हैं और जिस ढंग से चर्चायें यहां चलनी चाहिए, उस ढंग से चर्चाएं नहीं चलना एक दुर्भाग्य की बात है। यह पूरे देश में चर्चा का विषय रहता है। इसलिए जो माननीय सदस्य कुछ कहते हैं उनको दोबारा सुनने की क्षमता भी रखनी चाहिए। सुनने के बाद में यदि कोई स्पष्टीकरण का कारण बनता है तो वह माननीय सदस्य स्पष्टीकरण दे सकते हैं। स्पष्टीकरण देने के लिए भी हमारे नियम और परम्परायें हैं। यदि आपकी बात उन नियमों में नहीं आती है तो क्योंकि अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है सदन में, तो उस माध्यम से पूरी छूट है माननीय सदस्यों को; वह सभी विषयों पर कह सकते हैं और उस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन यह डिबेट का या वाद-विवाद का तरीका नहीं हुआ कि एक माननीय सदस्य या मंत्री जी बोल रहे है तो कुछ माननीय सदस्य बैठे बैठे टोक रहे हों, कुछ बात कर रहे हों, कोई हंस रहे हों, कई 5—7 माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर बोल रहे हों। आखिर आसन को भी काफी कठिनाइयों में सदन की कार्यवाही चलानी पड़ती है। अपने विवेक का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। इस तरह के माहौल में नियंत्रण करना अथवा कुछ जो सामने समस्याएं हैं उस पर विचार करना है। असह्य स्थिति पैदा नहीं करें। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह कृपया धैर्य रखें, जो हमारी सभा के नियम हैं उनका पालन करें और उसके साथ साथ समय का पूरा ध्यान रखें।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय नहीं बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जायें। पहले मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूं। पहले मंत्री महोदय को बोलने दें।

श्री राजबहादुर : कृपया प्रासंगिक तो बोलें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय एक बात का ध्यान रखें कि जो आरोप आप पर लगाये गये हैं उन्हीं का स्पष्टीकरण आप दें। इसमें कोई मुद्दा जोड़ा जा सकता है लेकिन कोई मुद्दा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सदन में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए जिससे स्थिति बिगड़ जाय। जो आपका स्पष्टीकरण है वह दे दीजिए।

श्री बुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई मुद्दा नहीं जोड़ रहा हूं, मैं बिलकुल वास्तविकता बता रहा हूं सदन के सामने।

(व्यवधान)

आप सुन लीजिए। आपको भी पता है। आप सुन लीजिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद 25 अप्रेल, 1983 को श्रीमती गांधी जब रायसिंहनगर में आयीं उस समय रायसिंह नगर के कार्यकर्ताओं का मन था कि श्रीमती इन्दिरा गांधी को चांदी से तौला जाय। उस समय उनका वजन करीब 55 किलो या 52 किलो था। उस वजन की चांदी की कीमत 1 लाख 65 हजार बनती थी . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री दुलाराम : ··· और हमारे पास पैसा करीब 2 लाख रुपये था। हमने उनको दो लाख एक हजार रुपये जनता के सामने पैसा और चांदी के रूप में संभलाया। अब मैं विपक्ष के नेता या विपक्ष के माननीय सदस्यों की भावना को नहीं समझा ×××

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं . . .

श्री दुलाराम : और रायसिंहनगर के अन्दर आपको . . .

(व्यवधान)

सुनिये, मैं आपको आपका चिट्ठा सुनाता हूं। सुनना पड़ेगा ××× सुनोगे कैसे नहीं।

श्री यदुनाथ सिंह : ×××

श्री दुलाराम : ×××

श्री यदुनाथ सिंह : ×××

श्री दुलाराम : ×××

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : किसी भी नेता ने आज तक हिसाब नहीं दिया। मैं श्री चरण-सिंह को तौलने का हिसाब हाउस के सामने और जनता को दे रहा हूं। एक एक पाई का हिसाब है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक एक पाई का हिसाब देने के लिए चेलेन्ज करता हूं। बात करते हैं।

श्री दुलाराम : आप तो लोकदल में ही नहीं थे, आपको तो पता ही नहीं कि पैसा कहां से आया। कौन बतायेगा ? भैरोंसिंह शेखावत, प्रोफेसर केदार और आपकी जनता पार्टी की कैबिनेट बतायेगी। मैं अपना हिसाब मुख्य मंत्री जी को लिखकर दे रहा हूं और आप भैरोंसिंह जी को कहिये कि लिख कर दें।

श्री यदुनाथ सिंह : क्या कहेंगे ?

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : आप तथ्यों को छिपा रहे हैं।

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के दौरान उठाये गये विवादास्पद तथ्यों का अपलोपन

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री दुलाराम : पाइन्ट आफ आर्डर पहले मेरा है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, बैठ जायें। पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री दुलाराम : मेरी पहले पूरी बात आ जाय फिर पाइन्ट आफ आर्डर आ जाय।

××× शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री दुलाराम)

ढाई लाख रुपये खाकर टाल रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 276 के तहत मेरा पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर है। यह मैं ग्रापके सामने इसलिए पढ़ देना चाहता हूं कि माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय ने जो व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दिया वह इसी नियम के तहत दिया है। वह नियम क्या है यह मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि मंत्री महोदय नियमों से परे चल रहे हैं ग्रौर कुछ नये मुद्दे उठा रहे हैं। फिर या तो चर्चा को अवैध घोषित कीजिए या जो रूल्स हैं उनको सस्पेंड कीजिए क्योंकि बहुत गम्भीर चार्जेज लगाये गये हैं। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापकी सूचना के लिए निवेदन करूं कि जब राजस्थान में भैरोंसिंह जी शेखावत मुख्य मंत्री थे तो श्रीमती गांधी . . .

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप तो नियम पढ़ रहे थे।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं पढ़ना चाहता हूं।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : मैं भी नियमों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जो कुछ कहना है under the rules कहें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, गृह) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं भी कहना चाहता हूं, मेरा बहुत महत्वपूर्ण निवेदन है।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तमाम व्यवस्था भंग हो रही है एक पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर के लिये।

श्री दुलाराम : मैंने पहले एक पाइंट ग्राफ ग्रार्डर उठाया।

श्री शिवदान सिंह : 10-10 ग्रादमी बीच में उठ कर बोल रहे हैं। हम शान्तिपूर्वक सुनते जा रहे हैं ग्रौर ग्राप बोलने नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार से झगड़ा कर रहे हैं....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बैठ जावें। ग्रार्डर प्लीज।

श्री शिवदान सिंह : हमारे एक ग्रादमी को बोलने नहीं दे रहे हैं....

श्री महाराम चौधरी : ××× क्या बोलोगे ?

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर ग्राडर। माननीय सदस्य। ग्रार्डर ग्रार्डर।

श्री शिवदान सिंह : यह कोई तरीका नहीं। ग्राप बीच बीच में बोलते रहते हैं। ग्राप परमिशन लेकर बोलिये।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : यह कृपया ग्रापस की लड़ाई बाहर पधार कर करें। यहां सदन में करने की जरूरत नहीं है।

××× माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रपलोकित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । बैठ जावें । माननीय सदस्य, बैठ जावें । आसन पैरों पर है ।

श्री शिवदान सिंह : आप परमिशन लेकर बोलें ।

श्री महाराम चौधरी : क्या बोलोगे ? बाहर जाकर बोलो ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आर्डर प्लीज । आर्डर आर्डर ।

मैंने श्री कैलाश मेघवाल को एक पाइन्ट आफ आर्डर उठाने की इजाजत दी । दरमियान में गृह राज्य मन्त्री जी का यह कहना है कि श्री दुलाराम जी ने भी कोई पाइन्ट आफ आर्डर उठाया लेकिन मुझे उसकी जानकारी नहीं है । आप जानते हैं कि मेरी भी स्थिति कुछ ऐसी है कि आठ दस कान तो मेरे भी नहीं हैं । अगर उनका कोई पाइन्ट आफ आर्डर है....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, बैठ जावें ।

श्री मेघराज तावड़ : इन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बैठ जावें । तो मैं इस पर विनिश्चय देने के पश्चात अगर माननीय दुलारामजी का या सिंचाई मन्त्री जी का भी कोई पाइन्ट आफ आर्डर है तो उसको भी सुन लूंगा और उसके बारे में भी आप के विचार सुन लूंगा ।

श्री कैलाश मेघवाल : यह रूल 276 है ।

"वैयक्तिक स्पष्टीकरण :–कोई सदस्य, अध्यक्ष की अनुज्ञा से, वैयक्तिक स्पष्टीकरण कर सकेगा । यद्यपि सदन के सामने कोई प्रश्न न हो किन्तु उस अवस्था में कोई विवादास्पद विषय नहीं उठाया जायेगा और कोई वाद विवाद नहीं होगा ।

तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इस पर व्यवस्था चाहता हूं । अगर वे कोई स्पष्टीकरण देते हैं तो कोई एतराज नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : लेकिन आप स्वयं इस परिस्थिति से परिचित हैं कि मैंने ही माननीय मंत्री जी को यह निवेदन किया था कि वैयक्तिक स्पष्टीकरण दे दें और विवादास्पद मुद्दे नहीं उठायें । यह मैंने पहले....

श्री कैलाश मेघवाल : इस पर मैं व्यवस्था चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था तो मैंने पहले ही दे दी है ।

श्री कैलाश मेघवाल : मुझे सुन तो लीजिए ।

श्री अध्यक्ष : मैंने सुन लिया है कि 276 नियम का पालन होना चाहिए । यह व्यवस्था दे दी है ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं एक ही निवेदन कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होंगे, माननीय सदस्य ।

श्री कैलाश मेघवाल : विवादास्पद मुद्दा उठाया है इसलिये व्यवस्था चाहता हूं, आप दे दीजिए व्यवस्था। मैं केवल दो मिनट में ही निवेदन कर रहा हू। केवल एक मिनट में। मैं यही व्यवस्था चाहता हूं कि जो विवादास्पद मुद्दे उठाये गये हैं उनको एक्स-पंज कर दिया जावे या हमको फिर उसका जवाब देने का मौका दिया जावे, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

आरोप लगाने से पूर्व आसन को लिखित सूचना

श्री राजबहादुर : पाइन्ट आफ आर्डर।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री राजबहादुर : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : मैं मन्त्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि आप स्पष्टीकरण जिस मुद्दे का देना चाहते हैं कृपया उस तक ही सीमित रहें। नए विषय इस तरह के नहीं लायें जो विवादास्पद विषय हों, जिसमें सदन का समय जाए। छोटा सा आपका उत्तर होना चाहिए क्योंकि ज्यादा लम्बा करने की इसमें कोई गुंजाइश है नहीं।

श्री राजबहादुर : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। रूल 273 है। किसी के खिलाफ आराप लगाये जावें तो कब लगाये जावेंगे।

श्री दुलाराम : मैं भी नहीं था उस समय जिस समय यह आरोप लगाया गया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आप कृपया सुन लें।

श्री राजबहादुर : यहां पर आपकी जानकारी में, सदन की जानकारी में एली-गेशन लगाये गये हैं। एक बड़े नेता के खिलाफ एलीगेशन लगाये गये हैं बिना पूर्व सूचना के, बिना पूर्व आज्ञा के। रूल 273 मैं पढ़ कर सुना देता हूं।

श्री अध्यक्ष : इसकी जानकारी है, माननीय सदस्य।

श्री राजबहादुर : 273 के बारे में....

श्री अध्यक्ष : राजनीतिज्ञों के बारे में कई तरह की चर्चायें सदन में चलती रहती हैं....

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : यह अपनी चोरी छुपाने के लिए दूसरों का नाम लेते हैं....

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : क्रोधाद्भ-वतिसमोह। क्रोध से आपकी मति भ्रमित हो जावेगी और समोहात्स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनशात्प्रणश्यति। बुद्धि, स्मृति नष्ट होने से विवेक समाप्त हो जावेगा और विवेक समाप्त होने से विनाश हो जाएगा। इसलिए शांति से बात कहो। सब मत बोलो, एक एक बोलो। अध्यक्षजी बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, यही मेरा निवेदन है।

श्री राजबहादुर : पंडितजी से मैं कहता हूं कि मुझे कोई अशांति नहीं, कोई आक्रोश नहीं। मुझे कोई ब्लड प्रेशर नहीं है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। शांति से सुनिये, माननीय सदस्य।

श्री राजबहादुर : मैं निवेदन कर रहा हूं कि 273 में है।

"No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned, so that the Minister may be able to make an investigation in to the matter for the purpose of a reply."

मेरा कहना यह है कि यहां पर खुल्लमखुल्ला चार्जेज लगाए गए ऐसे पर्सन के खिलाफ जो यहां पर नहीं है। या तो उन चार्जेज का जवाब देने की ...

श्री दुलाराम : मेरे खिलाफ नहीं लगाए ?

श्री राजबहादुर : हम सब को इजाजत दी जावे या उन सारे रिमार्क्स को एक्सपंज किया जावे। उनको खास तौर से यह कहा जाए कि ये अपने एक्सप्लेनेशन तक महदद रखें अपने आपको और कोई इरेवेलेंट बात न रखें। लेकिन, जो रिमार्क इन्होंने किये हैं चौधरी चरणसिंह के खिलाफ, उनको एक्सपंज करने की आप इजाजत दें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है, मैं समझता हूं कि मौजूदा परिस्थिति में जो दृश्य सदन के सामने है वह प्रासंगिक है और बहुत रेलेवेन्ट है। रेलेवेन्ट इस मायने में है कि कल जो समाज कल्याण मन्त्री जी के खिलाफ आरोप लगाया गया....

श्री राजबहादुर : उस आरोप का चौधरी चरणसिंह जी से क्या ताल्लुक था ?

श्री परसराम मदेरणा : आप सुनिए।

श्री दुलाराम : जो विपक्ष के नेता हैं वे मुख्य मन्त्री थे, उन्होंने पैसा इक्ट्ठा किया था....

श्री बालचन्द आर्यवीर : उनके अकाउण्टेंट थे क्या आप ?

श्री परसराम मदेरणा : पूर्व में सूचना दी गई और आप कह रहे हैं कि राजनीतिज्ञों के खिलाफ इस तरह के आरोप लगेंगे। सदन में जब तक ये नियम हैं, नियमों के अन्दर पूर्व में सूचना, एक नोटिस दें ताकि ट्रेजरी बैंचेज में बैठने वाले लोग भी अपनी बात कह सकें और अपना एक्सप्लेनेशन यहां पर दे सकें। इस रूल्स की खिलाफत तो नहीं होनी चाहिए, अध्यक्ष महोदय।

श्री राजबहादुर : इस पर आपत्ति नहीं है, अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। लेकिन आप अपनी बात कहते हुए किसी पर कीचड़ नहीं उछाल सकते।

श्री परसराम मदेरणा : आप मन चाहे वैसे आरोप लगा सकते हैं ? मैं तो अध्यक्ष जी की व्यवस्था चाहता हूं। We are to abide by the ruling of the Speaker We are not to debate the ruling.

श्री महाराम चौधरी : चौधरी चरणसिंह के खिलाफ़ जो शब्द कहे गये हैं वे कार्यवाही से निकाले जावें।

श्री बुलाराम : इन्दिरा गांधी का नाम लोगे तो X X X सारे परिवार के नाम आयेंगे।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : मुझे राजनीति में आए हुए थोड़े दिन हुए हैं। मैं चैलेन्ज करता हूं, चौधरी चरणसिंह को जो पैसा भेंट किया गया उसके एक-एक पैसे का हिसाब देने को मैं तैयार हूं। आप क्या बात करते हो।

(व्यवधान)

चुप रहो।

पर इन्दिरा गांधी और इनकी रहनुमाई में ये भ्रष्ट लोग, जिन पर आरोप लग रहे हैं, अपनी सफ़ाई देने में इन्दिरा गांधी के तौलने के एक-एक पैसे का हिसाब दे दें तो मैं राजनीति से छोटी उम्र में संन्यास लेने को तैयार हूं। मैं चैलेन्ज करता हूं।

(व्यवधान)

आप बोल रहे हैं। धौलपुर में क्या क्या नहीं कर दिया।

श्री बुलाराम : माननीय चौधरी चरणसिंह, भैरोंसिंह शेखावत, मोरारजी देसाई, इन पर ढाई अरब रुपयों के आरोप लगे थे, मैं उन पर आरोप लगा रहा हूं, आप स्पष्टीकरण दे दीजिए। क्या स्पष्टीकरण देंगे।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : X X X

श्री भैरूसिंह गुर्जर : X X X क्या बोल रहे हो....

श्री महाराम चौधरी : आप सम्भल कर बोलो। X X X इस तरह की बात कहने के पहले।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर। बैठ जावें।

श्री कैलाश मेघवाल : अभी अध्यक्षीय व्यवस्था दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, मुख्य मंत्रीजी....

श्री कैलाश मेघवाल : जो नियमों के विरुद्ध सारी बातें की जा रही हैं ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज सदन के नेता कुछ कहना चाहते हैं। आर्डर, आर्डर, आर्डर प्लीज, सदन के नेता कुछ कहना चाहते हैं।

X X X शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(56)

श्री कैलाश मेघवाल : जिस तरह की बातें कही जा रही हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप नियमों के पालन कराने की बात कह रहे हैं लेकिन नियमों का पालन ट्रेजरी बैंचेज के लोग भी करें। और उसके बाद ...

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री कैलाश मेघवाल : * * *

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : इस सदन की परम्परा हमेशा यह रही है....

श्री दाऊदयाल जोशी : परम्परा आज टूट रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बैठ जायें। नियमों का ध्यान रखें। सदन के नेता बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : इस सदन के कार्य संचालन के लिये निश्चित नियम ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं नाम से संबोधित करता हूं। मैं बाहर भेज दूंगा।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के संचालन के लिए निश्चित नियम बने हुए हैं। आपकी आज्ञा के अनुसार उन नियमों का पालन करने के बाद, मैं समझता हूं, इस सदन को बहुत नियमित चलाया जा सकता है लेकिन हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्य उन नियमों का पालन नहीं करें और अपनी मर्जी से इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों के खिलाफ निराधार आरोप लगायें तो मैं समझता हूं, कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि किसी के प्रति आपको शिकायत है, आरोप है तो नियमों में प्रावधान है, उसका उपयोग करके आप उनके खिलाफ इस सदन में चर्चा कर सकते हैं, प्रश्न को उठा सकते हैं। ऐसा किसी जमाने किया भी गया है, निश्चित रूप से नोटिस देकर चर्चा की गई है। जिसके खिलाफ आरोप लगाये गये उसने इस बात का जवाब दिया है। लेकिन एक ऐसे सदस्य, मुझे दुःख हुआ, खास तौर से श्रीमती विद्या पाठक ने इस बात को कहा। वह बहुत गंभीर सदस्या हैं और हर बात को सोच-समझ कर, नाप-तौल कर करती हैं। उन्होंने जब माननीय मन्त्री महोदय के खिलाफ आरोप लगाये तो मुझे दुःख हुआ। अगर नोटिस देकर उनके खिलाफ कुछ बात कहतीं और उसके बाद दुलाराम जी उसका उसका उत्तर नहीं देते तो बात समझ में आती। लेकिन यहां पर खड़े होकर वाद-विवाद के मौके पर चाहे जब किसी के बारे में कह दें तो मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। नियम 276 के अन्तर्गत एक माननीय सदस्य को अधिकार है कि वह अपना स्पष्टीकरण दे। उसी का

*** माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

57

(श्री शिवचरण माथुर)

उपयोग करते हुए दूलाराम जी अपना स्पष्टीकरण दे रहे थे। उस समय उन्होंने कुछ बातें कुछ प्रस्तावों के बारे में कहीं। मुझे दुःख है कहते हुए कि जब इस बात में गरमा-गरमी हो रही थी, माननीय यदुनाथ सिंहजी ने एक बात हमारी माननीय नेता के सम्बन्ध में कही, वह किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जा सकती, मैं कहना चाहूंगा....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : आप क्या बात कर रहे थे उनके खिलाफ....

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : आप बर्दाश्त नहीं करेंगे तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। आर्डर प्लीज, बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : सदन के नेता होकर इस तरह की बात कर रहे हो आप....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपकी नेता हैं तो हमारे भी नेता हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। व्यवधान उपस्थित न करें। व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : श्रीमती गांधी का नाम सुनाई दे गया, मोरारजी का नाम सुनाई ही नहीं दिया। दोनों के बारे में बोलिये।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, दुलाराम जी ने अपना स्पष्टीकरण देते समय, जहां तक मैं समझ पाया हूं, जो यहां पर कहा, उन्होंने कहा था कि तौलने की परंपरा आपने भी अपनाई है।

(व्यवधान)

मेरी बात सुनिये, कहा था तौलने का।

(व्यवधान)

आप सुनिये।

अखबार आप रोज पढ़ते हैं। विपक्ष के नेता भैरोंसिंह जी को हर जगह तौला जाता है। तौलने की परम्परा है, आप लोग भी तौलते हैं। यह पार्टी फण्ड के लिए पैसा इकट्ठा करने का तरीका है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। यदि इस सन्दर्भ में दुलाराम जी ने यह बात कही कि आपके नेता को भी तौला है चांदी से तो मैं समझता हूं कि यह कोई गलत बात उन्होंने नहीं कही।

(व्यवधान)

मेरी बात सुनिये।

श्री महाराम चौधरी : चरणसिंह जी पर कोई आरोप नहीं लगाया ?

श्री शिवचरण माथुर : मेरी बात सुनिये, महाराम जी, मेरी बात सुन लीजिये ।

जहां तक चरणसिंह जी के व्यक्तिगत जीवन का सवाल है उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया । जैसा कि मैं समझ पाया हूं, मुझे ऐसा ख्याल है, उन्होंने केवल एक बात को सिद्ध करने की कोशिश की कि तोलने की परम्परा आपने भी अपनाई है और हर पार्टी अपनाती है । जहां तक उन्होंने कहा कि हमने चांदी से नहीं तौला, हमने तो दो लाख रुपये बक्से में इकट्ठे करके उसकी चाबी उनको सौंपी थी । यह कहा था कि हमने कोई सार्वजनिक चन्दा नहीं लिया है । यही उन्होंने स्पष्टीकरण दिया । मेरी समझ में नहीं आता, कहां चरणसिंह जी को तौल दिया, कहां गाली दी । आप जबर्दस्ती उत्तेजित हो रहे हैं । उसके बाद, मुझे खेद है इस बात को कहते हुए कि आज एक ऐसे व्यक्ति के नाम को यहां पर घसीटा जाता है जो आज हमारी ही नहीं बल्कि दुनिया की नेता है । सर्वमान्य नेता है । हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि देश में एक ऐसा महान् नेता हमको इस युग में मिला है जो सारे....

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : तबाह हो रहे हैं, देश को तबाह कर दिया, देश को खतम कर दिया ।

(व्यवधान)

देश को तबाह कर दिया, सारे गरीबों को खा गये ।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : × × ×

श्री कैलाश मेघवाल : × × ×

श्री रघुवीरसिंह कौशल : × × ×

श्री बाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । बैठ जायं। पंडित जी, आप बिराज जाइये । आप भाषण नहीं करें ।

श्री शिवचरण माथुर । प्रजातन्त्र की स्वस्थ परम्पराओं में मेरा और मेरे दल का विश्वास है । मैं इस दृष्टि से इस देश की हर राजनैतिक पार्टी के नेता का सम्मान करता हूं, किसी के प्रति अनादर की भावना नहीं है । अगर आपको राजनैतिक दृष्टि से हमारा विरोध करना है तो जनता के बीच में जाइये, उनका मन बनाइये और यहां पर बैठने की कोशिश कीजिये, आपको कौन इन्कार करता है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : और यहां पर सत्ता पार्टी वेबुनियाद बात कहेगी ?

श्री शिवचरण माथुर : लेकिन आप जोश में आकर, भावावेश में आकर उस व्यक्ति के बारे में कहें जो न केवल देश की प्रधान मन्त्री है, न केवल हमारे दल की नेता

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री शिवचरण माथुर)

है बल्कि दुनिया की....

व्यवधान

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अंकित नहीं होगा।

अनेक माननीय सदस्य : × × ×

श्री शिवचरण माथुर : यहां पर हमारी सब की भावनाओं पर ठेस पहुंचाने वाली बात हुई। न केवल कांग्रेस के सदस्य बल्कि दुनिया की कोटि-कोटि जनता आज उससे प्रेरित होती है इसलिए इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं गंभीरता से निवेदन करना चाहूंगा इस सदन के माननीय सदस्यों को....

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह विश्व की नेता हैं, विश्व की महान् नेता इन्दिरा गांधी....

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय खेतसिंह जी बैठे-बैठे बोल रहे हैं और बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं, यह मेरा पाइन्ट आफ आॅर्डर है।

श्री अध्यक्ष : No point of order, मेरे सामने स्थिति स्पष्ट है इसलिए माननीय कैलाश मेघवाल ने जो पाइन्ट आफ आॅर्डर उठाया उसको मैं निरस्त करता हूं। जितना भी वाद-विवाद हुआ है इस स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में, उसमें यदि किसी नेता के बारे में अपशब्द या अपमानजनक कुछ कहा गया है तो उसको देख कर मैं नियमों के अनुसार कार्यवाही करूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक्सपन्ज किया जाना चाहिए, अध्यक्ष महोदय, अन्यथा यह प्रेस में चला जायेगा और वह न्यूज में आयेगा। जो अपशब्द कहे गये हैं वह किसी के लिए भी हों, उनको एक्सपन्ज किया जाय, यही आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : मुझे जबानी कुछ याद नहीं है। मेरे सामने आयेगा। मेरी भी मुसीबत यह है....

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक्सपन्ज किया जाने का आपसे निवेदन है Otherwise it will go to the Press. यह आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : मुझे जबानी कुछ याद नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी विश्व की नेता हैं, इनके नेताओं को कोई हिन्दुस्तान में भी नहीं जानता।

एक माननीय सदस्य : × × ×

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह : वह गरीबों की नहीं हैं × × ×

(व्यवधान)

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, किसी भी राजनितिक पार्टी के नेता के विरुद्ध ऐसी कोई बात नहीं कही जाय जो किसी तरह से गलत हो । नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने भारत की प्रधान मंत्री के लिये कहा । भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है । यहां कोई एक्सप्रेशन हो तो हाउस में आनरेबल है । उन्होंने यह बात कही कि ××× इसको कार्यवाही से एक्सपंज किया जाये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है ।

(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : ×××

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

इस वाद-विवाद में कुछ बातें राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के बारे में कही गई हैं, वह प्रकाशित नहीं की जायेंगी । और घंटे–दो घंटे में कार्यवाही मंगवा कर के विषय से हट करके जो बात कही गई है या नियम विरुद्ध कोई बात कही गयी है उसको मैं एक्सपंज कर दूंगा ।

(व्यवधान)

आप कृपया नियमों को पढ़ लीजिये ।

(व्यवधान)

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री दुलाराम, आवासन, मंत्री का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात इसलिये कही थी, परम्परा आपकी थी, वही हमारी है । जैसे राजबहादुर जी जब 55 साल के हुए थे तो भरतपुर में उनको 55,000 रुपये की थैली भेंट की गयी थी । मेरा यह आरोप नहीं है । मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं । 55 हजार रुपये की थैली भेंट की गयी । इसकी चर्चा भी हुई थी । इसके बाद भैरोंसिंह जी के लिये रायसिंहनगर में . . .

(व्यवधान)

मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय , आप कृपया अपना स्पष्टीकरण ही दें । कोई थैली ली या दी है, उसका जवाब दे दें । कौन कितनी थैली ले गया, यह नहीं कह कर आप तो अपनी बात कह दें ।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री बुलाराम : दूसरी बात उन्होंने कही एक टेन्डर के बारे में कि इसमें कोई गड़बड़ हैं। इसके बारे में समाचार जनसंघी अखबार राजस्थान पत्रिका में छपा था। मैंने इमिजियेटली फाइल मंगाई और उस टेन्डर को कैन्सिल कर दिया। इसमें क्या गड़बड़ हुई, यह मेरी समझ में नहीं आया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : आपका जो मकान बन रहा है वह एक लाख की लागत का बन रहा है। आपको जो मकान आवासन मण्डल से अलाट हुआ है वह एक लाख की लागत का है। कितनी बार गिराया, कितनी बार बना, इसका आप जवाब दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, प्लीज।

माननीय सदस्य, बैठ जायें।

(व्यवधान)

मेरी दृष्टि से कोई माननीय सदस्य नियमों की अवहेलना करते हैं तो मैं तत्काल ही प्रस्ताव लाऊंगा सदन से बहिर्गमन कराने के लिये। मुझे ऐसा करना पड़ेगा। घण्टे-दो घन्टे का समय गंवा दिया व्यर्थ में . . .

(व्यवधान)

ऊपर से हंस रहे हैं। इसका मतलब आपने दिल से कोई बात नहीं कही। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

यह इशारा नहीं चलेगा।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को रेफर करके कुछ बात कही गयी है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, समाप्त करने दीजिये, बैठ जायें।

श्रीमती विद्या पाठक माननीय अध्यक्ष, वे अपनी बात समाप्त कर चुके हैं। मैं अपनी बात कहना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण किस बात का दे रही हैं, यह तो समझाइये।

श्रीमती विद्या पाठक : मुख्य मंत्रीजी ने मेरे को रेफर करके कोई बात कही है। उसके लिये मैं . . .

श्री अध्यक्ष : किसी व्यक्ति पर आक्षेप हो तो स्पष्टीकरण हो . . .

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष मैं उसी आक्षेप को दोहराना चाहती हूं। मैं तीन प्रश्न मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं। मंत्री महोदय, क्या यह सही है....

(व्यवधान)

आपकी आज्ञा सर्वोपरि है. . .

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

(62).

श्रीमती विद्या पाठक : ×××

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें। नियमों का ध्यान रखें।

श्रीमती विद्या पाठक : पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : कोई विषय विचारणीय नहीं है इसलिये पाइंट आफ आर्डर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ?

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद।

श्री माणकमल मेहता।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरा स्थगन प्रस्ताव है उस पर आपने कोई व्यवस्था नहीं दी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह नियम विरुद्ध है। आपके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। आपको नाम से सम्बोधित करता हूँ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, बैठ जायें।

(व्यवधान)

कृपया आप आज शाम तक के लिये सदन से.....

श्री बालचन्द आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष : यह आपत्तिजनक है। कल कोई दूसरी चीज लेकर आयेगा। कल किसी ने किसी को लाठी से मार दिया, खून लगा होगा तो वह लाकर पेश कर देंगे। परसों कोई और चीज लायेगा। यह कोई तरीका है ?

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। माननीय श्री बालचन्द आर्यवीर को मैं नाम से...

(व्यवधान)

कृपया बाध्य न करें मुझे। मुझे बहुत खेद है कि आप नियमों की पूरी तरह से अवहेलना करके सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। उपयोगी विषय पर चर्चा हो, अगर रुचि नहीं है चर्चा करने की तो यह बात कह दीजिये।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। यह कोई तरीका नहीं है।

श्री माणकमल मेहता।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 15–15 दिन हो गये। मुख्य मंत्री को ज्ञापन भी दे दिया।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें। पहले सहयोग करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें। अंकित नहीं हो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : × × ×

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री मेघराज तावड़ : × × ×

श्री बालचन्द आर्यवीर : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें। बाध्य न करें।

श्री माणकमल मेहता।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री माणकमल मेहता (पाली) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 5 को हमारे महामहिम राज्यपाल ने इस सदन में हमारी सरकार की गत वर्ष की उपलब्धियां और उसके आगामी वर्ष के लक्ष्यों पर आधारित अभिभाषण दिया, उस पर धन्यवाद का प्रस्ताव हमारे सदस्य माननीय श्री रामनारायण चौधरी ने रखा और श्री जनार्दन सिंहजी ने उसका समर्थन किया। उसी के समर्थन में अपने शब्दों को एड करते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यपाल का अभिभाषण हमारी सरकार, जो सत्तारूढ़ है, का आगामी वर्ष का और वर्तमान वर्ष की उपलब्धियों के लेखा-जोखा का एक दस्तावेज है। हमारे इस राजस्थान में सन् 1980 के बाद कांग्रेस की सरकार बनी। सबसे पहले 6 जून, 1980 को पहाड़ियाजी यहां के मुख्य मंत्री बने। उनके बाद 14 जुलाई, 1981 को वर्तमान मुख्य मंत्री शिव चरण माथुर ने इसकी बागडोर सम्भाली। जिस समय इस प्रदेश की बागडोर उन्होंने अपने हाथ में ली उस समय इन्होंने संकल्प किया कि यह प्रदेश किसी तरह से प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहे। मैं इस समय यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान वह प्रदेश है जहां हमेशा से दोहरी गुलामी रही है। वह दोहरी गुलामी राजाओं के वक्त की थी। जो रियासतें यहां की थीं नेटिव स्टेट्स जिस तरह यहां की जनता, यहां की पब्लिक उनके शासन की चक्की से पिसती थी, उनको उबार कर जिन लोगों ने इस प्रदेश के नेताओं ने उससे मुक्ति दिलायी उन लोगों का नाम, उन नेताओं का नाम हम इस राजस्थान की प्रगति का लेखा जोखा करते समय याद किये बिना नहीं रह सकते। 15 अगस्त, 1947 को हिन्दुस्तान आजाद हुआ उससे पहले इस राजस्थान की क्या हालत थी और आज इस राजस्थान की क्या दशा है। प्रदेश

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री मानकमल मेहता)

ने चहुंमुखी प्रगति की है। हरेक क्षेत्र के प्रगति के आंकड़े देखेंगे तो पता लगेगा कि कितनी प्रगति की है। सब कांग्रेस की देन है।

(1.15. म. प.)

(श्री हरिसिंह, सभापति, पदासीन)

जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ, जब सन् 1952 में विधान सभाओं के चुनाव हुए, 26 जनवरी, 1950 को जब हमने संविधान ग्रहण किया तब से इस प्रदेश में जो प्रगति हुई है वह केवल कांग्रेस के शासन में हुई है। उस दिन से आज तक कांग्रेस शासन हमेशा रहा है और कांग्रेस के मुख्य मत्रियों ने इस प्रदेश को आगे बढ़ाया है। बीच में थोड़े से दिनों के लिए, केवल एक बार जनता ने ढाई साल के लिए विरोधी पार्टी को हुकूमत में भेजा। उस वक्त उन लोगों ने देखा कि हम इस प्रदेश को प्रगति की ओर आगे न बढ़ाकर पीछे ले आये हैं। उन्होंने अलग अलग कमीशन बैठाये। हमारी प्रधान मंत्री, जैसा कि अभी हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा और सभी जानते हैं, का विश्वमें सर्वोच्च नाम है। विश्व में जो 123 नॉन एलाइन्स कन्ट्रीज का मीट हुआ था उसके अन्दर भी उनको नेता चुना गया था। आज उनके राज में प्रगति को देखते हैं तो इनका दिल कांपने लगता है। यह देखते हैं कि अगले वर्ष चुनाव उनके सामने आ रहा है, यह जनता के सामने वोट मांगने जायेंगे उससमय नीति-रीति उनको क्या बतायेंगे ? किस तरह से आगे आयेंगे और किस तरह यहां बैठने की कोशिश करेंगे ? मैं तो यह समझता हूं कि यह जो ट्रेजरी बैंचेज हैं इन पर तो बैठने का ख्वाब देख ही नहीं सकते। ढाई वर्ष तक इन्होंने जो काम किए, कमीशन बैठाये उनसे इन्होंने भारतवर्ष का भट्टा बिठा दिया। इस प्रदेश को किसी तरह भी ऊँचा नहीं उठा सके। उसके बाद जब कांग्रेस का शासन वापस आया तो कांग्रेस के शासन ने प्रगति की नाव को आगे बढ़ाया, प्रगति की उस नैया को आगे खेया। इसी प्रदेश के जो मुख्य मन्त्री हैं और इनसे पहले जो जगन्नाथजी पहाड़िया थे इन दोनों ने मिलकर इस प्रदेश को आगे बढ़ाया है, वह बहुत ही सराहनीय है।

हमारे गवर्नर ने जो अभिभाषण में बातें कही हैं, यह वही उपलब्धियां हैं जो मुख्य मंत्री के मंत्रित्वकाल में हुई हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम, जो हमारी प्रधान मंत्री ने हमें दिया है, के तहत मुख्य मंत्री, शिवचरणजी के समय में इतनी प्रगति हुई है कि भारतवर्ष में किसी प्रदेश का नाम दूसरे स्थान पर आता है तो राजस्थान का नाम आता है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारतवर्ष में राजस्थान का दूसरे नम्बर पर स्थान है। यह तभी आ सकता है जब राजस्थान ने चहुंमुखी विकास किया हो। इस 20 सूत्री कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात यह आती है कि प्रधान मंत्री, जिनके दिल में गरीबों के लिए बहुत बड़ी आग है, यह चाहती हैं कि हिन्दुस्तान का हरेक व्यक्ति, जो पीछे खड़ा हुआ है, आगे की पंक्ति में आये, शोषित हालत से वह निकलें, उभर कर सामने आये। जब तक उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तब

(श्री माणकमल मेहता)

तक वह देश में अपने आपको ऊँचा नहीं कह सकता। जब तक उसको दो वक्त की रोजी रोटी और जीने का हक, मूलभूत सुविधाएँ, जैसे चिकित्सा, पढ़ाई नहीं मिल जायें, हम आगे बढ़ हुए नहीं मान सकते। उनके दिल में यह आग थी। पिछड़े हुए लोगों को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम दिया। इस 20 सूत्री कार्यक्रम में हमारे मुख्य मंत्री हिन्दुस्तान में हमारे इस राजस्थान प्रदेश को दूसरे नम्बर पर लाये। इस बात को बताने की चेष्टा की कि हम गरीबों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। जिस दिन मुख्य मंत्री ने हमारे यहा की बागडोर सम्भाली, मैं समझता हूं, आप सब इस बात से परिचित हैं कि जयपुर शहर में बाढ़ के कारण कितना नुकसान हुआ। उसके बावजूद भी उन्होंने राजस्थान को ऊपर उठाने की कोशिश की है। हमारे ओवर ड्राफ्ट की जो हालत थी उसको खतम करके राजस्थान को आगे बढ़ाने की तरह तरह की योजनायें सामने रखी हैं, और राजस्थान को आगे लाने की कोशिश की है। मैं हर क्षेत्र का लेखा जोखा करके बताऊं तो यह मालूम होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में इस राजस्थान, जो सारी रियासतों से मिलकर बना था, में एक जमाने में 1 करोड़ रुपया खर्च होता था, किन्तु आज सैकड़ों करोड़ रुपया, करीब 268 करोड़ रुपया आज शिक्षा पर खर्च हो रहा है। जिस वक्त हम लोग पढ़ते थे तो राजस्थान में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं थी, आगरा यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन बोर्ड हुआ करता था। वह यूनिवर्सिटी की परीक्षा लिया करता था। उस समय जयपुर सेंटर होता था जोधपुर सेंटर होता था। आज राजस्थान में आपके सामने कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कितने टेक्निकल एजूकेशन के स्कूल व कालेज चल रहे हैं। उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज यह की है, जो बड़े लोग होते हैं वे तो अपने बच्चों को यहां पर पढ़ा सकते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं या जो प्रतिभाशाली और योग्य होते हैं वे पढ़ सकते हैं, लेकिन गांव का ग्रामीण जो छात्र है, यहां के रहने वाले जो लोग हैं, जिनकी कोई पोजीशन नहीं है उनके बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें और शिक्षा के बगैर नहीं रह सकें इसके लिये उन्होंने 300 की आबादी के जो गांव हैं इनमें एक-एक प्राइमरी स्कूल खोलने की घोषणा की और क्रियान्विती भी की हमारे पंचायत राज्य मंत्री के माध्यम से, मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान भर में इससे बड़ा कदम किसी मुख्य मंत्री ने नहीं बढ़ाया है। ऐसा कदम, जो साक्षरता की प्राप्ति में सहायक होगा, आप स्वयं समझ सकते हैं, कितना महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं जब हम पंचायती राज का लेखा जोखा करने बैठते हैं तो 1959 में हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री पंडित नेहरू, ने चित्तौड़ के दुर्ग पर डीसेंट्रलाइजेशन का जो दीपक जलाया था उस पंचायती राज में शिथिलता आ गयी थी। उसके बाद, मैं समझता हूं, शिव चरण माथुर के आने के बाद जो चुनाव हुये वह दूसरी बार चुनाव हुए हैं पंचायत समितियों और जिला परिषदों के, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यह खुशी की बात है। जो अपोजिशन वाले बौखला रहे हैं

(श्री माणक मल मेहता)

उसकी वजह यह है कि जो 26 जिला परिषदें हैं उन 26 जिला परिषदों में कांग्रेस के जिला प्रमुख चुने गये हैं। इसी तरह से 236 पंचायत समितियों में कांग्रेस के प्रधान चुने गये और 7292 पंचायतों में से अधिकांश में कांग्रेस के लोग आये, कांग्रेस पार्टी के लोग आये।

श्री दाऊदयाल जोशी : माणक जी भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। नयी बात कहें।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री माणक मल मेहता : मैं यह कहना चाहता हूं कि "प्रशासन शहरों की ओर" के कैम्प लगाये गये तथा "प्रशासन गांवों की ओर" अभियान चलाया। "प्रशासन शहरों की ओर" जो अभियान चलाया उसमें म्युनिसिपेलिटीज को एक्टिव किया गया। सारे आफिसर्स, कन्सर्निग डिपार्टमेंट्स को बुलाया। जो सुविधायें दे सकते थे वह सारी सुविधाएँ देकर शहरों में जितनी पुरानी समस्यायें थीं, मामले थे, जो पेंडिंग थे उनको कैम्प में दूर करने की कोशिश की, असुविधाओं को निपटाने की कोशिश की। इसी तरह से गांवों में जो म्यूटेशन की समस्याएं थीं उनको अभियान के द्वारा हल करने की कोशिश की जमीन के जो मुकदमे काफी अर्से से चल रहे थे उनको कैम्प के दौरान दूर करने की कोशिश की। इस तरह से दोनों जो कैम्प लगे, उनसे जनता का बहुत बड़ा हित हुआ है।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसके रूरल हिस्से में हमेशा पानी की कमी रही है। भारत सरकार ने जब यह देखा कि रूरल एरिया में पीने के पानी की कमी है, बहुत बड़ी कमी है, खासकर जोधपुर और बीकानेर डिवीजन में कमी है तो उसको दूर करने के लिए रूरल वाटर कीम के लिये पैसा दिया। मैं विशेष रूप से इस सरकार का आभारी हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र, जो रोहट पंचायत समिति और पाली के हिस्से में है, में पानी दिया। रोहट के आसपास हमेशा पानी की समस्या रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि रोहट पंचायत समिति के गांवों के लिये हमारे पी. एच. ई डी. मंत्री ने मुख्य मंत्री महोदय ने 1 करोड़ 35 लाख रुपया स्वीकृत किया है। योजना बन चुकी है, कार्यवाही शुरू हो चुकी है। तहेदिल से आभार प्रकट करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय यह कार्यान्वित हो चुकी होगी उन गांवों, जहां पीढ़ियों से, वर्षों से, पुरखों से पानी की एक-एक बूंद के लिये लोग प्यासे थे, में लोगों को पानी मिल जायगा और जानवरों को पीने का पानी मिल जायगा तो हम जो भागीरथ की और राजस्थान कैनाल की बात करते हैं, आप उसी तरह से पूजे जायेंगे। हम यह मान कर चलते हैं कि इतिहास में आपका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा। जो इन्जीनियर्स और जो तकनीकी कर्मचारी इसको क्रियान्वित कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता। लेकिन एक बात यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पाली शहर में पुरानी लाइन है, शहर अब काफी बढ़ चुका है। मैं इस मौके पर पी एच.ई डी मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मंत्री महो-

(श्री माणक मल मेहता)

दय 5—10 लाख रुपयों की सेंक्शन कर दें तो हमारी जो आबादी 10-15 हजार से बढ़ कर 90 हजार हो गयी है, जो गरीब जनता रहती है, गरीबों के मोहल्ले हैं उनमें भी पीने के पानी की सुविधा मिल सके।

इसके साथ-साथ आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा, पंचायत समितियों में जो ग्रामीण लोग रहते हैं उनके सामने हाउसिंग प्रोब्लम हमेशा रही है। इस समस्या को दूर करने के लिये पंचायत समितियों को लोन देने की स्वीकृतियां प्रदान की हैं। पैसा जो दिया गया है लोगों को, उससे उन लोगों को बहुत बड़ी सुविधा हो रही है।

मैं इसके साथ-साथ यह अर्ज करूंगा कि श्वेत क्रांति के लिये जो डेयरी डवलपमेंट का काम चल रहा है इसके अन्तर्गत पश्चिमी राजस्थान में बहुत बड़ा काम हो रहा है। अभी भरतपुर वगैरह में जो डेयरी के संयंत्र लगाये जा रहे हैं उससे यह काम और भी आगे बढ़ेगा।

पी. एच.ई. डी. के क्षेत्र में पानी के लिये, बिजली के लिए जैसा कि रामनारायण जी ने कहा, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रूरल लैण्डलैस एम्प्लायमेंट प्रोग्राम, गारंटी प्रोग्राम के संदर्भ में भारतवर्ष में राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जिसके द्वारा पूरा प्लान बना कर, प्रोजेक्ट बना कर भारत सरकार को भेजा गया। इसके लिये भारत सरकार ने साढ़े 9 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार को दिये हैं। हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों की सरकारें इसकी नकल करके अपने प्रोजेक्ट भेज रही हैं किन्तु वे अभी तक समझ नहीं पा रही हैं। इस तरह से हमारे मुख्य मंत्री जी आगे होकर जनता के हित की बात सोचते हैं और केवल एक-दो-10 वर्ष की ही नहीं 50 वर्षों की बात सोचा करते हैं। जो दूरदर्शिता प्रकट की जा रही है उसके लिये मैं मुख्य मंत्री जी को, उनके मंडल के सदस्यों को और अधिकारियों, जो अपनी सेवायें देकर सिनसियरली काम कर रहे हैं, को धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं आपके माध्यम से उसका भी निवेदन करना चाहूंगा जिसका अभी कल जिक्र हो रहा था। जैसा हमारे मुख्य मंत्री जी ने बताया कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो संसार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। हिमालय का पानी जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर में आयेगा और वहां के लोग, जो हमेशा से पानी के अभाव में प्यासे मर रहे थे, के लिए पानी उपलब्ध होगा। वह धरती को लहलहाती भूमि बनायेगा। वह भूमि हरी होगी और वहां का किसान समृद्धशाली होगा तो वह उनका हृदय से आभार मानेगा। इसकी हमारे मुख्य मंत्री जी ने केवल एक मात्र मंत्री भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री चन्दमनल जी को जिम्मेदारी सौंपी। यह प्रदर्शित करता है उनकी गम्भीरता को। जो जनता पार्टी के शासन में सीमेंट, चूने और लोहे की वजह से पड़ी हुई थी तथा उसका काम आगे बढ़ाने की, उसमें प्रगति करने की कोई बात नहीं हुई थी। जनता पार्टी सरकार ने खाली कमीशन बिठाये थे। उसकी बातों पर ध्यान नहीं देकर राजस्थान की प्रगति की बात हमारे मुख्य मंत्री ने सोची। एक पूरे मंत्री को, वह भी चन्दनमल जी जैसे मन्त्री

(श्री माणकमल मेहता)

को एक ही विभाग देकर इसका काम सौंपा। सभापति महोदय, आपको जानकारी होगी, आप जानते होंगे, आपको खुशी होगी, अभी थोड़े दिनों पहले हमारे राजीव जी ने जवाई नहर का उद्घाटन किया था। इस नहर का पानी जोधपुर तक पहुंच जायगा दो-तीन वर्षों में। हमें इस बात की खुशी है कि जवाई केनाल का पानी जोधपुर आ जायेगा। जवाई केनाल भरपूर पानी राजस्थान केनाल से जोधपुर को पिलाया करेगी। जवाई केनाल की बात आती है तो उसमें पानी पर्याप्त होने के कारण हम उनका ज्यादा आभार मानेंगे। जितनी जल्दी पानी जोधपुर तक आयगा उतना ही हमें अधिक लाभ होगा।

मैं इस समय आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो कुछ प्रगति हर क्षेत्र में हुई है, बिजली के क्षेत्र में हुई है, उसके साथ कोटा के संयंत्र को ठीक करके दूसरी जगहों पर भी बिजली पहुंचाई जावे। मुख्य मन्त्री प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, राजस्थान को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद अर्पित करता हूं। योजनायें बनें और कार्यान्वित हों, सबसे पीछे खड़े रहने वाले गरीब शोषण से छुटकारा पाकर स्वाभिमानी नागरिक की तरह जीवन व्यतीत करें, यह सपना मूर्त रूप लेकर आगे बढ़ें। इसी आशा और विश्वास के साथ कांग्रेस सरकार यहां का शासन चला रही है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव में अपने शब्दों को जोड़ता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे जो समय बोलने के लिए दिया, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का लिखित अभिभाषण मैंने पढ़ा। उसमें शुरू में 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा है। मैंने कुछ अभिभाषण पहले सुने हैं और पढ़े हैं। गत वर्ष की उपलब्धियां और आने वाले वर्ष में क्या होगा और क्या होने वाला है, कौन से संकल्प हैं, वह इसमें दिखाई नहीं दिये। उनके आंकड़े और आंकड़ों का पर्सेन्टेज नहीं दिखायी दिया। 20 सूत्री कार्यक्रम का जो लेखा-जोखा हमें लोक सभा से मिला है उसके अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में पंजाब का ऐसा एक भी गांव नहीं है जिसका विद्युतीकरण न हुआ हो। सेन्ट—पर्सेन्ट गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। राजस्थान पंजाब से ज्यादा बड़ा है, राजस्थान में 1036 गांवों में विद्युतीकरण किया जायेगा। 20 सूत्री कार्यक्रम की जो उपलब्धियां हैं, ये हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आनी चाहिए थी जिससे आंकड़ों के आधार पर हम अपने विचार रख सकते थे। सम्माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में परिवार नियोजन का लक्ष्य था 2,94,000 का, उसमें बन्ध्याकरण का लक्ष्य पूरा करा जा चुका है। बहुत से छोटे-छोटे जो देश हैं, पंजाब में 1,28,000 और इस देश में....

एक माननीय सदस्य : राजस्थान देश है ?

श्री भगवानदास शास्त्री : राजस्थान प्रदेश है। मैं करेक्ट करता हूं। धन्यवाद।

मेरे कहने का मतलब यह है कि बन्ध्याकरण का जो लक्ष्य आपने दिया है इसके सिवाय आपके पास कोई योजना है ही नहीं। नपुंसकता का ही कार्यक्रम आपके पास है। आपकी आने वाली पीढ़ी अच्छी तरह से याद करती रहेगी कि हमारे बुजुर्ग क्या कर गये। जैसे एक बाप कर्जदार बन करके लोगों का कर्ज अपने बेटे पर जोड़ करके मर जाता है तो वह अपने भाग्य को पीटता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की चर्चा आप बार बार करते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजस्थान में स्थापित किये गये 12 और पंजाब में 650। यह 20 सूत्री कार्यक्रम, जो आपके माध्यम से प्रकाशित हुआ है, में है।

मैंने शिक्षा से सम्बन्धित छोटे-छोटे विचार इनके पूर्व के शिक्षा मन्त्री के सामने रखे थे। उनका पत्र मेरे पास आया था, उन्होंने कार्य भी किया था। अब जो शिक्षा मन्त्री हैं वह एक महिला हैं। राजस्थान में जो मगरमच्छ हैं वे अपना बिजनस इसे भी मानते हैं। केवल अपना ही हित देखते हैं। उन्हें विद्यार्थियों की कोई चिन्ता नहीं है। मैं तो शुरू से कहता आया हूं कि मेरा लगाव शिक्षा विभाग से ज्यादा है। जिनको आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं वे उसी विश्वविद्यालय में अध्यक्ष के रूप में....

(व्यवधान)

मैं और डा० पोहूमल उसके लाइफ मेम्बर हैं। किन्तु जब हमने देखा कि शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपये खाये जा रहे हैं तो हम हाथ जोड़कर उससे निकल आये। जो हमारे आदर्शवादी साथी थे वे भी निकल आये और जिनको पैसे की जरूरत थी उन्होंने प्रवेश पाया। मेरा निवेदन करने का यह उद्देश्य है, राज्य सरकार को दसवीं कक्षा तक फ्री एजुकेशन कर देनी चाहिये। इससे स्कूलों का और शिक्षा का भी स्तर अच्छा होगा। और गरीब विद्यार्थी जो हैं उनमें भी शिक्षा का प्रसार होगा। इसके साथ साथ आप प्राइवेट स्कूलों में से किसी को अनुदान 50 प्रतिशत देते हैं, किसी को 60 प्रतिशत, किसी को 90 प्रतिशत दे देते हैं। वह अनुदान भी आप एक-एक, दो-दो साल बाद देते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके पास अनुदान की 260 करोड़ रुपये की राशि है उसका आधे से ज्यादा तो आप ऐसे ही खा जाते हैं या वे खा जाते है जिनका बिजनस या धन्धा ही यह है। गुजरात में जितनी इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं वे अपनी जेब से पैसे देकर चलाते हैं। लखपति मिल मालिकों से पैसा लेकर इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। यहां तो भ्रष्टाचार की यह एक अनुपम मिसाल है। अभी सैकण्डरी एजुकेशन बोर्ड ने कोर्स 75प्रतिशत चेन्ज कर दिया है, बदल दिया है। ये कोर्सेज जो बदले हैं कम से कम दो अरब रुपये खर्च हो गये। इसमें जनता का भी पैसा है और राज्य सरकार

(श्री भगवानदास शास्त्री)

का भी। कोर्सेज बदलने की प्रणाली के बारे में नये प्रस्ताव मैंने निवर्तमान शिक्षा मन्त्री के कार्यकाल में दिये थे। हायर सैकण्डरी पास करने के बाद राज्य के एक ही महाविद्यालय में पढ़ सकता है जिसको हम लोग अभी गवर्नमेन्ट कालेज कहते हैं। इसमें इतनी दिक्कतें आती हैं कि उनके बारे में कहा नहीं जा सकता है। जो निवर्तमान शिक्षा मंत्री थे उनको भी इसी के कारण दिक्कतें आयी थीं। उनको कह दिया गया था, हमारे यहां क्लास नहीं है और 10+2 वालों को हम पढ़ा नहीं सकते। ऐसी व्यवस्था की जाये 10+2 की एजुकेशन में कि रीजनल कालेज आफ एजुकेशन है वहां से निकले हुए विद्यार्थियों को रेगुलर करवा दिया जाय।

सम्माननीय सभापति महोदय, और भी एजुकेशन के बारे में मैंने आपको अपने विचार से अवगत कराया है। शायद स्थानीय प्रशासन भी मेरे से सहमत है। यह एक कारण है। एक छात्रवास विदेशियों के लिए है, उसके कारण भी वास्तविक परेशानी है। विदेशियों का छात्रावास होने से विदेश के छात्र होते हैं उनको तो प्रवेश सीधा ही दे देते हैं बाकी जितने विभिन्न जातियों के छात्र होते हैं चाहे राजस्थान के हों उनको भी उसमें प्रवेश देवें। वे क्या करते हैं कि जान बूझकर फेल हो जाते हैं। मुझे क्षमा करें, वर्ग विशेष के लोग हैं। राजस्थान के झगड़े, देश के झगड़े होते हैं उनके कारण बच्चों के अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूलों में, कालेजों में भेजना बन्द कर दिया है। किसी आदमी को, बच्चे को देख लिया, पूछा, तेरा नाम क्या है। अगर किसी ने सिंह कह दिया तो उसको मारा, मुंह तोड़ दिया या जान से मारने की धमकी दे दी। यह कोई व्यवस्था है इस प्रदेश की। यह लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन है। सिंह कह दिया तो मारो। सिंह तो सरदार भी होते हैं, पंजाबी भी होते हैं जो दाढ़ी रखते हैं। ऐसा थोड़े ही है कि सिंह नहीं होते। जिसका और कुछ नाम नहीं है वह सिंह लगाने लग गया, या मेरे जैसे शास्त्री बन गये। एक राजेन्द्र सिंह है, अखबार में नाम निकाल कर राजेन्द्र राव बन गये। कौन मौत के घाट उतरना चाहेगा? उन्होंने अपना नाम बदल दिया। कनर्वशन कर लिया, जैसे आप कनर्वशन करते हैं वह वैसे कनर्वट हो गये। यह कोई देश की, प्रदेश की व्यवस्था है? स्वच्छ एजुकेशन में राजनीति नहीं आनी चाहिये। शिक्षा का क्षेत्र एक वन्दना का क्षेत्र है, पूजनीय क्षेत्र है, सरस्वती का क्षेत्र है, इसमें किसी भी हालत में अपना और पराया नहीं आने दिया जाना चाहिए। पुराना बदला किसी से लेना है, अगर किसी व्यक्ति से लेना है तो उसके बच्चे को फेल कर दिया जाता है चाहे वह फर्स्ट ईयर में हो, पी. एम. टी. में हो। यह दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का। एजुकेशन राजनीति से अलग होनी चाहिए। स्वच्छता के साथ साथ उस पर विशेष ध्यान भी देना चाहिए। इसी पर अपने राजस्थान का भविष्य निर्भर करता है। इसी एजुकेशन के सहारे नेहरू जी आयेंगे, इसी एजुकेशन के सहारे गांधी जी आयेंगे, इसी एजुकेशन के सहारे बहुत से विभिन्न प्रकार के महान नेता पैदा हो सकते हैं, सुभाष-शास्त्री जैसे।

(श्री भवानदास शास्त्री)

अजमेर के पेयजल की समस्या को हल करने के बारे में मुझे कुछ उम्मीद है, मंत्री जी बहुत उदार हैं। किन्तु जो योजनायें, छोटी-छोटी योजनायें बनाते हैं आपके इंजीनीयर, एक्स. ईएन., ए. ईएन., जे. ईएन., उनको पीने के पानी की योजना का बिलकुल पता नहीं। आपके इंजीनियर क्या काम करते हैं? पहले एक इन्जीनियर होता था, आज 100 इन्जीनियर सिर्फ टेबल पर बैठकर कुछ नहीं करते हैं, न साइट पर जाते हैं।

पश्चिम में आपने कैनाल बना दी, खुशी है, पूरी हो जायेगी। कन्सर्न्ड मिनिस्टर धन्यवाद के पात्र हैं। इससे सीमा सुरक्षा वैसे ही होगी जैसे पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने सीमा पर एक कैनाल बनाकर की थी एक महीने के अन्दर। आपके टैंक जो वहां आ रहे थे उनको रोका, पानी छोड़ देते थे। ऐसी कैनाल राजस्थान में बन जाय तो बड़ी खुशी है। साथ ही अजमेर की पेयजल व्यवस्था के लिए योजना बनानी चाहिए।

मध्य प्रदेश में मैं एक सरकारी दौरे पर गया था। वहां मैंने अपनी आंखों से देखा दो बच्चे हैं। एक बच्चा, जो मस्त जैसा है, उसे उन्होंने मध्य प्रदेश जैसा कहा। राजस्थान का विकास उन्होंने ऐसी स्टेच्यू के रूप में बताया, दूसरा बालक, जिसको बंजर जैसा बताया। बीसलपुर योजना है, किसी प्रदेश की नहीं है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की नहीं है, केन्द्र की है, सेन्टर की है तो वहां से पानी लीजिए पेयजल के लिए आपने 91 करोड़ का प्रावधान रखा है–70 करोड़ तो सिचाई विभाग का और 21 करोड़ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का। 4 लाख लोग अजमेर में बसते हैं। मैं आपको बता दूं कि 5 लाख तक तो आबादी पहुंच चुकी होगी। अगले दो तीन साल में 10 लाख होनी है क्योंकि वहां का क्लाइमेट ऐसा है, वातावरण ऐसा है कि शहर बढ़ेगा अभी तो। पश्चिम में ब्यावर तक और नार्थ-ईस्ट में किशनगढ़ तक पहुंच जायेगा। बीसलपुर योजना में पाइप लाइन ऐसी बनी जैसे बिच्छू होता है कि नीचे तो पाइप लाइन 16-इंच की और 4–2 इंच की बाद में पाइप लाइन होगी। यह योजना 51 में बनी थी। ऐसे पानी की समस्या कैसे ठीक होगी। यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है।

सम्मानीय सभापति महोदय, पुरानी पाइप लाइन के बारे में मुझे एक लेटर मिला है दरगाह शरीफ का। माननीय मुख्य मंत्री महोदय वहां घोषणा करके आते हैं कि 2 लाख गैलन पानी का टैंक बना देंगे। दरगाह शरीफ, जहां बहुत बड़ा मेला लगता है, मैं इससे सारा काम होता है, इससे वहां की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। दरगाह शरीफ के लिए पानी की पाइप लाइन कहीं 6 इंच, कहीं दो इंच है। वहां भिश्तियों से पानी पहुंचाया जाता है। इतनी बसी हुई बस्ती होते हुए भी भिश्तियों से पानी पहुंचाया जाता है, यह अजमेर शहर का दुर्भाग्य है।

सम्माननीय सभापति महोदय, इस के बाद मैं विशेष प्रकार से वित्त निगम के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। वित्त निगम, माफ करिये, जितने आप नेता बैठायेंगे उतना भ्रष्टाचार इस निगम में बढ़ेगा। कोई व्यक्ति स्माल स्केल इण्डस्ट्री खोलना

(श्री भगवानदास शास्त्री)

चाहता है, कोल्ड स्टोरेज अजमेर में है नहीं, इसके लिए उसने एक लाख की जमीन भी ले ली किन्तु जब किसी आफिसर के पास जाता है, वहां विभिन्न प्रकार के अधिकारी हैं, एक तो एम.एल. जैन, पी.सी. अग्रवाल हैं सोनी जी हैं, एम डी. वगैरह हैं। वे इन अधिकारियों के पास गये, जब भी वहां जाते हैं, मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत सम्पर्क नहीं है, न ही वह मेरे जानकार हैं. उसी समय आफिसर कहता है, बाद में जो अर्जी आयी है, वह भेजो। 2 साल से जो भागादौड़ी कर रहा है उसकी अर्जी पर ध्यान न देना भ्रष्टाचार के सिवाय और क्या हो सकता है।

Dear sirs,

Sub : Your application for Rs 3.00 lakhs for setting up an factory at Ajmer.

Kindly refer to your above said loan application.

Keeping in view the ice factories already existing at Ajmer, prima facie, we do not find any scope for further capacity but we are getting a detailed study made out. Pending its outcome we shall not advise you to go for investment in the project.

Thanking you,

Yours faithfully,
Sd:
Manager (Loans-II)

तो मेरा कहने का मतलब यह है। उसके साथ एक और एप्लीकेशन आयी है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं कि उनको नहीं मिले, उसको भी मिले किन्तु एक सरदार है, जिसका बेटा शिक्षित बेरोजगार है, बी. काम. की परीक्षा दे चुका है पर सप्लीमेण्ट्री आने से दुबारा बी. काम की परीक्षा दे रहा है। उसको लोन नहीं मिला, चाहे किसी को लंगड़े को आगे कर दिया। हैण्डीकैप्ड की आपकी योजना है तो हमारे पास बच्चा लंगड़ा न हो तो किसी को भी आगे खड़ा कर दो। ऐसा किया और आइस फैक्ट्री खोल दी। सभापति महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि एक व्यक्ति ने एक खोका बनाकर लकड़ियों के डिपो का काम करता था, उसने 25-30 हजार पगड़ी देकर चारों तफ बाड़ा बना लिया। उसने एप्लाई किया, शेयर हैं उसके 5 आना 4 पाई। यह सोचते हैं कि अगली बार तो चुनकर आयेंगे नहीं, जितना हो सके उतना बटोर लो, यह हमारे देश का और प्रदेश का दुर्भाग्य है।

अजमेर में विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है मुझे याद है, "8 दिसम्बर। राजस्थान विश्वविद्यालय के भार को कम करने के उद्देश्य से राज्य में तीन अन्य स्थानों अजमेर, कोटा और बीकानेर में नये विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव हैं। यह जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति

(श्री भगवानदास शास्त्री)

प्रो टी. यूनीथान ने आज यहां सवांददाता को दी।" हमारे कुलपति यह महसूस करते हैं कि तीन जगह यूनिवर्सिटीज हों। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो फैलाव है उसमें क्या करामात होती है। रिजल्ट मार्कशीट रातों रात बिलकुल बदली जाती है, थर्ड डिवीजन से सैकन्ड हो जाता है, सैकिन्ड से फर्स्ट हो जाता है। इसकी कापी मेरे पास है। क्या यह विशुद्ध वातावरण है ?

अब आगे गृह विभाग के सम्बन्ध में बताऊं। गृह विभाग में, मुझे क्षमा करें, गृह राज्य मंत्री जी श्री गुर्जर साहब थे, इनको तो मैं बराबर मेरी जो कुछ शंकायें होती थीं उनके बारे में पत्र लिख देता था और यह तत्काल कार्यवाही करते थे। किन्तु माननीय मुख्य मंत्री जी, ने जो गृह मंत्री हैं, अपने पापों को, अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिये अजमेर जिले के गृह राज्य मंत्री जी को बलि का बकरा बनाया और बलि का बकरा बना कर निकाल दिया। इनकी ईमानदारी में, उनकी सज्जनता में, रत्ती भर शंका नहीं करता। मैंने इनको एक पत्र लिखा था, श्रीमती द्रोपदी देवी पत्नी श्री मोतीराम, निवासी किशनगढ़ को किसी ने कहा कि आप सब्जी की विक्रेता हैं, एक किलो टमाटर अपने आदमी से लेकर घर पहुंचा दें। सब्जी की विक्रेता घर में गई और टमाटर देकर जब वापस लौटी तो मालदार ने कहा कि तुमने हमारे गले का हार गोदरेज की आलमारी से निकाल लिया है। यदि वह गोदरेज की आलमारी तक पहुंचती और आलमारी को खोलती तो पड़ोसी भी उसकी आवाज सुनता। फीमेल कान्सटेबल होती तो और बात थी, पर बड़े दुख की बात है कि पुरुष कान्सटेबल ने उसके गुप्तागों पर लाठियां, पीठ पर लाठियां और स्तनों पर लाठियां मारीं। वह किशनगढ़ के तालाब में डूबने के लिये जा रही थी। दो आदमी और चार औरतों ने उसको रोक कर कहा कि आप अजमेर चलो। वह एक दम गाडी करके, जिस गाड़ी का नाम बताऊं, बैलगाड़ी में बैठाकर मेरे पास लाये। मैंने कहा, कोई बात नहीं। मैंने एक लेटर तो गृह राज्य मंत्री को भेजा और एक लेटर एस. एच. ओ., किशनगढ़ के थानेदार को भेजा। वह औरत वहां से बच गई किन्तु आजाद देश में इस प्रदेश में महिलाओं की लाज लूटने, महिलाओं के साथ असभ्यता से पेश आने, महिलाओं के साथ दुराचरण करने और महिलाओं के साथ बलात्कार करने के किस्से बहुत सुने हैं मगर ऐसी पिटाई गुप्तागों में जो हुई वह मैंने नहीं देखी। उसकी तरफ आज दिन तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। सभापति महोदय, उस ग्रामीण को पेशाब पिलाया गया....

एक माननीय सदस्य : किस को ?

श्री भगवानदास शास्त्री : उस ग्रामीण को पुलिस के सिपाहियों द्वारा कांच का गिलास देकर कहा कि इसको पेशाब पिलाओ। इसके साथ साथ अप्राकृतिक मैथुन बाप बेटे से करे और बेटा बाप से करे। काजीपुरा का काण्ड है। मैं समझता हूं कि हमारे विरोधी दल के नेता, सदन के नेता दोनों का सम्मान बराबर है किन्तु दुर्भाग्य है, 1967 में भी मैं एम. एल. ए. था, विधायक था उस समय महारावल लक्ष्मण सिंह जी विरोधी दल के नेता थे। मैं सतीश जी और गाड़िया जी

(श्री महाराम चौधरी)

जब जोश में आ जाते तो चेयर की आवाज आती, विरोधी दल के नेता बैठ जायं तो जो हमारी ट्रेन एक्सप्रेस जा रही होती वह वहीं रुक जाती थी। चेयर का प्रमुत्व होता है। कारण होता था। नियमानुसार दोनों पक्ष हो, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, सदन के नेता और विोधी दल के नेता दोनों बराबर होते थे। मुझे माननीय रामनारायण जी चौधरी क्षमा करें, मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगाना चाहता, मेरी यह शुरू से ही राजनैतिक परम्परा रही है, लेकिन अगर आप प्रोसिडिंग्स देखेंगे, तो मालूम होगा कि कम से कम दो सौ बार विरोधी दल के नेता का नाम उन्होंने लिया है मैं समझता हूं कि मण्डावा के चुनाव में उन्होंने इनका पसीना निकाल दिया था। उस पसीने का जांघिया आज तक नहीं सूखा होगा इसलिये वह बार बार भैरोंसिह जी का नाम लेकर सम्बोधित करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ साथ हमारे सज्जन गृह राज्य मंत्री जी के घर में, लक्ष्मीपुरा जो इनकी कान्स्टीट्यूएन्सी है, का छोटू जी....

श्री भंवरलाल शर्मा : गृह राज्य मंत्री जी बदल गये, अब प्रद्युम्नसिंह जी हैं।

श्री भगवान दास शास्त्री : वह जरा टेढ़े हैं, वह सज्जन हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने ऐसा क्या किया, हुजूर ?

श्री भगवान दास शास्त्री : मेरा मतलब है कि इस विभाग में टेढ़ा होना जरूरी है क्योंकि महर्षि साहब से आप ही हिसाब ले सकते हैं। अजमेर में जब तक महर्षि जिन्दाबाद है आपको यह जवाब मिलते रहेंगे, अजमेर से कोई नहीं निकाल सकता....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री भगवानदास शास्त्री : माननीय सभापति महोदय, गच्छीपुरा में एक गुर्जर के गुप्तांगों पर लाठियां मारी गई और शॉक दिये गये। उसकी फोटो मेरे पास है किन्तु गृह राज्य मन्त्री जी उसको संरक्षण नहीं दे सके....

श्री भंवरलाल शर्मा : फोटो सदन की मेज पर रख दीजिये।

श्री भगवानदास शास्त्री : यह मैं सदन की मेज पर क्या रखूं। हमारे जोधपुर में, कोटा में बान्दा के सिपाही दिलीप कुमार को छुरे से घायल कर जमीन पर फेंक दिया। उनका आज तक कोई पता नहीं। अजमेर से प्रदीप को, अगर जिन्दा रहा तो, मैं लाऊंगा। मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। प्रदीप का जो कोई घातक है, गृह राज्य मन्त्री जी, उसका सबूत मैं नहीं लाया। वह अगर नहीं पकड़ा जाता तो पुलिस विभाग कुछ नहीं, हमें धिक्कार है ऐसे हाउस में आना। एक नौजवान, सुन्दर नौजवान, जिसका फोटो मेरे पास है, ऐसा सुन्दर बेटा अगर मेरा होता या किसी अधिकारी का बेटा होता तो उसका सुन्दर भविष्य बनता। कैसा सुन्दर चेहरा है। वह अपने पिता का इकलौता पुत्र था। इसके अलावा वह

(श्री भगवानदास शास्त्री)

चाहता तो और मर्डर कर सकता था। यह उसकी शक्ल है, मै कह सकता हूं कि रावण के दस सिर थे, उसके बराबर एक सिर है। भारत का अगुआ हमारे अजमेर से चला गया। दुर्भाग्य है इस शिक्षा का, विश्वविद्यालयों और हमारे महाविद्यालयों के ऊपर एक कलंक है, ऐसे-ऐसे सुन्दर होनहार बच्चे दुनिया से उठ जाते हैं।

महाभारत की लड़ाई पर आइये, राजनीति की लड़ाई छोड़ दीजिये। पैसा-पैसा हो जाता है। पिंक सिटी उदयपुर तक घूमे मुझे कोई आपत्ति नहीं। नाम रखा है "ख्वाजा गरीब नवाज" पर दिल्ली से अजमेर, अजमेर से चित्तौड़ जाती है। भीलवाड़ा बीच में आता है लेकिन उसके रूट में भीलवाड़ा बीच में नहीं आता। यदि भीलवाड़ा उदयपुर से आगे होता तो वह भीलवाड़ा तक जाती। अगर पिंकसिटी से गुलाबी लानी है उदयपुर तक पहली अप्रैल से, तो मेरा निवेदन है कि चेतक हमको दीजिये, थोड़ा जल्दी हमको दिल्ली पहुंचायेगी। पिंकसिटी को आप ले लो। पर्यटन की दृष्टि से उदयपुर को चमकाना चाहते हैं, अगर भीलवाड़ा को वर्तमान मुख्य मन्त्री जी चमकाना चाहते हैं और अगर जोधपुर को परसराम जी मदेरणा चमकाना चाहते हैं तो आ जाइये अजमेर में आपको मुख्य मंत्री पद की सीट दिला दें....

श्री परसराम मदेरणा : आप रेल चाहते हैं कि घोड़ा ?

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं तो चेतक एक्सप्रेस की ही बात कर रहा था। एक तो दीजिये कम से कम। पेसेन्जर्स, जो ढाई और तीन बजे आते हैं, जब आवाज सुनते हैं डीजल की आवाज नहीं है इंजन की आवाज होती है। मेरे कहने का मतलब यह है, अजमेर से क्यों नाराजगी है ? नाराजगी तो तब हो जब हम विभाजन के पक्ष में हो। हम पश्चिमी राजस्थान में मिलने वाले नहीं हैं। 1956 में हम राजस्थान में मर्ज हुये थे, आप हमारे शिरोमणी हैं....

श्री रामसिंह बिश्नोई : रेलें तो सैन्टर का सब्जेक्ट है स्टेट का थोड़े ही है ?

श्री भगवानदास शास्त्री : अगर सैन्टर का सब्जेक्ट है, सभापति महोदय, तो योजना आयोग के सामने और, मैं कहता हूं कि रेलवे बोर्ड के आगे जयपुर से सवाई माधोपुर में ब्रोड गेज की बात थी....

(व्यवधान)

(2.00 म० प०)

माननीय मुख्य मन्त्री जी, मुझे तो आज—

श्री सभापति : कृपया जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री भगवानदास शास्त्री : जी हां। "प्रशासन शहरो की ओर" का, सभापति महोदय बड़ा ढोंग रचा। मैं तो तीन चार कैम्प में गया, मुझे कहने लगे कि आप क्यों आते हो। मैंने कहा कि ठीक है जो कार्यवाही है, जो जनता शिकायतें करेगी वही देखने आया हूं। बोले, आप क्या कहना

(श्री भगवानदास शास्त्री)

चाहते हैं। मैं बोला, जो शिकायतें हैं आप देखो, मैं तो बैठा रहता हूं। मैं कहता हूं जो ड्रिलिंग करते हैं हैण्ड पम्प की उसके एग्जिक्यूटिव इन्जिनियर से मैं मिला। भई जो सिफारिशें आई थीं 15 हैण्ड पम्प लगाने की, वह कहां हैं? बोले, साहब हमने तो लैटर लिखा था नगर परिषद की और विकास न्यास को तो उन्होंने कहा कि आश्वासन ही देने थे पब्लिक को पैसा हमारे पास नहीं है। यह "प्रशासन शहरो की ओर" है जिसमें 15 लाख रुपया नगर परिषद और नगर विकास न्यास अजमेर ने दिया। मैं कोई नेहरू परिवार के खिलाफ नहीं हूं, राजीव गांधी के स्वागत के लिए जो पैसा इन्होंने 'प्रशासन शहर की ओर' में कमाया था एक दिन में फुंक करके वह नेताओं की जेब में चला गया। यह देश का दुर्भाग्य है। इन्दिरा गांधी का स्वागत होता है, वह हमारी शिरोमणी हैं, प्रधान मन्त्री हैं देश की किन्तु एक संगठन मन्त्री हैं, एक मन्त्री संगठन का है, अगर इतना आप उसका स्वागत करें तो देश का आगे क्या होगा, देश की क्या प्रगति होगी? आप भी इसके बारे में सोच सकते हैं। सभापति महोदय, मैंने वहां कहा, सर्वे करवाया था "प्रशासन शहरो की ओर" का। मेरे पास पेम्फलेट भी है वह 4-10-83 का दिन था, साधु तीन सौ वर्ष पहले के पुराने बैठे हुए हैं भगवान गंज में। वह भगवान गंज मेरे नाम से नहीं, एक सेठ थे भगवान उनके नाम पर भगवानगंज हुआ, चुनाव क्षेत्र मेरा है। उसका तीन साल से, सर्वे भी हो चुका है। मैंने कहा, इसको पट्टा दे दीजिये। इल्लीगल कोई बैठा हुआ नहीं, लीगल बैठा हुआ है। लिस्ट मेरे पास है। बोले, नगर परिषद में आ जाना, यू.आई.टी. में आ जाना तब हम सोचेंगे, तब देंगे। उनको नहीं देंगे और जिनको पट्टा मिला उस व्यक्ति के कुछ कागजात, 300/- रु० की रसीद है जिस पर नाम गणेश हर्जी अंकित है और प्लाट नं० 17 बाबरी बस्ती मलूसर रोड, अजमेर का है। अनुसूचित जाति का मिला हुआ पट्टा अधिकारियों ने अध्यक्ष की उपस्थिति में गुम कर दिया। आज तक वह बेचारा मारा-मारा फिर रहा है उसकी कोई सुनने वाला नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, सभापति महोदय, नाना प्रकार का जो टैक्स नगर परिषद का बकाया है वह तो अखबारों में आप सुनते रहते हैं। विजयलक्ष्मी पार्क, हमने पण्डित नेहरू जी की बहिन विजयलक्ष्मी के नाम से यह नाम रखा था, और आजाद पार्क अजमेर में है। एक अधिकारी विजय लक्ष्मी पार्क में बंगला बनवा करके कब से बैठा हुआ है। वह अपनी नौकरी से बिल्कुल खारिज है। 24 घन्टे वह योजना बनाता है कि म्यूनिसिपैलिटी को फेल कैसे करूं, प्रशासन को कैसे तंग करूं, जो कमिश्नर आयुक्त बैठा हुआ है उसको तंग कैसे करूं। 24 घन्टे जैसे माननीय मुख्य मन्त्री जी के ऊपर है वैसे ही उसके ऊपर है। अब वहां काम क्या होगा? शहर की सफाई व्यवस्था क्या होगी।

सैल्स टैक्स के बारे में सबने निर्णय कर के सुझाव भेजा है कि सैल्स टैक्स समाप्त किया जाय और चुंगी को भी समाप्त किया जाय। हलवाइयों का एक प्रतिनिधि मंडल मेरे पास आया था अजमेर, जयपुर के भी

(श्री भगवानदास शास्त्री)

कुछ हलवाई आये थे उन्होंने कहा कि एक" श्रेणी के हलवाइयों के सौ होटल हैं और तीस हजार छोटे होटल हैं। आप बताइये, सभापति महोदय, आप जोधपुर में मावे की कचोरी खाते होंगे, कोई प्याज की खाते होंगे और मिर्ची बड़ा भी खाते होंगे, वह क्या जानता है कि इसका भी हिसाब रखना है।

(व्यवधान)

18 लाख रुपया इसकी आमदनी होती है। अगर यह टर्न ओवर के रूप में जोड़े तो यह जाकर तीन लाख बनता है और 15 लाख रुपये छोटे-छोटे मद से आते हैं। तो यात्रा टैक्स को मुक्त कर दिया। इसको भी मुक्त कर दीजिये। मेरा कहना है, क्योंकि आपके पैसा तो पल्ले पड़ने वाला नहीं है। वह हिसाब ही नहीं जानते हैं। नहीं तो आपके इन्सपेक्टर जो हैं वह इनको तंग करते रहेंगे। बेचारे वह भी आदि हो चुके हैं। ज़ेल में ज़ाना वह मामूली बात समझते हैं इसलिए कानून से डरते नहीं हैं। वह सब समझते हैं।

अजमेर में 1970, मुझे जहां तक मालूम है, शायद यही अनिल बोदिया कलेक्टर जो पंचायत राज में हैं, उन्होंने टैक्स लगाकर करके उस संशोधन को मान्यता दी। पांच सौ, हजार, सौ, दो सौ रुपये से आपके कुछ नहीं होगा। होगा तो उससे क्या होता है। वहां 91 के सैकड़ों केसेज हैं। एक नया नेता बनाया है जगदीश अग्रवाल, सीता अग्रवाल का पति। जिन्होंने कर्ज ले लिया है, एक ने कर्ज लिया दूसरे ने कब्जा किया यह कहां से चलेगा। माननीय मुख्य मन्त्रीजी आश्वासन देकर आये हैं। मेरा कहने का मतलब है, जो गलती है उसको दूर करके, तय करके, स्वच्छ प्रशासन देना चाहिये। अगर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है तो किसानों को राहत देनी पड़ेगी। किसान और गांव वालों ने ही पासा पलटा था 77 में और भी, मैं तो कह नहीं सकता, लोग भले ही कहें मैं न तो चैलेन्ज देता हूं न मैंने चैलेन्ज दिया है, यह तो जनता के ऊपर निर्भर है, जनता ही उसको पूरा कर सकती है।

अन्त में, सभापति महोदय, जो स्वायत्तशासी संस्थायें हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं, सम्बन्धित मन्त्री पूरे वाकिफ हैं क्योंकि मुझे याद है, आप उप मन्त्री भी रहे हैं, मथुरादास माथुर जैसे शीर्षस्थ नेता के अण्डर में काम किया है, माननीय प्रद्युम्नसिंह जी, आप ने। उन दिनों भी मैंने मथुरादसजी जैसे व्यक्ति, जो कठिन है, जो हलवाइयों को कहते हैं कि चोर होने, देशी मिठाई और देशी नमकीन पर से सैल्स टैक्स को समाप्त कराया था। अभी स्वायत्तशासी संस्थाओं का जो आडिट होता है उसमें जो तरीका है, 6 साल के बाद तो आप उसको राइट आफ करते हैं। अजमेर से जा करके अलवर पहुंचे, कोई अजमेर से भरतपुर पहुंचा, भरतपुर से जा करके वह सवाई माधोपुर, पहुंचे, ऐसा था, आपका काम। करोड़ों की सम्पत्ति और हमारा नगर इसमें सड़ रहा है। माननीय मन्त्री महोदय, मैं आपको विश्वास से कहता हूं, जानवरों की, खास तौर पर सूअरों को पक-

(श्री भगवानदास शास्त्री)

हने की खराब व्यवस्था है। सूअरों की वजह से कभी-कभी हिन्दु-मुस्लिम झगड़ा होने की संभावना हो जाती है। देहली गेट के बाहर बकरे की मण्डी चलती है वहां बाहर से भी मुसलमान आते हैं, वहीं हरिजन बस्ती भी है वह लोग जान बूझकर सूअरों को खोल देते हैं उनसे थोड़ा था स्पर्श हो जाय तो जैसे अपने को दफ्तरों में हरिजन छू भी ले तो पानी की बाल्टी डाल देते हैं उसी तरह वह भी पानी डाल देते हैं चाहे सर्दी कितनी भी हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमारे यहां नहीं है।

श्री भगवानदास शास्त्री : आपके यहां है तभी तो मैं कह रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमारे यहां नहीं है।

ओसवाल करते होंगे।

श्री भगवानदास शास्त्री : तो वह क्या हैं। सम्माननीय सभापति महोदय, ऐसा मैंने आंखों से देखा है, मेरा इलाका है, कभी भी मेरा जो वाक्य होगा उसमें सत्यता सेन्ट पर्सेन्ट होगी। घर वालों के आगे उनकी चलती नहीं। यह मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि स्लाटर हाउस और बकरा मण्डी शहर के मध्य में होना कभी न कभी हिन्दू-मुस्लिम एकता को तोड़ने वाला है। मेरा इलाका है जब से मैं यहां हूं तब से दोनों कम्युनिटी के साथ मेरा सम्पर्क रहा है, आज भी वह मुझे प्यार करते हैं, मैं उनको प्यार करता हूं, कृपा करके स्लाटर हाउस यहां से हटा कर जयपुर रोड पर जो पहाड़ी है, जहां पहले भी सैंक्शन हो चुका है बी. एल. शर्मा जी के समय में, वहां कायम कर दीजिये। इतना ही कह कर आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद देता हूं।

जय भारत।

श्री सभापति : श्री महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : सभापति महोदय, इस सदन में राज्यपाल महोदय ने अपना जो अभी भाषण पढ़ा उसके ऊपर श्री राम नारायण चौधरी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका समर्थन श्री जनार्दनसिंह गहलोत ने किया, उसके सम्बन्ध में मैं अपनी सहमति दूं, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि श्री राम नारायण जी चौधरी ने धन्यवाद के प्रस्ताव में सन् 47 से सन् 84 तक की पृष्ठभूमि का उल्लेख किया है। जिस तरह के विकास कार्यक्रम हमारे प्रदेश में चले हैं। उनकी जो उपलब्धियां हुई उन उपलब्धियों का उल्लेख किया है। इस बारे में, सभापति महोदय, यही निवेदन है कि यह विकास के कार्यक्रम जो चले हैं, बहुत ही धीमी गति से चले हैं। मेंढक की चाल से हमारे यहां पर विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं और इस तरह विकास के कार्यक्रम चलने के कारण जिस हद तक जनता को जो फायदे पहुंचने चाहिये वह नहीं पहुंचे। इस तरह के कार्यक्रमों से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों और गरीब किसानों को जो फायदे पहुंचने चाहिये वह नहीं पहुंचे।

सभापति महोदय, धन्यवाद प्रस्ताव में विकास के कार्यक्रमों की जो उपलब्धियां

(श्री भगवानदास शास्त्री)

बतायी गयी हैं, वह सिर्फ कागजों में आंकड़ों तक ही सीमित हैं। वास्तव में सरकार की नौकरशाही, ठेकेदार और बड़े-बड़े पूंजीपतियों तक ही इनका फायदा सीमित रहा और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को जो फायदा पहुंचना चाहिये वह नहीं पहुंचा। हर साल परम्परा के अनुसार यहां पर जिस प्रकार बजट भाषण की पुस्तिका पेश की जाती है उसी तरह से इस बार भी की गई है। पहले पेज की या 25 पेज की पुस्तिका पेश की जाती थी पर इस बार एक नयी उपलब्धि विशेष यह जरूर हुई है कि अब की बार इसके सिर्फ 9 पेज ही रखे गये हैं। इसमें सरसरी तौर पर छोटी मोटी उपलब्धियां बता दीं, ज्यादा विस्तार से नहीं दर्शायी गयी हैं। अगर ज्यादा विस्तार से दर्शाते तो आपको मालूम पड़ जाता कि इसमें कितनी बड़ी कमियां हैं।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उपलब्धियों का जो उल्लेख किया गया है उसके लिये जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है उसके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा कि कितना विकास हुआ है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों, गरीबों और पिछड़ी जाति के लोगों के लिये आपने जो योजनायें बनायी हैं उन के अन्दर जो सबसे बड़ी कमी महसूस की जा रही है वह क्रियान्वयन की है। आपने जो यह डेयरी के लिए कार्यक्रम और दूसरे कार्यक्रम बनाये हैं उनमें जटिलता बहुत है, उनको समझना काश्तकार और आम आदमी की पहुंच के बाहर है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि जो फायदा किसानों को, गरीब तबके के लोगों को पहुंचना चाहिये वह नही पहुंच सका है। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में उन योजनाओं की कोई उपयोगिता नहीं है क्योंकि वह लोग उनको समझते ही नहीं हैं। इन योजनाओं को चलाने के लिये सरकार ने जिन लोगों को रखा है, जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से यह काम लिया जा रहा है वह न तो उस सम्बन्ध में कार्य कुशल ही हैं, न उनका ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से किसी तरह का लगाव है। आज हर काम में यह बात आम हो गयी है कि किसी तरह से अपने उत्तरदायित्व को टाला जाय, वह हर काम को टालते रहते हैं। इससे विकास के जो आपके कार्यक्रम हैं उनकी गति धीमी रही है। उपलब्धियां भी बहुत कम हुई हैं, उन लोगों को पूरा फायदा नहीं पहुंचा है।

सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र तो समस्याओं से भरा पड़ा है। उन समस्याओं में भी विशेष जो समस्यायें हैं उनमें प्राकृतिक आपदायें है, बाढ़ आ जाना है, शीत-लहर का चलना है, पेयजल की समस्यायें हैं, गरीबी और बेरोजगारी की समस्या है। आज सबसे बड़ी बात तो यह है, सभापति महोदय, किसान का जो वह धान पैदा करता है उसको कोस्ट आफ प्रोडक्शन भी नहीं मिलती है। कारण यह है कि कोस्ट आफ प्रोडक्शन आज दिन दूनी और रात चौगुनी होती जा रही है, आज पैदावार करने में कितना अधिक खर्चा बैठता है उसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। बाजरा काश्तकार एक बीघा में बोते हैं उसका जो खर्चा लगता है उससे आधे

(श्री महाराम चौधरी)

का भी पैदा नहीं होता। आपके आंकड़े बता दें तो मैं आप कहो जो करने को तैयार हूं। जो खर्चा आता है उससे आधे का भी पैदा नहीं होता है। इन्होंने आंकड़े दिये हैं। पर मैं साबित करने को तैयार हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि उत्पादन पर खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और काश्तकार को जितना मूल्य मिलना चाहिये उतना नहीं मिलता है। इस तरह बेचारे किसान की दुर्दशा हो रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यही हाल रहा तो किसान की हालत खराब होती ही जायगी। आपने जो यह कहा है कि किसान की हालत में सुधार हो रहा है, 20 सूत्री कार्य-क्रम के अन्तर्गत किसानों को फायदा पहुंचाया है तो आप जितना फायदा या अपनी उपलब्धियां बता रहे है वह दफ्तर में या सचिवालय में कागजों में या आपकी इन चिकनी चुपड़ी पुस्तकों तक ही सीमित है। आपने जो फायदे की बात कही है, सम्पन्न वर्ग के लोगों को ही इसका फायदा मिला है। वास्तव में ग्रामीण जनता को इसका फायदा नहीं पहुंचा है।

सभापति महोदय, यह जो 20 सूत्री कार्यक्रम है, 20×20×20 सिर्फ यही प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को सन् 77 के पहले 20 सूत्री प्लस पांच मिलाकर 25 पाइन्ट प्रोग्राम रखा फिर सन् 80 में जब कांग्रेस वापस सत्ता में आयी तब इसका नया नाम 20 सूत्री कार्यक्रम रखा और उसी 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू कर दिया। सभापति महोदय, बातें वह की वह हैं सिर्फ उल्टी सुल्टी करके, इधर की बात उधर करके और उधर की इधर करके एक नया नाम दे दिया, इसके अलावा इसमें अभी भी वही हैं। अब उसी 20 सूत्री कार्यक्रम में सन् 1983-84 की पुस्तिका के अन्दर आपने संशोधन करके उसी 20 सूत्री कार्य-क्रम को एक नया नाम देकर शुरू कर दिया। पहला 20 सूत्री कार्यक्रम, फिर नया 20 सूत्री कार्यक्रम और अब तीसरा संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम नये नाम से शुरू कर दिया है। सभापति महोदय, अगर आप इन 20 सूत्री कार्यक्रमों को देखें, एक-एक करके इनके नाम भी गिनावें तो एक मोवनी की तरह हो जायगी। एक भी सूत्र को इन्होंने सही तौर से लागू नहीं किया। किसी भी सूत्र का तत्परता से इम्पली-मेन्टेशन नहीं किया। जो फायदा इन सूत्रों के तहत पहुंचना चाहिये था वह नहीं पहुंच पाया। मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक सूत्र बताना चाहता हूं। इसमें जो पहला सूत्र है उसमें यह है कि—कृषि योग्य भूमि की हदबन्दी लागू हो और तमाम प्रशासनिक और कानूनी अड़चनों को दूर कर जमीन से सम्बन्धित रिकार्ड को एक-त्रित कर हदबन्दी की सीमा से अधिक जमीन हो उसको भूमिहीनों के बीच में बांट दिया जाय। अब, सभापति महोदय, यह हदबन्दी की जमीन का जहां तक मामला है उस जमीन के बारे में मेरा यही निवेदन है कि जिन लोगों के पास हजारों बीघा जमीन थी, जो बड़े-बड़े सामन्त थे, जागीर-दार थे उन्होंने तो अपने सलाहकारों से, वकीलों से सलाह लेकर जैसे ही सीलिंग कानून बना, गये नाम जोड़ लिये या बेनामी

(श्री महाराम चौधरी)

नाम से इन्द्राज करा लिये और जो गरीब काश्तकार था, कम पढ़ा लिखा था, जिसकी जानकारी कम थी जिसके खाते में अपने दादा, पड़दादा और बुजुर्गों की जमीन थी, संवत् 2020 में नया सैटलमेंट हुआ तब से वह जमीन उसके खाते में रही। अब जब सीलिंग की मिसलों का फैसला होने आया तो उनके बूढ़े पुराने लोगों के बेटे पोतों, जो अब एक एक घर में 50-60 जीव हो गये हैं, को सीलिंग का नोटिस पहुंच रहा है, उनके खिलाफ सीलिंग की कार्यवाही की जा रही है और हमेशा उनके सिर पर तलवार लटकी रहती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो जमीन चोर था वह तो बच गया और जो वास्तव में जमीन का मालिक था, जमीन को जोतने वाला था, बपौती की जमीन जोत रहा था उसकी हालत खराब है। अगर किसी व्यक्ति के पास दो सौ बीघा जमीन थी और उसके 20 बेटे-पोते थे तो उसके पांती 10 बीघा जमीन आयेगी पर आज भी उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि इस तरह की हालत है।

सभापति महोदय, दूसरी बात जो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाय। उत्पादन अधिकतम सीमा तक बढ़ाया जाय और बिजली बोर्ड के कार्यक्रमों में सुधार लाया जाकर बिजली पहुंचायी जाये। सभापति महोदय, 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत नागौर जिले में गांव गांव में बिजली पहुंचाने के कार्यक्रम चल रहे हैं। उसके बारे में मेरा यही निवेदन है कि उसका लक्ष्य क्या था और एचीवमेन्ट कितना हुआ है? जो लक्ष्य थे वास्तव में उसका वन थर्ड भी एचीवमेंट नहीं हुआ है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो अचीवमेन्ट बताया है वह भी सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। वास्तव में उस लक्ष्य की पूर्ति....

श्री हरेन्द्र मिर्धा : उस लक्ष्य की पूर्ति हो गई है। × × × मत बोलिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप मत बोलिये।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि आपको यह मालूम नहीं है, ए सी. लाइन नहीं गई है। तार गये हैं, और तार भी ऐसे गये हैं....

श्री प्रद्युम्न सिंह : बिना खम्भों के तार कैसे चले गये?

श्री महाराम चौधरी : वह तो मण्डावा के चुनाव के अन्दर जिस तरह खम्भे, तार और रोल गये थे उस तरह वहां ट्रक में भर कर चले गये।

श्री सभापति : आप अपनी बात जल्दी समाप्त करें। केवल दो मिनट में समाप्त करें।

श्री महाराम चौधरी : बात तो बहुत लम्बी-चौड़ी है, दो मिनट में कैसे समाप्त हो सकती है? मेरी विशेष बात, जो पानी की समस्या के बारे में है, रह जायेगी। एक सूत्र यह है कि गांवों को पेयजल उपलब्ध

× × × शब्द माननीय-अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोदित किया गया।

(श्री महाराम चौधरी)

कराना है। मुझे मालूम नहीं है, मंत्री महोदय ने गांवों की समस्या, पानी की समस्या यह सब जानते हुए जो प्रयत्न किया है और जितना फण्ड लाने की कोशिश की है उसका उपयोग....

श्री भंवरलाल शर्मा : मक्खनबाजी मत करिये।

श्री महाराम चौधरी : आप सुनते जायें।

जिस गांव के लिए जिस तरह की योजना बनानी चाहिए उस योजना की जानकारी होते हुए उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है। गांवों के अन्दर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए गांवों की भौगोलिक स्थिति को देखें। गांवों की लम्बाई-चौड़ाई, रेगिस्तानी क्षेत्र के गांवों की लम्बाई-चौड़ाई वह स्वयं जानते हैं। अगर उस गांव के अन्दर एक पाइन्ट पर पानी उपलब्ध करा दिया है तो मैं समझता हूं कि 15 या 20 प्रतिशत से ज्यादा आदमी उससे लाभान्वित नहीं होंगे। अगर वह यह सही मानते हैं तो गांव के रहने वाले लोगों को इससे फायदा नहीं मिलेगा। मैं कई बार यह बात यहां कह चुका हूं कि जिन गांवों का रकबा बड़ा है, जिन गांवों में दूर-दूर तक पानी की व्यवस्था नहीं है उस गांव को समस्याग्रस्त मानें। आपका क्राइटेरिया भी यही है कि उस गांव को समस्याग्रस्त मानेंगे जिसमें 1.6 किलोमीटर के अन्दर पानी उपलब्ध नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : आप 1.6 किलोमीटर वाली बात कैसे ले आये ? यह आगे का लक्ष्य है, इस वक्त का लक्ष्य नहीं है। आप भूल-भुलैया में फंस गये हो। जैसा आप कह रहे हो उसमें कम से कम पचास लाख रुपये का खर्चा आयेगा। पूरे राजस्थान में आप ढाणियों की बात कहते हो। एक एक ढाणी में एक-एक हजार रुपये का खर्चा आयेगा जब कि कुल बजट इसका पचास करोड़ का है।

श्री महाराम चौधरी : आप घाटे की चिन्ता करते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : चिन्ता नहीं करता। साधन उपलब्ध होंगे तभी ढाणियों को लाभान्वित कर सकते हैं, वरना नहीं।

श्री महाराम चौधरी : मैं जो बात कह रहा हूं उसका तात्पर्य आप समझ गये और आप मानते हैं कि उसमें करोड़ों रुपये का खर्चा आयेगा। वहां के लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। शहरों में लोगों को लेट्रीन जाने के लिए तो आप दस-दस बाल्टियां पानी दे सकते हैं लेकिन गांव में रहने वाले लोगों, जो कृषि प्रधान हैं, कृषि की उपज बढ़ाते हैं, हिन्दुस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं, के लिए पैसा खर्च नहीं कर सकते। यह बड़े शर्म की बात है। अगर उनके लिए इन्तजाम नहीं कर सकते तो उनसे आप यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वह हमको सहयोग दें और हमारे साथ रहें।

सभापति महोदय, मैं पानी के सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहता हूं कि इस क्राइटेरिया के लिए एक जनरल सर्वे करवाया

(श्री महाराम चौधरी)

जाये और सर्वे करवाकर राजस्थान के ऐसे गांवों की लिस्ट बनाई जाये जिन गांवों के लोगों को तीन किलोमीटर के अन्दर पानी उपलब्ध नहीं होता। मैं यह नहीं कहता कि एक-एक किलोमीटर पर पानी उपलब्ध कराओ, आप एक पाइन्ट पर पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। यह इन्तजाम जब तक नहीं होगा तब तक वहां के लोगों को फायदा नहीं मिलेगा। आप एक-एक पाइंट पर पानी दिलवा रहे हैं वह भी पर्याप्त नहीं है। सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इन गांवों को प्राथमिकता दें। कई गांव ऐसे हैं जिनमें तालाब भी हैं लेकिन वस्तियों से दो किलोमीटर दूर और कई गांव ऐसे भी हैं जिनके अन्दर पानी कम से कम 100 फीट गहरा है या खारा है। ऐसे गांवों को प्राथमिकता देनी चाहिए, उनको पानी उपलब्ध कराना चाहिए।

श्री सभापति : आप समाप्त करें।

श्री महाराम चौधरी : मैं थोड़ा सा एकीकृत ग्रामीण विकास योजना और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। इसका बड़ा ढोल पीटा जाता है, बहुत तारीफ की जाती है। आप लोगों ने भी गांवों का दौरा किया है और हमने भी किया है और देखा है, वहां काम चलता रहता है। एक भी बैंक का आप नाम बता दें जहां मैनेजर गांव वालों से पैसा लिये बिना काम करता हो। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बगैर पैसा दिये-लिये न तो आर्थिक सहायता मिलती है और न ही ऋण मिलता है। यह आम बात हो गई है कि बार-बार वह लोगों को तंग करते हैं। आप उनको जो आर्थिक सहायता देना चाहते हैं वह उनको न मिल कर बैंक वालों को मिलती है।

सभापति महोदय, इस उपलब्धि की तारीफ की जाती है कि कानून-व्यवस्था राजस्थान के अंदर सही है और कोई घटना नहीं घटी। सभापति महोदय, इससे बड़ी घटना क्या घटेगी, एक भी थाने का नाम बता दें जिसके अन्दर दोनों पार्टियों से बगैर कुछ लिये एफ. आई. आर. दर्ज होती हो। आप चाहें तो सबका रिकार्ड मंगवा लें। प्रद्युम्न सिंह जी, आप ध्यान से सुन लें, शायद आपको मालूम होगा कि राजस्थान के अन्दर एक भी थाना ऐसा नहीं है, कम से कम मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बारे में मैं कह सकता हूं कि उसमें किसी भी थाने में कुछ लिए बिना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। रिपोर्ट बाद में दर्ज होती है....

श्री परसराम मदेरणा : नागौर जिले में बैंक वालों की और पुलिस वालों की बीमारी ज्यादा है।

श्री महाराम चौधरी : आप के सब जानते हुए भी गांवों के अन्दर यह होता है। आप फिर किस बात का घमण्ड करते हैं? आप किस बात की तारीफ कर रहे हैं?

श्री सभापति : समाप्त कीजिए।

श्री महाराम चौधरी : मैं समाप्त कर रहा हूं।

जितना भी निर्माण कार्य हो रहा है, चाहे आप राजस्थान नहर का निर्माण कार्य

(श्री महाराम चौधरी)

ले लीजिये चाहे आप कृषि मण्डियों के गोदामों का निर्माण कार्य ले लीजिए, चाहे सहकारी समितियों के गोदाम का निर्माण कार्य ले लीजिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि विशेषकर आपकी सहकारी समितियों के गोदामों का निर्माण का जो कार्य हुआ है उसके अन्दर एक भी गोदाम ठीक नहीं है। जो गोदाम निर्मित हुए हैं, कोई टेक्निकल आदमी उसका पर्दाफाश नहीं करेंगे। वह उसकी जांच नहीं करेंगे और जांच करेंगे तो उसकी रिपोर्ट नहीं देंगे। इन सबके अन्दर मेटीरियल, नींव की भराई, सब में इतना घोटाला है जिसका आप अन्दाजा नहीं लगा सकते। आज हालत यह हो रही है कि गोदामों पर लाखों रुपया खर्च कर दिया लेकिन सहकारी समिति ने न तो चार्ज में लिया है और न उसके उपयोग में आयेंगे। मैं समझता हूं कि वे चार्ज लेने के पहले पहले टूट कर नीचे गिर जायेंगे....

श्री परसराम मदेरणा : पूरी पार्टी का समय ले लिया है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : आपकी पार्टी का कुल समय 40 मिनट का है, उसमें से आप 20 मिनट से ज्यादा ले चुके हैं।

श्री महाराम चौधरी : मेरी पार्टी का जो समय बचा है उससे दूसरे माननीय सदस्य सन्तुष्ट हो जायेंगे।

सभापति महोदय, कृषि आदान पखवाड़ा मना करके आपने काश्तकारों को क्या दे दिया है। एक डुगडुगी बजाकर गांव के पास खड़े हो जाते हैं। पांच दस बच्चे आ जाते हैं। जितने काश्तकार नहीं होते हैं उनसे चार गुना तो मोटरों में भरकर आप के लोग खड़े हो जाते हैं और कोफ्ता, कचोरी खाकर आ जाते हैं। उनसे पूछें कि तुमने इस कृषि आदान पखवाड़े में काश्तकारों को क्या किया? और दिया तो काश्तकारों के पास कहां तक पहुंचा और किस तरह से उन्होंने अपनी पैदावार बढ़ाई। कृषि विभाग को सरकार ने जमीनें खरीद कर दीं, उनको संसाधन दिये, ट्यूबवैल दिये और पिछले बीस-पच्चीस सालों से हर जिले में और हर जगह पर कृषि फार्म बढ़ाये। वह कृषि फार्म सब घाटे में चले गये। आज किसी का का ट्रैक्टर पत्थरों पर खड़ा है, किसी का कुआं यों का यों पड़ा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह कृषि फार्म इस उद्देश्य से बनाये गये थे कि पड़ोस के काश्तकार देखेंगे कि इस तरह से खेती करके लाभप्रद होंगे उसकी देखा-देखी खेती करके वह भी लाभप्रद होंगे। लेकिन उन सभी कृषि फार्मों को, मैं समझता हूं, यह कृषि विभाग स्वयं ही खा गया। उसकी देखा-देखी कोई काश्तकार खेती कर ले तो मैं समझता हूं कि उसका जो एवरेज उत्पादन होता है उसका भी आधा नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि कृषि आहार पखवाड़ा मना करके कृषि विभाग ने उनको न तो कोई तकनीक दी है और न देने के लायक हैं। इसलिए इस तरह के ढोंग बंद कर दिये जायें जिससे काश्तकारों को किसी तरह का फायदा नहीं है।

श्री सभापति : समाप्त कीजिए आप।

(श्री सभापति)

आपका समय हो चुका है।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, इन्हीं बातों को कह कर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उससे कतई मेरी सहमति नहीं है। इस धन्यवाद प्रस्ताव को पास नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, इन्होंने एक तो दिया स्थगन प्रस्ताव कल और वह दिया फसल की क्षति हो गयी हैं उसके सम्बन्ध में। दूसरा, मुझे काल अटेन्शन नोटिस दिया है। मैं माननीय सदस्य की बात कह रहा हूं, इन दोनों के बारे में जो काल अटेन्शन नोटिस था और एडजार्नमेंट मोशन था उसको कितना सीरियसली ले रहे हैं माननीय सदस्य और विरोधपक्ष के माननीय सदस्य, हाउस के बिजनेस को डेफर कराके उसको पहले लेना चाहते थे लेकिन एक शब्द नहीं कहा।

श्री महाराम चौधरी : मैंने इसीलिए ही नहीं कहा है, जिसका मैंने नोटिस दिया है जब वह स्वीकृत हो जायेगा और इस विधान सभा में आयेगा तब कहूंगा। बाद के लिए रख रखा है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! कृपया आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, जो बात इन्होंने कही है....

श्री सभापति : वह तो आपकी बात पर बात कही है।

श्री सी० पी० जोशी।

श्री महाराम चौधरी : मैं तो चौबीसों घंटे ही जागता हूं....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : 8 मन बीघा के जौ पहले होते थे और आज 40 मन होते हैं यह कृषि की तकनीकी तरक्की नहीं है क्या ?

श्री महाराम चौधरी : आपके पास पहुंची क्या ? कितने काश्तकारों के पास पहुंची है यह तकनीकी ?

एक माननीय सदस्य : लाखों के पास !

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : केवल खेती के सिवाय मेरे पास, महाराम जी, कोई एक धेले का धन्धा हो कहीं भी तो आप जांच करा लो। एक बात।

दूसरी बात, मैं अपने खेत में 40 मन औसतन नहीं तो 45 मन और 50 मन बीघा करता हूं। पर 40 मन बीघा जौ और 45 से 52 बीघा जौ पैदा करता हूं मैं। मेरे खेत में जाकर देख आओ। यह केवल कृषि की तकनीक सरकार ने दी उसी आधार पर है। नहीं तो पुराने समय में तो वही 6–7 मन बीघा का करते थे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज

श्री महाराम चौधरी : आप की यह कोई तकनीक नहीं है। आपकी जानकारी है इसलिए कर रहे हैं। जैसी तकनीक आप जानते हैं, मैं समझता हूं, वैसी आम काश्तकार जानते हैं। इस कृषि विभाग की तक-

(श्री महाराम चौधरी)

नीक में कुछ नहीं है।

श्री सभापति : श्री सी० पी० जोशी।

श्री सी०पी० जोशी (नाथद्वारा) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मैं अपनी बात प्रारम्भ करना चाहता हूं इस बात से कि कल से राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस चल रही है। माननीय विरोध पक्ष की सांगानेर से आने वाली माननीय सदस्या, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य और प्रतापगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार रखे। उन विचारों को सुनने के बाद में इस नतीजे पर पहुंचा कि आखिर में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य इस अभिभाषण का विरोध क्यों कर रहे हैं। सभापति महोदय, जब मैं इस प्रश्न पर सोच रहा था तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो इस हिन्दुस्तान की राजनीति की है, की ओर मेरा ध्यान गया। मैं सदन का ध्यान भी उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, आपको मालूम होगा, सन् 1971 में एक ग्राण्ड एलायेन्स बनाया उन्होंने और वह ग्राण्ड एलायेन्स बनने के बाद....

एक माननीय सदस्य : वह तो फेल्योर गया। ग्रान्ट फेल हो गयी।

श्री सी० पी० जोशी : ....इनकी ग्रान्ट तो फेल्योर हो गयी लेकिन उस समय जो तथाकथित जनसंघ पार्टी के नेता था उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी की बैंक राष्ट्रीयकरण की नीति का विरोध किया था। उस नीति के बाद इस हिन्दुस्तान में चुनाव हुए और हिन्दुस्तान की जनता ने कांग्रेस पार्टी और देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी में विश्वास व्यक्त किया। उनका कुल मिलाकर सारा जो क्रिटिसिज्म था राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का उसके पीछे मंशा और अभिमन्शा इस बात की द्योतक थी, उनके मानसिक दृष्टिकोण की प्रतीक थी कि वह इस हिन्दुस्तान की महान् जनता में विश्वास नहीं रखते। उनका विश्वास नहीं रखना विशेष तौर पर सही भी है क्योंकि जिस तरह की उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, जो लोग उनकी राजनीतिक दृष्टि से हैल्प करते हैं वह उन बैंक के राष्ट्रीयकरण के पहले उन बैंकों का फायदा लेते थे। लेकिन इस देश की प्रधान मन्त्री और कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हिन्दुस्तान की जनता, महान् जनता के अंदर उनका विश्वास है और उनको वापस बैंक के पेमेन्ट करने की क्षमता है। इस आशा और विश्वास के बाद हिन्दुस्तान में सन् 1972 के बाद सामान्य जनता को लोन देने की स्थिति प्रारम्भ हुई। कल बीस सूत्री कार्यक्रम, सेल्फ एम्पलायमेन्ट, स्पेशल एन० आर० ई० पी०, स्काइट, ट्राइसम—इन सारी योजनाओं का जो विदुषी सदस्या ने क्रिटिसिज्म किया उसके पीछे उनके कहने का एक ही तात्पर्य था कि यह जो सामान्य जनता को लोन दिया जा रहा है वह वापस जनता नहीं दे पायेगी और जनता की गाढ़ी कमाई का जो बैंकों में पैसा जमा है उसका मिसयूज़ होगा।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना

(श्री सी० पी० जोशी)

चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और भूतपूर्व जनसंघ घटक की मंशा यह रही है कि हिन्दुस्तान में एक ट्रेडिंग कम्युनिटी पैदा हो। आज दिन तक सन् 1972 के पहले बैंक का फायदा उठाती थी केवल मात्र ट्रेडिंग कम्युनिटी। यह कांग्रेस पार्टी है जिसने उस ट्रेडिंग कम्युनिटी की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा और सामान्य जनता के अन्दर विश्वास रख करके उसके वैलफेयर के लिए सोशल स्कीम्स लागू की। इसलिए उनके मन में यह कटुता निश्चित तौर पर होना स्वभाविक भी है। बीस सूत्री जो कार्यक्रम है इस 20 सूत्री कार्यक्रम, जिसके आधार पर क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं, को, मान्यवर, समझने के लिए इस हिन्दुस्तान की राजनीति को दो दृष्टि से देखना पड़ेगा। एक राजनीति वह जो सन् 1947 से लगाकर सन् 1977 तक चली जिसमें राजस्थान में भैरोंसिंह शेखावत जैसे वक्ता पैदा हो गए। लेकिन सन् 1977 के बाद एक राजनीति बनी, हिन्दुस्तान की राजनीति में एक बदलाव आया वह राजनैतिक बदलाव यह है कि नारों के आधार पर कुछ वर्गों की भावनाओं को उभारकर साम्प्रदायिकता के आधार पर और जातिवाद के आधार पर राजनीति चलाई जाय। हिन्दुस्तान की वह राजनीति अब नहीं चल सकती। अब हिन्दुस्तान की राजनीति इस बात पर चलेगी कि कौन सा नेता अपनी जन समस्याओं के प्रति कितना सजग है। जन समस्याओं के साथ साथ हिन्दुस्तान की बहुत बड़ी जनता नार्थ से लगाकर साउथ ईस्ट से लगाकर वेस्ट सम्पूर्ण भारत के अन्दर रहने वाले भारतीय लोगों के अपलिफ्टमेन्ट के लिए क्या प्रोग्राम लागू कर सकते हैं। जिस नेता के अन्दर यह क्षमता और गुण होंगे वह नेतागिरी कर सकता है।

कुछ समय पहले सन् 1952 से लगाकर सन् 1977 तक विरोधी दल के नेता क्रिटिसिज्म करते थे कि सड़क नहीं बनी, अस्पताल नहीं बना, बिजली की व्यवस्था नहीं की। श्रीमन्, हमें कहते हुए गर्व है कि पहले राजस्थान की स्थिति जो थी, सन् 1947 से लगाकर आज दिन तक जो कांग्रेस पार्टी का शासन रहा उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन आया। चाहे बिजली की बात करें, चाहे मदरसे की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें और चाहे सिंचाई सुविधाओं की बात करें, इन सबमें आमूलचूल परिवर्तन कांग्रेस पार्टी ने किया और एक कीर्तिमान स्थापित किया। लेकिन 30 साल की इस राजनीति के बाद कांग्रेस पार्टी की नेता और इस देश की प्रधान मंत्री ने देखा कि गरीब और अमीर के बीच की खाई है वह कम होने के बनिस्बत बढ़ी है इसलिए सन् 1980 में जो भारतीय जनता ने कांग्रेस पार्टी को विश्वास दिया, श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यक्रम में आमूलचूल परिवर्तन किया है। वह आमूलचूल परिवर्तन यह किया है, हमने किसी गांव में, किसी विधान सभा क्षेत्र में यह बात नहीं की कि हम स्कूल खुलवायेंगे, अस्पताल खुलवायेंगे, या नहीं खुलवायेंगे। आवश्यकता इस बात की है, उस इलाके में रहने वाली सामान्य जनता में गरीबी की रेखा से नीचे जो रहता है जब

(श्री सी० पी० जोशी)

तक उसकी माली हालत में परिवर्तन नहीं होगा तब तक वोटों के आधार पर व्यक्त सारी आकांक्षायें और अपेक्षायें बेकार हो जायेंगी। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि इस देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बीस सूत्री कार्यक्रम दिया है वह एक कार्यक्रम नहीं है, श्रीमन् सोशियो इकानामिक अपलिफ्टमेंट का कार्यक्रम है। जितने विरोधी दल के नेता हैं यदि हिन्दुस्तान में उनको राजनीति करनी है तो उनको समझना पड़ेगा कि इस बीस सूत्री कार्यक्रम का सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण क्या है। मान्यवर, जो विरोधी दल के नेता हैं, जब तक आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को नहीं समझेंगे तब तक वे हिन्दुस्तान में विरोध के नाम पर विरोध नहीं कर सकते हैं। तीन दिन के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद में आप देखेंगे कि 25 साल या 30 साल तक जैसा आप विरोध कर रहे थे कि कांग्रेस का अमुक नेता भ्रष्ट है, अमुक जगह यह काम नहीं हुआ, अब इस तरह से काम नहीं चलेगा। मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं, इस बीस सूत्री कार्यक्रम के पीछे आर्थिक दृष्टिकोण क्या है जब तक यह यह कोई समझेगा नहीं तब तक इस बारे में क्रिटिसिज्म भी नहीं कर पायेगा।

बीस सूत्री कार्यक्रम में मोटे रूप से दो कार्यक्रम है ,एक कार्यक्रम है इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करके हम एरिया डवलपमेंट करना चाहते हैं। दूसरा कार्यक्रम है जिसमें हम इण्डिविजुअल को बेनिफिट देना चाहते हैं, व्यक्ति को लाभान्वित करना चाहते हैं। उस दृष्टि से देखें तो राजस्थान हिन्दुस्तान में ट्वन्टी पाइन्ट प्रोग्राम के इम्पलीमेंटेशन में दूसरे नम्बर पर है। यह मेरे आंकड़े नहीं है, हिन्दुस्तान का प्लानिंग कमीशन इस बात को कहता है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री और राजस्थान के मंत्री मण्डल द्वारा बीस सूत्री कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति करने के कारण राजस्थान हिन्दुस्तान में दूसरे नम्बर पर रहा है। हमको कोई न कोई मापदण्ड मानना पड़ेगा। यही एक मापदण्ड है कि वस्तु स्थिति की उपलब्धता के आधार पर राजस्थान मंत्री मण्डल के सदस्यों और मुख्य मंत्री ने मिलकर इस बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त की है। लेकिन जो लोग क्रिटिसिज्म करते हैं उनको यह बात भी मालूम नहीं है कि बीस सूत्री कार्यक्रम क्या है। क्या विरोधी दल के नेता ने या किसी सदस्य ने यह बात कही है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर यह हो रहा है या नहीं हो रहा है। उनको बीस सूत्री कार्यक्रम से मतलब नहीं है। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का चयन करना है। मैं पूछना चाहता हूं क्या किसी विरोधी दल के नेता ने यह बात कही है कि अमुक गांव की ग्राम सभा में गलत आदमी का चयन हो गया? उनको इस बात के लिये फुरसत नहीं है। अब बीस सूत्री कार्यक्रम के आधार पर नेतागिरी करने वाले आदमियों को अपने फील्ड में जाकर काम करना पड़ेगा और तय करना पड़ेगा कि वास्तव में गांव में सही आदमी का चयन हुआ है या नहीं हुआ है। किस आदमी को बेनिफिट हो रहा है, किस

(श्री सी० पी० जोशी)

को बक का लोन मिला या नहीं मिला, यह जानकारी करने वाला आदमी होगा तो बीस सूत्री कार्यक्रम का क्रिटिसिज्म कर पायेगा। माननीय सभापति महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस राजस्थान विधान सभा की जितनी कमेटीज बनी हुई हैं उसमें 90 प्रतिशत आदमी मौजूद रहते हैं, विपक्ष के सदस्य मौजूद रहते हैं। ये कम से कम 20 से 25 दिन तक जयपुर में बैठे रहते हैं और कमेटी के अन्दर प्रतिदिन 51 रुपये कमाते हैं। इन आदमियों को क्या मतलब बीस सूत्री कार्यक्रम में पंचायत समिति में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ...

(व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्यवीर : आपकी जानकारी में नहीं है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। डिस्टर्ब न करें। बोलने दीजिये उन्हें।

श्री दाऊदयाल जोशी : कोटा जिले के बीस सूत्री कार्यक्रम के प्रभारी श्री रामकिशन वर्मा हैं....

एक माननीय सदस्य : वर्मा हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक भी बीस सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग को अटेन्ड नहीं किया।

(व्यवधान)

दूसरे प्रभारी वृज सुन्दर शर्मा हैं। उन्होंने भी आज तक एक मीटिंग अटेन्ड की थी....

श्री सभापति : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर। श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी : श्री दाऊदयाल जोशी, राज्य विधान सभा के सदस्य, कोटा से आये हैं मैं इनको चैलेन्ज के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कोटा से आने वाले सदस्य उदयपुर में मेरे विधान सभा क्षेत्र में थे, सन् 1980 में हम 1700 वोटों से जीते हैं लेकिन इस चुनाव में हम 3300 वोटों से जीते हैं। हमने काम किया है....

(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, कुछ बातें कड़वी होती हैं। कुछ आदमियों को खाली भाषण देने की आदत होती है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री सी० पी० जोशी : माननीय सभापति महोदय, यह बात इसलिए कह रहा हूं, राजस्थान विधान सभा सचिवालय के अन्दर कितने आदमी कमेटी अटैण्ड करते हैं, उसका रजिस्टर मेनटेन किया हुआ है, कितने आदमियों ने प्रति दिन 51 रुपये उठाये हैं, इसका रजिस्टर रखा हुआ है। आप रजिस्टर उठा कर देख लीजिये उसमें हमारे नाम कम होंगे लेकिन विरोध पक्ष के

(श्री सी० पी० जोशी)

90 प्रतिशत आदमी 20 से 25 दिन तक यहां कमेटी अटेण्ड करते हैं। जो आदमी जयपुर में कमेटी अटेण्ड करता है, उसको यह मालूम नहीं हो सकता कि पंचायत समिति के अन्दर, ग्राम सभा के अन्दर आई. आर. डी. पी. में परिवार का चयन होता है या नहीं होता है। वे किस आधार पर काम करना चाहते हैं, जिनको वह बात मालूम नहीं ? सभापति महोदय, हैण्ड पम्प किस जगह लगने चाहिए, हैण्ड पम्प लगाने की जो एजेन्सी है, जिला परिषद से एप्रूव होने के बाद पंचायत का सरपंच उसको सर्टीफाई करता है अमुक जगह हैण्ड पंप लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। जयपुर में बैठने वाले विरोधी दल के नेता को मालूम नहीं कि किस जगह हैण्ड पम्प लगना चाहिए....

श्री बालचन्द आर्यवीर : जिनके पास खेती की जमीन नहीं होती वे क्या करेंगे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर।

श्री सी० पी० जोशी : माननीय सभापति महोदय, मुझे तो खुशी होती कोटा से आने वाले माननीय सदस्य, विरोध पक्ष के एम. एल. ए. सदन में यह बताते कि बीस सूत्री कार्यक्रम को इम्पलीमेंट करने में हमारे विधान सभा क्षेत्र में अमुक-अमुक पचायत समिति ने यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किये। लेकिन यह काम नहीं करना चाहते हैं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। कृपया बोलने दीजिये। व्यवधान नहीं डालें। माननीय सदस्य, बैठ जायें। Please take your Seat.

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, एक स्पष्टीकरण चाहती हूं। आप के माध्यम से पूछना चाहती हूं कि यह नये बीस सूत्री कार्यक्रम के बारे में कह रहे हैं या पुराने बीस सूत्री कार्यक्रम के बारे में कह रहे हैं ? पुराने कहां गये, जरा मुझ को बता दें ?

श्री सभापति : इनको बोलने दीजिये। यह बता देंगे। आप विराजें।

(व्यवधान)

इस प्रकार व्यवधान न डालें। बोलने दीजिये उनको।

श्री दाऊदयाल जोशी : सूत्र नं० 3 में एक रुपये का काम नहीं हुआ।

श्री सभापति : उन्हें बोलने दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : पहले जिसको बीस सूत्री कार्यक्रम कहते थे....

(व्यवधान)

माननीय सदस्या ने प्रश्न उठाया है इस लिए मैं कह रहा हूं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : 20 सूत्र हैं। या 20 संकल्प हैं, मेरी समझ में नहीं आता। पुराने 20 संकल्प, नये 20 संकल्प, 12 सूत्र, 5 सूत्र, कितनी गिनती है, गिन कर बता दें।

श्री सभापति : आपकी बात सुन ली। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री परसराम मदेरणा : बहुत से तो कामन हैं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : पहले वाले क्या खतम हो गये या चालीस हो गये ?

श्री परसराम मदेरणा : आपका अन्त्योदय कहां गया ?

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, 20 तथा 20 फिर 40 के बारे में बात क्यों नहीं करते ? 20 के बारे में क्यों बात करते हैं ? 20 फिर हो गये, फिर 60 के बारे में बात क्यों नहीं करते। फिर 12 72 के बारे में बात क्यों नहीं करते ? 5 और हैं। फिर 77 के बारे में बात क्यों नहीं करते ?

श्री सभापति : आप भाषण शुरू नहीं करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : कल जो सूत्र नं० 3 की जानकारी मिली है जिसमें बताया है ...

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह वाद विवाद का सामान्य नियम है, सभापति महोदय, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, व्यवधान नहीं कर सकते।

श्री सभापति : आपका कहना सही है, कोई व्यवधान नहीं डाल सकता।

(व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्यवीर : आप कौन से नियम में बोल रहे हैं।

श्री सभापति : कृपया आप स्थान ग्रहण करें।

श्री सी० पी० जोशी।

श्री सी० पी० जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैं तो इस बात को जानता था जब मैं सत्य का वर्णन करूंगा तो जिन लोगों का लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास नहीं है वह इस तरह का वातावरण बनायेंगे इस सदन में। वह इस तरह का हिन्दुस्तान में वातावरण पैदा करना चाहते हैं जिससे सामान्य आदमी को हकीकत मालूम नहीं हो। माननीय सभापति महोदय, मैं इनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस बात के हिस्टारिक फैक्ट्स के ऊपर, सन् 1977 के अन्दर हिन्दुस्तान की जनता ने सम्पूर्ण भारत में इन्दिरा गांधी को, कांग्रेस पार्टी को नहीं नकारा था। यह किस बात पर अपने आप पर गर्व करते हैं। जब सन् 1980 के अन्दर सम्पूर्ण भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक अमीर से लेकर गरीब तक हर जाति और वर्ग के लोगों ने श्रीमती इन्दिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया हमें इस बात पर गर्व है, राज्य को बढ़ाने में, राज्य की उन्नति करने की, जितना काम करने की तमन्ना कांग्रेस पार्टी के नेताओं में है उतनी इनकी पार्टी के लोगों में नहीं है। इनकी अपनी राजनीति इस बात की रही है कि कभी गाय की पूंछ पकड़ ला, कभी

(श्री सी० पी० जोशी)

दूसरी बात करली, कभी जयप्रकाश का नेतृत्व स्वीकार कर लिया....

श्री बालचन्द आर्यवीर : अब आपके साथ ऐसा होने वाला है....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। कृपया व्यवधान न डालें।

श्री सी० पी० जोशी : माननीय सभापति महोदय, इनको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं अपनी बात तर्क के आधार पर कहना चाहता हूं।

जिस पार्टी का कोई आर्थिक कार्यक्रम न हो उस पार्टी के आदमी किसी भी आर्थिक कार्यक्रम को सफल होता देखना नहीं चाहते।

वह जानते हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम की सफलता का मतलब इस हिन्दुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाना है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, हिन्दुस्तान में होने वाले चुनाव इस बात के द्योतक हैं। जम्मू-कश्मीर में क्या हुआ, आज दिल्ली में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ....

(व्यवधान)

मैं कहना चाहता हूं कि होने वाले चुनाव के अन्दर हिन्दुस्तान के अन्दर क्या होने वाला है, इसका खामियाजा किसी को भुगतना पड़ेगा तो वह भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा जो कभी गाय की पूंछ के नाम पर, कभी चर्बी के नाम पर कभी गंगा जल के नाम पर राजनीति करना चाहती हैं। इनका कोई आर्थिक दृष्टिकोण नहीं, कोई राजनैतिक दृष्टिकोण नहीं।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि जो लोग यह कहते हैं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कुछ नहीं है, मैं उनको एक बात और याद दिलाना चाहता हूं कि यह फैक्ट है, आप रिकार्ड पर देख लें, जब हम विधान सभा के सदस्य बन कर आये थे तब राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल महोदय श्रीमान् रघुकुल तिलक के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा था तब माननीय विरोधी दल के नेता श्री भैरोंसिंह शेखावत ने एक पाइन्ट आफ आर्डर उठाया था, उस पाइन्ट आफ ऑर्डर में यह कहा था कि इस राज्यपाल के अभिभाषण में कोई भी चीज नहीं लिखी हुई है, इसलिए इस अभिभाषण को निरस्त किया जाय। यह रिकार्ड पर है। उस समय मैंने भी डिबेट में भाग लिया था और माननीय परसरामजी मदेरणा ने भी भाग लिया था। हमने कहा था कि इसमें लिखा हुआ है कि छठी पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम के आधार पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य है हिन्दुस्तान का, उसके आधार पर हम राजस्थान में आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रमों को लागू करना चाहते हैं। यह बात इस राजस्थान विधान सभा के रिकार्ड में दर्ज है। उस समय भी हमने कहा था, तब भी विरोधी दल के नेता ने कहा था कि राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ भी नहीं है। इसलिए, मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि इस पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा कि

(श्री सी० पी० जोशी)

सन् 1952 से लगाकर 1977 तक हिन्दुस्तान की राजनीति में राजस्थान में माननीय भैरोंसिहजी जैसे पार्लियामेंटेरियन पैदा हो गये लेकिन अब जो राजनीति चल रही है हिन्दुस्तान की, पोस्ट 80, 80 के बाद की उसमें इस सदन में बैठने वाले कोई भी सदस्य के मन में भैरोंसिहजी की जगह नहीं है इसलिए इनके मन में तड़पन है, तड़पन होनी भी चाहिए क्योंकि नारों के आधार पर राजनीति चल नहीं सकती है। किसी आदमी को हेकल करके और पोलिटिकली पुली जमा कर इस हिन्दुस्तान की राजनीति में कोई आदमी आगे नहीं आ सकता है। अब हिन्दुस्तान की राजनीति में वही आदमी आगे होगा, हमें यह कहते हुए गर्व है, जो आदमी जनता की सामान्य समस्याओं से जुड़ा हुआ हो, जो उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयत्नशील हो। जिस पार्टी के पास राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का कार्यक्रम है, वही हिन्दुस्तान में राजनीति कर सकती है। इन लोगों के पास कुछ नहीं है। केवल मात्र एक एडोलसेन्ट भावनाओं को उभार कर, उन भावनाओं के आधार पर हिन्दुस्तान की राजनीति करने वालों को पोस्ट 80 की राजनीति को समझना पड़ेगा। इसलिए, मान्यवर, मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य न तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का किसी प्रकार विश्लेषण कर सकते हैं और न ही किसी आदमी के सत्य को सुनने का इनमें साहस है। इनकी तो एक टेक्निक है कि किसी तरह एक हौआ खड़ा करें, एक वातावरण बनायें। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से आज हमारा जो प्रेस है वह पोलिटिकल नीड को कन्ट्रीब्यूट करने के लिए आगे नहीं आता है। वह नेगेटिव चीज को हाई लाईट करता है। आज जो कुछ भी स्थिति हमारी विधान सभा में दिन में हुई उसकी कल अखबारों में बहुत बड़ी खबर आयेगी। लेकिन जो पजिटिव बात विधान सभा में कहेगा प्रेस उसको कवर नहीं करेगा। दुर्भाग्य से और सौभाग्य से प्रेस की कनाइवेन्स ही इस तरह की होती जा रही है कि नेगेटिव वातावरण में भागीदार होने वाले आदमी इस हिन्दुस्तान के वातावरण को खराब करते रहें और सामान्य जनता के मामले में दखल करते रहें। मान्यवर, मैं इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार कहना चाहता हूं कि सन् 80, 81, 82 83 के बाद 20 सूत्री कार्यक्रम के आधार पर राजस्थान के सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के अन्दर जो कुछ हमने लक्ष्य प्राप्त किये, वित्तीय साधनों की कठिनाई के बाद वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। इस सम्बन्ध में मेरे अपने कुछ सुझाव हैं। वे सुझाव मैं इसलिए देना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, लोगों की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं, इस डेमोक्रेसी के माध्यम से, इस लोकतन्त्र के माध्यम से यदि हम उन आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पायेंगे तो इसका अर्थ होगा कि इस सदन के सदस्य के रूप में और मन्त्री मण्डल के सदस्य के रूप में हम देश में होने वाले परिवर्तन को नहीं समझ पा रहे हैं।

आज हिन्दुस्तान में आन्ध्र प्रदेश के अन्दर एन० टी० रामाराव की जीत का

(श्री सी० पी० जोशी)

मतलब कांग्रेस की हार नहीं है। यह उन सभी पार्टियों की हार है जो 30 साल से हिन्दुस्तान में राजनीति करना चाहती हैं। कांग्रेस तो फिर भी वहां जिन्दा रहेगी लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी को कितनी सीट मिली है, लोक दल को कितनी सीट मिली है? आन्ध्र प्रदेश के चुनाव के रिजल्ट इस बात के परिचायक हैं कि हिन्दुस्तान की राजनीति में यह जो पार्टी हैं वह इर्रेलेवेंट होंगी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम के आधार पर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का जो एक कार्यक्रम हाथ में लिया है वह निश्चित रूप से आने वाले वक्त में इस हिन्दुस्तान की कायाकल्प करने का एक साधन होगा। इसलिए, मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि इस 20 सूत्री कार्यक्रम में एक कार्यक्रम तो वह है कि जितना हम इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करें, एरिया का डवलपमेंट करें और दूसरा कार्यक्रम है जिसमें व्यक्ति का भला हो, इन्डिविजुअल का बेनिफिट हो। उस आधार पर कहना चाहता हूं, मान्यवर, राजस्थान की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है लेकिन जो कुछ हमने लक्ष्य प्राप्त किये वे निश्चित रूप से प्रशंसनीय हैं। सूत्र नं० 1 में अधिक सिंचाई के साधन में जहां हमने लक्ष्य प्राप्त किये वहां राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि राजस्थान नहर को इन्होंने पूरा किया। मान्यवर, मेरा कहने का एक ही मतलब है, आप राजस्थान नहर को पूरा करें, जाखम प्रोजेक्ट को हम पूरा करें, माही के प्रोजेक्ट को पूरा करें, इस आधार पर निश्चित रूप से कृषि भूमि अधिक सिंचित होगी। लेकिन मान्यवर, इस सूत्र के पीछे मंशा यह है कि जो अन-इर्रिगेटेड भूमि पड़ी हुई है जिन इलाकों में, उन इलाकों के लिए भी हम छोटे-छोटे प्लान बनायें और उन लोगों को भी इर्रिगेशन की अधिक सुविधा उपलब्ध करावें। मैं चाहूंगा कि छठी पंचवर्षीय योजना में निश्चित तौर से जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, उनको कम्पलीट कर लें, उनको कम्पलीट करना चाहिये जिससे हमारी इर्रिगेशन फेसिलिटी बढ़ेगी लेकिन हम सातवीं पंचवर्षीय योजना का आधार भी इसे बनायें। हमारे मुख्य मन्त्री जी ने जो एक प्लान बनाया है, जो इर्रिगेशन का प्लान बनाने की सोची है, उसे आधार बना कर इस राजस्थान के सम्पूर्ण भू-भाग में छोटे छोटे एनीकट्स बनाने की बात है। जहां डाइरेक्ट-इनडाइरेक्ट कुओं में सेजा होता है वहां इस तरह के एनीकट के निर्माण की बात है। लघु और मध्यम सिंचाई योजनाओं से इर्रिगेशन की सुविधा हो, इस तरह की प्राथमिकता हमें निर्धारित करनी चाहिये। नहीं तो एक तरह का हेटरोजीनस डवलपमेंट इस राजस्थान के अन्दर हो रहा है। 54 करोड़ की राजस्थान केनाल पूरी हो जानी चाहिए थी, आज हम 650 करोड़ खर्च कर चुके हैं। माननीय चन्दन मलजी इस बात को जानते हैं कि राजस्थान की जनता का टैक्स का 650 करोड़ रुपया, 400 करोड़ रुपया हम खर्च कर चुके हैं। इतना पैसा हम राजस्थान केनाल को कम्पलीट करने के अन्दर करें तो निश्चित तौर से राजस्थान केनाल के लोगों का भला होगा और उसके आधार पर लोगों को पीने के

(श्री सी० पी० जोशी)

पानी और खेती के लिए पानी की सुविधा मिलेगी लेकिन उसके आधार पर 400 करोड़ रुपये से सोशल वेलफेयर के दूसरे मेजर जो जोधपुर, उदयपुर और दूसरे भागों में ले सकते हैं वह नहीं हो पा रहे हैं। इस लिये हम चाहते हैं इस बात को एक स्टेज पर हमको सोचना पड़ेगा कि राजस्थान के टैक्स पेयर का 400 करोड़ रुपया राजस्थान केनाल को मिला है वह आने वाले पांच साल, दस साल में रिटर्न के रूप में हमें वापस मिले और उस पैसे का उपयोग हम ट्राइबल एरिया डवलपमेंट उदयपुर के अन्दर करें, डेजर्ट डवलपमेंट जोधपुर के अन्दर करें तब जाकर राजस्थान में हम एक समुचित विकास की जो प्रक्रिया है उसको आगे कर पायेंगे।

श्रीमन्, मेरा एक और निवेदन है कि जो पिछड़े को पहले का कार्यक्रम है जिसमें ग्राम सभा के आधार पर 700 रुपये पर मंथ की इन्कम के आधार पर लोगों का सलेक्शन किया है उसमें मेरा एक निवेदन है, माननीय मंत्री महोदय इस बात को जानते हैं कि कुछ आदिवासी भाई, जिन्होंने आज से 15 साल, 20 साल पहले सहकारी समितियों से लोन लिया और व्यवस्थापक को लोन दे भी दिया लेकिन व्यवस्थापक ने वह लोन खाते में जमा नहीं किया इसलिये उनको बेनिफिट नहीं हो रहा है। इसलिये हम चाहते हैं या तो ऐसे सभी लोगों का लोन माफ कर दिया जाय और उनको भी इस स्कीम के अन्दर बेनिफिट लेने का अवसर दिया जाय, अन्यथा दो वर्ग बन गये है, एक वर्ग तो वह जिन्होंने कभी कोआपरेटिव से लोन लिया वे आई.आर.डी.पी. की स्कीम में बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं और दूसरे पिछड़े लोग हैं वे उसमें बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन हमारे आदिवासी अनपढ़, अज्ञान है, उस व्यवस्थापक ने केवल मात्र सारे पैसे को अपने पास लेकर एक स्थिति पैदा कर दी है कि वह रिकार्ड में आज भी जमा नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि पिछड़े को पहले के कार्यक्रम में इस तरह की स्थिति है उसको समझा जाय।

मान्यवर, कृषि मजदूरी पूरी-पूरी के बारे में मुझे एक ही बात कहनी है, भारत सरकार ने 100 करोड़ का आउट-ले लिया है 83-84 में, वह आने वाले वर्षों में 400 करोड़ का आउट-ले करने जा रहे हैं। 400 करोड़ रुपये में से निश्चित तौर से इस राजस्थान को 25–30 करोड़ रुपया मिलेगा। हमारे राजस्थान के मंत्री मण्डल के सदस्यों ने निश्चित तौर से पंचायत के हैडक्वार्टर को जोड़ने के लिये आर. एल. ई जी पी. की स्कीम लागू की है; अच्छी बात है लेकिन मैं एक बात बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि लैण्ड लैस जितने आदमी हैं उनका आइडेन्टिफिकेशन हमको करना पड़ेगा। जब तक हम लैण्ड लैस का आइडेन्टिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक उनकी स्थिति इस तरह की बन जायगी कि जिन लोगों के पास भूमि ज्यादा है, अब लैण्ड लैस की डेफिनेशन भी, माननीय सभा पति महोदय, वेरी करती है अलग-अलग स्थान पर। लैण्ड लैस की रेवेन्यू में क्या स्थिति है, दूसरी जगह क्या स्थिति है इसलिए हम आपरेशन ली डिसाइड करलें कि हम लैण्ड

(श्री सी० पी० जोशी)

लैस किसको मानते हैं जिसको हम ग्रापरेशनली डिफाइन करने के बाद लैण्ड लैस मानेंगे, ऐसे ग्रादमियों को एम्पलोय करके अब निश्चित तौर पंचायतों से जोड़ना है सड़क से, सड़क पक्की बनानी है, या ग्रौर हमको दूसरे जो कार्यक्रम करने है वे कार्यक्रम हम साथ में कर सकेंगे ग्रन्यथा यह 400 करोड़ का जो 25 करोड़ रुपया राजस्थान को मिलने वाला है उसका सही ढंग से उपयोग नहीं हो पायेगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि निश्चित तौर पर पैसे के सदुपयोग के लिये कृषि मजदूरी पूरी-पूरी मिले, इसके लिये ग्रावश्यक है कि हम लैण्ड लैस लेबर को ग्राइडेन्टिफाई करें।

मान्यवर, पीने के पानी की जहां तक समस्या का सवाल है मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। भारत सरकार स्वयं ने राजस्थान के इम्पलीमेन्टेशन के प्रोग्राम को देखकर हमको ग्रनुदान राशि दी है, ग्रनुग्रह राशि दी है इस बात के लिये कि राजस्थान इस मामले में ग्रागे है। मुझे इस सम्बन्ध में दो ही निवेदन करने हैं। रेवेन्यू विलेज को जो हमने एरिड यूनिट माना है, उस रेवेन्यू विलेज के यूनिट मानने से एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। हमारे यहां उदयपुर जिले में एक रेवेन्यू विलेज है गांवगुढ़ा। उस रेवेन्यू विलेज की 12 भागलें हैं ग्रौर वह 12 भागलें पंचायत से 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर की दूरी पर हैं। जनता जो गांवगुढ़ा में रहती है उस गांवगुढ़ा की जनता को हमने पीने के पानी की योजना से, जल योजना से जोड़ दिया लेकिन दो तिहाई जनता जो भागलों में रहती है वह सब ग्राज पीने के पानी से वंचित है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से चाहूंगा कि रेवेन्यू विलेज को यूनिट मानकर जो हम हैण्डपम्प दे रहे हैं....

श्री परसराम मदेरणा : ग्रागे सिक्स्थ प्लान में सब कवर किये जायेंगे।

श्री सी. पी. जोशी : मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि सिक्स्थ प्लान तक यह स्थिति है लेकिन मैं चाहूंगा कि सिक्स्थ प्लान के बीच में कुछ पैसा सेव करके ऐसे रेवेन्यू विलेज की भागलें, जो 3–4 किलोमीटर दूर रही हैं ग्रौर जो योजना में कवर हो चुकी हैं, को भी हैण्डपम्प की सुविधा दी जानी चाहिए जिससे पानी लोगों को मिल सके। ग्रन्यथा गवर्नमेन्ट रिकार्ड के ग्रन्दर तो वह विलेज कवर हो गया लेकिन उसकी जो जनसंख्या है उसको पीने का पानी नहीं मिल पाया।

सूत्र नम्बर सात में हरिजन गिरिजन विकास के सम्बन्ध में मुझे एक ही निवेदन करना है, मान्यवर, जो ग्रोवरलिपिंग है इसकी स्थिति ग्रभी तक क्लियर नहीं है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इसको क्लियर किया जाय कि जो इस ग्राई.ग्रार.डी. पी. में लोगों का चयन कर रहे हैं उन लोगों के चयन के ग्रलावा हरिजन गिरिजन से बचे हुए लोगों को बेनिफिट देना है या नहीं देना है। जो हमारे यहां ट्राइबल एरिया डवलपमेन्ट की स्कीम चल रही है, टाडा के टार्गेट ग्रलग हैं माडा के टार्गेट्स ग्रलग हैं लेकिन नाथद्वारा ग्रौर गोगुन्दा में रहने वाले ग्रादिवासियों को इण्डिविजुग्रल के एडवांटेज इसीलिए मिल रहे हैं कि वह

(97)

(श्री सी० पी० जोशी)

न तो टाडा की स्कीम में कवर होते हैं और न माडा की स्कीम में कवर होते हैं। इसलिए हम चाहते है कि इस स्कीम के अन्दर गोगुन्दा और नाथद्वारा के आस-पास के रहने वाले जो आदिवासी भाई हैं उनको इसका बेनीफिट मिले और जैसी भारत सरकार की मन्शा है, आई. आर. डी के अलावा जो प्रोग्राम बचते हैं उन प्रोग्रामों में लोगों को कवर किया जाय। मैं चाहता हूं कि इस स्थिति को भी क्लियर किया जाय। इस सम्बन्ध में एक अनुरोध और करना है कि राजस्थान सरकार ने और भारत सरकार ने शिड्यूल्ड कास्ट्स कम्पोनेन्ट प्लान बनाया। अब शिडयूल्ड कास्ट्स कम्पोनेन्ट प्लान की जो स्थिति है, मान्यवर, मैं उस बारे में एक ही सुझाव देना चाहता हूं कि टोटल मनी के एलोकेशन में शिड्यूल्ड कास्ट्स बेनीफिट हों उसी को आधार मानकर हमने कम्पोनेन्ट प्लान को इम्प्लीमेन्ट मानने की स्थिति मान ली तो, श्रीमन्, यह उनके साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स कम्पोनेन्ट प्लान का मतलब यह होना चाहिए कि जिस तरह से ट्राइबल एरिया डवलपमेन्ट के अन्दर हमने ईरिगेशन, एजुकेशन, हैल्थ सब के लिए अलग अलग हैड बनाकर बजट एलोकेशन किया है ठीक उसी प्रकार शिड्यूल्ड कास्ट्स कम्पोनेन्ट प्लान के अन्दर भी अलग-अलग हैड बनाकर हम पैसे को एलोकेट करें और उस पैसे का उपयोग हो तब तो सही मायने में शिड्यूल्ड कास्ट्स कम्पोनेन्ट प्लान का उपयोग होगा अन्यथा टोटल स्कीम में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को जो बेनिफिट हो रहे हैं उसी को हम आधार मानेंगे तो शिड्यूल्ड कास्ट्स कम्पोनेन्ट प्लान की स्थिति ठीक नहीं हो पायेगी।

मान्यवर, गंदी बस्ती के सुधार के कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी तक हमने केवल मात्र जो बड़े शहर हैं उन्हीं को लिया है। राजस्थान में जो छोटी और बड़ी म्यूनिसिपेलिटीज हैं उन म्यूनिसिपेलिटीज को बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर हम नहीं जोड़ेंगे तो गंदी बस्ती सुधार का यह कार्यक्रम लागू नहीं होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि छोटी म्यूनिसिपेलिटीज जैसे हमारे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में 7-7 म्यूनिसिपेलिटीज हैं। उदयपुर के अलावा उसी तरह से राजस्थान की जो दूसरी म्यूनिसिपेलिटीज हैं उन म्यूनिसिपेलिटीज में बसी गन्दी बस्ती के लोगों को भी यह सुविधा मिलनी चाहिए और इसको लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

मान्यवर, "सब साक्षर कार्यक्रम" के अन्दर मुझे एक बात निश्चत तौर से कहनी है। सब साक्षर कार्यक्रम के अन्दर जुलाई महीने में हिन्दुस्तान में और खासकर राजस्थान में मां बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। एनरोलमेंट जुलाई-अगस्त महीने में जो हो जाता है, होने वाले उस एनरोलमेंट में ड्राप आउट शुरू होता है। यह एक साइंटिफिक फैक्ट है और मई में जो लास्ट एकेडमिक डे है उस दिन एनरोलमेंट कम होता है। यह हर डवलपिंग कन्ट्री के रिसर्च की एक फाइंडिंग है। लेकिन पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कि जुलाई महीने का जो एनरोलमेन्ट हुआ और मई में जो

(श्री सी० पी० जोशी)

लास्ट वर्किंग डे है उसके एनरोलमेन्ट में जो इफैक्टिव स्ट्रेन्थ है उन दोनों को हम सब्सट्रेक्ट करें तो मैं समझता हूं कि सब साक्षर कार्यक्रम में जितना लक्ष्य हमको प्राप्त करना है उतना लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ-साथ उसमें यह भी मन्शा थी कि उन पंचायत समिति जहां पर लिट्रेसी पर्सेन्टेज कम है, में एनरोलमेन्ट रेट ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यह नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि विभाग को इस प्रकार के निर्देश दिये जायं जिस तरह से उदयपुर जिले के अन्दर कोटडा तहसील के अन्दर केवल मात्र 5 पर्सेन्ट लिट्रेजी पर्सेन्टेज है वहां पर एनरोलमेन्ट ज्यादा होना चाहिए बनिस्बत नाथद्वारा के जहां लिट्रेसी पर्सेन्टेज 60 पर्सेन्टे है वहां एनरोलमेन्ट कम होना चाहिए। लेकिन हो यह रहा है कि कुल मिलाकर हम टोटल लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं लेकिन जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के आदमी हैं जिनमें लिट्रेसी पर्सेन्टेज कम है उन लोगों को एनरोलमेन्ट के ड्राइव के अन्दर हम इन्क्लूड नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में भी राजस्थान सरकार कुछ स्पेसिफिक निर्णय ले जिससे इसका लाभ उन लोगों को निश्चित तौर पर मिल पाये।

मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं कहना चाहता कि मेरी पार्टी के और आदमी कहेंगे लेकिन मैं दो तीन बात अपनी और कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, एक बड़ी विचित्र स्थिति है हिन्दुस्तान के अन्दर कि एक गरीब आदमी म्यूनिसिपैलिटी के अन्दर यदि प्लाट लेना चाहे तो सरकार के नियम के अनुसार उसको प्लाट नहीं मिल सकता। लेकिन एक आदमी नाजायज कब्जा कर ले तो उस नाजायज कब्जे को जायज करने की सरकार प्रक्रिया कर देती है। मान्यवर, यह स्थिति हिन्दुस्तान के लिए और गरीब से गरीब आदमी के लिए ठीक नहीं है कि एक इफेक्टिव आदमी प्रभावशाली आदमी मकान बना ले और मकान बनाने के बाद, सभापति महोदय, आप सुन कर आश्चर्य करेंगे कि हिन्दुस्तान के कौन से इस तरह के नियम हैं कि जिस आदमी का लैण्ड का टाइटल नहीं है उस आदमी के घर पर इलक्ट्रिसिटी और पी. एच. ई. डी. का कनेक्शन मिल जाता है। जिस आदमी के पास लीज का टाइटिल नहीं, वह मकान बना ले और उसको बिजली और पानी का कनेक्शन मिल जाय तो निश्चित तौर पर गरीब आदमी देखता रह जाता है और प्रभावशाली व्यक्ति कब्जा कर जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह स्थिति स्पष्ट की जाय कि म्यूनिसिपैलिटी के अन्दर जिन लोगों की आमदनी कम है जिनको हमने आइडेन्टिफाई किया है, जिसके परिवार की आमदनी 700 रुपये से कम है उन लोगों को पंचायतों के अन्दर दिये जाने वाले पट्टे की तरह से छोटी म्यूनिसिपैलिटी के अन्दर भी पट्टे दिये जायें और जो अनआथोराइज्ड लाइट और पानी के कनेक्शन दिये जा रहे हैं जिसमें आर. एस. ई. बी. और पी. एच. ई. डी. के जे. ईएन. और क्लर्क लेवल के आदमी एक गरीब आदमी से सौ दो सौ रुपये ले लेते हैं, जब तक आप इस इलेक्ट्रिसिटी और पी. एच. ई. डी. के कनेक्शन को बैन नहीं करेंगे तब तक गन्दी बस्तियां बढ़ती

(श्री सी० पी० जोशी)

जायेंगी और सुधार का कार्यक्रम बेकार हो जायेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के बारे में भी आप स्थिति स्पष्ट करें।

मान्यवर, इसके साथ साथ एक बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है गांवों के अन्दर। प्रभावशाली लोग बिना नाम जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और बिना नाम जमीन पर कब्जा करने के बाद पटवारी से मिलकर पी–14 में दर्ज करवा लेते हैं। दर्ज कराने के बाद काबिल काश्त जमीन हो गयी, दस साल के बाद जमीन रेगुलराइज हो जाती है। यह स्थिति है, गरीब आदमी, जो शक्ल देखने वाला है, जिसके पास अपनी हैसियत नहीं है, आज भी राजस्थान का जो शिड्यूल्ड एलीमेंट है इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का आदमी बिना नाम जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है। उस गांव का प्रभावशाली आदमी जमीन पर कब्जा भी कर लेता है और पी–14 में पटवारी से दर्ज भी करवा लेता है और अपने खाते में भी जमीन करवा लेता है। यह स्थिति इस राजस्थान के लिए ठीक नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस बारे में एक स्थिति स्पष्ट की जाय और 91 की धारा को जो हमने लटका रखा है इस धारा से शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के आदमियों को मुक्ति दी जाय इस बात की कि उन लोगों को इस धारा के लिये तहसील और पटवारी के बीच में चक्कर नहीं काटने पड़े। इस सम्बन्ध में उदयपुर संभाग से आने वाले आदिवासी भाई ज्यादा बोलेंगे और लेकिन उनके जो जंगलात में कब्जे हैं वह स्थिति भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है। मैं चाहूंगा कि यह बात स्पष्ट की जाय कि जो लोग 1971 के पहले जंगलात में काबिज हैं उन लोगों की जमीन को रेगुलराइज करना है। वह वहां पर जाकर रेगुलराइज कर दी जाय तब तो इस स्थिति को हम सुधार पायेंगे।

यह बात कहने के साथ साथ मैं अन्त में एक बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, इस राजस्थान में विकास के लिए जितने भी वित्तीय साधन उपलब्ध हैं, उन वित्तीय साधनों के आधार पर हम जो डवलपमेंट करना चाहते हैं उसमें राजस्थान की ज्योग्राफी को एक यार्डस्टिक और मापदण्ड बनाना पड़ेगा। आज राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर की समस्याएं एक तरह की समस्याएं नहीं हैं। आज बीकानेर डिवीजन से आने वाले माननीय सदस्य, जिनका एरिया आज एम. पी. के बराबर है बाड़मेर और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के आदमियों का, उन लोगों के डवलपमेंट यार्डस्टिक हम राजस्थान के उदयपुर संभाग के लोगों के यार्डस्टिक से रखें तो यह डवलपमेंट का जो यार्डस्टिक है उससे हम पिछड़ जायेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए इसे चार जोन्स में डिवाइड किया जाय, डेजर्ट की जो समस्या है उनकी समस्या अलग है उनमें ढाणियों की अलग तरह की स्थिति है और उदयपुर जिले में जो भागलों की स्थिति है, हमारे आदिवासी भाई रहते हैं मगरे पर उनकी स्थिति अलग है उनके लिए पीने का पानी उपलब्ध नहीं है,

(श्री सी० पी० जोशी)

उनको बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनको सड़क की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो ऐसे दो तिहाई लोगों को हम राजस्थान के जयपुर और अलवर जिले के लोगों की तरह से कम्पेयर करके सुविधा देना चाहेंगे तो सुविधा नहीं दे पायेंगे।

मैं अन्त में अपनी बात समाप्त करता हूं इस आशा और विश्वास के साथ कि जो नया बीस सूत्री कार्यक्रम है वह आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन का कार्यक्रम है। हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में हिन्दुस्तान के हर प्रदेश में इस कार्यक्रम को लागू करके समाज के गरीब आदमियों को ऊपर उठाने का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य में भागीदार होने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के सभी विरोधी लोगों का आह्वान करता हूं कि वह अपनी पंचायत समितियों में जायें और देखें कि वास्तव में कार्यक्रम लागू हो रहा है या नहीं। केवल भाषण देने से, क्रिटिसिज्म करने से पुली करने से इस कार्यक्रम की इफेक्टिविटी को कम नहीं किया जा सकता। यदि आप वास्तव में भागीदार बनना चाहें तो आप कहें कि सूत्र नम्बर एक में यह काम हो रहा है, दो के अन्दर यह काम हो रहा है, तीन के अन्दर यह काम किया है तब जाकर हम सही ढंग से इस राजस्थान को बदलने वाली प्रक्रिया में भागीदार बन पायेंगे। बाकी वोट के आधार पर तो आदमी आयेगा जायेगा, राजनीति बदल रही है, बदलती रहेगी लेकिन आने वाली राजनीति में ऐसे भाषण देने वाले लोगों का स्थान इस विधान सभा में नहीं होगा। इस आशा और विश्वास के साथ कि इस सदन के सभी सदस्य हिन्दुस्तान को बदलने वाली आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को समझेंगे और नयी राजनीति में भागीदार बनकर राजस्थान को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ायेंगे, राज्यपाल के भाषण का समर्थन करता हूं।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री आत्माराम।

श्री देवीलाल (शाहपुरा) : मने बोलावा दो साहब। अब तो इजाजत दो। तीन बार हाजिर होया।

श्री सभापति : आप बोल लीजिए।

श्री देवीलाल : माननीय सभापति जी, हमारे महामहिम राज्यपाल बजट प्रस्तुत कियो ई को हमारे श्री चौधरी साहब रामनारायण जी प्रस्ताव पेश कियो और ऊ प्रस्ताव को हमारे जनार्दनसिंह भाई साहब गहलोत साहब समर्थन कियो, बी में म्हारी भी सहमति शामिल है। हमारी कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र में जो बीस सूत्री कार्यक्रम लागू कियो है बीस सूत्री कार्यक्रम की मैं कांई महीमा करूं। आ गरीब की सेवा और देश की सेवा है। राजा महाराजा बहुत बड़ा बड़ा हुया, दान खूब करयो पण सेवा, सात सेवा तो वह भी नहीं कर सक्या। शरीर की सात सेवा है और सात सेवा ही बीस सूत्री कार्यक्रम में शामिल है, और ई देश की सेवा है और देश की सेवा भी बीस सूत्री कार्यक्रम में शामिल है। यह देश तीन आमदनियां सूं आगे बढ़े है, धरती, पशु, और दस्तत। ये

(श्री देवीलाल)

तीन ही है, तीनां की ही देश के मायने ग्रामदनी बढ़ी है। दुनियां में जानवर मिनख ग्रौर पशु जिन्दा है, ईं ग्राधार पर ही सारे देश की समस्या चल रही है। ईं बीस सूत्री कार्यक्रम के मायने जो श्रीमती इन्दिरा गांधी गरीबां की ग्रौर सेवा की बात लिखी है, ग्रब ग्रलग ग्रलग नाम कहूं तो टाइम खर्च होई, शरीर की सात सेवा ही बीस सूत्री कार्यक्रम में शामिल है। ईं देश की सेवा भी बीस सूत्री कार्यक्रम में शामिल है। गरीबां की जो भी ग्रलग ग्रलग बातां हैं, यों बतावां में तो देरी लागी पण में जल्दी ही म्हारी बात ग्रर्ज करूं हूं। ग्रभी मानलो कि पशु है। ग्राज कोई भी मनुष्य हो तो ग्रापणी ग्रामदनी पशुग्रों की है ये भी जिन्दा रहवे तो ये ग्रापणी ग्रामदनी का जरिया है। ग्रामदनी का जरिया ग्रापणी खेती भी है ग्रौर दरखत भी है। ग्रब यों मान लो, ईं के मायने मूं बड़ी सूं बड़ी ग्रामदनी दरखता की मानूं हूं, ईं के जतरी पशु की भी कोनी ग्रौर धरती की भी कोनी। या में सब में खर्चा लागे। चाहे बीज बोणो पड़े, पाणी पाणो पड़े, खाद देणो पड़े, खोदणो पड़े। पशुग्रों की भी कतरी सेवा करनी पड़े। घास लाणो पड़े, बांटो देणो पड़े। पण दरखत ने तो एक बार वो दियो तो चीकी ग्रामदनी हजारों वर्षों तक होई। ग्राज दरखत की सेवा को मायने शक्ति की सेवा है। दरखत के मायने शक्ति यान है कि धरती के मायने भी शक्ति है, धरती के ऊपर भी शक्ति है ग्रौर ग्राकाश के ऊपर भी ऊं की शक्ति है। या शक्ति दरखत की है। कतरी भी गन्दगी होवे ग्रौर बीमारी होवे तो दरखत दूर कर सके है। दरखतां का फल फूल खार लाखों जानवर जिन्दा रह जावे। या दरखता की महिमा इसी है कि ग्राछ्या प्यारा पावणा ग्रौर मेहमान देवता ग्रावे तो वां के भी फूल पावड़ा ग्रौर पत्ता ही वा दरखता का चढ़ावा हा। तो यह दरखत देवता सूं भी प्यारा है। दरखतां की इसी सेवा है। कीं के मायने छत्तीस रंग है तो वह दरखतां ही है। 36 रंग है तो वह दरखतां में है, 36 ही राग है तो वह दरखता में है। ग्राज मिनखा में भी छत्तीस रंग नहीं बता सके ग्रौर मिनख भी छत्तीस राग नहीं बता सके पण दरखता में छत्तीस ही रंग ग्रौर छत्तीस ही राग है। या तो 18 करोड़ विमानवासीपति हैं....

श्री माधव सिंह दीवान : जाट भी हैं।

श्री देवीलाल : जाट तो ग्रलग है पण छत्तीस रंग ग्रौर छत्तीस राग दरखतां में है। दरखतां की वा शक्ति है, दरखतां की इसी शक्ति है। ग्रापने कहूं कि मिनख में ग्रौर दरखत में कोई फरक है तो यो है कि ग्रापण में एक तत्व ज्यादा है, दरखत में एक कम है। ग्रापणे मायने पवन है ग्रौर ऊं में पवन कोना। ग्राकाश ग्रापा में हैं ग्रौर ग्राकाश ऊं में भी है। ग्रग्नि ऊं में भी है तो ग्रापा में भी है। जल ऊं के मायने है तो जल ग्रापा में भी है। ग्रग्नि ऊं में है तो ग्रग्नि ग्रापा में भी है। ऊं के मायने एक वायु कोनी। वो जड़ है ग्रौर ग्रापा चेतन है। ऊं जड़ है। दरखत ने भी नींद ग्रावे। दरखत के भी प्राण है, दरखत बोले कोनी। दरखत चेतन कोनी, जड़ तो वा भी है। दरखत की इसी महिमा

(श्री देवीलाल)

है कि आज ईं शरीर के लिए मिनखा के लिए घर के लिए दरखत सूख भी जावे तो किवाड़ बण जावे। की को बली तो बण जावे, की की कुर्सियां बण जावे, कोई खाट कवाड़ बन जावे सब कोई काम आवे। आपने दरखत की महिमा कहूं कि अन्त की बख्त में काका बाबा कुटुम्ब परिवार आग देर दूर खड़ा रेवे पण यो दरखत तो लारे लेर जावे, मुक्त करे। ईं दरखत की इसी महिमा है। क्योंकि तरवर सरवर सतंजन के थोथा बरसे मेह, के परमारथ के कारणे ये चारों मारी गेह। तो दरखत की तो इसी महिमा है। म्हारी तो अर्ज या है कि दरखतां की आप रक्षा करो तो या देश की रक्षा है। आपणा बेटा बहू और कुटुम्ब परिवार जित्ती आपणी सेवा नहीं कर सके उत्ती दरखत देश की सेवा करे है। जानवर, मिनख और पशुओं की, ये तीनों की ही यह सेवा करे है। लाखो जानवर ईं के मायने परवरिश होवे, जिन्दा रहते हैं तो दरखतां की सेवा आप अलग सूं ना कराओ और श्रीमती इन्दिरा गांधी बीस सूत्री कार्यक्रम में लिख्यो है तो में तो आपने या ही कहूं कि म्हारो तो सोलह ही रोम खुल गया। ओ हो, इसी बात म्हारा हृदय में प्रवेश हुई....

श्री माधव सिंह दीवान : आपण की आ कुर्सी भी दरखत ही बणावे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री देवीलाल : अब आपण आ जावो, आपणा भाई साहब, आपणा विरोधी दल का नेता बहुत जोर जोर से बोल रह्या हा और हमारा दुलारामजी भी खड़ा हुआ वांका बाद में मुख्य मंत्रीजी भी खड़ा हुआ तो वाने भी आप नी बोलवा दियो। म्हारी अर्ज या है आपने एक निवेदन है कि आज मैं आ सोच हूं कि कांग्रेस को किस्यो भी नेता हो, किस्यो भी मुख्य मंत्री हो, किस्यो भी मंत्री हो, सही काम होई तो चाहे वो आप को हो या म्हाको हो ऊने करणो पड़ी। और करे भी है। यो भेदभाव थोड़ो जनता पार्टी में रह्यो, अब तो कोनी। अब कोनी।

(व्यवधान)

अभी तो कोनी, सही कहूं हूं मैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। कृपया बातें नहीं करें।

श्री देवीलाल : सही बात है। आज जनता पार्टी वालां की बात करूं। मैं अर्ज करूं कि बीस सूत्री कार्यक्रम में विद्या पाठकजी कह्यो, वाने बात बताई बीस सूत्री कार्यक्रम की। जनता पार्टी को राज हुयो तो दो बरसां में दो हजार व्यक्ति एक पंचायत में होवे, दो हजार व्यक्ति एक पंचायत में रेवे वां में सूं पांच आदमियां ने ये गरीबी की रेखा में लियो हो। तो यों मान लो कि दो हजार की जनता में से पांच आदमी ने गरीबी की रेखा में लियो तो दो हजार आदमी कतरा बरसां में गरीबी की रेखा से निकलेगा। दो सौ वर्ष होवेगा दो हजार आदमी गरीबी की रेखा सूं निकलवा में। यो तो आपको ही बणायोड़ो हो, म्हांको तो वणायोड़ो कोनी। अब एक बात वताऊं आपने म्हारा मन की, म्हारा हृदय की।

(श्री देवीलाल)

ये पांच पार्टियां ऊं वखत के मायने एक होर जो चुनाव लड़्यो ग्रौर चुनाव लड़्यो तो एक हल को चिन्ह लियो। मैं ग्रापने निश्चित रूप से कहूं हूं कि मैं म्हारा जीव में हुस्यो हो। एक बात है कि ईं में राजा महाराजा की पार्टी है, सेठा की पार्टी है, ग्रौर बामन हैं ग्रौर ईं के मायने व्यापारी वर्ग है ग्रौर ई के मायने बड़ा-बड़ा ग्रादमी है ये पांचों ही ग्रादमी हल को चिन्ह लियो तो हल को या सूं की लेणो देणो। हल हांकर कांई लेणो देणो। मैं म्हारा मन की बात कहूं हूं ग्रापने ऊं दिन की बात है, मैं म्हारी पार्टी में कह्यो हो, एक बात बताऊं कि वे हल को चिन्ह लियो तो ये कोई हल हांक सके, ईं को नाहो कस सके, नीडोद कर सके कि सेवा कर सके। कांई सोचर हल को चिन्ह लियो ग्रौर फेर लियो जद भी लियो माथा पर। तो ईं हल के बारे में मूं म्हारा जीव, ग्रात्मा से कह रह्यो हूं कि इसी बात है कि बाजीगर खेल करे है तो सबके बाद हल का खेल लावे है। पहले जियाण गोला निकाले, तलवार चलावे फिर बाद में हल का खेल लावे ग्रौर हल खड़्यो करे है बाजीगर। वो जिस वखत हल लेर ग्रावे है तो चारों तरफ ग्रादमी खड़ा हो जावे है हल का मालिक है वो देखेता कि मूं हल को कित्तो वजन उठाऊं हूं जी सूं म्हारा कन्धा दूख जावे है, ग्रब देखे यो बाजीगर कियान उठावे है।

श्री परसराम मदेरणा : बाजीगर यानि नट की बात कह रह्या हो ग्राप ?

श्री देवीलाल : जी हां, वो नट कांई करे है, वो हल ने थपकी देवे है। म्हे सोचां यो थपकी क्यों देवे है ? वो ईं वास्ते देवे है कि ग्रगर कठे से ढीलो हो तो उखड़ जाय। जद वो हल ने उठावे है तो लोग बाग दूर-दूर सरक जावे है, म्हारा ऊपर पटक नहीं देवे। जद वो हल को सिर ऊपर उठावे है....

श्री सभापति : कृपया समय का ध्यान रखते हुए जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री देवीलाल : सिर के ऊपर उठावे है तो वीं के चारों ग्रौर बैठया हुग्रा ग्रादमी दूर-दूर हो जावे है। यान सब भाग भागर चल्या जावेला ग्रौर हल वीं के पास ही रहेलो। ग्रब, सभापति जी, मंत्रीजी बैठया है, छोटी मोटी बात म्हारा क्षेत्र की भी ग्रर्ज कर देऊं। म्हारो क्षेत्र पिछड़ी तहसील है ग्रौर शिड्यूल्ड कास्ट की है। ग्राज शिड्यूल्ड कास्टस् की बस्ती में ग्रौर शिड्यूल्ड कास्ट के घरां में कांग्रेस के नेता ग्रौर कांग्रेस के कार्यकर्ता ग्रौर ग्रधिकारीगण जार वाने संभाल संभाल कर लाभान्वित कियो। म्हारी तहसील शिड्यूल्ट कास्ट की है। म्हारी ग्रर्ज यह कि एक तो तीन साल से मूं रोडवेज के बारे में 3–4 बार एप्लीकेशन दी है, भीलवाड़ा से शाहपुरा ग्रौर शाहपुरा से देवली, वठे सूं सीधी जयपुर जो बस ग्रा रही थी वीं को तीन साल से तीन बार काम बन्द कर दियो ग्रौर तीन बार चलायो ग्रौर ग्रब फिर बन्द है। गाड़ी जो ग्रजमेर सूं चले है वो केकड़ी से फुलिया जार रुके है। फुलिया से शाहपुरा 10–12 किलोमीटर दूर है, ठेठ तक सड़क बनी हुई है। जीं पर 30–30 लाख रुपया खर्च कर पहले की डामर की सड़क बनी हुई है वी पे गाड़ी

(श्री देवीलाल)

चलावे । पहले एक बनिया ने चलाई ही दो महीना, फिर वीने यह कह कर बन्द कर दी कि सवारियां ही नहीं मिले । तो यह स्थिति है, सड़क के बारे में बार बार निवेदन कियो है ।

श्री परसराम मदेरणा : केकड़ी से शाहपुरा, मांडलगढ़ और भीलवाड़ा है ।

श्री देवीलाल : केकड़ी से जावे है फूलिया लेकिन आप वी ने चलायो तो सही ।

एक म्हारो बिजली के बारे में निवेदन है, म्हारी 5-7-10-15-25 पंचायतां इसी है बोरड़ा, रायफल, प्रतापपुरा, फूलिया, गिडमारिया, करवड़ाट, मोजपुर, मोरड़ेदा, गरिड़्या, लूलाट मिरडेलिया, अहिण्यारराजरा ये पंचायतें जिका लोग कहवे कि म्हार अठे तो बिजली बिल्कुल ही नहीं आई । गांव में कोई प्रोग्राम रखें तो चाहे मुख्य मंत्रीजी आवे, चाहे मंत्री जी आवे, चाहे आप आवो म्हारी ई ही मांग है म्हारी शिड्यूल्ड कास्ट की तहसील है, आप किरपा करो । 2-2, 3-3 बार सर्वे करा दियो वी की जांच करा दी पण वा कागजों में विसी पडी है वी ने निकलवाओ और ओ काम करवाओ ।

शाहपुरा तहसील में एक को-आपरेटिव मिल है । वी के बारे में म्हारा कलेक्टर साहब पिछली साल आया हा और पंचायत समिति की मीटिंग में कह्यो कि आप शेयर इकट्ठे कर लेओ तो दो महीना में काम चालू कर देंगा । मैं आपने सही अर्ज करूं हूं कि वी समय अकाल को जमाना हो, लोगां के पास खाने के वास्ते अन्न, पीने के वास्ते पानी और पहनबा के वास्ते कपड़ो नहीं हो, जानवरां के लिये घास भी नहीं ही वी समय साढ़े तीन लाख का शेयर इकट्ठा कियो, हमारे कार्यकर्ता, मूं और म्हारा सरपंच साहब शेयर इकट्ठो कियो । तो या तो आप वी मिल ने शुरू करवाओ या म्हारा साढ़े तीन लाख रुपये वापस दे दो तो मूं वापस वाने बांट देऊं । ये विरोधी नेता कहवे है कि आपणा रुपया कुण खा गयो, कठे दे दियो । तो म्हारो वी गांव में जानो नहीं हो रह्यो है । ई वास्ते कृपा कर म्हारी मिल को काम शुरू करवा देओ ।

एक छोटा बन्धा है समेलिया में । मंत्री जी, आपका ही गांव में है, इतरी देर में आपको ये ही एक काम आयो है । समेलिया गांव में एक बावड़ी है ।

श्री बंसीलाल पटवा : सरकार की नीयत खराब है ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये ।

श्री देवीलाल : बठे एक छोटो तालाब है जी सूं कम से 25 गांवां का लोग पानी लेवे है, गर्मी में शालू की फसल होवे है । वी बान्ध को पानी खेती के काम में आवे है, लोग अपनी खेती में पानी दे सकेला और लोगां के खेतां में मोरी चली जायेली और लोगां को धान होने लग जायेला । म्हारो बार-बार नम्र निवेदन है कि समेलिया बांध का सर्वे 3-4 बार हो चुक्यो है । म्हारो अन्देशो है कि कहीं आपका कागजा में बन भी न गया हो । इसी बात सुनी है मैंने ।

(श्री देवीलाल)

तो ई ने देख लेया और म्हारो बान्ध पूरो बनवा देओ। मूं महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण प्रस्तुत कियो वी के लिये म्हारी सहमति सम्मिलित करूं हूं।

श्री सभापति : श्री इन्दोरिया।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : सभापति महोदय, मेरा भी नाम है, मुझे गांव जाना है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आपको अवसर दिया जायेगा। लोकदल के 40 मिनट थे। एक सदस्य आपके बोल चुके हैं।

श्री बहादुर सिंह : जनता पार्टी से।

श्री सभापति : जनता पार्टी में तो आप का नाम नहीं है। लोकदल लिखा है।

श्री बहादुर सिंह : इसमें संशोधन कर लें, साहब, जनता पार्टी से।

श्री सभापति : संशोधन आप करके भेजें।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़): सभापति महोदय, आज बुधवार है और आज गणेशजी के दर्शन करने चाहिए। आज मैं गणेशजी के मन्दिर में दर्शन करने गया तो वहां लिखा हुआ था—

ॐ वक्रतुण्डः महाकायः कोटि सूर्य समप्रभः।
निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्व कार्येषु सर्वदा॥

मैंने सोचा मुझे आज ही बोलना चाहिए इसलिए मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने पांच मार्च को इस सदन में जो अभिभाषण प्रस्तुत किया और मण्डावा से पधारे हुए माननीय विधायक ने उस पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसके सन्दर्भ में निवेदन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। सभापति महोदय, मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि मैं गत चार वर्ष से यह सुनता आया हूं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कि आप अस्वस्थ हैं, बैठ कर पढ़िये। थोड़ी देर बाद में अभिभाषण को बिना पढ़े हुए ही पढ़ा हुआ मान लिया जाये, यह क्रम पिछले चार वर्षों से बराबर होता आया है लेकिन इस बार में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राज्यपाल महोदय को अस्वस्थ घोषित नहीं किया और नियमानुसार उन्होंने उत्तिष्ठ होकर अद्योपांत अपने अभिभाषण का वाचन किया।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण इस सदन में पढ़ा उसकी इधर से काफी बरुदावलियां गाई गईं। उधर से भयंकर विरोध भी हुआ लेकिन यथार्थ इस से भिन्न है। हम यहां बैठे हुए जितने भी माननीय सदस्य हैं, जनता के प्रति हम उत्तरदायी हैं और जो कुछ जनता में हो रहा है उसकी बिना किसी लाग लपेट के हमें यहां सही स्थिति उपस्थति करनी चाहिये। जो यह करता है, वही सही जनप्रतिनिधि है।

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)

महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उसमें बीस सूत्री कार्यक्रम का उन्होंने सर्वप्रथम उल्लेख किया। यह निर्विवाद सत्य है कि बीस सूत्री कार्यक्रम वास्तव में देश के विकास की एक आधारशिला है। अभी माननीय सदस्या ने यह प्रश्न उठाया था, बीस सूत्र पहले के, बीस सूत्र नये और फिर 12 और फिर 5 सूत्र अलग, इस तरह से उन्होंने 77 सूत्र का आंक दिया। मैं उनको आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 77 के अंक को वे भूल जायं क्योंकि भारतीय जनता ने 77 के अंक को ठुकरा दिया। इसलिए 77 का जो अंक है वह अशुभ है। उसको ज्यादा याद नहीं करना चाहिए क्योंकि अब 77 नहीं आयेगा अब तो 87 आयेगा। तो जहां बीस सूत्री कार्यक्रम की उपलब्धियां हैं वहां उसके साथ-साथ उसकी क्रियान्विति में विकृतियां भी हैं। वह यह है कि जहां तक मैं अनुभव कर पाया हूं सरकार का जिला प्रशासन पर नियन्त्रण नहीं है और जो जिला प्रशासन है, जयपुर की सरकार क्या कहती है, क्या लिखती है, उसकी बिना परवाह किये हुए वह स्वेच्छा से ही अपने कार्य का सम्पादन करते हैं। इस बात से सब दुःखी हैं। बाहर सब इस बात की चर्चा करते हैं लेकिन यहां कृत्रिम बातें प्रस्तुत की जाती हैं। किसी लालच से करते हैं, किसी और कारण से करते हैं। लेकिन हमको आत्म चिन्तन इस बात का करना है कि हम अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष का पद कितने दिनों से रिक्त पड़ा है। आज एक ऐसी सूचना आई कि जो 13 तारीख उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए निश्चित की गई थी उसको भी निरस्त कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। जब हम लोकतंत्रीय पद्धति के अन्दर सारी प्रक्रियाओं को संचालित कर रहे हैं और अध्यक्ष महोदय को ज्यादा से ज्यादा यहां सीटिंग करनी पड़ती है तो उस हालत में हम निर्वाचन से कितने दिन दूर भागना चाहेंगे। हम जब इस सदन के जो रिक्त स्थान हैं उसको नहीं भर सकते तो आज सारे गांवों में जितने प्राथमिक स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, सब जगह मास्टरों के रिक्त स्थान पड़े हैं, उनकी तो हम बात कर रहे हैं कि स्कूल में मास्टर नहीं है, औषधालय में वैद्य नहीं हैं लेकिन मैं यह कहता हूं कि यहां स्वयं इस सदन में उपाध्यक्ष का पद रिक्त पड़ा है उसकी तो कम से कम पूर्ति करो।

राज्यपाल महोदय ने एक जगह एक उल्लेख किया है अपने इस अभिभाषण में, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन्होंने पेज नं० 5 पर लिखा है – "चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार द्वारा योजनाबद्ध कार्य किया जा रहा है।" हो सकता है, योजनाबद्ध कार्य हो रहा हो लेकिन मेरे क्षेत्र की तो ऐसी स्थिति है, जहां पहले दाऊदसर ग्राम में उप-स्वास्थ्य केन्द्र था उसको वहां से उठा लिया गया है। अब यही योजना चलेगी उठाने की तब तो मेरा निवेदन है कि इस ढंग से योजनाबद्ध कार्य नहीं होना चाहिए। जिला स्तरीय कमेटियों, जिसमें प्रधान भी होते हैं, एम. एल.ए. भी

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)

होते हैं, दूसरे वर्ग के नुमाइन्दे भी होते हैं, में जो निर्णय होता है, उसकी जयपुर वाले परवाह नहीं करते हैं। वहां जो कुछ पास होता है, यहां न मालूम किसके कहने से कौन बदलाव करता है। वहां चूरू जिले में पास हुआ रतनादेसरा में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाये, यहां दूसरा ही कर दिया, उसको कट कर दिया। एक जगह तीन-तीन चार-चार खुल गये। एक क्षेत्र को एकदम विना उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले रख दिया। ढंग से असमानता व्याप्त है उसको हमें समाप्त करना चाहिये।

आज चार साल से हम करोड़ों अरबों रुपया सड़कों पर खर्च कर रहे हैं। जब भी विधान सभा का सत्र शुरू होता है तो हम को सब को कुछ बताया जाता है डिविजन वाइज मीटिंग करते हैं, जिलावाइज मीटिंग करते हैं और यह पूछते हैं कि आपके यहां सड़क कौन सी होनी चाहिये, कृषि उपज मण्डी से कौन सी होनी चाहिये। बजट अधिवेशन समाप्त होने के बाद कहीं काम चालू नहीं होता। कहीं होता है तो. . .

एक माननीय सदस्य : भीलवाड़ा . .

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : हां उर्वर हो जाता है।

यह रुपया पास करने वाला यह सारा सदन है कोई एक क्षेत्र में काम नहीं होता है तो उसके खर्च में भी समानता का आधार होना चाहिये। मेरी यह शिकायत है पुरजोर शब्दों में कि गत चार वर्षों में मेरे क्षेत्र के अन्दर चार फीट सड़क नहीं बनी।

माननीय सभापति महोदय, इतना होते हुए भी हम इस अभिभाषण से आशाएं, आकांक्षाएं रखते हैं यह कैसे सम्भव हो सकता है। असत्य बात यहां कहना और आंतरिक बात का गमन करके कृत्रिम बात को प्रस्तुत करना, मैं समझता हूं, यह जनतंत्र के खिलाफ है।

इसमें एक जगह यह लिखा गया है कि महिलाओं को शिक्षित करने के लिए इस क्षेत्र में काम किया जाय। अभी कितने महिला विद्यालय खोले हैं। मैं कहता हूं, मेरे क्षेत्र में एक भी बालिका विद्यालय नहीं खोला है। इसमें जो कुछ लिखा है उसका पालन होना चाहिए। जो कुछ हम लिख कर देते हैं, जो कुछ हम बोलते हैं उसका पालन नहीं होता है तो जो आम जनता का मानस यह होगा कि उनका विश्वास उठ जायगा।

श्री मेघराज तावड़ : मन्त्रीजी नोट नहीं कर रहे हैं।

श्री सभापति : मन्त्रीजी बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, अच्छी तरह सुन रहे हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : अब कोई मन्त्री हो या नहीं हो। मन्त्रीजी को ही सुनाना होता तो जैसे कि और भी, ऊपर बैठे हैं मैं भी वहां चला जाता। मुझे मंत्रियों को सुनाना नहीं है। मैं तो अपनी बात, जो मेरे मन से सही है, इस सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं, उस पर कोई कार्यवाही हो या नहीं हो।

इस अभिभाषण में लिखा है कि बहुत

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)

सारे गांवों में बिजली लगा रहे हैं, विद्युत का प्रसार योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1982-83 व 1983-84 में कितना पैसा विद्युत विभाग ने अपने बजट में से रतनगढ़ क्षेत्र में खर्च किया ? एक भी पैसा उन्होंने रतनगढ़ क्षेत्र के लिए खर्च नहीं किया।

जब पेयजल की व्यवस्था के लिए वाटर वर्क्स रुपया जमा करता है तो उसकी स्थिति आप सुनिये। वाटर वर्क्स में मार्च,1983 के अन्दर 1 लाख 99 हजार 501 रुपया बछरारा गाव की पेयजल योजना के लिए जमा किए। दिसम्बर बीत गया, साल खत्म होने को आया तब भी वह यही जवाब देते रहे कि हमारे पास पोल्स नहीं हैं। मैं ने उनको कहा कि 9-10 महीने हो गये, पैसा लेकर बैठे हैं। यह पोल्स नहीं तो क्यों नहीं हैं। एक लाख 99 हजार 501 रुपया आपने जमा किया और आज तक सामान नहीं खरीदा। जनता प्यासी मर रही है। मैंने 15 दिन का नोटिस दिया और जलदाय विभाग के कार्यालय पर धरना दिया तो पोल्स भी आ गये और 9 दिन के अन्दर उस गांव में बिजली भी पहुंच गई। ऐसी स्थिति जहां हो वहां हम सही बात न कह कर और कृत्रिम बातें कहें तो इन लोगों को वास्तविक ज्ञान कैसे हो।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने प्रधान मंत्री को रिपोर्ट भेजी है कि गांवों में उजाला कर दिया है। मैं कहता हूं कि मेरे क्षेत्र में 82-83 व 83-84 में एक भी गांव में उजाला नहीं हुआ। जहां इन्होंने वाटर वर्क्स के पैसों से लाइन खींची वही गांव गिना रहा हूं। वहां पर एक भी लोटिया नहीं है। बिना लोटिये के प्रकाश करने का कोई आधुनिक तरीका यदि निकाला हो तो मैं कह नहीं सकता। जहां एल. टी. लाइन है, लोटिया नहीं है वहां पर उजाला कैसे होगा ? क्या अपने आप हो जायेगा ? सारी की सारी झूठी रिपोर्ट देते हैं कि गांवों में उजाला कर दिया है। झूठी रिपोर्ट देना तो एक प्रकार से अधिकारियों की प्रवृत्ति हो गई है। बीस सूत्री कार्यक्रम में विद्युत विभाग वालों का विश्वास ही नहीं है। वे उसकी क्रियान्विति में रुचि नहीं ले रहे हैं, उस सारे प्रोग्राम को फेल करने में लगे हुए हैं। सरकार को चाहिए कि उन लोगों, जो झूठी रिपोर्ट देते हैं, के खिलाफ शक्ति के साथ एक्शन ले। यदि वे साबित कर दें कि अमुक गांव में हमने बिजली और बल्ब लगाये है तो मैं उनके साथ चलने को तैयार हूं। ऐसी स्थिति के अन्दर हमको गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

अभी एक लैटर मिला है कि सड़कों का कोई मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। उसके लिए मैं उत्सुक था। मैं उसको देखने के लिए उनके कमरे में गया कि कहीं रतनगढ़ क्षेत्र के लिए कुछ बनाया हो तो दिखायें लेकिन बताया कि आज जो हमारी वित्तीय स्थिति है उस हिसाब से ही हम खर्च करेंगे। सड़कों की सैंक्शन तो दे दी परन्तु वित्तीय स्वीकृति नहीं भेजेंगे। एक्स. ई. एन. हमको

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)

राजी करने के लिए कह देते हैं कि इतनी सड़कें मन्जूर होकर आ गई हैं। पहले भी हमको विधान सभा के बजट सत्र के एक दिन पहले बुलाकर पूछा था, 1982 में नहीं 1983 में नहीं और यही क्रम 84 का है। केवल पूछ रहे हैं धोखाधड़ी कर रहे हैं। सड़कों का मास्टर प्लान बना हुआ है परन्तु सड़कें बनेंगी नहीं ...

श्री मेघराज तावड़ : मंत्रीजी सुन नहीं रहे हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : वे सुन रहे हैं और पहले भी सुना था। सुनाने से क्या है. कृपा नहीं हो रही है। मैं कांग्रेस अधिवेशन में कलकत्ता गया वहां पर मेरे मित्रों ने पूछा कि आजकल तो राजस्थान में बहुत स्कूल खुल रहे हैं। मैंने उनको कहा कि राजस्थान में 11वीं कक्षा तक शिक्षा है, 11वीं कक्षा के बाद राजस्थान में कोई शिक्षा नहीं है। तब वे बोले, क्यों नहीं है? सभापति महोदय, जयपुर में, बीकानेर में, उदयपुर व कोटा में लड़के कॉलेज में पढ़ रहे होंगे लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो कोई नया कॉलेज नहीं खोला गया है। जो भी मुख्य मंत्री आता है, बेटा देकर चला जाता है और छः महीने तक बिना बोवे के रखते हैं। मैं यह कहता हूं कि आप नहीं सुन सकते हैं। आज भी मुख्य मंत्री कहते हैं कि कर रहे हैं। पहले वाले भी यही कहते थे और वे कहते कहते टिपा गये, आज भी कहते कहते....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : कर देंगे, कर देंगे कह कर वे टिपा रहे हैं। बात सीधी सी है मुख्य मंत्री वही रहेगा जो रतनगढ़ में कॉलेज बनाने की घोषणा करेगा। जिसको भी रहना हो वही कर दे।

श्री दाऊदयाल जोशी : चंदजी को बनाओगे तो कर देंगे।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से हाउस में सुझाव देना चाहता हूं कि हमको 200 काम करने चाहिए। बिना पक्षपात के 200 काम करने चाहिए। जितने भी जन प्रतिनिधि आये हैं चाहे उधर के हों चाहे इधर के, सबके पीछे जनता का हाथ है स्वयं का कोई बल नहीं है। हमको 200 काम ऐसे करने चाहिए जो उस क्षेत्र की ज्वलन्त समस्या है। सबसे पूछ लीजिये, आपके यहां पर सब से महत्वपूर्ण ज्वलन्त समस्या कौनसी है। सब अपनी समस्या बता दें। निष्पक्षता के साथ समाधान करना चाहिए। मैं तो जब इस सदन में आया था तब से एक ही बात कही है, उसी बात को बराबर दोहरा रहा हूं लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। मेरी समझ में 200 सदस्य हैं, सबसे पूछ लिया जाय कि उनका कौनसा काम होना चाहिए।

(व्यवधान)

ये कहते हैं कि बहुमत से पास हो गया। बहुमत से कहां पास हो गया? सारा सदन कह रहा है। रतनगढ़ में कॉलेज खोल दें, पक्ष के ही नहीं यहां तो सर्वसम्मति से कह

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)

रहे हैं। जब सर्वसम्मति से कहने पर नहीं खोल रहे हैं तो कैसे खोलेंगे यह समझ में नहीं आ रहा है।

मैं, सभापति महोदय, आपको घंटी बजाने की तकलीफ नहीं दूंगा।

श्री सभापति : बड़ी कृपा है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : इसलिए जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय ने प्रस्तुत किया है और जो बीस सूत्री कार्यक्रम की उपलब्धियां हैं उनकी मैं प्रशसा करता हूं। जो उनकी क्रियान्विति में विकृतियां हुई हैं उनको सुधारने की अपेक्षा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : अभी बोलने वाले माननीय सदस्य काफी हैं इसलिए समय सीमा का विचार रखें। 10 मिनट में भाषण पूरा कर दें।

श्री बहादुर सिंह।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मेरे से पूर्व में माननीय सदस्य विपक्ष की ओर से और पक्ष की ओर से बोले, मैं भी इस सम्बन्ध में बोलना चाहता हूं।

मुझे यह निवेदन करना है कि प्रजातंत्र के हिसाब से कार्यक्रम विधान सभाओं में पास किया जाता है। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव आता है, उस पर बहस होती है। सारी बात होती है। सत्ता पक्ष के जो माननीय सदस्य हैं उन्होंने इस प्रस्ताव पर बोलते हुए बराबर जनता पार्टी की बुराई की है। मैंने सारी बुराई सुनी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा की जनता पार्टी की जो सरकार बनी उससे पहले किस की सरकार थी? तीस साल तक कांग्रेस की सरकार थी उस सरकार के समय में पंचवर्षीय योजनायें बनी थीं, लागू हुईं, काम भी हुए, नहीं भी हुए। आज इस हाउस में बैठने वाले माननीय सदस्य हैं और सरकार के जो माननीय मंत्री बैठे हैं क्या उस वक्त ये नहीं थे? क्या इन्हें पता नहीं कि, इन्होंने तीस साल के राज में जनता के हित में क्या काम किया और क्या नहीं किया? जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी, 1977 से लेकर 1980 तक जनता पार्टी की सरकार की बुराई करते रहे। मुझे यह महसूस होता था कि 30 साल कांग्रेस ने राज किया, पर तीस सालों में इन लोगों को अक्ल नहीं थी। क्यों नहीं थी? एक अन्त्योदय प्रोग्राम जनता पार्टी सरकार ने दिया, अन्त्योदय परिवार छांटकर जो काम किया, जो कदम जनता पार्टी सरकार ने उठाया उसकी नकल करके आज बीस सूत्री कार्यक्रम बनाया है। मैं चाहता हूं कि गरीब को तो एक ही सूत्र की जरूरत पड़ती है। उसको जिन्दा रहने के लिए रोजी और रोटी की सुविधायें चाहिए। यही एक सूत्र होना चाहिए। यही एक सूत्र मैं देना चाहता हूं। बीस सूत्रों की क्या आवश्यकता है? एक ही सूत्र काफी

(श्री बहादुरसिंह)

है। पांच सूत्र, बीस सूत्र, इस प्रकार के सूत्र बनाने से जनता का कल्याण नहीं होने वाला है। इनसे गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो हैं, उन आदिवासियों का, हरिजनों का, गरीबों का कल्याण नहीं होने वाला है। आपने सब जनता पार्टी सरकार के कार्यक्रम की 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्दर नकल की है। आज किसी जगह देखो बीस सूत्री कार्यक्रम, नसबन्दी में देखो बीस सूत्री कार्यक्रम, किसी डिपार्टमेन्ट में देखो बीस सूत्री कार्यक्रम, खाने पीने में बीस सूत्री कार्यक्रम, अब चुनाव में भी बीस सूत्री कार्यक्रम लगा रहे हैं। इस प्रकार बीस सूत्र का नाम लेने से क्या हो जाता है?

मैं आपको बंगाल का उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां की विधान सभा की कमेटी गयी थी तो वहां के स्पीकर महोदय ने हमारी कमेटी से बात की। हम लोगों ने पूछा कि आपके यहां पर बीस सूत्री कार्यक्रम की क्या स्थिति है? उन्होंने हमारा मुंह यह कह कर बन्द कर दिया, हमारे कई साथी और भी बैठे हैं जो वहां गये थे, यह हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री का एक बहाना है, बीस सूत्री कार्यक्रम के नाम पर देश की जनता को गुमराह बनाने की बात है। एक क्या 100 सूत्र बना दो, असल सूत्र तो रोजी रोटी का सवाल है। असल में तो रोजी रोटी का सवाल ही पूरा करना है इसके लिए बीस क्या 100 सूत्र कर दो तो क्या फर्क पड़ने वाला है।

श्री भेरूलाल भारद्वाज : आप यह भी बतायें कि केन्द्र से जो उसको सहायता मिलती है उसका 17 प्रतिशत ही उत्पादक कार्यों में लगाया है बाकी अंट संट खर्च कर दिया....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री त्रिलोक सिंह : गलत कह रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : रिकार्ड नहीं करें....

श्री त्रिलोक सिंह : ×××

श्री मेघराज तावड़ : ×××

श्री भेरूलाल भारद्वाज : ×××

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। बाधा नहीं डालें। आप भाषण चालू करें।

श्री बहादुर सिंह : आप बोलते हैं तो मैं कभी नहीं बोलता हूं। अगर मेरे द्वारा बंगाल की बात कहने से आपको चुभ गयी है तो मैं क्षमा चाहता हूं लेकिन कहूंगा जरूर। मेरा कहना यह है कि पंडितजी अभी बोले, बड़ी मीठी भाषा में, स्पष्ट शब्दों में कांग्रेस के खिलाफ बोले। आपकी ढेर सारी बुराई की। ढेर सारी बुराई सम्मिलित थीं जिसकी न कोई गिनती है, न हिसाब किताब है। उस समय तो आपका मुंह बन्द था। इस प्रकार की बात थी।

××} माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री बहादुरसिंह)

आप पंचवर्षीय योजना बनायें, बीस सूत्री कार्यक्रम बनायें हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जनता का मतलब तो यह है कि रहने के लिये मकान, खाने के लिए भोजन और करने के लिये कोई काम चाहे वह धन्धा हो मजदूरी या नौकरी हो और पहनने के लिए कपड़ा हो। सरकार यह व्यवस्था करे उसी को राज करने का अधिकार है। बराबर बात कहते हैं और तीस साल की बात को भूल जाते हैं। जनता पार्टी सरकार ने यह किया, यह किया। मैं कहता हूं कि आपने जनता पार्टी सरकार की नकल की है। जनता पार्टी सरकार ने जो काम सैंक्शन किये थे उन्हीं को पूरा किया है। सभी मंत्री महोदय गांवों में जाते हैं तो कार्यक्रम क्या बनता है, किसी स्कूल का उद्घाटन करना है, किसी भवन का उद्घाटन करना है। जो सरकार यह तीन काम करेगी वही सरकार राज करेगी। आप बराबर 20 साल पुरानी बात भूल करके चार साल की कहते हैं कि जनता पार्टी सरकार से ज्यादा काम किया है। पर मैं कहता हूं कि जनता पार्टी सरकार की सिर्फ नकल की गई है। जनता पार्टी सरकार का कोई काम नहीं किया। जनता पार्टी सरकार ने जो काम सैंक्शन कर दिया था उन्हीं कामों को पूरा किया है। उसके उद्घाटन के लिये आप जाकर कैंची लगाते हैं। सभी मंत्री महोदय गांवों में जाते हैं तो वहां कार्यक्रम बनाते हैं, स्कूल का उद्घाटन कर दो साहब, पुलिया का उद्घाटन कर दो साहब, बिल्डिंग का उद्घाटन कर दो साहब। जो जनता पार्टी की सरकार ने काम सैंक्शन किये थे उन्हीं कामों को पूरा करके आप कैंची लगा आते हैं। कौन सा नया कार्यक्रम किया? कौन सा काम किया? कौन सी स्कूल बिल्डिंग बनायी आपने? किसी भी गांव में चार साल में आपकी तरफ से एक काम नहीं हुआ है। आज गांव में देखें, डूंगरपुर के आदिवासी क्षेत्र में जाकर देखें, बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्र में प्रतापगढ़ में जाकर देखें, एक भी नये सिरे से काम नहीं हुआ है। ट्राइबल प्लान के माध्यम से नये सिरे से एक भी काम नहीं हुआ है। सभापति महोदय, ट्राइबल प्लान का तो भगवान ही मालिक है। यह तो दिल्ली सरकार की योजना है, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के आदिवासी लोग अनपढ़ हैं समझ नहीं पायेंगे तो हमारे अधिकारी लोग वहां पलेंगे। जैसे राजा महाराजा लोग सूअर पालते थे, ट्राइबल प्लान खोल करके बांसवाड़ा डूंगरपुर में इन अधिकारियों को पाल रहे हैं। आज हम किसी भी चीज की मांग करते हैं तो कहते हैं ट्राइबल प्लान से मिलेगी। आज हम सड़कों की मांग करते हैं तो कहते हैं कि ट्राइबल प्लान में बनायेंगे। शिक्षा के लिये स्कूल खुलवाना चाहते हैं, अध्यापक बढ़ाने की बात करते हैं, डाक्टर नये लगाने की बात करते हैं, कंपाउन्डर नये लगाने की बात करते हैं, तो कहते हैं ट्राइबल प्लान को अगर फण्ड मिलेगा तो हम डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में सैंक्शन कर देंगे। क्यों देंगे। ट्राइबल प्लान से? क्या हमारा हक नहीं है, राजस्थान के बजट के माध्यम से काम कराने का कोई हक नहीं है। जो पैसा आता है योजना का उस पैसे से डूंगरपुर में सड़क सैंक्शन नहीं करते। यहां सब कहते हैं कि ट्राइबल प्लान का पैसा केन्द्र का पैसा है

(श्री बहादुरसिंह)

और डूंगरपुर, उदयपुर आदि में खर्च किया जायगा और वहा जाकर कहते हैं कि सैंक्शन ही नहीं मिली। राज्य सरकार ने स्कूल खोले, प्राइमरी स्कूल खोले वह ऐसी जगह पर खोले हैं जहां पहले से ही स्कूल चलते रहे हैं। स्कूलों की लिस्ट बांसवाड़ा में आयी थी। सुधार करके वापस भेजी। यह नियम है दूर दराज के गांव, जिसमें झोंपड़ी बनाकर आदिवासी काश्तकार रहते हैं, की 300 आबादी पर एक स्कूल खोलने का प्रावधान रखा है जब कि ट्राइबेल प्लान में 250 का आधार आपने खतम कर दिया, नहीं माना और 300 का क्राइटेरिया बना करके स्कूल खोले तो बहुत कम स्कूल खुले। वे भी राज्य सरकार के माध्यम से खुले। ट्राइबल एरिया के लिये अलग से फंड मिलेगा, अलग से कोटा निर्धारित किया हुआ है। ट्राइबल प्लान कोटे मे से एक स्कूल नहीं खुला। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आसपास में 200-150 की जनसख्या वाले कुछ गांव हों, कोई बड़ा गांव पास में नहीं हो और 5 कि.मी. की दूरी पर हो तो उन गांव के लड़कों का क्या होगा? वे लड़के कहां पढ़ने जायेंगे? उनके लिये क्या व्यवस्था की? राज्य सरकार 300 की आबादी वाले गांव की बात करती है। लोगों को दबाया जाता है, गांवों में कांग्रेसी नेता, मंत्री महोदय जाते हैं और कहते हैं कि हमारी पार्टी में आ जाओ, हमारी सफेद टोपी पहन लो तब तुम्हारे यहां स्कूल खोलेंगे। एक छोटे से स्कूल के लिये पार्टी बदलने की बात करते हैं। धर्म बदल नेकी बात करते हैं। कर्म बदलने की बातें करते हैं। ××× है कांग्रेस सरकार पर। शर्म आनी चाहिए कि इस प्रकार से गरीब आदिवासी काश्तकारों के साथ खिलवाड़ करते हैं, अनपढ़ लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं लोगों को दबाया जाता है। यह शर्म की बात है कि राज्यपाल महोदय को यहां बुला करके इस हाउस में कहलाते हैं आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र में यह कर रहे हैं वह कर रहे हैं। ऐसी पुस्तिका निकाल कर इस प्रकार लिखने से क्या होगा? गांव में काम करने से लोगों को फायदा होगा। काम देने से लोगों को फायदा होगा। अच्छी व्यवस्था करने से लोगों को फायदा होगा। किन्तु मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं भूतपूर्व मन्त्री जी है गोविन्द आमलियाजी यहां मौजूद हैं उनको बुरा तो लगेगा लेकिन आप तत्कालीन मंत्री हैं, 23-24 जून, '82 में बांसवाड़ा में आपका प्रोग्राम बना था। आपको मालूम ही नहीं कि किन किन नालों का सर्वे हुआ और उनकी सैंक्शन हुई है या नहीं हुई है, मंजूरी मिली या नही मिली, कोई पता नहीं। वहां तक तत्कालीन जिला प्रमुख महोदय ने जैसा भी प्रोग्राम बना दिया उस प्रोग्राम में चले गये और जा करके शिलान्यास कर आये दो तालाबों का, एक ढाढ़ी का बांध और दूसरा वसंडी का बांध। दो जगह शिलायान्स करके आये। मैंने पूछा कि क्या बात है? शिलान्यास कर आये लेकिन सैंक्शन है कि नहीं? घोषणा भी की कि 500 मजदूर भी लगा दिये जायेंगे। उस समय 500 मजदूर भी लगा दिये और साथ में कह दिया कि आज काम

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री बहादुर सिंह)

करो दो चार दिन जब तक बरसात नहीं होती। बरसात होने पर काम बन्द कर देना। दीवाली के बाद पुनः काम चालू किया जायगा और दोनों तालाब पूरे कर दिये जायेंगे। मन्त्री महोदय ने घोषणा की, प्रमुख महोदय ने भी घोषणा की। लेकिन लोग आज हमारे पीछे पड़े हुए हैं कोई सैंक्शन नहीं हुई, सर्वे भी हुआ था नहीं, यह भी मालूम नहीं। स्कीम बनी या नहीं, यह भी मालूम नहीं और घोषणा कर आये। लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि एम. एल. ए. साहब, तुम लोगों ने जनता पार्टी के माध्यम से वोट लिया, आज काम नहीं हो रहा है। प्रमुख साहब और मंत्री महोदय आये और कह गये कि मंजूरी तो है परन्तु तुम लोगों ने वोट दिया जनता पार्टी को इसीलिये काम नहीं चल रहा लेकिन घोषणा कर आये थे। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इतने बड़े राजस्थान के जिम्मेदार आदमी, जिन्होंने जनता का जिम्मा लिया है, को इतना भी ख्याल नहीं है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट का ए. ईएन. साथ में था कि नहीं। यह तो उनको देखना चाहिये था कम से कम। बिना देखे ही शिलान्यास कर दिया और आज हमारी आफत हो रही है। इस प्रकार के आज कांग्रेस राज में महामहिम मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, इस पर रोक लगायी जाय। माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार से अनजान व्यक्ति जो हो उनको सोच समझ कर गांवों में जाना चाहिये, घोषणा करनी चाहिये तब तो ठीक रहेगा अन्यथा आपको तो ××× ही साथ ही हमें भी जन प्रतिनिधि के नाते बिना गिनती के ××× तो हम गिनने कहां जायेंगे। तो मैं मंत्री महोदय से इतना ही कहना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री बहादुर सिंह : तो मैं साथ साथ में इस साल....

श्री अध्यक्ष : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री बहादुर सिंह : मुझे बहुत कम समय दिया है।

माही परियोजना के लिए बात कहना चाहूंगा कि माही परियोजना का पानी सीमित रहेगा। बांसवाड़ा जिले में आदिवासी और गैर आदिवासी सभी काश्तकारों को पानी मिलने की बात कहते हैं, उसमें दर्शाया भी गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माही परियोजना का पानी मिला जरूर मैं झूठ नहीं बोलना चाहता मगर बिना नहर के पानी देने से तमाम आदिवासी काश्तकारों के खेतों की जो काली मिट्टी होती है वह बह जाती है। बड़ी जल्दी पानी बह जाता है। वहां पानी रुकता नहीं है। मिट्टी पानी रोकने वाली नहीं है। कच्ची नहरों में, नाले बना करके पानी ले गये, इतना वहां पानी गया कि काश्तकारों की जमीन साफ बरबाद हो गयी, खराब हो गयी और फसल भी खराब हो गयी। फिर कहते हैं कि ऊसर आ जाती है। तो

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री बहादुरसिंह)

ऐसे तो ऊसर आने की संभावना है। मेरा निवेदन है, माही नहर से पानी दिया जाय उन काश्तकारों को नहर पक्की बना करके पानी दिया जाय अन्यथा देना या नहीं देना बराबर है क्योंकि तमाम जमीन बहकर नदी नालों में चली जायेगी और काश्तकारों को नुकसान होगा। दूसरी बात यह है कि माही परियोजना का पानी जब दिया तो एक नहर से हरो डैम में डाला माही परियोजना के अधिकारियों ने। हरो डैम जो था वह कृषि विभाग के अन्तर्गत था। कृषि विभाग से ले लिया माही परियोजना वालों ने। नहर डाल करके पानी दिया तो हरो डैम से जितनी सिंचाई पहले सालों में होती थी काश्तकारों के खेतों की उन आदिवासी काश्तकारों को पानी न दे करके उस नहर के माध्यम से दूसरे गांवों में पानी दिया। उन लोगों को आठ दिन तक पानी मिला। एक बार पानी देने के बाद उन लोगों को आज दिन तक पानी नहीं मिला और उनकी फसलें सूख रही हैं। 7 गांव ऐसे हैं, मेरे पास लिस्ट तो नहीं है, है तो सही लेकिन यहां नहीं लाया और नाम याद नहीं हैं, उन 7 गांवों में आज के दिन गेहूं की फसल खड़ी है, पानी की बूंद तक नहीं पहुंची, और आप कहते है कि माही परियोजना के माध्यम से सिंचाई का प्लान बनाया है। शर्म आनी चाहिए कि अधिकारियों के आंकड़ों पर आप लोग इस प्रकार से लोगों को गुमराह करते हो, आदिवासियों के साथ धोखा करते हो। बहुत बड़ा फ्राड है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे से इस स्थिति में सुधार आना चाहिए।

श्री सभापति : समाप्त कीजिए, कृपया।

श्री बहादुर सिंह : माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो काम बांसवाडा जिले के आदिवासी क्षेत्र में लेने हैं जैसे सडकों का काम है कल मंत्री महोदय ने हम सबको कमरे में बुला कर अलग अलग से पार्टीवाइज लिस्ट मांगी, हमने तो पार्टीवाइज सड़कों के 10–20–50 नाम दे दिये, कितने किलोमीटर देंगे, कितने किलोमीटर नहीं देंगे, इस सम्बन्ध में ...

श्री सभापति : समाप्त कीजिए।

श्री बहादुर सिंह : ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, मंत्री महोदय से इतना निवेदन जरूर करूंगा कि सड़कों पर धूला डालने से तो सड़कें बनेंगी नहीं। सड़क बनाने से पहले नालों पर पुलिया बनानी चाहिए तब जाकर गांवों में साधन बन सकता है। धूला डालकर कितने ही लोगों ने पेट का गुजारा किया है। वह तो रिलीफ वर्क था, रिलीफ वर्क के आधार पर आपने पैसा खर्च किया। वह भी योजना का पैसा था और वहां गांवों की सड़कें थीं। कान चाहे इस तरफ से पकड़ो चाहे उस तरफ से पकड़ो, है तो कान का कान ही। इसलिए सड़कों से पहले पुलिया बनाने की व्यवस्था करें। पुलिया बनाने के बाद सड़कें बनायें तभी सड़कें गांवों का साधन बन सकती हैं।

मैं ज्यादा समय नहीं लेकर आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया है उसका समर्थन तो बिल्कुल नहीं करूंगा, बड़ी धोखाधड़ी वाली सरकार है इसलिए इसका मैं विरोध करता हूं।

श्री सभापति : श्री शिवदान सिंह।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण) : माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा, मारवाड़ी में एक कहावत है कि सुलझे हुए सूत से तो कपड़ा बनाया जा सकता है लेकिन उलझे हुए सूत से कपड़ा बनाना बहुत मुश्किल है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आयी तब हमने सुलझा हुआ राज इनको दिया था। 1980 में जब ये वापस गये तो इन्होंने सारा सूत उलझा दिया था। जब इनसे राज चला नहीं, सूत उलझ गया और राज चलाने में असमर्थ हो गये तो छोड़ कर चले गये। वह स्थिति राज्य की बिगडी हुई स्थिति थी। उस स्थिति में हमारी पार्टी 1980 में वापस सरकार में आयी और हमने रचनात्मक तरीके से सोचना शुरू किया, विकास की तरफ देखा। डेस्ट्रेक्टिव एक्टिविटीज, जिनमें जनता पार्टी की रुचि थी, में नहीं पड़ कर रचनात्मक तरीके से सोच कर ढाई-तीन साल में काम किया जो बहुत ही सराहनीय है। मुझे याद है, 80 में जिस वक्त चुनाव हुए थे उस समय गांव-गांव में बिजली के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई थी, पेट्रोल पम्पों पर डीजल की क्यू लगी रहती थी, 24-24 घण्टे के बाद 5 रुपये लीटर में भी डीजल नहीं मिलता था, शक्कर नदारद थी, सड़कें गांव में नदारद थीं लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई थी, जागीरदार लोग डण्डे लिए, मूंछे बटे हुए, शराब पिये हुए घूमा करते थे, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को चलने की स्वतन्त्रता नहीं थी। इतने अरसे के बाद आज हमारी सरकार ने यह हालत कर दी है कि डीजल-पेट्रोल बहुतायत से मिल रहा है और इस वर्ष बड़ी खुशी की बात है कि बिजली की भी बहुत अच्छी सप्लाई रही है, खास कर किसानों को बिजली की तकलीफ नहीं रही, डीजल की तकलीफ नहीं रही। 2-3 साल फेमिन पड़ा उसमें भी हमारी सरकार ने बहुत मेहनत करके बड़ी अच्छी तरह से उन लोगों की देखभाल की, किसी भी आदमी को बिना मजदूरी नहीं रहने दिया, विकास के काम किये, लोगों को अनाज मुहैया कराया, लोगों को मजदूरी मुहैया करायी, पूरे राजस्थान में इतने मेहनत के काम किये। हमारे मारवाड़ में अक्सर अकाल पड़ता है और वहां के लोग मालवा जाया करते हैं। अबकी तीन साल तक अकाल पड़ने के बावजूद मारवाड़ से कोई किसान, मजदूर मालवा की तरफ नहीं गया। गांव में अच्छी स्थिति होते हुए भी सरकार ने, तीन साल इस तरह देखभाल की कि आज हम गांवों में जाते हैं तो देखते हैं कि गांव के किसान और मजदूर खुशहाल हैं, उनके चेहरों पर खुशी है। विरोधी लोग कहते हैं कि 30 सालों में क्या किया? आप गांवों में जाकर देखिये, 30 साल में यह किया कि 30 साल पहले जो लोग नंगे घूमा करते थे, पहनने को कपड़े नहीं थे, आज उनके पास पहनने को कपड़े हैं, उनके हाथों में घड़ियां हैं। उनके पास टेरीकोट के कपड़े है। गांवों में आकर देखें तो लाल, पीली, गुलाबी चुनड़ी का साफा बंधा हुआ दिखेगा, नजर आयेगा। यह सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की वजह से जो नीचे वाला तबका

(श्री शिवदान सिंह राठौड़)

है, आप तो ऊपर वाले सम्पन्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हो, वह जो गरीब तबका है, ऊपर उठ रहा है। यह आपको बर्दाश्त नहीं है। आप नहीं चाहते कि वह ऊपर उठे और आपके बराबर आये। हमारी सरकार इस काम को करने में रुचि रखती है।

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : सभापति महोदय, 20 सूत्र में विशेष रूप से यह कार्यक्रम है कि जो बड़े और छोटे के बीच का डिफरेन्स है वह कम हो। 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि छोटे तबके और बड़े तबके के बीच की खाई कम हो। वह लोग भी वही सुविधायें, जो नेसेसरी हैं, प्राप्त करें। इसके लिए सरकार बहुत जागरूक है। मैं इसके लिये सरकार की तारीफ किये बगैर नहीं रह सकता....

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : परन्तु ?

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : रोडवेज की स्थिति के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इन्होंने रोडवेज को बिल्कुल दिवालिया कर दिया। इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की भी कनेक्शन दे-देकर ऐसी स्थिति कर दी थी। जनरेशन किया नहीं, नई लाइन खींची नहीं। इसका रिजल्ट यह हुआ कि लोगों को बिजली मिलना मुश्किल हो गया। हमारी सरकार ने जनरेशन बढ़ाने में, नई लाइन खींचने में बहुत तत्परता से काम किया जिसका नतीजा यह हुआ कि इस साल बिजली की बहुत सहूलियत रही। रोडवेज घाटे में चल रहा था, इस साल वह भी नफे में आ गया। इस प्रकार बहुत अच्छे कार्य किये हैं, मैं सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं....

श्री दाऊदयाल जोशी : लेकिन ?

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : मेरा निवेदन है कि....

श्री सभापति : व्यवधान न डालें। बोलने दीजिये।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : पंचायत समितियों के मामले में हमने निर्णय लिया था कि 2 लाख से नीचे के काम पंचायत समिति की मार्फत कराये जायं। लेकिन मुझे कहना पड़ता है कि हमारे यहां ही नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि पूरे राजस्थान में चाहे ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम हो, चाहे एन. आर. ई. पी. हो, चाहे पी. डब्ल्यू. डी. का कार्यक्रम हो, चाहे इरिगेशन का कार्यक्रम हो, ये कार्यक्रम अभी भी डिपार्टमेण्ट्स के थ्रू चलाये जा रहे हैं। सरकार ने निर्णय ले लिया, आदेश भिजवा दिये, पंचायतों को आदेश पहुंच गये हैं लेकिन आज भी अफसरशाही इस प्रकार से हावी है कि इन कामों को अपने पंजे से, शिकंजे से बाहर नहीं निकलने देना चाहती है। वह चाहती है कि डिपार्टमेण्ट्स के थ्रू काम हो। मैं पुरजोर शब्दों में सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने जो निर्णय ले लिया है कि सभी विभागों के दो लाख से नीचे के निर्माण कार्य पंचायत समितियों और पंचायतों के मार्फत किये

(श्री शिवदान सिंह राठौड़)

जायं, उस आदेश की क्रियान्विति करायें। सभी विभागों का वह पैसा पंचायत समिति को ट्रांसफर करके वह काम पंचायत समिति और जिला परिषद् की तरफ से किये जायं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में ××× बना हुआ है, जो आज 10 वर्ष से "जमीन हड़पो" धंधा कर रहा है। लैण्ड ग्रैबर्स ××× लोग, सरकार के प्रशासनिक अधिकारी, जो ऊंचे ओहदों पर हैं, वह भी उसमें शामिल हो गये हैं और जगह जगह शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स और जो गरीब लोग हैं उनकी जमीन हड़पने का धंधा कर रहे हैं। वह ××× आज 10 वर्ष से काम कर रही हैं। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे जनता पार्टी की सरकार रही हो और फिर वापस कांग्रेस की सरकार आयी हो, ××× उसी प्रकार से काम कर रहा है, जमीन हड़पने का। लोगों की जेब से पैसा निकाल रहे हैं, बड़े मुकदमों में डाल रहे हैं। बीच में यदि कोई शख्स आ जाता है तो उसको पिटवाया जाता है, उसकी हत्या करवाई जाती है। सरकार के सामने शिकायतें पेश की गयीं, सरकार पता नहीं क्यों उस मामले में एक्शन नहीं ले रही है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, श्री सी. डी. देवल इस ××× के अध्यक्ष हैं। इन्होंने हजारों बीघा जमीन नाजायज तौर पर कब्जे में कर रखी है।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : नाम लेकर न बोलें।

(व्यवधान)

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : आपका कितना मेहनताना है तरफदारी करने लिये

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। ये नाम लेकर नहीं बोलें....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पहले आप स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : नाम लेकर न बोलें....

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : नियमों के अनुसार नाम नहीं ले सकते हैं....

(व्यवधान)

और ये लगातार नाम लेकर बोल रहे हैं....

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : मुझे मजबूर न करे माननीय सदस्य....मैं ××× मैं....

××× अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोकित किये गये।

(119)

(श्री शिवदान सिंह राठौड़)

(व्यवधान)

आरोप लगाना चाहूंगा, फिर कहता हूं कि माननीय सदस्य मुझे आप बाध्य मत करिये। लोग ये कहते हैं कि ये वे विधायक हैं × × ×

(व्यवधान)

के मामले को रफा दफा करा दिया।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : माननीय सभापति महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये, इनका पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : माननीय सभापति सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा है कि × × ×

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : बिल्कुल। बीच में बाधा न डालें। आपका समय आये तब बोलें....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बैठिये। आसन पैरों पर है। आप स्थान ग्रहण कीजिये। आर्डर प्लीज आप क्या कहना चाहते हैं, भैरू सिंह जी।

(व्यवधान)

श्री भैरू सिंह गुर्जर : नाम लेकर नहीं बोलें, बस इतना ही कहना चाहता हूं। नाम लेकर नहीं बोलें, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : स्थान ग्रहण कीजिये। आपका क्या पाइन्ट आफ आर्डर है ?

श्री भैरू सिंह गुर्जर : सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं, माननीय सदस्य ने अभी कहा कि मैं माननीय सदस्य को × × × बताऊं, मैं निवेदन करता हूं और आपके माध्यम से चैलेन्ज देता हूं कि जो बातें सदन के प्रांगण में कह रहे हैं, मैं यहां बैठा हूं, मैं उसका जवाब दूंगा....

(व्यवधान)

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मैं इन बातों का जवाब दूंगा। चार्जेज लगाऊंगा, अगर असत्य हों तो मेरी सदस्यता खतम कर दी जाय, इतना ही कहता हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि कृपया संयमित भाषा में अपनी बात कहें, दूसरे माननीय सदस्यों पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगावें। जल्दी समाप्त करिये।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : मैं यह निवेदन करूंगा कि लैण्ड हड़पो के सी. डी. देवल, जो आर. ए. एस. के अधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं और सांडेराव गांव में इन्होंने

× × × अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री शिवदान सिंह राठौड़)

मिलकर करीब 17 सौ बीघा जमीन, जो शिड्यूल्ड कास्ट्स को दी जानी चाहिये थी, पर कब्जा करके लाखों रुपये की फसल 4 साल तक लेते रहे। मैं माननीय मदेरणा साहब को धन्यवाद दूंगा, वह उस वक्त राजस्व मंत्री थे उन्होंने ग्रार. ए.सी. की गार्ड वहां पर लगवाई। एस. डी. ग्रो. ग्रौर कलेक्टर वहां पर बैठा रहा ग्रौर उसका कब्जा लिया गया ग्रौर वह जमीन शिड्यूल्ड कास्ट्स को ग्रलाट कराई गई ग्रौर शिड्यूल्ड कास्ट्स को उसका पजेशन दिलाया गया। जहां भी कमजोर तबके के लोगों की जमीन होती है उस जमीन को लेने की कोशिश करता रहता है ग्रौर दूसरे ग्रार.ए.एस. ग्रॉफिसर्स, कलिग उसकी मदद करते है। जगह जगह पर उन × × × गरीब ग्रादमियों पर मुकदमें चलाये जाते हैं। ग्राफिसर्स इसका फेवर करते हैं, फैसला करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि वह गरीब हैरान होकर उससे महरूम हो जाते हैं ग्रौर इनके बीच में जो ग्राता है उनके मर्डर कराये जाते हैं। नाम लेकर बताऊं, गोकुलराम जाट का मर्डर करवाया गया। पुखराज जी कालानी, जो इस विधान सभा के सदस्य थे, के पिता का देवल के रिश्तेदार के द्वारा मर्डर करवाया गया। पता नहीं किस प्रकार बच गया। इसी प्रकार से सांडेराव में एक मीणा की हत्या करवाई उस केस में बच गया। चौकीदार की हत्या करा दी गई उस केस में देवल को बचा दिया गया, कानून की तकनीकी खामियों की वजह से। सुखलाल जी सैंणचा के ऊपर जो मर्डर के लिए ग्रटैक किया गया उसमें भी देवल का हाथ है, इसी की × × × का हाथ है। मैं ग्रापको निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रभी कुछ दिनों पहले पिण्डवाड़ा में एक सोसायटी के द्वारा 500 बीघा जमीन शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को ग्रलाट की गई। सी. डी. देवल ने ग्रपने रिश्तेदारों की को-ग्रापरेटिव सोसायटी बनाकर, उस सोसायटी में पाली के लोगों को सिरोही की सोसायटी का मैम्बर बताकर सोसायटी का रजिस्ट्रेशन करवाया। उसमें सिरोही जिले का रहने वाला कोई नहीं है ज्यादातर पाली के रहने वाले हैं...

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर।

श्री सभापति : स्थान ग्रहण कीजिये। पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर है। पहले ग्रापका पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर सुन लें।

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री (ग्रजमेर पश्चिम) : किस बात का पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर है ? यह भी कांग्रेसी हैं ग्रौर ग्राप भी कांग्रेसी हैं।

(व्यवधान)

श्री शिवराम शर्मा : ग्राप किसी ग्रधिकारी का बिना परमिशन नाम नहीं ले सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : परमिशन ले

× × × शब्द माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रपलोकित किया गया।

(श्री शिवदानसिंह राठौड़)

ली है पहले मालूम कर लीजिये।

(व्यवधान)

श्री सुखलाल सेंणचा (रायपुर) : आप भ्रष्ट अधिकारी की पैरवी करने जा रहे हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण कीजिये, आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

आपका क्या पाइन्ट आफ आर्डर है, शिवराम जी ?

श्री शिवराम शर्मा : सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि बार-बार एक अधिकारी का नाम लेकर सम्बोधित कर रहे हैं। पहले भी कई दफा ऐसा हुआ है कि किसी अधिकारी का नाम नहीं लिया जाय जो कि सदन का सदस्य न हो। और यह बार-बार उसका नाम लिये जा रहे हैं। यह परम्परा पड़ जायेगी....

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : परमिशन ले ली है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : पहले इनको बोलने दिया जाय....

श्री शिवराम शर्मा : अधिकारी का बार-बार नाम ले रहे हैं उसको एकपन्ज किया जाय और नाम बोलने से रोका जाय।

(व्यवधान)

श्री सुखलाल सेंणचा : राजस्थान को सही प्रशासन देने के लिये इस प्रकार के भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों की कलई इस हाउस के अन्दर खोली जाय....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : यह बोल रहे हैं बार बार....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर। श्री सुखलाल सेंणचा, आपका पाइन्ट आफ आर्डर है ?

श्री सुखलाल सेंणचा : मुझे तो यही निवेदन करना है कि इस राजस्थान को सही प्रशासन देने के लिये इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों की कलई इस हाउस में खोली जाय....

(व्यवधान)

श्री भैरूसिंह गुर्जर : यह इनका भाषण है, आपका....

श्री सुखलाल सेंणचा : मेरा भाषण तो बाद में होगा।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर। श्री शिवदान सिंहजी।

श्री शिवदान सिंह राठौड़: प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 273 के तहत मैंने इस सम्बन्ध में नोटिस दिया है, मालूम कर लीजिये। पिण्डवाड़ा पंचायत समिति में 5 सौ बीघा जमीन, जो शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की थी, सी. डी. देवल ने सोसायटी बनाकर रजिस्टर्ड करवाई। उसमें पाली जिले का एक भी निवासी नहीं है। फर्जी सोसायटी बनाई। संजय देवल, जो श्री सी० डी० देवल के पुत्र हैं, उसके अध्यक्ष बने। ××× जबर्दस्ती कब्जा कर लिया और दो साल से उस पर खेती करके लाखों रुपये की फसल ले जा रहे हैं। वहां शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रो रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। वह अपने कलिग ऑफिसरों, डीवाई. एस. पी., एस. पी., कलेक्टर किसी के यहां पर....

(व्यवधान)

और उन ××× को न्याय नहीं मिलने देते। इसके लिए पिण्डवाड़ा के प्रधान, नेनमल रावल ने राज्य सरकार को यह शिकायत की उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों का पक्ष लिया जिनको यह जमीन मिलनी चाहिये। इससे नाराज होकर अभी कुछ दिन पहले इस देवल के ××× ने पिण्डवाड़ा के उस प्रधान की कुल्हाड़ी से हत्या करने का प्रयत्न किया....

(व्यवधान)

कुल्हाड़ी से वार किया। वह आज भी सिरोही के हॉस्पिटल में भर्ती है और जिन्दगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। जो तीन मुल्जिम उसमें बनाये थे, दो मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन मुल्जिमों के बयान लिये गये तो उन मुल्जिमों ने यह कहा है कि बालकिशन, जिसने कुल्हाड़ी चलाई है. और वह उदयपुर तक तीनों मुल्जिम साथ थे। जो मुलजिमान गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने अपने बयानों में कहा है कि बालकिशन सी. डी. देवल के पास जयपुर गया है और गांधी नगर के सैकिण्ड टाइप के 2/17 नम्बर के फ्लेट, जो एम. एल. एज. के लिये बना है, में सी. डी. देवल आर. ए. एस. अधिकारी रहता है जो केवल एम. एल. एज. के लिए रिजर्व है उस 2/17 में देवल रह रहा है उसमें यहीं बालकिशन छिपा हुआ है। उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : किसके नाम से फ्लाट है? किसका मकान है?

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : यह मुझे पता नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस सोसायटी का आडिट हुआ, जो आडिट रिपोर्ट है उसके पैरा पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। जो आडिटर था, जिसने आडिट इन्सपेक्शन किया, जिसने इनके खिलाफ इन्क्वायरी की उसको भी बुरी तरह से पीटा गया और उस आडिट इन्सपेक्टर को सिरोही से हटा दिया गया। उसने लिखा है, इस सारे षड्यन्त्र में राजपत्रित अधिकारी श्री सी. डी. देवल का हाथ है और नायब तहसीलदार पिण्डवाड़ा, श्री सूरजकरण भी शामिल है। नये सदस्यों की सूची देते हुए आडिट इन्सपेक्टर ने

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री शिवदान सिंह राठौड़)

लिखा है कि यह सदस्य देवल के रिश्तेदार हैं तथा पाली जिले के निवासी हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। बात नहीं करे।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : यह सदस्य उन अधिकारी के रिश्तेदार हैं व इनके लड़के का मेम्बर व अध्यक्ष होना प्रमाणित करता है कि सारा काण्ड देवल की वजह से हुआ है। बालकिशन पुत्र श्री थानाराम जिसने कुल्हाड़ी से वार किया वह सोसायटी का सदस्य है और इस प्रकार के 18 आदमियों को इसने मैम्बर बना कर फर्जी सोसाइटी बनाई जो सारे जिला पाली के रहने वाले हैं। सभापति महोदय, आडिट इन्सपेक्टर लिखते हैं कि यह लोग निजी तौर से काश्त नहीं कर रहे हैं और केवल सी. डी. देवल के लड़के संजय देवल को अनधिकृत रूप से अध्यक्ष बना रखा है। यह लिखा है। दौलत राम, आडिट निरीक्षक, सहकारी समिति, जिसने जांच की को भी पीटा और सिरोही से उस बेचारे को जैसलमेर या कहीं ट्रान्सफर करवा दिया। यह हालत है इन अधिकारियों की, जो यह × × × बनाकर कर रहे हैं। इसमें और लिखा है उस आडिट इन्सपेक्टर ने, जो आडिट जांच पड़ताल से ज्ञात हुआ कि नीचे लिखे पतों में से ये समस्त व्यक्ति सिरोही जिले के बाहर के जिला पाली, जिला अजमेर तथा जिला जोधपुर के मूल निवासी हैं जो इस संस्था के उप नियमों तथा सहकारी अधिनियम, 1965 तथा नियम, 1966 के प्रावधानों के अनुसार सदस्य नहीं बन सकते और इसके अतिरिक्त समस्त व्यक्ति आतंकवादी हैं तथा बड़े काश्तकार हैं जिनके भीमाना गांव में काश्तकारों से पुलिस मुकदमें चल रहे हैं। आडिट के दौरान गांव भीमाना के निवासियों ने बताया कि उक्त समस्त व्यक्ति श्री सी. डी. देवल, जो जयपुर में राज्य सरकार में नौकरी करते हैं, के रिश्तेदार हैं तथा पिण्डवाड़ा तहसील के नायब तहसीलदार सूरजकरण स्वरूपगंज में ही रहते हैं इस जमीन पर काश्त करते हैं। यह आडिट रिपोर्ट के पैरा में आया है। उसमें लिखकर दिया है सब कुछ। पंचायत समिति पिण्डवाड़ा में सर्वसम्मति से रिजोल्यूशन लिया गया कि इसके खिलाफ कार्यवाही की जाय लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज भी देवल के पास वह मुल्जिम बालकिशन बैठा है। गवाही में उन्होंने बयान दिया है कि देवल के यहां बालकिशन है। सारे सबूत हैं, एस. डी. ओ. सिरोही मानता है परन्तु पता नहीं क्या है कि देवल को गिरफ्तार नहीं करते, उसको पुलिस में एन्टेनगल कहीं करते। क्यों नहीं इस आदमी को इस षड्यंत्र में गिरफ्तार किया जाता? मेरी राज्य सरकार से प्रार्थना है कि इस जमीन को धारा 145 में कुर्क किया जाय। दो मुल्जिमों ने बयान दिये हैं कि देवल का हाथ है, वहां के अधिकारियों ने बयान दिया, पिण्डवाड़ा के प्रधान ने बयान दिया है, कई लोगों ने यह कहा है।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ग्रार्डर, ग्रार्डर। ग्रार्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री शिववदान सिंह राठौड़ : मेरे ऐसे कोई दस्तखत नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ग्रार्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सुखलाल संगचा : सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है कि ग्राज भी श्री सी डी. देवल....

(व्यवधान)

श्री सभापति : यह बात ये खुद ही बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री शिववदान सिंह राठौड़ : सभापति महोदय, इस प्रकार के प्रशासनिक ग्रधिकारी जिन्होंने कि प्रशासनिक ग्रधिकारियों की ××× बना रखी है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : इनको ग्रपनी बात कहने दीजिये। ग्राप थोड़ा संक्षेप में कर लें।

श्री शिववदान सिंह राठौड़ : जो गरीब हैं, जो बेगुनाह हैं, जो निर्बल रह गये हैं उनको खुला लुटने के लिए छूट दे दी तो प्रजातन्त्र कायम नहीं रह सकेगा। इसलिए मेरा ग्रापसे निवेदन है ग्रौर सरकार से खास तौर से निवेदन है कि इस सोसायटी को तुरन्त भंग किया जाय। ग्रापके ग्राडिटर की ग्राडिट रिपोर्ट है। मेरा वहां एक भी प्लाट नहीं है। मेरा निवेदन है सोसायटी को तुरन्त भंग करके एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाय। धारा 145 में इसको कुर्क किया जाय ग्रौर....

(व्यवधान)

धारा 120बी में चालान किया जाय। यही मेरा निवेदन है। मुझे ताज्जुब होता है, उस जमीन पर नाजायज इनका कब्जा है। एन. ग्रार. ई. पी. में दो लाख रुपया स्वीकृत हुग्रा, पता नहीं कैसे दिया जबकि उसकी जमीन नहीं है। गरीबों को, दूसरे गांवों को नहीं दे सकते लेकिन एन. ग्रार. ई. पी. ने दो लाख रुपया इस जमीन पर स्वीकृत कर दिया।

इसी प्रकार देवल का गांव 40 घरों का गांव है। पांच-पांच सौ घरों के गांवों में ग्रौषधालय नहीं है परन्तु चालीस घर के गांव में ग्रायुर्वेदिक ग्रौषधालय खोल दिया गया। जहां ग्रायुर्वेदिक ग्रौषधालय की बिल्डिंग थी, वहां ग्रायुर्वेदिक ग्रौषधालय नहीं खोले गये एवं देवल के गांव में ग्रायुर्वेदिक ग्रौषधालय दस दिन पहले खोला गया। ग्रायुर्वेदिक ग्रौषधालय की बिल्डिंग उस गांव में ग्राज से 6 महीने पहले एन. ग्राइ. ई. पी. का पचास हजार रुपया खर्च

××× शब्द माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित किया गया।

(श्री शिवदानसिंह राठौड़)

करके बनाई गई थी। पांच-पांच सौ घर के गांव हैं वह मोहताज हैं आयुर्वेदिक औषधालय के लिये, एन. आर. ई. पी के पैसे के लिये; उनको तो पैसा नहीं दिया जा रहा है लेकिन इस प्रकार के××× भ्रष्ट अधिकारियों को यह पैसा देकर सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही मैं कहूंगा कि सरकार इस पर गम्भीरता से सोचे और धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे तब उसमें कोई डायरेक्शन दे।

इसके साथ ही धन्यवाद प्रस्ताव जो आया है उसका समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर।

माननीय सभापति महोदय, अभी बहस के दौरान सदनके एक बहुत ही जिम्मेदार और अनुभवी माननीय सदस्य ऐसे तथ्य सामने लाये हैं जो बहुत ही लज्जाजनक हैं। साथ ही इन्होंने यह भी कहा है कि माननीय सदस्य, भैरू सिंहजी गुर्जर इसमें ××× शामिल हैं।

श्री सभापति : ऐसी बात ?

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : कही है, बाकायदा कही है।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : He will maintain. वह मेनटेन करेंगे। यह कहा है कि इस सारे घोटाले में इनका भी हाथ है इनकी जमीन है, एक बात तो यह है।

एक माननीय सदस्य : यह किस नियम के अन्तर्गत पाइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया, यह तो बता दें।

श्री भंवरलाल शर्मा: और दूसरा ××× चार्ज यह लगाया है कि श्री गुर्जर ने अपने किसी ये ××× दी. चार्जेज हैं, ये बड़े सीरियस हैं, जो इन्होंने लगाये हैं। अगर यह ×××हैं और रिकार्ड पर रह गये तो इनकी क्या इज्जत होगी।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपने जो पाइन्ट ऑफ आर्डर उठाया है....

(व्यवधान)

आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथ सिंह : इस प्रोसीडिंग्स पर डिस्कशन मांगेंगे।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री भैरू सिंह गुर्जर का

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री भैरू सिंह गुर्जर : सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि माननीय सदस्य, शिवदान सिंहजी ने आरोप लगाये हैं। तो मैं चैलेन्ज से कहता हूं उसको साबित करें वरना इनको आज की प्रोसीडिंग्स से निकलवाइये। आरोप बेबुनियाद हैं, निराधार हैं। और

××× शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरू सिंह गुर्जर)

माननीय सदस्य को चेतावनी दें आयन्दा ऐसे बेबुनियाद, निराधार आरोप नहीं लगायें किसी माननीय सदस्य के खिलाफ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि मेरे ऊपर चार्ज लगाया गया है उसको या तो माननीय सदस्य प्रमाणित करें अन्यथा उसको सदन की कार्यवाही से एक्सपन्ज कराया जाय।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : यह एक्सपन्ज करने की बात नहीं है। माननीय सदस्य के ऊपर चार्ज लगाया गया है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

अभी सदन में माननीय सदस्य भैरू सिंह गुर्जर पर जो चार्ज लगाया है, आप उसके बारे में स्पष्टीकरण करना चाहें तो कर सकते हैं। जहां तक सवाल अनपार्लियामेन्टरी शब्दों का है उसको चैक करके जो भी अनपार्लियामेन्टरी शब्द होंगे, सदन की कार्यवाही से हटा दिये जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर है। आई एम ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : सभापति महोदय, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह आरोप गलत है। आप मेरे मकान के पास ही रहते हैं, मैं आपसे कई बार मिला हूं, आपके और मेरे सम्बन्ध पुराने हैं आप भी जानते हैं कि मेरा कैसा सम्बन्ध है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। माननीय सदस्य, श्री भैरू सिंह गुर्जर अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं।

आर्डर, आर्डर, आर्डर।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : सभापति महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आरोप मेरे ऊपर माननीय सदस्य ने लगाये हैं वह बिलकुल ही गलत हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर

श्री भैरू सिंह गुर्जर : सभापति महोदय, माननीय सदस्य, जिन्होंने चार्ज लगाये हैं, मेरे साथ अभी चाय काफी पीने के लिये गये थे। उन्होंने उस वक्त कहा था कि मैं सी० डी० देवल पर आरोप सदन में लगाऊंगा, आप बोलना मत।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : बिल्कुल ही गलत है। सभापति महोदय, मैंने ऐसा नहीं कहा।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, मैं सदन के अन्दर भारत माता की कसम खा कर कहता हूं कि माननीय सदस्य ने मेरे ऊपर जो आरोप लगाये हैं अगर एक भी सही हो तो मैं सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दूंगा। और अगर गलत हो तो माननीय सदस्य, जिन्होंने चार्ज लगाया है, सदन से त्याग पत्र दे दें। उन्हें × × × बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे तो कोई भी आरोप लगा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सुखलाल सेंगवा : यह कोई जवाब नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आर्डर, आर्डर प्लीज। Take Your Seat. आर्डर, आर्डर। आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है। आर्डर आर्डर।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : शर्म आनी चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे रहें हैं, कृपया शांत रहें।

आर्डर, आर्डर। किसी भी माननीय सदस्य पर आरोप सदन में लगाया जाता है तो उसे पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने का अधिकार है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, मैं भारत माता की कसम खा चुका हूं और मैंने कहा है कि मेरे ऊपर जो चार्ज लगाया है वह गलत है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें। यह कोई तरीका नहीं है कि आप बीच बीच में व्यवधान डालें। माननीय सदस्य, श्री भैरूंसिंह गुर्जर।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, यह विधान सभा है यहां पर कोई भी व्यक्ति अगर मेरे ऊपर चार्ज लगाये तो उसको साबित कर दें। इस तरह की बातें करते हैं।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : मैं भी यही कहता हूं कि यह विधान सभा का प्रांगण है...

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, जो मेरे लिए कहा गया है उसको एक्सपन्ज कराया जाय।

श्री सभापति : मैंने पहले ही व्यवस्था दे दी है कि जो भी अनपार्लियामेंटरी शब्द होंगे उन को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : प्रान ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, सभापति महोदय।

श्री सभापति : ग्रापका क्या है पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर ?

श्रीराम रघुनाथ चौधरी : सभापति महोदय, मेरा पाइन्ट ग्रॉफ ग्रार्डर यह है कि सदन में राज्यपाल महोदय के ग्रभिभाषण पर ग्रभी बहस चल रही है ग्रौर इस दौरान एक माननीय सदस्य ने एक दूसरे माननीय सदस्य पर चार्ज लगाया। उस पर ग्रापने व्यवस्था भी दे दी। ग्रापने, यह कहा कि सदन की कार्यवाही में ग्रगर कोई ग्रनपार्लियामेंटरी शब्द होंगे तो उसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा, ऐसे ग्रापने निर्देश दे दिये थे। तो मेरा निवेदन है कि ग्रब ग्रागे कार्यवाही होनी चाहिये ग्रौर इस मसले को यहीं समाप्त कर देना चाहिये।

श्री सभापति : यह तो पहले ही निर्णय हो चुका है पर माननीय सदस्य कुछ ग्रपना पर्सनल स्पष्टीकरण देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : ग्रान ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर।

श्री सभापति : ग्रापका क्या है पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर ?

(व्यवधान)

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : ग्रान ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर।

श्री सभापति : ग्रापका क्या पाइन्ट ग्रार्डर है ?

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : सभापति महोदय, जैतारण से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने ग्रपने भाषण के दौरान माननीय सदस्य भैरूंसिंह गुर्जर पर ग्रारोप लगाये थे उसमें उन्होंने यह भी कहा था कि माननीय सदस्य सुखलाल सैंणचा पर कुछ लोगों ने हमला कराया इससे हो सकता है कि ग्रौर भी सदन के माननीय सदस्य हैं जिन पर इस प्रकार हमला हो। तो मेरा निवेदन है कि जो माननीय सदस्य हैं उनकी सुरक्षाकी जिम्मेदारी सरकार की है उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने हमला किया था उन लोगों के खिलाफ पुलिस का इन्वेस्टीगेशन हो चुका है ग्रौर उन लोगों का चालान भी पेश हो चुका है ग्रौर उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है। ग्रगर किसी माननीय सदस्य को किसी प्रकार का वहम या डर हो तो वह हमसे कहे ताकि उस माननीय सदस्य को पुलिस द्वारा प्रोटेक्शन दिलाया जा सके।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ग्रार्डर, ग्रार्डर।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, मेरा पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर है।

श्री सभापति : क्या है ?

(व्यवधान)

सुखलाल सैणचा : दो हजार रुपये के नोट उसके लिए खर्च किये गये थे ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर ।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, हम जन प्रतितिधि हैं, हमें जनता ने चुन कर भेजा है....

श्री सभापति : आपका पाइन्ट आफ आर्डर क्या है ? आप भाषण नहीं दें ।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, हमें जनता ने चुन कर भेजा हैं । अगर यहां पर किसी भी माननीय सदस्य पर कोई माननीय सदस्य करप्शन का चार्ज लगाये या बलात्कार का चार्ज लगाये तो वह बहुत ही सीरियस चार्ज होता है और उससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचती है....

श्री सभापति : उसका जवाब दे दिया गया है । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, जवाब दिया गया पर जो चार्ज लगाये गये हैं उसको दूसरे माननीय सदस्य, जो चार्ज लगाने वाले हैं, प्रूव करने को तैयार हैं। यह, सभापति महोदय, माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा का सवाल है और हमारी प्रतिष्ठा का सवाल हैं । नहीं तो कोई भी व्यक्ति × × × चार्ज लगा देगा । इसके सही तथ्य क्या हैं उसके लिए सदन में चर्चा होनी चाहिये, बहस होनी चाहिये यह बहुत ही गम्भीर विषय है । प्रजातान्त्रिक प्रणाली में इस तरह से विधान सभा के प्रांगण में चार्ज लगाये जायेंगे तो फिर जन प्रतिनिधियों पर से जनता का विश्वास उठ जायेगा । इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिये पूरी बहस होनी चाहिये और इसके लिये एक समिति गठित की जानी चाहिये । जब माननीय सदस्य उन आरोपों को प्रूव करने को तैयार है तो इसके लिये सदन में चर्चा होनी चाहिये । यह बहुत ही गम्भीर मामला हैं ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है । आपने तो भाषण शुरू कर दिया है । जो बात आपने उठाई है वह पहले कही जा चुकी है उससे अलग कोई बात है तो कहें । जहां तक माननीय सदस्य पर प्राणघातक हमले का सवाल है, वह जूडिशियल इक्वायरी के अन्तर्गत है ।

श्री यदुनाथ सिंह : बलात्कार, रिश्वत लेने का आरोप लगाया है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री यदुनाथ सिंह : आप सोच कर निर्णय करें ।

श्री सभापति : आसन की व्यवस्था है कि जहां तक करप्शन, रेप वगैरह के चार्जेज हैं उसके लिए माननीय सदस्य को अवसर मिला उन्होंने जवाब दे दिया ।

श्री यदुनाथ सिंह : वह प्रूव करने को तैयार हैं । यह परिपाटी ठीक नहीं होगी ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री रामधन ।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : श्री मोदी जी।

श्री मोहनलाल मोदी : अभी एक माननीय सदस्य, जो जैतारण से आते हैं, ने माननीय मेरु सिंह गुर्जर पर बलात्कार कर नेजैसे चार्जेज इस हाउस के अन्दर लगाये हैं। वह उसी पार्टी के मेम्बर ने लगाये हैं जिससे हमारी पार्टी की छवि बिगड़ती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि विधायकों की कमेटी इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए बनाई जाये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह विषय....

(व्यवधान)

श्री सभापति : विषय नहीं है। उठा तो सकते हैं, उठा रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : बड़ा गम्भीर विषय है।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक गम्भीर विषय सामने आया और माननीय सदस्य से कहा कि स्पष्टीकरण दीजिए। उन्होंने भारत मां की सौगन्ध खा ली।

श्री सभापति : उन्होंने अपनी बात कह दी, इसके अलावा कोई और बात हो तो कहें।

श्री भंवरलाल शर्मा : श्री शिवदान सिंह एक जिम्मेदार मैम्बर हैं, उम्र में भी ज्यादा हैं। इन्होंने जो चार्जेज लगाये हैं और उसका उत्तर आया है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, इससे बात नहीं बनने वाली। आप चाहे तो इसकी कमेटी गठित कर दें जो इस विषय की जांच करे।

श्री सभापति : आपका पाइंट आफ आर्डर आने से पहले जो चार्जेज लगाये गये हैं उसका उत्तर दे दिया गया है।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : बहस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चल रही है इसलिए आप इसका फैसला करके आगे बहस बढ़ायें।

श्री सभापति : फैसला हो गया।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप क्यों परेशान हैं ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : मुख्य सचेतक जी कुछ कहना चाहेंगे। आर्डर प्लीज।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : यदि किसी सदस्य पर कोई चार्ज लगाता है तो वह यहां कह सकता है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर। एक साथ इतने सदस्य खड़े होकर पाइन्ट आफ आर्डर उठायेंगे तो कार्यवाही कैसे चलेगी।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : सभापति महोदय, आज प्रातः काल आपको पता है....

श्री सभापति : भाषण नहीं।

श्री नाथूसिंह : भाषण नहीं होगा टू दी पाइन्ट। उस समय भी ऐसा मामला सदन में आया था लेकिन उसके बाद जो आरोप लगाये हैं मैं समझता हूं....

श्री सभापति : उन आरोपों के सम्बन्ध में पाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठा सकते। इस पर निर्णय हो गया है। आपको बोलने का अवसर दे दिया है।

श्री नाथूसिंह : अवसर नहीं दिया। यह मामला अवसर से समाप्त नहीं होगा।

श्री यदुनाथ सिंह : ऐसे तो सदन के हर सदस्यों पर हमले हो सकते हैं....

श्री नाथूसिंह : इस हाउस में जो हम बोलते हैं वह रिफ्लेक्ट करता है हमारे हाउस की इमेज को, सदस्यों की इमेज को और जनता की इमेज को। इसलिए मैं कहना चाहूंगा यह कोई छोटा-मोटा मामला नहीं है। दो माननीय सदस्यों ने एक दूसरे पर आरोप—प्रत्यारोप लगाये हैं। जैसा अभी माननीय सदस्य श्री मोदीजी ने कहा कि सदस्यों की समिति बनाई जाये, मैं कहता हूं कि आप अपनी अध्यक्षता में कमेटी बना लें और तुरन्त इसकी रिपोर्ट हाउस में प्रस्तुत करें।

श्री सभापति : यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है, यह आप सुझाव दे रहे हैं। श्री तिवारी जी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : मैं आपका ध्यान नियम 306 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। इस नियम के अन्तर्गत प्रावधान है कि जिस समय किसी विषय पर चर्चा चल रही हो उस समय बीच में कोई मुद्दा आ जाय तो आप नियमों का निलम्बन करके उस विषय पर बहस करा सकते हैं, ऐसा निर्णय ले सकते हैं। इस समय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस चल रही है। इस बहस के बीच में जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने एक मुद्दा प्रस्तुत किया और श्री भैरू सिंह गुर्जर ने उसका जवाब दिया। जैसा अभी यदुनाथजी ने कहा कि यह विधान सभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है और जनता की आशाओं का प्रतीक है, ऐसे में माननीय सदस्य के ऊपर बलात्कार और रिश्वत के आरोप लगाये गये हैं तो कल हमारी प्रतिष्ठा, इज्जत जनता के सामने क्या होगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो बहस चल रही है उसका निलम्बन किया जाय। मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय मोदीजी ने जो प्रस्ताव रखा है, सदस्यों की समिति बनाई जाए, उस पर बहस की जाय, इसकी जांच की जाय। इसलिए जो बहस चल रही है उसका नियम 306 के अन्तर्गत निलम्बन करके इस पर बहस की जाय।

श्री सभापति . नियम 306....

(व्यवधान)

आसन की व्यवस्था तो सुन लीजिए। नियम 306 के अन्तर्गत किन्हीं विशेष परिस्थितियों में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन

(श्री सभापति)

सम्बन्धी नियमों के नियम के सस्पेंशन का प्रश्न है न कि किसी बहस के सस्पेंशन का। इसलिए मैं आपके इस पाइन्ट आफ आर्डर को निरस्त करता हूं।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : क्या बात कह रहे हैं ? राम रघुनाथजी, आपको बाहर जनता क्या कहेगी ?

श्री सभापति : आपकी जो भावना है वह सदन ने समझ ली है। आप बैठ जायें। सदन इस बात से अवगत है कि किसी सदस्य के खिलाफ अगर आरोप है तो वह आरोप बहुत सोच-समझकर लगाना चाहिए। उसको उत्तर देने का मौका मिलना चाहिए। अगर सुरक्षा की व्यवस्था करनी है तो सरकार को सुरक्षा करनी चाहिए। श्री रामधन।

श्री यदुनाथ सिंह : यह सदन की प्रापर्टी नहीं है।

श्री सभापति : जो पाइन्ट आफ आर्डर उठाया था उसका निर्णय कर दिया अब क्या प्रापर्टी रह गई है ?

(व्यवधान)

जोशीजी, आप कुछ कहना चाहेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : मैं यह कहना चाहता हूं कि भैरूंसिंह गुर्जर ने कहा है कि यह गलत है जो मुझ पर आरोप लगाये हैं। जैतारण से आने वाले सदस्य भी राजी हैं। चैलेंज उन्होंने भी दिया है, गुर्जरजी ने भी दिया है। ऐसी स्थिति में जब दोनों राजी हैं तो जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। आप जांच करवा लें और दूध का दूध, पानी का पानी कर दें ताकि राजस्थान की जनता को महसूस हो कि राजस्थान विधान सभा अच्छा निर्णय दे सकती है और दूध का दूध, पानी का पानी कर सकती है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं नियम 121 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें निश्चित प्रश्न उठाया गया है इसलिए श्री मोदीजी के प्रस्ताव को मान....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। आप मोशन रख रहे हैं। पाइन्ट आफ आर्डर के साथ कोई प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : सदन की कार्यवाही 5 बजे तक है ...

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक सायं 5.00 बजे वृहस्पतिवार, दिनांक 8 मार्च, 1984 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

133

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 26 का विवरण एवं सूचना)

सूची "अ"

टोंक जिले में विद्युत दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की सूची

(वर्ष 1980 से फरवरी. 1984 तक)

क्र.सं.	दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का नाम व पद	दुर्घटना दिनांक व किस्म	दुर्घटना के जांच अधिकारी का नाम	दिया गया/ जमा कराया गया मुआवजा	दोषी पाये गये व्यक्तियों के नाम	दोषियों के खिलाफ की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	सेवाराम पुत्र मनसुखा हैल्पर II	24.1.80 नानफेटल	सहा. अभियंता टोंक	मामूली चोट लगी व उपचार के दौरान मुआवजे के रूप में पूर्ण वेतन का भुगतान व विश्राम अवधि का 20 रु० मुआवजा दिया गया।	कोई व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया, दुर्घटना स्वयं की लापरवाही के कारण हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी।

1	2	3	4	5	6	7
2.	श्री मोहम्मद इकबाल मो० युसुफ हैल्पर II	24.1.80 नानफेटल	सहा. अभियंता टौंक	उपचार के दौरान मुआवजे के रूप में पूर्ण वेतन एवं विश्राम अवधि का रुपये 13.13 पैसे मुआवजा दिया गया।	कोई व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया, दुर्घटना स्वयं की लापरवाही के कारण हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी।
3.	श्री रामनारायण पुत्र श्री भंवरलाल हैल्पर II	4.5.80 नानफेटल	सहा. अभियंता टौंक	उपचार के दौरान मुआवजे के रूप में पूर्ण वेतन का भुगतान किया गया।	,,	,,
4.	श्री माधो पुत्र बजरंगलाल हैल्पर II	6.11.80 नानफेटल	सहा. अभियंता टौंक	उपचार के दौरान मुआवजे के रूप में पूर्ण वेतन का भुगतान किया गया।	,,	,,
5.	श्री नानगराम पुत्र माधो हैल्पर II	19.11.80 नानफेटल	सहा. अभियंता निवाई	,,	,,	,,
6.	श्री रामकरण पुत्र जंगलिया हैल्पर II	24.2.81 नानफेटल	सहा. अभियंता टौंक	,,	,,	,,

7.	श्री हरिनारायण पुत्र भूरा हैल्पर II	14.3.81	फेटल	अधीक्षण अभि. (जयपुर जिला जयपुर)	19,200/- रुपये मुआवजे के रूप में कर्मकार प्रतिकार आयुक्त के कार्यालय में आश्रितों को बंटवारे के लिए जमा कराये गये।	1. श्री डी. सी. जोहरी अधी. अभियन्ता 2. श्री दीक्षित सहा. अभियंता 3. श्री राजकुमार सहा. अभियंता 4. श्री आर. के. सिवाल कनिष्ठ अभियन्ता 5. श्री फतेह मोहम्मद लाइनमैन 6. श्री बदरुद्दीन लाइनमैन	प्रथम चार अधिकारियों की एक एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई है। क्रम संख्या 5 व 6 के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रिया में है।
8.	श्री नानगराम पुत्र माधो हैल्पर II	14.3.81	नानफेटल	,,	मुआवजे के रूप में पूर्ण वेतन का भुगतान किया गया।	कोई व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया। दुर्घटना स्वयं की लापरवाही के कारण हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी।

135

1	2	3	4	5	6	7
9.	श्री किशनलाल पुत्र प्रताप हैल्पर II	20 6.81 नानफेटल	सहा अभियंता एवं सहा. विद्युत निरी.	उपचार के दौरान मुआवजे के रूप में पूर्ण वेतन का भुगतान किया गया।	कोई व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया। दुर्घटना स्वयं की लापरवाही के कारण हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी।
10.	श्री नानगराम पुत्र प्रताप हैल्पर II	14.4.81 नानफेटल	सहा. अभियंता टौंक	,,	,,	,,
11.	श्री सत्यनारायण पुत्र रामनिवास हैल्पर II	1.5.81 फेटल	अधि. अभि. जिला खण्ड (द्वितीय) जयपुर	21,000/–रु० की धनराशि मुआवजे के रूप में कर्मकार प्रतिकार आयुक्त के कार्यालय में आश्रितों के बंटवारे के लिए जमा कराई गई।	,,	,,
12.	श्री गोपाल पुत्र छोटू हैल्पर II	25.10.81 नानफेटल	सहा. अभियंता टौंक	उपचार के दौरान मुआवजे के रूप में पूर्ण वेतन का भुगतान किया गया।	कोई व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया। दुर्घटना स्वयं की लापरवाही के कारण हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी।

13.	श्री रामपाल पुत्र कल्याण हैल्पर II	24.12.81	नानफेटल	सहा. अभियंता टोंक	उपचार के दौरान मुआवजे के रूप में पूर्ण वेतन का भुगतान किया गया।	कोई व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया। दुर्घटना स्वयं की लापरवाही के कारण हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी।
14.	श्री श्योराम पुत्र केसरा हैल्पर II	20.1.83	नानफेटल	सहा. अभियंता टोंक	"	"	"
15.	श्री सत्यनारायण पुत्र रामेश्वर हैल्पर II	13.4.83	नानफेटल	सहा, अभियंता टोंक	"	"	"
16.	श्री श्योनारायण पुत्र नन्दा हैल्पर II	18.5.83	नानफेटल	सहा. अभियंता टोंक	"	"	"
17.	श्री अब्दुला पुत्र अब्बास हैल्पर II	14.12.83	नानफेटल	सहा. अभियंता टोंक	"	"	"
18.	श्री रामसुखा सहायक II	12.1.84	नानफेटल	सहा. अभियंता टोंक	"	"	"

1	2	3		4	5	6	7
19.	श्री रामप्रसाद पुत्र रुडमल सहा. II	7.2 84	फेटल	अधी. अभियंता चौमूं	जांच पूर्ण होते ही मुआवजा स्वीकृत कर दिया जायेगा ।	जांच पूर्ण होने पर पता लगेगा ।	जांच जारी है ।
20. से 22.	श्री नानगराम ओसवाल एवं उनके दो लड़के निवाई	4.11.81	फेटल	अधी. अभियंता टौंक	विद्युत मण्डल द्वारा कोई मुआवजा देय नहीं है ।	कोई व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया, दुर्घटना आंधी से टूटे तार के संपर्क में आने से हुई ।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं ।
23.	श्री राधेश्याम टौंक	3.11.81	फेटल	सहा. अभियंता टौंक	"	"	"
24.	श्री मुन्ना टौंक	2.1.82	फेटल	सहा. अभियंता टौंक	"	"	"

138

परिशिष्ट 2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

तहसीलदार सिकराय के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

35. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या तहसीलदार, सिकराय के विरुद्ध स्थानीय जनता, कर्मचारियों जन प्रतिनिधियों से सप्रमाण शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो तो कब-कब तथा उनका कब कब क्या- क्या निस्तारण किया गया ?

(2) क्या विभिन्न जांचों में तहसीलदार दोषी पाये गये हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? नहीं तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि तहसीलदार सिकराय द्वारा धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमियों के खिलाफ सजा बोलकर गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं ? यदि हां, तो किन- किन व्यक्तियों के खिलाफ ? कृपया पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, तहसीलदार सिकराय के विरुद्ध संलग्न सूची में अंकित 15 शिकायतें स्थानीय जनता, कर्मचारियों व जन प्रतिनिधियों से प्राप्त हुई हैं। इनमें से क्रम सं. 1 से 9 पर अंकित शिकायतों की प्रारम्भिक जांच कराई जा चुकी है। जांच में शिकायत के कुछ बिन्दु प्रमाणित होने पर जिलाधीश जयपुर द्वारा राजस्व मण्डल राज., अजमेर को तहसीलदार सिकराय के विरुद्ध राज. असैनिक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) रूल्स, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच सम्पादित करने के प्रस्ताव भेजे गये। जिस पर चार्जशीट दी जा चुकी है। सूची में अंकित क्रम सं. 10 से 15 पर अंकित शिकायतों की प्रारम्भिक जांच परगना अधिकारी, दौसा द्वारा सम्पादित की जा रही है।

(2) जी हां, शेष उत्तर भाग एक में दिया जा चुका है।

(3) जी हां, यह सही है कि तहसीलदार सिकराय द्वारा धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत 126 अतिक्रमणियों के खिलाफ सिविल जेल भेजने के लिए वारंट जारी किये गये हैं। सूची सदन की पटल पर रखी गई है।

सूची

तहसीलदार, सिकराय के विरुद्ध प्राप्त हुई शिकायतों की सूची :

क्रम संख्या 1	प्राप्ति की तिथि 2	विवरण 3
1.	14.7.82	शिकायत विरुद्ध श्री कल्याण सहाय शर्मा, तहसीलदार, सिकराय द्वारा श्री छोटेलाल मीणा, पटवारी बाबत परेशान करने ।
2.	20.7.82	शि. वि. श्री कल्याण सहाय शर्मा, तहसीलदार, सिकराय द्वारा श्री मुरारीलाल दर्जी निवासी सिकराय बाबत पट्टा न देनें ।
3.	20.7.82	शि. वि. श्री कल्याण सहाय शर्मा, तहसीलदार, सिकराय द्वारा श्री बंशीलाल पटवारी बाबत बिना वजह थाने में ले जाने ।
4.	22.7.82	शि. वि. श्री कल्याण सहाय शर्मा, तहसीलदार, सिकराय द्वारा ग्राम जनता सिकराय व छोटेलाल पटवारी बाबत गलत डायरी भरने एवं टी.ए. बिल गलत लेने ।
5.	21.8.82	शि. वि. श्री कल्याण सहाय शर्मा, तहसीलदार, सिकराय तहसील प्रगति युवक संघ ।
6.	21.8.82	शि. वि. श्री कल्याण सहाय शर्मा, तहसीलदार, सिकराय द्वारा ग्रामवासी बाबत मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, जमा बंदियों के तैयारी की गलत सूचना भेजने ।
7.	21.8.82	शि. वि. श्री कल्याण सहाय शर्मा, तहसीलदार, सिकराय द्वारा ग्राम जनता सिकराय बाबत रजिस्ट्रेशन के कार्य में 10 प्रतिशत रिश्वत लेने ।
8.	17.8.82	शि. वि. श्री कल्याण सहाय शर्मा, तहसीलदार, सिकराय द्वारा मूलचन्द बोहरा, प्रधान, पंचायत समिति, सिकराय ।
9.	23.9.82	शि. वि. श्री कल्याण सहाय शर्मा, तहसीलदार, सिकराय द्वारा गुलाबचन्द बाबूलाल आदि ।
10	28.2.83	शि. वि. श्री कल्याण सहाय शर्मा, तहसीलदार, सिकराय द्वारा श्री रामकिशोर मीणा, विधायक ।

1	2	3
11.	3.8.83	शि. वि श्री कल्याण सहाय शर्मा, तहसीलदार, सिकराय द्वारा भभूल्या निवासी भालपुर ।
12.	2.9.83	शि. वि. श्री कल्याण सहाय शर्मा, तहसीलदार सिकराय द्वारा पटवारी बाज़नपाड़ा ।
13.	14.9.83	शि. वि. श्री कल्याण सहाय शर्मा, तहसीलदार सिकराय सहकारी भूमि पर प्रति क्रमण कराने ,
14.	19.9.83	शि. वि. तहसीलदार, सिकराय द्वारा ग्राम जनता सिकराय ।
15:	2.1.84	शि. वि. तहसीलदार सिकराय बाबत् आवंटन होने के बाद रिकार्ड में फर्जकारी कराने ।

नोट—इस सूची में क्रमांक 1 लगायत 9 पर अंकित शिकायतों की प्राथमिक जांच पूर्ण हो चुकी है । शिकायत के कुछ बिन्दु प्रमाणित पाये जाने पर दोषी अधिकारी के विरुद्ध राजस्थान प्रशैनिक सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 के नियम 16 के तहत विभागीय जांच की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है , सूचित के क्रम 10 से 15 पर अंकित शिकायतों की प्रारम्भिक जांच चल रही है ।

जिलाधीश, जयपुर

सूची उन व्यक्तियों की जिन्हे तहसीलदार सिकराय ने सिविल कारावास की सजा दी

क्र. स.	नाम ग्रावासी जिन्हे धारा 91 के तहत सिविल कारावास की सजा दी गई	ग्राम	जिनके गिरफ्तारी वारंट जारी किये गये
1	2	3	4
1.	श्री नारायण पुत्र शकर मीना	मानपुर	,,
2.	रामधन नाथ/ग्यारसी नाथ जोगी	,,	,,
3.	नथ्यागेन्दा माली	,,	,,
4.	जंशी/नारायण माली	,,	,,
5.	मांगू नाथ/छाजू नाथ जोगी	,,	,,
6.	रामेश्वर नाथ/जगन्नाथ जोगी	,,	,,
7.	पांच्या/घासी माली	,,	,,
8.	नानगनाथ/हट्टीनाथ जोगी	,,	,,
9.	पांच्या/जैन्या गूजर	पीपल की	,,
10.	बद्री नाथ/नानगनाथ जोगी	मानपुर	,,
11.	लिछमन नाथ/श्योमनन्दा नाथ	,,	,,
12.	मंगूनाथ/धन्नानाथ जोगी	,,	,,
13.	बल्ला, कजोर पि. सुन्दर माली	,,	,,
14.	शिवलाल/चन्दर मीना	चांदेना	,,
15.	तुलस्या, गीत्या हरिया पि. मूल्यामीना	,,	,,
16.	कल्याण, सुण्डा, कन्हैया मीना	,,	,,
17.	सावल्या/हरगोविन्द मीना	,,	,,
18.	राधाकिशन/माग्या मीना	,,	,,
19.	बद्री/फैली मीना	,,	,,
21.	परसराम रूपचन्द पि. श्योनाथ मीना	,,	,,
20.	कल्याण/कन्हैया मीना	,,	,,
21.	भूंथा/चिमनलाल मीना	,,	,,
22.	जगन/राम सहाय	करोडी	जारी नहीं किये गये

1	2	3	4
23.	जमन्या/विशना मीना	,,	जारी नहीं किये गये
24.	कजोड़, बुध्दा पि. चन्दा मीना	,,	,,
25.	मूल्या/भोरया मीना	,,	,,
26.	सावल्या/धम्मन पि. धनकूरा	,,	,,
27.	हल्लू/रामसुखा मीना	,,	,,
28.	छाज्या/मूल्या माली	गूजर	,,
29.	किशोरी लाल/दुर्गालाल खाली	सीमला	,,
30.	रामचन राम सहाय, पि. भूथा माली	सीमला	,,
31.	रती राम/गोकुल मीना	पाडली	,,
32.	जमन्या नकोली, पि. रामेत मीना	,,	,,
33.	उमराव चतर. हरिसिंह पि. हीरालाल गूजर	भालपुर	,,
34.	नारायण/प्रभू पिसरान गट्ठी मीना	,,	,,
35.	मुरली/शोल्या मीना	,,	,,
36.	हरलाल, कजोड, पि. मोहन लाल मीना	,,	,,
37.	रघुनाथ/ मांग्य कुम्हार	उदयपुरा	,,
38.	मोला कलवा प्रसादी मीना	मालपुरा	,,
39.	प्रसादी वंशी मोहरपाल पि. मूल्या माली	कुण्डेरा डूंगर	,,
40.	नकोली/गंगाधर कुम्हार	रानेडा	,,
41.	ख्याली सोमल्या चम्पालाल मीना	मामनेर	,,
42.	गंगा सहाय/सोमसेल्या पि. सांवला	गढी	,,
43.	कंचन/श्योनारायण मीना	कैलाई	,,
44.	लल्लू कुम्हार	सिकराय	,,
45,	गुलाब छाज्या मीना	कैलाई	,,
46.	मूल्या/सांवला मीना	,,	,,

1	2	3	4
47.	प्रभू/भोरिया मीना	पाडली बांढ	जारी किए गये
48.	सुल्तान, सकूरिया अलाद्दीन साई	कालवान	,,
49.	रामफूल/होलड्या मीना	,,	,,
50.	परमा/मूल्या/पांच्या/पून्या पि. भूथा मीना	,,	,,
51.	सुखल्या पुत्र भगवान्या खटीक	,,	,,
52.	मदन/भोरया मीना	पाड़ली बाढ	,,
53.	कजोड/गिरधारी खटीक	कालवान	,,
54.	रघुनाथ/श्रीया शम्भू किशोर पि. भोरया मीना	पाडलीबाढ	,,
55.	गोरधन/ धोकल्या मीना	कालवान	,,
56.	मनीराम/शोन्या खटीक	,,	,,
57.	मनोरी/नारायण मीना	,,	,,
58.	रघुनाथ/मूरिया मीना	पाडलीवाद	,,
59.	गुलाब/देवपाल	कालवान	,,
60.	जैन्या/भोरिया कोली	,,	,,
61.	नथ्या/रामेत मीना	,,	,,
62.	चौथ्या/सुखल्या खटीक	,,	,,
63.	रामेश्वर/जोधी मीना	मुण्डियाखेडा	,,
64.	बद्री/सुखल्या खटीक कालवान	कालवान	वारेन्ट जारी किया गया
65.	रामप्रसाद/भोरिया मीना	सिकराय	जारी नहीं किया गया
66.	कजोड/सुन्दर मीना	,,	,,
67.	प्रभू/नाथू मीना	,,	,,
68.	रामधन,जगन्नाथ पि. रामपाल	अम्बाडी	,,
69.	रामधन/हारमा मीना	खेडापहाड़पुर	,,

1.45

1	2	3	4
70.	कजोड/सुखा मीना	जोपाडा	जारी नहीं किये गये
71.	रंगलाल,रामफूल पि. मूल्या मीना	हिंगी	"
72.	रतनलाल/मोहरपाल मीना	हिंगवा	"
73.	रामहंस/भूंथा मीना	खाहरखेड़ा	जारी किया
74.	गंगाराम/कुजं मीना	"	"
75.	रामखिलाड़ी/गोरधन मीना	गैरोटा	"
76.	रतनलाल/सुखमाल मीना	"	"
77.	थावरिया/काल्या मीना	"	"
78,	हजारी/किशनलाल मीना	"	"
79.	श्रीनारायण/रामेत पि.भौरी लाल ब्रा.	गोजगढ़	जारी नहीं किये गये
80.	ईश्वर मल/भोरीलाल चौबे	"	"
81.	हरि साम/हनूता ब्रा.	"	"
82.	छोटू. गंगाबक्ष/पि. डालू माली	"	"
83.	नाथू/कल्याण सहाय नायक	गोजगढ़	जारी नहीं किया गया
84.	घासी/ईसरा माली	"	"
85.	मदन मोहन/गिर्राज प्रसाद पि. गोविन्द सहाय ब्रा.	"	"
86.	नारायण, श्रवण, गणेश,पि. मथुरया ब्रा.	"	"
87.	जगना भजनी गूजर	गढोली	जारी किया
88.	खेड्या/गंगाधर गूजर	खेडला	"
89.	मांग्या/सुन्दर गूजर	"	"
90.	रामस्वरूप/भगंडा गूजर	"	"
91.	भौरी लाल/रामपाल गूजर	"	"
92.	चन्द/गंगाधर	"	"
93.	टूण्डा/रेवड गूजर	"	"

1	2	3	4
94.	लक्ष्मण, रामनारायण पि. अर्जुन गूजर	पांचोली	जारी किये गये
95.	जंशी/हरबक्स गूजर	"	"
96.	मीठालाल/भगवान दास गूजर	"	"
97.	रमज्या/बद्री माली	सीकरी	"
98.	रामधन/भूंथा बैरवा	"	"
99.	चन्दर/भोरया कोली	"	"
100.	मनोहरी/नारायण मीना	"	"
101.	श्योबक्स/आनन्द गूजर	चूलकोट	"
102.	रामसिंह/रामचन्द्र गूजर	"	"
103.	खैराती/हट्या बैरवा	पाचोली	"
104.	गोरधन/रामहेत बैरवा	"	"
105.	मूलचन्द/सोन्या बैरवा	"	"
106.	रामकिशोर/भगवान दास महन्त	"	"
107.	बाबूलाल/सूखीराम बैरवा	"	"
108.	बीरबल/शंकर पि. गंगासहाय	"	"
109.	लिछमन, रामनारायण पि. अर्जुन गूजर	"	"
110.	किशनलाल/श्रवण गूजर	"	"
111.	गंगासहाय/गैंदा गूजर	"	"
112.	किल्लाण, अडिसाल सिंह पि. रूपनारायण गूजर	"	"
113.	कन्ना/सूज्या गूजर	"	"
114.	मलखान/राम निवास गूजर	"	"
115.	मूलचन्द/अर्जुन गूजर	"	"
116.	जंशी/हरबक्ष गूजर	"	"
117.	गंगाधर/बालू बैरवा	"	"
118.	जौहरी लाल/राधाकिशन मीना	आसतवाडा	"

1	2	3	4
119.	बद्री/श्रवण मीना	पीलोडी	जारी किये गये
120.	हर सहाय/श्रवण मीना	"	"
121.	मूल्या/चैन्या मीना	"	"
122.	लटूरया/सायरा कुम्हार	पीपल की	"
123.	छोट्या/रुपल्या	"	"
124.	नथ्या, कजौड,श्रीकिशन पि. धन्ना जोगी	मानपुर	"
125.	मंगा बिशन/सांवल्या गूजर	पीपलकी	"
126.	रामसिंह/नहनू गूजर	संवास	"

आरोप विवरण पत्र विरुद्ध श्री कल्याण सहाय शर्मा तहसीलदार सिकराय

श्री कल्याण सहाय शर्मा तहसीलदार सिकराय के पद पर पदस्थापित रहते हुये दिनांक 1-3-82 से 6-3-82 तक उपस्थिति पंजिका में आपने पहले टी मार्क करने के बाद सी. एल. अंकित किया है जब कि श्री शर्मा ने दिनांक 1-3-82 से 6-3-82 तक का आकस्मिक अवकाश चाहने हेतु कोई आवेदन पत्र भी परगना अधिकारी दौसा के यहां प्रस्तुत नहीं किया तथा इन दिनांकों में श्री शर्मा मुख्यालय से भी अनुपस्थित रहे। श्री शर्मा ने माह मार्च 82 की दैनिक डायरी व मासिक सारांश जो प्रस्तुत किया है उसमें भी भिन्नता पाई गई है। तहसीलदार जैसे महत्वपूर्ण पद पर पदस्थापित रहते हुये श्री कल्याण सहाय शर्मा तहसीलदार का यह कृत्य राजस्थान सेवा नियमों के नियम 86 के अनुसार स्वेच्छा से अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर रहने कार्यालय में अपनी उपस्थिति के बारे में उपस्थिति पंजिका में सही जानकारी अंकित नहीं करने तथा कार्यालय रेकार्ड मे फेरबदल करने का द्योतक है तथा आदेशों का उल्लंघन करने का परिचायक है।

2. श्री कल्याण सहाय शर्मा तहसीलदार सिकराय के पद पर पदस्थापित रहते हुये आपने तहसील के जमादार श्री भंवर लाल नाई से जमादार पद का तहसील का कोई कार्य नही लिया गया बल्कि हीरालाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो काफी जूनियर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उससे जमादार का कार्य लिया गया।

श्री कल्याण सहाय शर्मा तहसीलदार का यह कृत्य अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सेवाओं का सही उपयोग नही करने, अपने पद का दुरुपयोग करने तथा अधीनस्थ कर्मचारियों में असन्तोष पैदा करने का द्योतक है।

3. श्री कल्याण सहाय शर्मा तहसीलदार सिकराय के पद पर पदस्थापित रहते हुये तहसील सिकराय के पटवारियान व गिरदावरान का निरीक्षण किया। पर वक्त प्राथमिक जांच गिरदावर सिकन्दरा ने दिनांक 5-2-82 को निरीक्षण करना जाहिर किया। पटवारी दुब्बी व कैलाई ने दिनांक 9-2-82 का उनके पटवार मण्डल का निरीक्षण करना बताया तथा पटवारी नांगन्दवाड़ी ने दिनांक 13-2-82 को निरीक्षण करना बताया परन्तु पटवारी की दिनचर्या बही में तहसीलदार सिकराय ने दिनांक 9-2-83 को हस्ताक्षर किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि निरीक्षण तो बाद में किया गया है परन्तु पटवारी का निरीक्षण रेकार्ड पर पहले करना पाया जाता है।

श्री कल्याण सहाय शर्मा तहसीलदार का यह कार्य अपनी कारगुजारी के बाबत फर्जी इन्द्राज पटवारी की दिनचर्या बही में अंकित करने का द्योतक है।

4. श्री कल्याण सहाय शर्मा तहसीलदार सिकराय के पद पर पदस्थापित रहते हुये श्री राधेश्याम तेल डीलर का लाइसेन्स केन्सिल कर दिया था किन्तु उसके लड़के श्री राजेन्द्र जो कि श्री राधेश्याम तेल डीलर पर पूर्णतया आश्रित था उन्हें लाइसेन्स दे दिया। श्री राजेन्द्र एक विद्यार्थी है तथा पूर्व डीलर

श्री राधेश्याम का पुत्र होने के कारण प्रशासनिक दृष्टि में लाइसेन्स दिया जाना उचित नही था।'

श्री कल्याण सहाय शर्मा तहसीलदार का उक्त कृत्य अपने पद का दुरुपयोग करने तथा डीलर श्री राधेश्याम का लाइसेन्स केन्सिल कर उसके ही पुत्र के नाम से लाइसेन्स स्वीकृत कर उक्त तेल डीलर तथा उसके पुत्र राजेन्द से अनुचित लाभ प्राप्त करने तथा नियमानुसार अपने कर्तव्यों की पालना नहीं करने का परिचायक है।

5. श्री कल्याण सहाय शर्मा ने तहसीलदार सिकराय के पद पर पदस्थापित रहते हुये राजस्व अभियान माह जनवरी फरवरी, 83 के दौरान ग्राम पंचायत नामनेर, ठीकरिया व हीगवा के कुल 282 नामान्तरकरण पटवारियों द्वारा भरकर राजस्व कैम्प में प्रस्तुत करने के बावजूद भी तस्दीक नहीं किये। इसी प्रकार ग्राम पंचायत नामनेर के 2 ठीकरिया के 120 तथा हीगवा के 64 कुल 186 नामान्तरकरणों को राजस्व अभियान के दौरान तस्दीक करना बताया किन्तु वास्तव में श्री शर्मा ने इन नामान्तरकरणों को तस्दीक नहीं किया। विस्तृत विवरण ग्रामवार व नामान्तरकरण सं. परिशिष्ट (क) पर उपलब्ध है। जबकि राजस्व अभियान की प्रगति रिपोर्ट जो श्री शर्मा ने प्रेषित की उससे इन 186 नामान्तरकरणों को तस्दीक करना बताया है।

श्री कल्याण सहाय शर्मा तहसीलदार, का उपरोक्त कृत्य न केवल विशेष अभियान के रूप में राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रारम्भ राजस्व अभियान के कार्य के प्रति उदासीनता बरतना, अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने, राज्य सरकार की नीतियों की पालना नही करने, राज्य सरकार तथा उच्चधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने तथा गलत रिपोर्ट आकड़े प्रस्तुत करने का परिचायक है, साथ ही अपने पद का दुरुपयोग करने का भी द्योतक है।

जोधपुर शहर को 220 के. वी. लाइन से जोड़ना

36 श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने जोधपुर संभाग में जोधपुर शहर को 220 के वी. लाइन से जोड़ने से लिए कितने वर्ष पूर्व कार्यक्रम बनाया था और इस पर कितनी लागत आई तथा यह कार्य कब सम्पन्न होना था और इसमें विलम्ब होने के क्या कारण रहे हैं ?

(2) अब कब तक 220 के. वी. लाइन को कम्पलीट करके बिजली उपलब्ध करा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने जोधपुर को 220 के. वी. लाइन से जोड़ने का कार्यक्रम योजना आयोग की स्वीकृति पर छठी पंचवर्षीय योजना में बनाया था। इस कार्य को वर्ष 1982-83 में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था 220 के. वी. भीलवाड़ा-सिरोही लाइन कार्य को प्राथमिकता दिये

(ऊर्जा मन्त्री)

जाने के कारण इस कार्य में विलम्ब हुआ है। इस कार्य पर, जो कि प्रगति पर है, लगभग 7 करोड़ 17 लाख रुपये वर्ष 1983-84 तक खर्च होने की सम्भावना है।

(2) 220 के. वी भीलवाड़ा-जोधपुर लाइन का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। इस लाइन का एल. एफ. इन्डक्शन टेस्ट किया जाकर 15 मार्च, 1984 तक विद्युत उपलब्ध करवा दी जायेगी।

पाली जिले की विभिन्न पंचायत समितियों के गांवों को बस रूट से जोड़ना

37. श्री भेरू सिंह गुर्जर (खारची) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पाली जिले की रानी, देसूरी व मारवाड़ जंक्शन पंचायत समितियों में ऐसे कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं जिन्हें अभी तक बस रूट से नहीं जोड़ा गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन ग्राम पंचायत मुख्यालयों को अभी तक बस रूट से नहीं जोड़ने का क्या कारण है ?

(3) इन बस रूटों के लिए क्षेत्रीय परिवहन अभिकरण की किस-किस बैठक में 1980 के बाद विचार किया गया ?

(4) ये ग्राम कब तक बस रूट से जोड़ दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) इन पंचायत समितियों के निम्नांकित ग्राम पंचायत मुख्यालय बस रूट से जुड़े हुए नहीं हैं :–

पंचायत समिति	ग्राम पंचायत मुख्यालय
1. रानी	अ.जीवन्द कला
	ब. इटन्द्रा चारनान
2. देसूरी	अ. बड़ोद
	ब. माडीगर
	स. केसूली
	द. इन्द्रवाडा
3 मारवाड जंक्शन	अ. बोरी मादा
	ब. कराड़ी
	स. बासनीं
	द. चोकडिया

(2) ग्राम बोरीमादा व ग्राम माडीगर रास्ता खराब होने के कारण बस रूट से नही जोड़े जा सके हैं, जबकि ग्राम कराडी, इन्द्रवाडा व जीवन्दकला को बस रूट से जोड़े जाने का प्रकरण प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के समक्ष विचाराधीन है। शेष ग्राम पंचायत मुख्यालयों को न जोड़े जाने का कारण लम्बे समय तक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार जोधपुर की बैठकों का आयोजित न हो पाना है।

(3) ग्राम कराडी को दिनांक 28.4-83 व ग्राम इन्द्रवाडा व जीवन्दकला को प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार की बैठक दिनांक 17-11-83 में विचारार्थ रखा गया था। शेष ग्राम पंचायत मुख्यालयों को बस रूट से जोड़े जाने की कार्यवाही प्राधिकार की आगामी बैठक में की जावेगी।

(4) इस संबन्ध में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार जोधपुर से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। जिन पर प्राधिकार की आगामी बैठक में विचार किया जायेगा।

बाड़मेर गूंगा (शिव) बस

39. श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर से शाम छः बजे गूंगा (शिव) जाने वाली रोडवेज की बस बन्द कर दी गई है ?

(2) यदि हां, तो क्या इसके पुनः चालू होने की कोई सम्भावना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार किसी प्राइवेट पार्टी को अपनी बस इस रूट पर चलाने की आज्ञा देगी ?

उत्तर

(1) जी हां। सर्दी के मौसम में यात्री भार कम होने से बस सेवा बन्द कर दी गई थी जिसे दिनांक 14-2-84 से पुनः चालू कर दिया गया है।

(2) उक्त बस सेवा दिनांक 14-2-84 से निरन्तर चल रही है।

(3) जी नहीं।

कोटा जिले में रोजगार पाने हेतु पंजीकृत व्यक्ति

40. श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) कोटा जिले में रोजगार कार्यालय में दिनांक 31 जनवरी, 1984 तक कितने व्यक्तियों के नाम रोजगार पाने हेतु पंजीकृत थे ?

(2) वर्ष 1983-84 में किस किस व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराया गया ?

(3) क्या राज्य में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने हेतु सरकार कोई विशेष कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) कोटा जिले में रोजगार कार्यालय में दिनांक 31 जनवरी, 84 तक 26,303 बेरोजगार व्यक्तियों के नाम रोजगार पाने हेतु पंजीकृत थे।

(2) वर्ष 83-84 में कोटा जिले में 1073 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

(3) बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिये वर्ष 84-85 में वार्षिक योजना के अन्तर्गत 430 करोड़ रुपये के विनियोजन के अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीनों को रोजगार गारन्टी योजना आदि कार्यक्रम भी क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

राज्य में शिक्षित, प्रशिक्षित पंजीकृत व अपंजीकृत बेरोजगार

41. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : क्या रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में 31 जनवरी, 1984 तक शिक्षित व प्रशिक्षित, पंजीकृत एवं अपंजीकृत बेरोजगारों की संख्या कितनी है ?

(2) बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए आगामी वर्ष में राज्य सरकार की क्या योजना है ?

(3) आगामी वर्ष में सरकारी, गैर सरकारी निगमों, निकायों में कितने बेरोजगार युवकों को नौकरियां उपलब्ध कराने का सरकार का लक्ष्य है ?

(4) प्रदेश में रोजगार की गारन्टी या बेरोजगारी भत्ता देने के प्रश्न पर सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(1) प्रदेश में 31 दिसम्बर, 1983 तक 2,49,315 शिक्षित व 2,14,026 अशिक्षित बेरोजगार व्यक्ति पंजीकृत थे। अपंजीकृत बेरोजगारों की संख्या विभाग द्वारा संकलित नहीं की जाती है।

(2) बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए वर्ष 84–85 में वार्षिक योजना के अन्तर्गत 430 करोड़ रुपये के विनियोजन के अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीनों को रोजगार गारन्टी योजना आदि कार्यक्रम भी क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

(3) सरकारी, गैरसरकारी, निगमों अथवा निकायों में कितने बेरोजगार युवकों को नौकरी उपलब्ध हो सकेगी, यह बताया जाना तो सम्भव नहीं है परन्तु योजना के आकार को दृष्टि में रखते हुये आगामी वर्ष में 3.21 लाख बेरोजगार युवकों को रोजकार उपलब्ध कराये जाने का अनुमान है।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति के कुछ लोगों को बेरोजबारी भत्ता अभी भी दिया जा रहा है। गांवों में भूमिहीनों को रोजगार की गारन्टी केवल ग्रामीण भूमिहीनों को रोजगार गारण्टी कार्यक्रम" के अन्तर्गत उपलब्ध है। प्रदेश में सामान्य रूप से रोजगार की गारन्टी अथवा बेरोजगारी भत्ता देने का प्रश्न अभी राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

ग्राम सुनारी तहसील लाडनू में अनुसूचित जाति के मोहल्ले का विद्युतीकरण

42. श्री रामधन (लाडनूं) : क्या (ऊर्जा मंत्री) यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है, ग्राम सुनारी तहसील लाडनूं में अनुसूचित जाति की आबादी के करीब 50 घर हैं, फिर भी इनके मोहल्ले को विद्युत लाइन से नहीं जोड़ा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम सुनारी में पिछले दो साल से 35 व्यक्तियों के घरेलू कनेक्शन पेन्डिग हैं ? यदि हां, तो क्या विद्युत विभाग इन लोगों को कनेक्शन देने का इरादा

रखता है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि विद्युत विभाग ने लाडनूं व कुचामन में ग्राम सुनारी के 35 से ऊपर लोगों से कनेक्शन देने हेतु दो वार रुपये जमा करा लिये ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसकी जांच करवायेगी ?

उत्तर

(1) व (2) ग्राम सुनारी के एक अनुसूचित जाति के मोहल्ले में विद्युत लाइन माह जुलाई, 81 से पूर्व ही बिछाई जा चुकी है तथा दूसरे अनुसूचित जाति के मोहल्ले में 7 खम्भे की विद्युत लाइन खींचे जाने का कार्य प्रगति पर है जिसके इस माह के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

जी नहीं। ग्राम सुनारी में पिछले दो सालो से पहले के 9 घरेलू विद्युत कनेक्शन लेने हेतु उपभोक्ताओं के प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं जिसमें 3 प्रार्थना पत्र जो 21.8.80 तथा 6 प्रार्थना पत्र 29.6.81 को प्राप्त हुए। 3 प्रार्थना पत्र जो 21.8.80 को प्राप्त हुए उनकी मांग पत्र की राशि 27.1.84 को प्राप्त हो चुकी है तथा "एल" फार्म भी प्राप्त हो चुके है। उनको कनेक्शन देने की नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। ग्राम सुनारी में एक 7 खम्भों की लाइन का कार्य प्रगति पर है जिसके इस माह के अन्त तक सम्पूर्ण होने की सम्भावना है। दिनांक 29.6.81 को प्राप्त 6 प्रार्थना पत्रों पर इसके पश्चात् मांग पत्र जारी किये जायेंगे। उपभोक्ताओं द्वारा मांग पत्र की धनराशि जमा कराने एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् ही विद्युत कनेक्शन दिये जावेंगे।

इनके अलावा पिछले दो वर्षों में जो प्रार्थना पत्र घरेलू कनेक्शन लेने हेतु प्राप्त हुए उनकी संख्या 20 है जो निम्न प्रकार है :—

18.11.82	को प्राप्त	1
20.1.83	को प्राप्त	17
26.7.83	को प्राप्त	1
25.10.83	को प्राप्त	1

उपरोक्त विचाराधीन पत्रों पर मण्डल के नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां, ग्राम सुनारी में 51 घरेलू विद्युत कनेक्शन लेने हेतु आवेदकों ने मांग पत्र की धन राशि जमा करवाई थी जिसमें से 15 आवेदकों द्वारा मण्डल के नियमानुसार औपचारिकताएं पूर्ण करने एवं उनको कनेक्शन दिये जाने हेतु लाइन उपलब्ध होने के कारण विद्युत कनेक्शन दिये गये। शेष 36 आवेदकों का तकमीना गलत बनाया जाने के कारण उनका तकमीना सही बनाने के पश्चात् उनको अतिरिक्त राशि का मांग पत्र विभिन्न ग्रुपों में स्कीम बनाते हुए दिया गया जिसमें से 34 आवेदकों ने मांग पत्र की राशि एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर ली थीं जिसमें से 31 आवेदकों को कनेक्शन दिया जा चुका है, 3 को कनेक्शन दिये जाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। 2 आवेदकों द्वारा मांग पत्र की राशि जमा नहीं करवाये जाने की स्थिति में उनका प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया गया।

उदयपुर के प्राथमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के सुधार पर व्यय

43. श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1981–82 में जिला उदयपुर के प्राथमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के सुधार के लिये कितनी राशि रखी गई एवं कितनी राशि खर्च की गई और कितने भवनों का सुधार किया गया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बहुत से भवनों का निर्माण कार्य अधूरा रह गया है ? यदि हां, तो उनमें यह कार्य कब तक पूरा किया जायेगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1981–82 में केवल रा. बा. उ. मा. वि. रेजीडेन्सी, उदयपुर के विद्या-भवन की मरम्मत हेतु रु० 11000/– की राशि स्वीकृत की गयी जो मरम्मत कार्य में खर्च की जा चुकी है।

(2) उपलब्ध धनराशि का कार्य सम्पन्न करा लिया गया है।

कुशलगढ़ कस्बे में कालेज खोलने की मांग

44. श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में कॉलेज खोलने की मांग कई वर्षों से की जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में गरीब आदिवासी लोगों की बहुतायत है और दूर दूर बसे हुए हैं, जो अन्यत्र जाकर पढ़ाई करने में असमर्थ हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार यहां की विशेष स्थिति को मद्दे नजर रख कर यहां कॉलेज खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि जनता ने जन सहयोग से कॉलेज भवन का निर्माण करवाया है ? यदि हां, तो कॉलेज खोलने में सरकार के सामने क्या कठिनाई है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) छठीं पंचवर्षीय योजना के बजट में प्रावधान न होने के कारण राज्य में कहीं भी नये महाविद्यालय खोलने की योजना नहीं है।

(3) राज्य सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है।

देवीकोट ग्राम में सैकण्डरी स्कूल खोलने की स्वीकृति

45. श्री अमीन खां (शिव) एवं

श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ामालानी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले के ग्राम देवीकोट में पुनर्वास विभाग ने सैकण्डरी स्कूल का भवन तैयार कर लिया है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या सरकार देवीकोट ग्राम में सैकण्डरी स्कूल खोलने की स्वीकृति देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां भवन दिनांक 17-12-82 को शिक्षा विभाग द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है।

(2) इस वर्ष सैकण्डरी स्कूल खोलने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 30 की सूची)

ग्राम अगड़वा, ग्राम पंचायत होतीगांव तहसील सांचौर जिला जालौर के
नाजायज काश्त नीलामी

क्र सं.	नाम अतिक्रमी	मु० नं०	ख० नं०	रकबा	रकम नीलामी
1	2	3	4	5	6
1.	महादान पुत्र हरदान	15/84	493	15/	151-00
2.	गजेदान पुल राणीदान	11/84	493	1211/	401-00
3,	गजेसिह पुत्र लालसिह	20/84	388	15/	651-00
4.	सीया पुत्र बगता	22/84	367	12	851-00
5.	केसरदान पुत्र राणीदान	32/84	345	15	1761-00
6.	काछबा पुत्र लछा	24/84	367	61/	—
7,	हेमा पुत्र भीया	6/84	367	5/	—
8.	हेमा पुत्र खीचां	5/84	367	61/	—
9.	रहमान पुत्र सदीक	42/84	493	411/1	201-00
10.	भाखरा बगेरा पुत्र राजू	48/84	367 345	40/	3351-00
11.	हीरा पुत्र चोला	43/84	367	8/	1551-00
12.	लूंगा पुत्र आखी	10/84	493	211/	131-00
13.	नेना पुत्र तेजा	2/84	367	2/	140-00
14.	उम्मेदसिह पुत्र राजसिह	45/84	393	4/	251-00
15.	पीरदान पुत्र हरदान	47/84	473	15/	514 00
16.	रमजान पुत्र अयूब बगेरा	39/84	493	25/	1501-00
17.	आंसू पुत्र जोधा बगेरा	13/84	493	15/	451-00
18.	सेरदान पुत्र आतीदान	16/84	393	15/	451-00
19.	आबडदान पुत्र जयदान	31/84	345 388	22/	3031-00

157

1	2	3	4	5	6
20.	करणीदान पुत्र जसकरणाबर्ग.	3/84	367	2811/4	501-00
21.	धनदान पुत्र हेमदान	33/84	345	15/	451-00
22.	मोहन पुत्र प्रभू	30/84	345	1111/3	10-00
23.	राम पिप० बगता	12/84	493	15/	251-00
24.	करणीदान पुत्र माददान	44/84	493	20/	1051-00
25.	अक्षयदान पुत्र हरदान	37/84	345	15/	4451-00
26.	श्रीदान पुत्र लक्ष्मणदान	27/84	345 367	18111/1	1551-00
27.	अमरदान पुत्र तेलदान	35/84	345	50/	2031-00
28.	खेमदान पुत्र सालदान ईर्ग.	25/84	367 345	20/	801-00
29.	सुरता, पेमा पि० हरजी	9/84	493	5/	251-00
30.	भगा पुत्र भूपा माली	36/84	345	17/1	261-00
31.	खाजा पुत्र किस्तूरा	28/84	367 345	1811/	651-00
32.	मांगा पुत्र पन्ना	38/84	367 345	5/	251-00
33.	मोड़दान पुत्र अमरदान	26/84	367 345	6011/	2551-00
34.	मुदारदान पुत्र रतनदास	14/84	345	15/	221-00
35.	हलीम पुत्र हाजन बर्ग	17/84	345	20/	701-00
36.	उम्मेदसिंह पुत्र हरदान	40/84	345	15/	651-00
37.	सुरजा पुत्र प्रेमा	49/84	388	1/	51-00
38.	रंगा पुत्र रामा	18/84	345	2/	151-00
39.	रामजी पुत्र मन्जा	52/84	388	15/	751-00
40.	गणपतसिंह/हरदान	23/84	345	15/	651-00
41	चमणदान पुत्र राणीदान	50/84	388	4/	125-00

158

1	2	3	4	5	6
42.	अर्जुनकुमार पुत्र भोमजीमल	46/84	388	4/	151-00
43.	इरू पुत्र खेराज वगैरा	8/84	367	2711/	1085-00
44.	शंकरिया पुत्र बाला	53/84	367 345	241/1	1290-00
45.	मांग्या पुत्र बाला वगैरा	51/84	367 345	15/	801-00
46.	लादू पुत्र पेमां	19/84	345	211/	160-00
47.	ओलाद पुत्र काना	1/84	367	8/	40-00
48.	जगता पुत्र काना	7/84	367	1/	90-00
49.	हरिया पुत्र काना	29/84	367	6/	201-00
50.	गोरधन पुत्र खैंराज	21/84	345	3/	490-00
51.	आसू पुत्र रूघनाथ	34/84	345	1/	211-00
52.	डाकरा पुत्र मिश्री	46/84	345	4/	911-00
53.	पुरखा पुत्र नेना वगै०	41/84	367	5/ 4511/	901-00
		योग:–		718111/	36681-00

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 37 की सूचना)

झालावाड़ आगार की मार्गवार संचालित बसों का विवरण

क्रम संख्या	मार्ग जिस पर निगम वाहन संचालित है	वाहनों की संख्या	वाहन रजिस्ट्रेशन क्रमांक
1	2	3	4
1.	चेचट-पिड़ावा–भवानीमण्डी	7	आर जे एल 5809
			आर एस एम 9257
			आर एस जी 5785
			आर आर जी 1408
			आर आर जी 1480
			आर आर जी 4021
			आर आर जी 9912
2.	डग–चौमेहला	11	आर एस एम 5675
			आर एस एम 5676
			आर एस एम 5888
			आर एस एम 9752
			आर आर एम 413
			आर आर एम 6346
			आर आर एम 7331
			आर आर एम 7623
			आर आर एम 7956
			आर आर एम 8494
			आर आर एम 8615
3.	झालावाड़–खातोली–बांरा	11	आर आर एम 392
			आर एस जी 5982
			आर एस जी 6206
			आर आर जी 1472
			आर आर जी 1802
			आर आर जी 1803
			आर आर जी 1957

1	2	3	4
			आर आर जी 1981
			आर आर जी 2936
			आर आर जी 7693
			आर एस बी 840
4.	झालावाड़–हरनावदा–खानपुर	1	आर आर एम 609
5.	झालावाड़–भानपुर	1	आर आर एम 613
6.	झालावाड़–गुना	2	आर आर एम 5783
			आर आर एम 8097
7.	झालावाड़–माचलपुर	2	आर आर एम 6025
			आर एस जी 7199
8.	श्यामगढ़–ब्यावरा	2	आर आर एम 6815
			आर एस जी 7073
9.	झालावाड़–बीनागंज	1	आर आर एम 7449
10.	भानपुरा–बकानी–बीनागंज	1	आर एस जी 2155
11.	झालावाड़–छबड़ा	1	आर आर एम 8146
12.	झालावाड़–जयपुर	2	आर एस जी 2158
			आर एन बी 2841
13.	ईकलेरा–जयपुर	2	आर एन बी 3358
			आर एन बी 3359
14.	झालावाड़–चौमेहला	4	आर एस जी 2784
			आर एस जी 3229
			आर एस जी 3374
			आर आर जी 2616
15.	बकानी–रामगंजमण्डी–सडूडा	5	आर एस जी 5696
			आर एस जी 5752
			आर एस जी 5789
			आर एस जी 7328
			आर एस जी 4094
16.	रामगंज–मण्डी–सांगोद	1	आर आर जी 1407

1	2	3	4
17.	बारां सांगोद	1	आर आर जी 1484
18.	झालावाड़–उदयपुर	2	आर आर जी 2484 आर एस बी 7893
19.	झालावाड़–पिड़ावा	1	आर आर जी 7013
20.	मनोहरथाना–बीनागंज	2	आर आर जी 7789 आर आर जी 9197
21.	बीनागंज–बारां	1	आर एस बी 937
22.	सड़ूडा–ब्यावरा	1	आर एस बी 3477
23.	भवानीमण्डी–इन्दौर	3	आर आर बी 6287 आर आर बी 6346 आर आर बी 6347
24.	झालावाड़–जोधपुर	2	आर आर जी 6957 आर आर बी 9704
25.	सांगोद–खानपुर–इकलेरा	1	आर एस जी 6214

नोट : 10 वाहनें वर्तमान में कार्यशाला में मरम्मताधीन हैं।

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 43 की सूची)

शाही रेलगाड़ी में निःशुल्क यात्रा करने वाले यात्रियों की सूची–1 जनवरी, 1983 से :

क्र. सं.	यात्री का नाम	दिनांक	रिप्रजेन्टींग
1	2	3	4
1.	मि. इमईजूमी	7.1.83	सदस्य: मोरे मैगजीन, टोक्यो
2.	श्री टी. मोमोसे	,,	उपरोक्त
3.	ब्रिग्रेडियर नल्ला	12.1.83	चैयरमैन, इन्सट्रूमेंटेशन लि. कोटा (राज.)
4.	एण्ड पार्टी	,,	
5.	श्री बी. डी. दीक्षित	,,	मुख्य महा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, न्यू देहली
6.	एण्ड पार्टी	,,	
7.	श्री डी. जी. टेडी	21.1.83	मेरीडीयन एडवरटाइजिंग कं. बैंकांक
8.	श्रीमती दोरिस डा ऑफ सलेरी वोयगेस	,,	ट्रेवल एजेन्टस फ्राम जनेवा
9.	श्रीमती मोनटसेरत ऑफ केनमराज वोयगेस पापुलराज	,,	उपरोक्त
10.	श्री प्रिस्टीयन ऑफ वार्मेलीय डेनज	,,	,,
11.	मि. फ्लोरेन्स जूट ऑफ परटेट सी. आई. ई.	,,	,,
12.	श्री फेनूद बोदीनर ऑफ तोगस कुक	,,	,,
13.	श्री एम. स्वीवीजर ऑफ ट्रेवलरर्स	,,	,,
14.	श्री डी. ल्यू ऑफ पोपुलरीज	,,	,,
15.	श्री एच क्यूफमन ऑफ मीटेलथरूगन	,,	,,
16.	श्री जे. स्टीसहयूसेर ऑफ कोनी बीने	,,	,,
17.	श्री इ. साफर ऑफ भारती/बर्न	,,	,,
18.	श्री एच. रुस्च ऑफ एयर इण्डिया	,,	उक्त ग्रुप का टूर कन्डक्टर

1	2	3	4
19.	श्री गौयूली एण्ड ल्यूडी	12.1.83	जरनलिस्ट इटली
20.	मि. मनमोरो	26.1.83	फ्रीलेन्स ट्रैवल राइटर : लंदन
21.	मि. मारसे मरफी	,,	ट्रैवल राइटर : लंदन
22.	श्री दलीप मेहता	,,	फ्रीलेन्स फोटोग्राफर
23.	एण्ड पार्टी	,,	अॉपरेटिंग इन कनाडा
24.	मि. एम. फेफर	,,	जर्मन ट्रैवल एजेन्टस फ्राम ग्रुप
25.	श्रीमती स्यूच	,,	उपरोक्त
26.	श्रीमती लीन्ज	,,	,,
27.	श्रीमती मूटजबेनर	,,	,,
28.	श्रीमती ए. हीनरीचस	,,	,,
29.	मि. फंडेल	,,	,,
30.	श्री डूयनेबियर	,,	,,
31.	श्री स्पैक्वेल	,,	,,
32.	श्री एस, वेबर	,,	,,
33.	श्री ईजेतर	,,	,,
34.	एयर इण्डिया टूर कण्डक्टर	,,	,,
35.	मि. सेसीलिया स्टार	,,	यूएसए ट्रैवल एजेंट ग्रुप (दिल्ली जयपुर सेक्टर)
36.	मि. क्रिस्टीना कॉपर	26.1.83	यू. एस. ए. ट्रैवल एजेन्टर ग्रुप (दिल्ली जयपुर सेक्टर)
37.	मि. मरजोरिय बरलिस्ला	,,	उपरोक्त
38.	मि. मरय टसीयपेरस	,,	,,
39.	मि. लीता फजरदो	,,	,,
40.	श्रीमती रीयसा होवर्डस	,,	,,
41.	मि. इरीस फुकु टाकी	,,	,,
42.	श्री ग्ररनेस्ट जी. मोरीसन	,,	,,

1	2	3	4
43.	श्री अरथुर जे. वेलबेर द्वितीय	26.1.83	यू.एस.ए. ट्रैवल एजेन्टर ग्रुप (दिल्ली-जयपुर सेक्टर)
44.	एयर इण्डिया टूर कण्डक्टर	,,	,,
45.	बेल्जीयन ट्यूरिस्ट एजेन्सीज रिप्रेजेनटेटीव	,,	बेल्जीयन ट्यूरिस्ट एजेन्सीज एजूकेशनल टूर
46.	,,	,,	,,
47.	,,	,,	,,
48.	,,	,,	,,
49.	,,	,,	,,
50.	,,	,,	,,
50.	,,	,,	,,
51.	,,	,,	,,
52.	,,	,,	,,
53.	,,	,,	,,
54.	उक्त पार्टी के साथ एयर इण्डिया टूर कन्डक्टर	,,	,,
55.	श्री टकेमुरा	18.3.83	ओसाका ट्रैवल एजेन्टस
56.	श्री इकुटा	,,	उपरोक्त
57.	श्री तनीगुची	,,	,,
58.	श्री योसितमुगु	,,	,,
59.	श्री ओकमोटो	,,	,,
60.	श्री हरी मोटो	,,	,,
61.	श्री नकमुरा	,,	,,
62.	श्री नीवा ट्यूर एस्कार्ट	,,	ट्यूर एस्कार्ट, यू एस. ए.
63.	मि. मरे बोध ग्लेट्ज	,,	ट्रैवल एजेन्ट
64.	मि. शर्यन नेवीस	,,	उपरोक्त
65.	श्रीमती हलेनवान दाम	,,	यू. एस. ए. ट्रैवल एजेन्टस
66.	मि. कये ब्रिटोन	,,	उपरोक्त
67.	श्रीमती मार्मे गीबसन	,,	,,
68.	मि. कोलेटे चीहन	,,	,,
69.	श्री जोन एम. एमरोसिया	,,	,,
70.	एलीस अचालीसबर	,,	,,

165

1	2	3	4
71.	श्री ग्रेग मोरे	18.3.83	यू.एस.ए. ट्रेवल एजेन्ट्स
72.	श्रीमती आशा जयरमन	,,	ट्यूर एस्कोर्ट
73.	श्री पोल वाडे	18.3.83	बीबीसी ब्रोड कास्टर
74.	श्री दिलीप मेहता	,,	फीसेन्स फोटोग्राफर
75.	सहायक : श्री मेहता	,,	उपरोक्त
76.	श्री जे. पी. बाजपाई	,,	
77.	एण्ड पार्टी	,,	
78.	श्री अन्द्न्यू ल्यूकट	,,	फ्रीलेन्स जरनलिस्ट, लंदन
79.	मि. जनेट फाइन	23.3.83	ट्रेवल राइटर, लंदन
80.	श्री रमन सिंह शाता	,,	फोटोग्राफर, अकोम्पनिंग मि. फाइन
81.	श्री रोल ग्रीयम	,,	आर जी एम फिल्म प्रोडक्शन लंदन
82.	श्री फिलीप बी.	,,	उपरोक्त
83.	श्री जोन विल्स	,,	,,
84.	मि. रूथ गिबसनस	,,	,,
85.	एच. इ. हरी जी. बारनेस जे. आर	,,	यू एस एम्बेसेडर टू इण्डिया
86.	श्रीमती बारनेस	,,	उपरोक्त
87.	श्री त्रिसराहीट	,,	विंगस
88.	मि. डवीड विलकोक्स	,,	विंगस
89.	श्री एम. एम. जैन एल ओ टू आर.जी.एम. फिल्मस	,,	भारत सरकार, नई दिल्ली
90.	श्री आर. एल. डोगरा	,,	आई सी एण्ड टूर एम ओ रेल्वेज
91.	श्री समूल स्टेन्डबर्ग	,,	ट्रेवल राइटर, स्टॉकहोम
92.	श्रीमती स्ट्रेन्डबर्ग	,,	उपरोक्त
93.	मिस. लीन मोरन		अमेरीकन एक्सप्रेस, लन्दन

1	2	3	4
94.	मि. सी. स्मिथ	5.10.83	अमेरीकन एक्सप्रेस, लन्दन
95.	श्री पीटर मासेट		जर्नलिस्ट, यू. के.
96.	मि. राजेश शर्मा	,,	राष्ट्रदूत
97.	और पार्टी		
98.	मि. जय अंनहाउस	12.10.83	ट्रेवल राइटर, यू. एस. ए.
99.	मिस. स्टीफन ब्रस	19.10.83	ट्रेवल राइटर यू. एस. ए.
100.	मि. पीटर सोरापुर	,,	ट्यूर मैनेजर, हरीश ट्रेवल. यू. एस. ए.
101.	मिस. सोनी टारापोरेवाला	26.10.83	नमस्कार मेगजीन
102.	मिस. फाइनानिकल्स	2.11.83	ब्रिटिस जर्नलिस्ट
103.	मि. एलियन वाहीट	,,	लिन्डवलेड
104.	मि. विक्टर विश्वास	,,	ट्रेड विंग्स, यू. एस. ए.
105.	मि. भीम सिंह	,,	राजस्थान ट्यूर्स
106.	मि. डेविस पी. ओ. हुर्रट	9.11.83	के. पी. एच. एस., लन्दन
107.	मिस. जूलिया कलार्क	16.11.83	ब्रिटीश पत्रकार
108.	मिस. ए. चोपड़ा	,,	इन्द्रभा सीता
109.	मि. स्टेंटन एन. पेट्टी	,,	ऑफ सीटल टाइम्स यू.एस.ए.
110.	मि. वाल्टर इम्बर	30.11.83	स्वीटजरलैंड के छायाकार
111.	मि. इम्बर के सहायक	,,	,, ,,
112.	श्री आई. एम. खान	,,	असीस्टेन्ट ट्यूरिस्ट डाइरेक्टर, दुबई।
113.	मि. वाहीट हाउस	28.12.83	ट्रेड विंग्स
114.	श्री जोन टीरेल्स	,,	रोयल ब्रूसी, यू. एस. ए.
115.	मि. रोनेल्ड मिचेन्ड	4.1.84	फ्रांस के पत्रकार
116.	मिसेज रोलेन्ड एंम.	,,	,, ,, ,,

1	2	3	4
117.	मि. एस. जे. सिंह एण्ड पार्टी	4.1.84	डाइरेक्टर मिनिस्टरी ऑफ
118.	,, ,, ,, ,, ,, ,,	,,	एक्सटरनल अफेयर्स, नई दिल्ली।
119.	,, ,, ,, ,, ,, ,,		
120.	मि. अरविन्द कोल एण्ड पार्टी		एम. डी. हिमाचल ट्यूरिज्म एण्ड
121.	,, ,, ,, ,, ,,	25.1.84	पार्टी
122.	,, ,, ,, ,, ,,		
123.	मि. के. एम. साहनी एण्ड पार्टी		सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ ट्यूरिज्म,
124.	,, ,, ,, ,, ,, ,,	8.2.84	नई दिल्ली।
125.	,, ,, ,, ,, ,, ,,		
126.	,, ,, ,, ,, ,, ,,		
127.	मि. सुदीन चौधरी		इन्डो कल्चर ट्यूर्स, नई दिल्ली
128.	मि. विजय कोल एण्ड पार्टी	22.2.84	डाइरेक्टर मार्केटिंग, के.पी.एच.एस., लन्दन।
129.	,, ,, ,, ,, ,,		
130.	,, ,, ,, ,, ,,		
131.	,, ,, ,, ,, ,,		

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 46 की तालिका)

क्र.	संस्था का नाम	स्वीकृत ऋण	31.3.83 तक वसूल की गई राशि	शेष राशि
1.	वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली (कालेज)	6,38,100	4,70,785	1,67,315
2.	अग्रवाल महाविद्यालय, जयपुर	1,50.000	1,15,000	35,000
3.	राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	1,27,000	1,10,058	16,942
4.	महेश उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर	1,00,000	83,333.25	16,666.75
5.	एस. पी. आर. सहरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय, कालाडेरा (जयपुर)	1,00,000	83,333.12	16,666.88
6.	भूपालवाला आर्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्रीगंगानगर	1,00 000	70,000	30,000
7.	महारानी गायत्रीदेवी पब्लिक स्कूल, जयपुर	78,000	57,200	20,800
8.	गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा	2,00,000	1,30,667.06	59,332.94
9.	पीरामल बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बग्गड़, झुंझुनू	1,00,000	44,300.96	55,699.04
10.	सरस्वती बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर	2,00,000	1,33,321.52	66,678.48
11.	विद्याभवन टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, उदयपुर	2,50,000	2,25,020	24,970
12.	महिला शिक्षा सदन, हटूण्डी, अजमेर	1,10,220	77,884.96	32,335.04
13.	गांधी विद्या मन्दिर, सरदार शहर, चूरू	3,50,000	2,91,666.86	58,333.14

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 47 की सूची एवं विवरण)

(पंचायत समिति मूंडवा को दिनांक 1-4-83 से 15-2-84 तक आवंटित केरोसिन तेल की मात्रा का विवरण)

परिशिष्ट-(क)

मैसर्स श्री शंकरलाल लक्ष्मीनारायण चाण्डक, खींवसर
(पंचायत समिति:मूंडवा, जिला-नागौर)

	(मात्रा लीटर में)
9-4-83	11000
30-5-83	5000
8-7-83	6000
21-7-83	11000
26-8-83	4000
28-9-83	3000
4-10-83	4000
24-11-83	4000
28-11-83	2201
28-12-83	3000
8-2-84	4000

श्री परसराम लक्ष्मीनारायण खींवसर,
(पंचायत समिति-मूंडवा, जिला नागौर)

28-9-83	2000
4-10-83	2000
24-11-83	2000
28-11-83	2000
8-2-84	2000

मैसर्स राजस्थान आयल स्टोर्स, खींवसर
(पंचायत समिति मूंडवा, जिला नागौर)

30-5-83	6000
8-7-83	6000

	(मात्रा लीटर में)
26–8–83	4000
28–9–83	3000
4–10–83	4000
24–11–83	3000
28–12–83	6000
8–2–84	3000

मैसर्स शिवशंकर आटोमोबाइल्स.कड़ेलू
(पंचायत समिति–मूंडवा, जिला–नागौर)

31–5–83	9000
29–11–83	12000
12–1–84	9000
9–2–83	11000

ग्राम सेवा सहकारी समिति खींवसर
(पंचायत समिति मूंडवा, जिला नागौर)

7–4–83	11000
26–4–83	4000
28–9–83	3000
4–10–83	2000
24–11–83	2000
28–11–83	2000
28–12–83	2000
8–2–84	3000

मैसर्स चौधरी एण्ड सन्स, खजवाना
(पंचायत समिति मूंडवा, जिला नागौर)

13–4–83	6000
14–4–83	4000
31–5–83	6500
13–7–83	6500
4–8–83	4000
29–8–83	6000
1–10–83	7000

(मात्रा लीटर में)

26-10-83	3500
9-11-83	6500
29-11-83	3500
29-12-83	3500
2-12-83	6500
10-1-84	6500
23-1-84	6000
10-2-84	6500

मैसर्स भाटी ग्रायल सर्विस मूंडवा
(पंचायत समिति मूंडवा, जिला नागौर)

30-4-83	10000

मैसर्स रामेश्वर लाल, कुचेरा
(पंचायत समिति मूंडवा, जिला नागौर)

29-6-83	3000

मैसर्स बाबूलाल सीताराम कुचेरा
(पंचायत समिति मूंडवा, जिला नागौर)

19-12-83	2000
20-12-83	1500
29-12-83	2000
30-12-83	1000
17-1-84	2000
24-1-84	2000
10-2-84	2000
13-2-84	2000

मैसर्स भारत केरोसिन स्टोर, कुचेरा
(पंचायत समिति-मूंडवा, जिला नागौर)

4-4-83	5000
5-4-83	1000
18-4-83	2000
19-4-83	2000

	(मात्रा लीटर में)
31-5-83	3500
14-7-83	1500
29-7-83	2500
30-7-83	6000
26-8-83	2000
27-8-83	1500
29-8-83	2000
3-9-83	2000
14-10-83	6500
18-11-83	5000
19-11-83	5000
29-12-83	2000
30-12-83	1500

परिशिष्ट–(ख)

(पंचायत समिति नागौर को दिनांक 1-4-83 से 15-2-84 तक आवंटित केरोसिन तेल की मात्रा का विवरण)

मैसर्स हरिराम बाबूलाल गुढाभगवानदास
(पंचायत समिति नागौर, जिला नागौर)

दिनांक	दिये गये केरोसिन की मात्रा (लीटर में)
8-12-83	11000
27-1-84	12000
13-2-84	11000

मैसर्स श्री भंवरलाल हरिराम बासनी
(पंचायत समिति नागौर, जिला नागौर)

दिनांक	दिये गये केरोसिन की मात्रा (लीटर में)
14-6-83	12000
12-8-83	11000
16-11-83	12000
30-1-84	9000

173

परिशिष्ट 'ग'

(नागौर शहर को दिनांक 1-4-83 से 15-2-83 तक आवंटित केरोसिन तेल की मात्रा का विवरण)

दिनांक	दिये गये केरोसिन की मात्रा लीटर में	दिनांक	दिये गये केरोसिन की मात्रा लीटर में
1	2	3	4
	मैसर्स गौरी स्टील, नागौर (शहर)		
8-4-83	8000	3-10-83	3600
11-4-83	7000	11-10-83	3500
30-4-83	6000	15-10-83	4000
4-5-83	4000	18-10-83	4000
6-5-83	8000	20-10-83	3400
14-5-83	3500	25-10-83	4000
18-5-83	3000	28-10-83	8000
29-5-83	9000	31-10-83	6000
3-6-83	3000	2-11-83	5000
6-6-83	4000	9-11-83	3000
9-6-83	3000	12-11-83	6000
14-6-83	4000	17-11-83	6000
2-7-83	6000	19-11-83	7000
6-7-83	2000	22-11-83	8000
7-7-83	11000	22-11-83	3000
10-7-83	8000	30-11-83	7000
15-7-83	6200	5-12-83	4000
25-7-83	8000	7-12-83	7000
5-8-83	4000	10-12-83	3500
6-8-83	9000	14-12-83	10000
17-8-83	4500	16-12-83	3000
19-8-83	6000	22-12-83	10000
23-8-83	4500	24-12-83	4000
25-8-83	4000	8-1-84	6000

1	2	3	4
3–9–83	1500	9–1–84	4000
7–9–83	8000	11–1–84	6000
8–9–83	7000–3500	19–1–84	2000
20–9–83	2000–3500	24–1–84	6000
22–9–83	3000	31–1–84	7000
24–9–83	2000	1–2–84	6500
29–9–83	2000	2–2–84	6000
30–9–83	8000	6–2–84	3000
		7–2–84	12000

मैसर्स शमसुद्दीन अलीमद्दीन, नागौर (शहर)

5–4–83	5000	26–9–83	3500
10–4–83	3800	27–9–93	4000
18–4–83	4000	10–10–83	6500
30–4–83	2000	18–10–83	3500
11–5–83	3500	19–10–83	3500
16–5–83	2000	31–10–83	4500
18–5–83	2000	1–11–83	2000
31–5–83	6000	3–11–83	3000
3–6–83	3000	9–11–83	4000
9–6–83	3000	16–11–83	4600
9–6–83	4400	22–11–83	3000
28–6–83	2500	25–11–83	8400
7–7–83	8000	6–12–83	3000
18–7–83	4000	12–12–83	7000
23–7–83	3800	21–12–83	10500
29–7–83	3500	23–12–83	2000
5–8–83	3500	27–12–83	7000
17–8–83	2000	29–12–83	4000
19–8–83	1000	4–1–84	2500
20–8–83	3500	10–1–84	11500
25–8–83	3000	21–1–84	10500

175

1	2	3	4
26-8-83	2000	22-1-84	5000
8-9-83	8500	24-1-84	3500
16-9-83	3500	28-1-84	8500
20-9-83	3000	31-1-84	4000
25-9-83	2000	8-2-84	4000
		13-2-84	10500
मैसर्स रामस्वरूप सत्यनारायण मुनदड़ा, नागौर (शहर)			
5-12-83	2000	21-12-83	2000
16-12-83	2000	19-12-84	2000
मैसर्स अब्दुल रहमान अब्दुल मजीद, नागौर (शहर)			
13-12-83	2000	21-1-84	2000
23-12-83	2000	22-1-84	1000
24-12-83	1000		
मैसर्स शान्ति सहकारी भण्डार, नागौर (शहर)			
5-4-82	4000	8-4-83	3000
18-5-83	3000	6-6-83	2000
मैसर्स गौत्तम केरोसिन स्टोर, नागौर (शहर)			
21-1-84	2000	7-2-84	2000
मैसर्स श्याम सुन्दर बंग, नागौर (शहर)			
18-5-83	1000		
मैसर्स नृसिंह लाल तिवाड़ी, नागौर शहर)			
4-5-83	2000	17-11-83	3800
16-5-83	2100	22-11-83	2000
14-6-83	2000	6-12-83	3000
5-8-83	2000	20-12-83	3500
25-8-83	2000	23-12-83	2000
8-9-83	3000	29-12-83	2000
29-9-83	3000	2-1-84	3000

1	2	3	4
15–10–83	3000	7–1–84	3500
29–10–83	3600	31–1–84	4000
3–11–83	2000	7–2–84	3000
9–11–83	2000		
	मैसर्स बालाजी डिपो, नागौर (शहर)		
5–4–83	2000	5–12–83	2000
18–5–83	2000	16–12–83	2000
9–6–83	2000	21–12–83	2000
5–8–83	2000	19–1–84	2000
20–9–83	1000	6–2–84	2000
22–9–83	2000	7–2–84	1000
	मैसर्स सफी मोहम्मद, नागौर (शहर)		
11–5–83	1500		
	मैसर्स श्रवण डिपो, नागौर (शहर)		
19–4–83	2000	6–5–83	2000
	मैसर्स टाक ब्रदर्स, नागौर (शहर)		
30–4–83	2000	16–8–83	2000
4–6–83	2000	20–9–83	2100
8–7–83	2000	11–10–83	2100
9–7–83	1500	27–1–84	2000
29–7–83	2000	28–1–84	2500
14–8–83	2000		
	मैसर्स एम.खां, नागौर (शहर)		
19–6–83	1100	24–12–83	1000
29–7–83	1000	27–1–84	2000
6–12–83	2000	28–1–84	1000
23–12–83	2000		

1	2	3	4
	मैसर्स भगवत एण्ड कम्पनी नागौर (शहर)		
3-10-83	2000	24-12-83	2000
4-10-83	1500	25-12-83	1000
16-10-83	2000	9-1-84	2000
17-10-83	1600	21-1-84	1000
25-10-83	2000	22-1-84	1000
29-10-83	2000	27-1-84	3500
9-11-83	2800	7-2-84	2000
10-11-83	1000	8-2-84	1000
10-12-83	3500	20-2-84	2500
	मैसर्स सदरूद्दीन शमशुद्दीन, नागौर (शहर)		
5-4-83	2000	24-9-83	5500
18-4-83	2000	18-10-83	2000
30-4-83	2000	25-10-83	2000
11-5-83	2000	1-11-83	2000
12-5-83	1000	8-11-83	2000
16-5-83	2000	17-11-83	2000
4-6-83	2000	25-11-83	2000
9-6-83	1500	26-11-83	1600
28-6-83	1000	12-12-83	2000
7-7-83	2000	13-12-83	2000
17-8-83	1500	21-12-83	3500
19-8-83	2000	23-12-83	1000
26-8-83	1500	9-1-84	2000
8-9-83	2000	20-1-84	3500
20-9-83	1500	22-1-84	2000
22-9-83	2000	28-1-84	2000
23-9-83	1000	13-2-84	3500
	मैसर्स बद्रीनारायण व्यास, नागौर (शहर)		
5-4-83	4000	18-10-83	3500
7-4-83	6700	25-10-83	3000

1.	2.	3.	4.
11–4–83	2000	31–10–83	3500
4–5–83	3000	1–11–83	2000
6–5–83	4000	4–11–83	3000
14–5–83	3500	16–11–83	3800
18–5–83	2000	9–11–83	3000
3–6–83	2000	17–11–83	6000
9–6–83	3000	22–11–83	3000
14–6–83	2000	24–11–83	4000
28–6–83	3000	10–12–83	3500
2–7–83	2000	16–12–83	2500
6–7–83	4000	15–12–83	7000
10–7–83	2460	20–12–83	3500
14–7–83	5000	24–12–83	3000
5–7–83	3000	12–12–83	4000
23–7–83	3000	29–12–83	4000
19–8–83	3000	4–1–84	2000
13–8–83	2500	7–1–84	2000
3–9–83	3500	9–1–84	3000
8–9–83	3000	16–1–84	3000
16–9–83	6500	19–1–84	2000
29–9–83	3000	24–1–84	8500
1–10–83	4000	31–1–84	4000
3–10–83	3000	7–2–84	3000
18–10–83	3000	8–2–84	3000

मैसर्स नेमीचन्द, नागौर (शहर)

3–6–83	2000	29–10–83	1800
6–6–83	2000	2–11–83	2000
9–6–83	2000	8–11–83	2000
10–6–83	1000	17–11–83	2000
28–6–83	2000	18–11–83	2200
29–6–83	1500	10–12–83	2000

(179)

1	2	3	4
6-7-83	2000	11-12-83	1500
7-7-83	2000	15-12-83	2000
14-7-83	2000	16-12-83	1500
18-7-83	2000	19-12-83	2000
19-7-83	2000	20-12-83	1500
23-7-83	2000	16-12-83	2000
5-8-83	2000	27-12-83	2000
13-8-83	2000	30-12-83	2000
14-8-83	1500	4-1-84	1500
23-8-83	2000	7-1-84	2000
24-8-83	3500	8-1-84	1500
27-8-83	1000	9-1-84	2000
20-9-83	4000	10-1-84	1500
27-9-83	1500	16-1-84	2000
29-9-83	2000	17-1-84	1500
1-10-83	2000	21-1-84	3500
11-10-83	2000	24-1-84	3500
18-10-83	2000	27-1-84	3500
19-10-83	1000	1-2-84	3500
25-10-83	2200	8-2-84	2000
मैसर्स शौकत अली मोहम्मद बक्श, नागौर (शहर)			
30-4-83	1200	20-10-83	1200
4-5-83	2000	28-10-83	2000
14-5-83	2000	31-10-83	2000
29-5-83	2000	2-11-83	2000
6-6-83	2000	3-11-83	2000
14-6-83	2000	4-11-83	4000
2-7-83	2000	12-11-83	2000
6-7-83	2000	17-11-83	2000
10-7-83	2000	19-11-83	2000
25-7-83	2000	22-11-83	2000

1	2	3	4
5-8-83	2000	30-11-83	2000
6-8-83	2000	5-12-83	2000
17-8-83	2000	6-12-83	2000
19-8-83	2000	16-12-83	1000
23-8-83	2000	11-12-83	2000
25-8-83	2000	22-12-83	2000
3-9-83	2000	8-1-84	2000
7-9-83	2000	9-1-84	2000
8-9-83	2000	12-1-84	2000
20-9-83	2000	19-1-84	2000
24-9-83	2000	24-1-84	2000
25-9-83	1500	31-1-84	2000
29-9-83	2000	1-2-84	2000
11-10-83	1500	3-2-84	2000
15-10-83	2000	6-2-84	2000
18-10-83	2000	7-2-84	1000

मैसर्स प्रेमराज शर्मा, नागौर (शहर)

6-6-83	1000	25-10-83	500
14-6-83	4000	6-12-83	2000
2-7-83	1000	16-12-83	1500
14-7-83	1500	17-12-83	1000
29-7-83	2000	4-1-84	1000
30-7-83	1000	19-1-84	2000
1-9-83	1000	8-2-84	1000
3-9-83	2000	10-11-83	1500
16-9-83	2000	7-1-84	1500
20-9-83	1000	24-1-84	2000

मैसर्स गोपीकिशन, रामरतन, नागौर (शहर)

14-7-83	1500	1-4-83	1000
29-7-83	1500	5-8-83	1500

1	2	3	4
	मैसर्स बंशीलाल बंसल, नागौर (शहर)		
29–7–83	1000		
	मैसर्स कर्मचारी सहकारी भण्डार, नागौर (शहर)		
5–4–83	1000		
	मैसर्स रामसुख जवरीलाल, नागौर (शहर)		
5–4–83	2000		
	मैसर्स आदर्श सहकारी भण्डार नागौर (शहर)		
7–4–83	1300		
	मैसर्स मारवाड़ सहकारी उपभोक्ता भण्डार, नागौर (शहर)		
16–5–83	900	18–7–83	440

विवरण

परिशिष्ट (घ)

(केरोसिन डीलरों के विरुद्ध जांच की सूचना)

क्र. सं. 1	नाम केरोसिन डीलर 2	स्थान 3	जांच की तिथि 4	कार्यवाही की गई 5
1.	मै० नृसिंह आयल मिल	नागौर शहर	6–5–83	प्रतिभूति राशि से 50/–रु. जब्त सरकार किये गये।
2.	मै० शौकत अली	मूंडवा	5–7–83	440 लीटर केरोसिन निलाम कर राशि राजकोष में जमा की गई व पुलिस थाना मूंडवा द्वारा तफतीश जारी है।

1	2	3	4	5
3.	मै० शंकरलाल लक्ष्मी नारायण	खिवसर	28–7–83	जांच के बाद शिकायत गलत पाई गई।
4.	मै० राजस्थान आयल स्टोर	खिवसर	28–7–83	जांच के बाद शिकायत गलत पाई गई।
5.	मै० गोपी किशन	नागौर शहर	24–8–83	नियमानुसार कार्यवाही में दोषमुक्त किया गया।
6.	मै० शांतिलाल विजयराज	कुचेरा	25–11–83	नियमानुसार कार्यवाही जारी है।
7.	मै० शंकरलाल लक्ष्मी-नारायण	खिवंसर	27–10–83	जांच के बाद शिकायत गलत पाई गयी।
8.	मै० हरिराम बाबूलाल	गुढ़ा भगवानदास	14–11–83	जांच के बाद शिकायत गलत पाई गई।
9.	मै० गोपीकिशन	नागौर शहर	30–1–84	शिकायत जांच के बाद गलत पाई गई।

(183)

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 48 की सूचियां)

सूची 'अ'

टोंक जिले में वर्षवार 1980-81 से 1983-84 (माह फरवरी, 84) तक दिये गये कृषि कनेक्शनों का विवरण

क्र.	ग्राम का नाम	विद्युत कनेक्शन दिये गये 1980-81	1981–82	1982-83	1983-84
1.	टोंक	13	6	4	4
2.	मेंदावास	7	16	4	—
3,	डारडा–हिन्दी	5	9	3	1
4.	विधारस	2	1	1	—
5.	लहन	5	2	1	3
6.	देवली	1	—	1	—
7.	सीतारामपुरा	—	—	1	—
8.	घोलाखेड़ा	1	—	—	—
9.	बगड़ी	17	3	3	—
10.	वजीरपुरा	1	2	1	2
11.	मोलाइपुरा	1	—	1	—
12.	मंडावर	9	7	—	—
13.	चिरोंज	—	2	—	—
14.	मांची	1	1	1	—
15.	मेंहुगांव	1	2	—	—
16.	हाडीखुर्द	—	—	—	—
17.	पराना	—	—	2	—
18.	नानेर	—	—	1	—
19.	देवली गांव	—	1	—	—
20.	देवली	—	1	—	—
21.	काशीर	17	4	4	3
22.	देवपुरा	5	1	2	—
23.	पनवाड़	—	1	—	—
24.	छातड़ी	2	1	2	—
25.	दूधावास	—	—	1	1

1	2	3	4	5	6
26.	सिवाई	7	7	2	—
27.	सुनारा	1	1	1	—
28.	डांगरथल	1	—	—	3
29.	गुड्डा	1	—	—	1
30.	रजवास	1	—	—	—
31.	सीदड़ा	7	7	3	5
32.	सुन्दरी	2	—	5	—
33.	प्रतापपुरा	6	—	3	1
34.	जयसिंहपुरा	2	—	—	—
35.	चैनपुरा	2	1	2	—
36.	खंडेवल	1	—	—	—
37.	झलाई	6	—	—	—
38.	पलाई	3	2	3	—
39.	राहोली	7	—	6	3
40.	त्रिलोकपुरा	1	—	—	—
41.	हेरोद	—	5	1	—
42.	भानोसी	4	3	2	—
43.	रामजीपुरा	1	—	1	2
44.	वनस्थली	2	—	—	2
45.	हिंगोटिया	2	—	6	—
46.	नगर फोर्ट	—	1	—	—
47.	अलीगढ़	2	1	—	—
48.	बालापुरा	—	2	—	—
49.	गुराई	6	—	—	—
50.	डावला	—	7	—	—
51.	जलसीतना	14	151	5	3
52.	निमोला	5	3	—	—
53.	संडीला	6	2	—	1
54.	कल्याणपुरा	2	7	—	2
55.	सुरेली	6	11	3	—
56.	बनेवा	5	—	—	—
57.	दूनी	2	—	—	—

1	2	3	4	5	6
58.	अमीरपुर खेरा	—	—	3	—
59.	रुपवास	10	3	—	—
60.	वनस्थली	—	—		—
61.	जूनिया	5	—	1	—
62.	छान	5	17	3	—
63.	गुदलिया	—	—	2	—
64.	देवडावास	3	6	3	7
65.	मोहम्मदनगर	—	—	1	—
66.	महुवा	2	1	2	—
67.	चूरिया	1	1	—	—
68.	बीठोला	4	2	—	—
69.	लाम्बा	2	1	3	—
70.	अहमदगंज	1	—	—	—
71.	सरोली	2	—	—	2
72.	सोप	3	—	—	—
73.	फरासिया	1	—	—	—
74.	पालीथल	4	1	—	—
75.	ऊंटीटाना	—	—	—	2
76.	सूंथरा	4	—	—	—
77.	संग्रामपुरा	—	—	—	3
78.	नवावपुरा	1	—	—	—
79.	उखलाना	—	1	—	—
80.	विलोढा	—	—	—	1
81.	फलेता	—	1	1	1
82.	गोहरपुरा	—	2	—	1
83.	ककोड	—	2	1	—
84.	सांडागांव	—		—	1

1		2		3	4
85.	सोनवा	—		—	—
86.	ग्रहमदपुरा	—		2	—
87.	रामगंज	--	--	1	--
88.	तालिवपुरा	....	....	3	....
89.	मूडिया	6	1	....	1
90.	किशोरपुरा	....	5	....	....
91.	दत्तवास	12	6	1	....
92.	ललवारी	2	....	3	....
93.	वीडोली	4	4	1	....
94.	बहड	13	2	1	....
95.	साजिया	1	3	1	....
96.	हरभगतपुरा	1	....	....	....
97.	दहलोद	1	....	....	....
98.	जगसरा	2	1	....	....
99.	खाजपुरा	1	....	....	....
100.	जामेडोली	2	5	1	....
101.	श्री गोपालपुरा	2	....	....	....
102.	नला	6	1	5	....
103.	जीवली	1	....	....	....
104.	संग्रामपुरा	1	....	....	....
105.	दामोदरपुरा	3	2	2	3
106	करनपुरा	....	3	....	....
107.	लोघेरा	1	1	3	....
108.	सूरजपुरा	....	1	....	....
109.	नूतेरा	....	5	....	....
110.	सिरोही	1	....	....	....
111.	खंडवा	....	1	....	....

1	2	3	4	5	6
112.	खेड़ा बुजुर्ग	....	....	....	1
113.	चिकाना	....	4	....	....
114.	हनूतिया बुजुर्ग	....	1	3	....
115.	काटोली	....	....	....	1
116.	वरोदिया	....	....	10	6
117.	भावता	....	....	4	3
118.	शक्तपुरा	....	....	2	....
119.	भातरीया	....	....	1	4
120.	झापड़ी	....	....	1	....
121.	जुझारपुरा	....	....	6	....
122.	नटवारा	....	....	....	2
223.	नंगल ईसर	....	5	3	....
124.	महाराज कंवरपुरा	....	1	1	....
125.	रूपवास	....	2	....	1
126.	बाड़छोड़िया	2	....	1	....
127.	संभागपुरा	3	1	1	....
128.	दारदा	....	1	....	....
129.	किवारा	....	4	....	....
130.	कारदिया	....	1	....	....
131.	टूटोली	....	....	1	....
132.	भरथल	....	....	6	1
133.	चोरपुरा	....	....	....	1
134.	विजयपुरा	....	....	....	3
135.	अलीपाबाद	....	....	5	1
136.	आनदन्द्रपुरा.	....	....	2	....
137.	भातरिया	....	....	....	1

1	2	3	4	5	6
138.	लाम्बाहरिसिंह	....	4	....	....
139.	कोटोली	....	1	....	....
140.	खेडामलूकानगर	....	3	4	....
141.	घाटी	....	....	1	....
142.	हाथकी	....	....	1	....
143.	कीरमालिया	....	....	2	....
144.	कांटोली	....	....	....	6
145.	कलमंडा	....	....	....	3
146.	पचेवर	....	7	....	....
147.	बनेडिया चरण	....	1	....	....
148.	रेथलर	....	2	....	....
149.	नगर	....	....	2	....
150.	मावोगड	....	....		....
151.	ग्रहतरी	....	....	9	....
152.	ग्रमली सोख	....	....	....	....
153.	पालडी	....	....	....	3
154.	डोरिया	....	....	....	5
155.	मालपुरा	16	12	12	3
156.	डिग्गी	3	....	3	3
157.	सावा	....	....	....	....
158.	चांदसेन	11	9	....	....
159.	सोडा	4		....	....
160.	धोली	....	....	....	....
161.	धानोता	1	....	....	....
162.	सिन्धोलिया	....	....	....	....
163.	गोलीपुरा	4	....	....	1

1	2	3	4	5	6
164.	कल्याणपुरा	....	....	1	....
165.	दोराई	1	....	1	....
166.	इंदोली	....	....	....	....
167.	रिंडलिया	....	....	....	....
168.	टोरडी	25		3	2
169.	तीतरिया (मालपुरा)	....	....	....	....
170.	रूपाहेली	....	....	....	....
171	मेहरु	....		1	....
172.	मान्दोलाई	....		....	....
173.	भीपुर	....		....	....
174.	टोडारायसिंह	....		....	....
175.	बस्सी	1		....	....
176.	रतनपुरा	....		....	
177.	भासू	16	6	3	....
178.	भटेडा	5	2	3	....
179.	बीसलदुरा	1	2	....	....
180.	नयावास	1	1	....	5
181.	नसीरदा	....	....	....	....
182.	थली	....	2	....	....
183.	तीतरिया (टोडा)	....	....	....	....
184.	थडोली	4	4	....	....
185.	थडोला	1	1	1	....
186.	पवालिया	....	....	....	....
187.	बृजलालनगर		....	....	....
188.	उनियारा	2	1	....	1
		401	311	222	109

सूची 'ब'

टोंक जिले में वर्ष 1980–81 से 1983–84 (फरवरी 84) तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बस्तियों का विद्युतीकरण व बस्तियों का विवरण जो विद्युतीकृत की गई

क्र० वर्ष	लक्ष्य	ग्राम का नाम व बस्तियों की संख्या		बस्तियों का नाम
1	2		3	4
1. 1980–81	–	1. बगड़ी	6	मो. रेगरान –2 मो० हरिजन –1 मो० वैरवा –2 मो० धोबियान 1 खटीकान
		2. पनवाड़	1	मो० रेगरान–1
		3. डागरथल	5	मो० वेरवान–3 मो० रेगरान–2
			12	
2. 1981–82	–	1. नोहरा	1	मो० वैरवा
		2. दहलोद	1	मो० हरिजन
		3. सीरोली	2	मो० वैरवा, हरिजन
		4. लावाहरिसिंह	1	मो० वैरवा
		5. पचेवर	1	मो० रेगर
		6. बीठोला	6	वेरवा, मीणा, हरिजन, वैरवा /मीणा, हरिजन वैरवा
		7. चूनिया	1	हरिजन मोह०
		8. करीमपुरा	4	हरिजन, रेगर, मीणा, वैरवा, भील
			17	

(191)

1	2	3	4
3. 1982–83	– 1. भरथला	1	बैरवा हरिजन
	2. जीवली	1	बैरवा
	3. किवाडा	1	बैरवा
	4. खिड़की	1	बैरवा
	5. सींगरा	1	बैरवा
	6. सितंरा मोजा	1	बैरवा
	7. कलमंडा	2	रैगेरान–2
	8. करीला	1	हरिजन रैगर
	9. तिलान्जू	1	,, ,,
	10. काठोली	1	बैरवान
	11. घाटी	1	रैगरान
	12. डूंगरी कलां	1	मीणा
	13. डूंगरीखुर्द	1	हरिजन
	14. निमूकिया	1	,,
	15. वनस्थली	1	,,
	16. इन्डोली	2	धोवी रैगर
	17. चांदसेन	1	रैगरान
	18. रिन्डला	2	नायक/बैरवा
	19. डिग्गी	2	वनजारो वचमारोका मोहल्ला
	20. हायकी	1	रैगरान
	21. सोडा	1	हरिजन
	22. ग्रख्तरी	1	,,
	23. रुपाहेली	2	धोवी, चमार
	24. भीपुर	2	बैरवा–2
	25. लावा	3	चमार, रैगर नायक, बैरवा
	26. टोरडी	1	खटीक
	27. पचेवर	1	रैगरान
		35	

1	2		3	4
4. 1983–84 (फरवरी 84)	18	1. चवालिया	3	नायक, चमार, रैगर
		2. देवली गांव	2	रैगर, भील
		3. लावा	1	मीणा
		4. वीर्लीथल	1	हरिजन/मीणा
		5. रुथडा	1	नट
		6. पहाड़ी	1	हरिजन
		7. थाडोली	1	लालसिंह का भोपडा
		8. भीपुर	3	वैरवा, खटीक, रैगर, नाथ
		9. भावलपुर	1	वैरवा
		10. लाम्बाहरिसिंह	1	खटीक
		11. कलमंडा	1	वैरवा
		12. जूनिया	1	वैरवा
		13. टोला खेडा	1	वैरवा/रैगर
		14. पचेवर	8	रैगर, हरिजन लालवेरी
		15. धोली	1	चमार मो०
		16. महरु	2	खटीक, रैगर
		17. नानेर	9	वलाई, नायक, भील, रैगर, खटीक, वैलवार कीर, हरिजन
		18. बोरखण्डी	7	वैरवा, खटीक, वलाई हरिजन, धोवी, मीणा
		19. बीसलपुर	4	मीणा, रैगर, भील, चमार
		20. भटेडा	2	मीणा, परसाली, झोपड़ी
		21. भासू	2	भील, कीर
		22. जानकीपुरा	1	वैरवा
		23. भावता	2	हरिजन, वैरवा
		24. केरनेद	2	,, ,,
		25. हिगांठिया	1	हरिजन वस्ती
		26. नवाबपुरा	1	,, ,,
		27. देवपुरा	1	मीणा
		28. चिकाना	1	मीणा
			63	

(193)

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 49 का विवरण)

परिशिष्ट 'अ'

11 के० वी० सब स्टेशन नूवा पर विद्युत प्रवाह के अवरोध का विवरण

माह	दिनांक	अवरोध की अवधि		समय	
		कब से	कब तक	घन्टे	मिनट
1	2	3	4	5	6
फरवरी 83	15.2.83	8.00 AM	6.00 PM	10	....
	16.2.83	8.00 ,,	7.00 ,,	11	....
	17.2.83	8.00 ,,	7.00 ,,	11	....
	18.2.83	8.00 ,,	7.00 ,,	11	....
		7.20 PM	8.00 ,,	....	40
		8.03 PM	9.02 ,,	....	59
	19.2.83	8.00 AM	7.05 ,,	11	5
	20.2.83	7.55 ,,	8.05 AM	....	10
	do	8.10 ,,	8.30 ,,	....	20
	do	1.10 PM	7.00 PM	5	50
	21.2.83	10.00 ,,	0.55 ,,	2	55
	22.2.83	12.58 ,,	7.05 ,,	6	7
	23.2.83	6.45 AM	7.35 AM	....	50
	do	5.00 PM	7.05 PM	2	5
	24.2.83	4.00 PM	6.45 ,,	2	45
	25.2.83	3.20 AM	4.15 AM	....	55
	do	4.00 PM	6.55 PM	2	55
	26.2.83	4.30 ,,	7.00 PM	2	30
	27.2.83	4.10 ,,	7.25 ,,	3	15
		10.45 ,,	11.30 ,,	....	45
	28.2.83	8.20 AM	7.50 ,,	11	30
		8.35 ,,	9.35 ,,	1	....
				100	06

1	2	3	4	5	6
मार्च 1983	1.3.83	5.10 AM	6.05 AM	....	55
		7.25 AM	8.00 AM	....	35
		1.00 PM	6.53 PM	5	53
	2.3.83	0.30 AM	0.45 AM	....	15
		4.10 ,,	7.00 PM	6	50
	3.3.83	3.15 PM	3.50 ,,	....	35
		6.05 ,,	7.05 ,,	1	....
	4.3.83	10.10 AM	3.45 ,,	5	35
		6.13 PM	8.10 ,,	1	57
	5.3.83	8.30 AM	10. 0 AM	1	30
		5.00 PM	7.10 PM	2	10
	6.3.83	5.15 AM	8.05 AM	2	50
		6.10 PM	7.05 PM	....	55
	7.3.83	5.10 AM	10.05 AM	4	55
		10.20 ,,	11.00 ,,	....	40
		2.10 PM	4.00 PM	....	50
	8.3.83	6.00 AM	10.00 AM	4	....
		5.10 PM	7.20 PM	2	10
	9.3.83	6.00 AM	10.00 AM	4	....
		4.20 PM	5.00 PM	....	40
	10.3.83	5.50 AM	10.00 AM	4	10
		10.37 ,,	11.10 ,,	....	33
		5.00 PM	7.10 PM	2	10
	11.3.83	6.00 AM	10.05 AM	4	5
		5.05 PM	6.45 PM	1	40
		10.45 ,,	11.00 ,,	....	15
	12.3.83	6.00 AM	10.15 AM	4	15
		2.55 PM	3.10 PM	....	15
		4.50 PM	7.25 PM	2	35
	13.3.83	3.00 AM	10.00 AM	7	....
		5.00 PM	7.00 PM	2	....

1	2	3	4	5	6
		8.05 AM	8.55 PM	....	30
		9.05 ,,	10.00 ,,	....	55
	14.3.83	6.00 AM	10.00 AM	4	....
		5.00 PM	7.00 PM	2	....
	15.3.83	4.40 AM	6.30 AM	1	20
		6.31 ,,	10.00 ,,	3	29
		3.35 PM	7.00 PM	3	25
		10.20 ,,	10.35 ,,	....	15
	16 3.83	7 05 AM	10.00 AM	2	55
		5.00 PM	7.00 PM	2	....
	17.3.83	6.10 AM	10.00 AM	3	50
		5.00 PM	7.00 PM	2	....
		10.00 ,,	12.00 ,,	2	....
	18.3.83	0.15 AM	5.00 AM	5	45
		9.35 ,,	11 15 ,,	1	40
		2.15 AM	2.55 AM	....	40
		3.14 PM	3.35 PM	....	21
		3 50 ,,	4.10 ,,	....	20
	19.3.83	5.00 AM	10 00 AM	5	....
		11.13 ,,	12.50 PM	1	37
		12.55 PM	3.45 PM	2	50
		11.40 ,,	12.00 ,,	....	20
	20.3.83	5.00 AM	10.00 AM	5	....
		20.15 ,,	10.50 ,,	....	35
		5.05 PM	7.00 PM	1	55
	21.3.83	6.00 AM	10.00 AM	4	....
		5.00 PM	7.05 PM	2	5
	22.3.83	5.15 AM	10.05 AM	4	50
		10 15 AM	10.30 AM	....	15
		5.00 PM	7.00 PM	2	....
	23.3.83	5.05 AM	10.05 AM	5	....
		5.05 PM	7.00 PM	1	55

1	2	3	4	5	6
	24.3.83	5.05 AM	10.05 AM	....	....
		3.10 PM	6.05 PM	2	55
		11.15 PM	5.00 AM	5	45
	25.3.83	8.35 AM	2.10 PM	5	35
		7.50 PM	10.00 PM	2	10
	26.3.83	5.00 AM	10.00 AM	5	....
		5.05 PM	6.50 PM	1	45
	27.3.83	6.00 AM	10.05 AM	4	05
		5.00 PM	6.25 PM	1	25
	28.3.83	6.00 AM	10.00 AM	4	....
		5.05 PM	7.00 PM	1	55
	29,3,73	5.00 AM	10,10 AM	5	10
		5.05 PM	7.00 PM	1	55
	30.3.83	5.30 AM	9.10 AM	3	40
		5.55 PM	7.00 PM	1	05
	31.3.83	6.00 AM	10.05 AM	4	05
		5.50 PM	7.05 PM	....	15
				209	05
अप्रैल 1983	1.4.83	6.00 AM	10.00 AM	4	....
		5.40 PM	8.00 PM	2	20
	2.4.83	5.15 AM	10.04 AM	4	49
		4.40 PM	7.05 PM	2	25
	3.4.83	6.00 AM	10.10 AM	4	10
		6.00 PM	7.00 PM	1	....
	4.4.83	6.00 AM	10.00 AM	4	....
		6.00 PM	7.00 PM	1	....
	5.4.83	8.55 AM	12.45 AM	3	50
	6.4.83	10.10 PM	10.30 PM	....	20
	7.4.83	12.00 PM	3.40 PM	3	40
	8.4.83	6.00 AM	10.00 AM	4	....

1	2	3	4	5	6
		3.13 PM	3.55 PM	....	43
		7.35 PM	8.05 PM	....	30
	9.4.83	6:20 AM	10.00 AM	3	40
		7.04 PM	7.00 PM	....	56
	10.4.83	6.00 AM	10.00 AM	4	....
		6.05 PM	7.00 PM	....	55
	11.4.83	6.00 AM	10.00 AM	4	....
		5.20 PM	6.50 PM	1	30
	12.4.83	8.05 AM	12.10 PM	4	05
	14.3.83	8.00 AM	3.15 PM	7	15
		6.05 PM	7.00 PM	....	55
	15.4.83	8.00 AM	8.45 AM	....	45
	16.4.83	9.05 AM	9.30 AM	....	25
	20.4.83	8.00 PM	9.20 PM	1	20
	21.4.83	7.50 PM	8.05 PM	....	15
	22.4.83	12.30Noon	10.00 PM	9	30
	23.4.83	1.05 PM	2.05 PM	1	....
		2.15 PM	2.30 PM	....	15
		2.31 PM	6.05 PM	3	34
	26.4.83	7.20 AM	8.40 AM	1	20
		8.00 PM	8.15 PM	....	15
	27.4.83	4.15 ,,	4.45 ,,	....	30
		4.50 ,,	6.45 ,,	1	55
				89	09
मई, 1982	2.5.83	8.15 AM	2.00 PM	5	45
	4.5.83	1.15 PM	1.30 ,,	....	15
		7.20 ,,	4.40 ,,	....	20
	7.5.83	9.48 AM	11.15 AM	1	27
	8.5.83	2.00 ,,	4.40 ,,	2	40
	9.5.83	8.25 ,,	11.15 ,,	2	50

1	2	3	4	5	6
		3.30 PM	7.30 PM	4	....
	10.5.83	2.45 PM	3.25 PM	....	40
	12.5.83	10.30 AM	11.45 AM	2	45
	13.5.83	8.30 ,,	9.00 ,,	....	30
	14.5.83	4.45 ,,	5.45 ,,	1	....
	16.5.83	2.20 PM	2.35 PM	....	15
		5.40 ,,	6.15 ,,	....	35
	17.5.83	5.30 AM	5.45 AM	....	15
		2.45 PM	3.00 PM	....	15
		11.00 AM	11.15 AM	....	15
	18.5.83	6.15 AM	7.35 AM	1	20
		85.0 ,,	9.10 ,,	....	20
		1.20 PM	2.05 PM	....	45
		2.40 ,,	5.55 ,,	3	15
	19.5.83	5.45 ,,	6.30 ,,	....	45
	20.1.83	2.00 ,,	4.45 ,,	2	45
	21.5.83	8,30 AM	11.25 AM	2	55
		3.00 PM	8.50 PM	5	50
	24.5.83	2.55 ,,	6.25 ,,	3	30
		6.55 ,,	7.10 ,,	....	15
	29.5.83	9.00 AM	10.00 ,,	1	....
				44	57
जून, 1983	1.6.83	6.15 PM	6.45 PM	....	30
		6.00 PM	6.20 PM	....	20
	2.6.83	7.30 AM	10.00 AM	2	30
		12.30 PM	12.46 PM	....	15
	3.6.83	7.00 AM	9.15 AM	2	15
		10.05 AM	11.00 PM	....	45
	4.6.83	3.05 PM	3.30 PM	....	15
	5.6.83	4.20 PM	4.35 PM	....	15
		12.25 PM	12.40 PM	....	15

1	2	3	4	5	6
	6.6.83	11.45 AM	12.00 AM	....	15
		3.40 PM	4.05 PM	....	25
	8.6.83	6.00 AM	8.20 AM	2	20
	9.6.83	11.00 AM	11.20 AM	....	20
		1.00 PM	8.35 PM	7	35
	10.6.83	5.45 PM	6.45 PM	1	....
		7.15 ,,	9.00 ,,	1	45
		10.00 ,,	0.15 AM	2	15
	11.6.83	3.45 AM	3.00 AM	....	15
	12.6.83	12.15 PM	1.00 PM	....	45
	13.6.83	12.50 ,,	1.50 ,,	1	....
	17.6.83	7.55 AM	2.35 ,,	6	40
	22.6.83	8.00 AM	8.30 AM	....	30
	23.6 83	2.45 PM	3.30 PM	....	45
		4.35 ,,	4.50 ,,	....	15
	27.6.83	7.00 ,,	9.00 ,,	2	....
	28.6.83	11.10 AM	12.45 ,,	1	35
		6.25 ,,	9.15 ,,	2	50
	29.6.83	7.00 PM	7.25 ,,	....	25
		8.20 ,,	10.00 ,,	1	40
		10.10 ,,	10.30 ,,	....	20
	30.6.83	8.05 AM	8.45 AM	....	40
		3.00 PM	4.00 PM	1	....
				43	55
जुलाई, 1983	1.7.83	11.13 AM	11.35 AM	....	22
	2.7.83	....	....	....	....
	3.7.83	....	....	....	....
	4.7.83	....	....	....	....
	5.7.83	8.15 PM	9.05 PM	....	50
	6.7.83	....	....	....	....

200

1	2	3	4	6	6
	7.7.83	....	....	....	.....
	8.7.83	7.30 AM	8.00 AM	....	30
	9.7.83	....	....	....	....
	10.7.83	....	....	....	....
	11.7.83	4.00 PM	4.30 PM	....	30
	12.7.83	....	....	....	....
	13.7.83	10.10 AM	10.30 AM	....	20
		5.30 ,,	6.30 PM	1	....
	14.7.83	9.10 ,,	9.25 AM	....	15
	15.7.83	4.00 PM	4.15 PM	....	15
	16.7.83	....	....	....	....
	17.7.83	5.45 ,,	9.35 ,,		50
	-do-	9.35 ,,	11.45 ,,	2	10
	19.7.83	11.45 AM	9.30 ,,	9	45
	20.7.83	5.30 ,,	7.00 AM	1	30
	-do-	7.25 ,,	9.10 ,,	1	45
	21.7.83	4.30 PM	6.35 PM	2	05
	26.7.83	11.30 AM	12.45 ,,	1	45
	30.7.83	10.30 PM	10.45 ,,	....	15
				24	07
अगस्त, 1983	2.8.83	7.00 AM	7.55 AM	....	55
	-do-	8.05 PM	8.20 PM	....	15
	-do-	8.30 ,,	10.45 ,,	2	15
	3.8.83	9.05 ,,	9.45 ,,	....	40
	5.8.83	4.55 ,,	5.13	....	18
	6.8.83	7.30 ,,	7.50 ,,	....	20
	7.8.83	7.35 ,,	8.35 ,,	1	....
	8.8 85	2.45 ,,	5.45 ,,	1	....
	-do-	6.30 ,,	7.05 ,,	....	35
	9.8.83	11.50 AM	1.00 ,,	....	10

201

1	2	3	4	5	6
	9.8.83	6.00 PM	8.00 PM	2	05
	–do–	9.00 „	10.00 „	1	....
	10.8.83	9.45 AM	11.00 AM	1	15
	11.8.83	11.00 „	12.15 PM	1	15
	12.8.83	10.30 „	12.30 „	2	....
	–do–	1.45 PM	3.30 „	1	35
	–do–	4.55 „	5.30 „	....	35
	–do–	6.10 „	7.25 „	1	15
	13.8.83	1.10 PM	4.30 PM	3	20
	17.8.83	3.45 „	4.35 „	....	50
	21.8.83	4.55 „	5.55 „	1	....
	22.8.83	11.35 AM	11.50 AM	....	15
	27.8.83	2.30 PM	3.00 PM	....	30
				25	33
सितम्बर, 1983					
	1.9.83	5.50 PM	3.00 AM (2.9.83)	9	10
	2.9.83	10.30 PM	10.15 PM	....	15
	5.9.83	7.55 AM	8.50 AM	....	55
	6.9.83	9.50 „	10.50 AM	1	....
	–do–	6.10 PM	6.25 PM	....	15
	8.9.83	3.15 „	3.30 „	....	15
	–do–	5.10 „	5.30 „	....	20
	9.9.83	10.15 AM	11.05 AM	....	50
	–do–	11.30 „	12.40 PM	1	10
	15.9.83	8.45 „	9.15 AM	....	30
	–do–	10.00 „	11.00 „	1	....
	16.9.83	6.40 „	6.55 „	....	15

1	2	3	4	5	6
	20.9.83	8.05 PM	8.20 PM	....	15
	-do-	9.45 ,,	10.20 ,,	....	35
				16	46
अक्टूम्बर, 1983					
	9.10.83	10.30 PM	6.00 PM	3	25
	11.10.83	9.45 ,,	11.00 ,,	1	15
	14.10.83	7.40 ,,	8.20 ,,	....	40
	15.10.83	9.30 ,,	10 15 ,,	....	45
	20.10.83	4.00 ,,	5.10 ,,	1	10
	31.10,83	9.05 ,,	3.25 ,,	6	20
				13	35
नवम्बर, 1983					
	4.11.83	3.40 PM	3.55 PM	....	15
	7.11.83	11.15 AM	1.10 ,,	1	55
	9.11.83	6.15 PM	8.00 ,,	1	45
	11.11.83	4.00 ,,	5.45 ,,	1	45
	-do-	6.25 ,,	7.35 ,,	1	10
	14.11.83	4.25 ,,	4.55 ,,	....	30
	15.11.83	12.05 ,,	2.35 ,,	2	30
	16.11.83	8.25 AM	1.00 ,,	4	35
	-do-	6.00 PM	6.15 ,,	....	15
	17.11.83	8.00 AM	3.15 PM	7	15
	-do-	6,45 PM	7.40 ,,	....	55
	18.11.83	8.25 AM	1.00 ,,	4	35
	-do-	6.50 ,,	10.00 ,,	3	10
	19.11.83	9.40 ,,	2.45 ,,	5	05
		8.10 PM	0.30 AM (20.11.83)	6	20

1	2	3	4	5	6
	20.11.83	6.00 AM	6.30 AM	....	30
	-do-	1.00 PM	5.25 PM	4	25
	21.11.83	11.00 AM	1.25 „	2	25
	22.11.83	8.00 „	11.35 AM	3	35
	-do-	5.20 PM	6.35 PM	1	15
	-do-	11.35 „	6.00 AM (23.11.83)	6	25
	23.11.83	8.30 AM	5.00 PM	8	30
	24.11.83	7.00 PM	7.40 „	....	40
	25.11.83	6.20 AM	7.00 AM	....	40
	-do-	5.45 PM	6.55 PM	1	10
	27.11.83	11.25 AM	11.40 AM	....	15
				71	50
दिसम्बर, 1983					
	7.12.83	5.15 AM	6.30 AM	1	15
	8.12.83	11.40 „	2.35 PM	2	55
	9.12.83	5.15 PM	6.15 „	1	....
	10.12.83	10.50 AM	11.50 AM	1	....
	-do-	12.40 PM	1.15 PM	....	35
	-do-	1.25 „	6.10 „	4	45
	16.82.83	4.10 „	4.35 „	....	25
	-do-	5.00 „	6.00 „	1	....
	18.12.83	7.10 AM	11.50 AM	4	40
	-do-	12.30 PM	1.20 PM	....	50
	-do-	3.45 „	6.00 „	2	15
	19.12.83	7.00 AM	7.50 AM	....	50
		10.41 „	12.30 PM	1	49
		2.35 PM	4.30 „	1	55

1	2			3	4
	20.12.83	7.00 AM	3.15 PM	8	15
	–do–	8.00 PM	6.40 AM (21.12.83)	10	40
	21.12.83	7.05 AM	10.00 AM	2	55
	–do–	12.00 PM	1.10 PM	1	10
	–do–	1.25 ,,	1.45 ,,	....	20
	–do–	2.35 ,,	3.10 ,,	....	35
	–do–	11.55 ,,	1.00 AM (22.12.83)	1	05
	22.12.83	1.45 AM	4.35 AM	2	50
	–do–	8.30 AM	1.00 PM	4	30
	–do–	5.20 PM	5.50 PM	....	30
	24.12.83	8.25 AM	12.45 PM	5	20
	25.12.83	10.15 ,,	12.45 ,,	2	30
	26.12.83	8.50 AM	11.00 AM	2	10
	–do–	1.15 PM	2.10 PM	....	55
	–do–	2.02 ,,	3.00 ,,	....	58
	–do–	6.30 ,,	7.00 ,,	....	30
	26.12.83	7.15 PM	7.55 PM	....	40
	–do–	8.15 PM	9.40 ,,	1	25
	27.12.83	6.20 ,,	6.45 ,,	....	25
	28.12.83	11.05 AM	1.40 ,,	2	35
	29.12.83	11.00 AM	5.20 ,,	6	20
	31.12.83	10.00 AM	10.15 AM	....	15
	–do–	3.10 PM	5.00 PM	1	50
	–do–	11.05 ,,	11.30 ,,	....	25
				84	22

जनवरी, 1984

	1.1.84	1.20 PM	2.15 PM	....	55
		2.20 PM	3.10 PM	....	50

1	2	3		4	
	3.1.84	10.00 PM	1.30 AM (4.1.84)	3	30
	4.1.84	9.30 AM	9.45 AM	....	15
	5.1.84	6.55 AM	9.30 AM	2	35
	-do-	1.25 PM	6.30 PM	5	05
	-do-	7.25 PM	8.45 PM	1	20
	6.1.84	5.00 AM	5.20 AM	....	20
	-do-	7.10 AM	2.30 PM	7	20
	7.1.84	6.50 PM	7.05 PM	....	15
	8.1.84	3.20 PM	4.25 PM	1	05
	12.1.84	11.35 AM	11.50 AM	....	15
	-do-	1.50 PM	7.20 PM	5	30
	14.1.84	2.50 PM	3.40 PM	....	50
	-do-	6.15 PM	7.15 PM	1	....
	15.1.84	6.05 PM	7.00 PM	....	55
	16.1.84	1.45 PM	3.45 PM	2	....
	-do-	3.46 PM	7.00 PM	3	14
	17.1.84	10.05 AM	1 00 PM	2	55
	18.1.84	10.30 AM	10.45 AM	....	15
	19.1.84	11.40 AM	5.40 PM	6	....
	20.1.84	8.00 AM	8.30 AM	....	30
	-do-	12.00 PM	1.10 PM	1	10
	22.1.84	8.30 AM	12.15 PM	3	45
	23.1 84	5.20 AM	6.00 AM	....	40
	-do-	8.00 ,,	9.50 ,,	1	50
	-do-	4.05 PM	6 00 PM	1	55
	27.1.84	8.40 AM	9.15 AM	....	35
	28.1.84	10.35 ,,	12.50 PM	2	15
	29.1.84	9.15 ,,	9.35 AM	....	20
	-do-	5.30 PM	6.00 PM	....	30
	30.1.84	1.05 ,,	2.15 ,,	1	10
	-do-	2.25 ,,	5.55 ,,	3	30

31.1.84	8.00 AM	12.30 ,,	4	30
–do–	7.15 PM	7.30 ,,	....	15
			69	19

फरवरी, 1984

1.2.84	8.20 AM	11.25 AM	3	05
–do–	4.30 PM	6.00 PM	1	30
2.2.84	7.30 AM	10.15 AM	2	40
3.2.84	1.40 PM	3.50 AM	2	10
–do–	10.45 ,,	1.00 AM (4.2.84)	1	15
5.2.84	9.30 AM	2.15 PM	4	45
–do–	7.00 PM	7.15 ,,	....	15
6.2.84	2.00 ,,	3.50 ,,	1	50
–do–	6.40 ,,	6.55 ,,	....	15
9.2.84	1.00 AM	1.30 AM	....	30
–do–	7.00 ,,	9.10 ,,	2	10
12.2.84	1.30 AM	3.30 ,,	2	....
–do–	6.00 PM	6.20 PM	....	15
13 2.84	11.25 AM	1.00 ,,	1	35
–do–	3.15 PM	6.05 ,,	2	50
14.2.84	3.10 ,,	6.00 ,,	2	50
15.2.84	11.20 AM	4.55 AM	3	35
–do–	2.35 PM	6.10 PM	3	35
			37	05

207

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 50 का विवरण)

परिशिष्ट–(अ)

क्र०सं० 1	कार्य का विवरण 2	यूनिट 3	दर 4	राशि 5
1.	(A) Earth work in excavation in hand soil mixed with decomposed rock for erection of poles size 3×4 '×5' to 6" depth.	24 (Rails)	25/–	480.00
	(B) –do– for stay	130 (stays)	18/–	2340 00
2.	Transportation of rails 90 Lbs. from road side to pit upto 100 Meters distance or and part thereof lifting.	13	28/–	364.00
3.	Erection of rails/R.S. Joists in alignment.	24	55/–	1320.00
4.	Back filling of pit with excavated earth stone etc. stone at each pit be supplied by the contractor on his cost.	130	21/–	2730.00
5.	Fixing of (Nuts & bolts to be supplied by the RSEB) 2 Nos. each 5:8" dia 2" long.	24 (Rails)	2/–	48.00
6.	–do– humpers –do– 5:8 dia 2" long.	24	2/–	48.00

1	2	3	4	5
7.	–do– Disc. point channel at D.P. for 33 KV line (Nut & bolts to be supplied by the RSEB 4 Nos. each 5:8" dia 2" long	10	61/–	610.00
8.	Grounting of G.I. stay sets 5"×5:8" with filling of stay pit with excavation enter stone etc.	130	39/–	5070.00
9.	Rastoning of stay & fixing of stay clamps & G I. wire (Nuts & bolts 5:8" dia to be supplied by RSEB).	130	39/–	5070.00
10.	Hoisting & mounting of pin insulators with G.I. Pin.	51	6/–	306.00
11.	Hoisting & fixing of disc. insulators with hard ware etc.	6	9/–	54.00
12.	Paying of hoisting stringing sagging & binding of Racoon or equivalent conductor with Alum. wire tape.	40 Span.	62/–	2480.00
13.	Paying out hoisting stringing & fixing on clamp G I. wire of size 'SWG or 6 SWG Nut bolts to be supplied by contractor 1 No. 5:8" dia 2" long.	10	28/–	280.00
	Total			19,770 00

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 51 की तालिका)

परिशिष्ट 'अ'

सहायक अभियन्ता (परि० एवं संधा०) रा० रा० वि० मण्डल, लाडनूं के अधीन लाडनूं तहसील के विद्युत सम्बन्धी विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों का विवरण

क्रमांक	गांव का नाम	घरेलू	अघरेलू	कृषि	लघु उद्योग	मध्यम उद्योग	रोड लाइट	हरिजन बस्ती	जलयदाय विभाग	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	(अ) लाडनूं	378 (29-7-83 से 30-1-84)	55 11-3-83 से 30-1-84)	1 24-1-84	13 (2.7.83 से 24.12.83)	—	अनुमानित पोल 10 नं० (10.12.83)	—	1	458
	(ब) मंगलपुरा	36 (11-3 83 से 21-1-84)	2 (15-7-83 से 17-9-83)	—	2 (5.2.82 से 26.3 83)	—	—	—	—	40
2.	अस्टोटापुरा	3 (24-9-82 से 7-9-83)	—	—	—	—	—	—	—	13

209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	बकालिया	10 20-3-82 से 26-12-83)	1 (7-1-83	2 (4-4-80 से 21-9-81)	—	—	—	—	1	14
4.	धोलिया	25 (10-2-82 से 9-12-83)	—	—	3 (11.8.82 से (15.7.83)	—	—	—	—	28
5.	दुजर	30 (5-8-82 से 28-9-83	1 (5-10-82)	—	—	—	—	—	—	31
6.	गोर्डी	1 (1-12-82)	—	—	—	—	—	—	—	1
7.	जसवंतगढ़	84 (19-8-82 से 9-1-84)	6 (15-6-83 से 31-1-84)	—	7 (5.11.82 से 5.1.84)	—	—	—	1	98
8.	कुसुम्बा	27 (17-4-82 से 17-1-84)	1 (1-10-83)	—	1 (3.9.82)	—	—	—	—	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	खीनाल	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	लेडी	8 (8-4-83 से 11-1-84 तक)	2 5-10-83 से 11-11-83)	—	—	—	1	—	—	11
11.	मीथड़ी	50 (2-8-82 से 3-1-84)	1 (13-10-83)	—	—	—	—	—	—	51
12.	नीवीसजोघा	52 (1-3-82 से 23 1-84)	4 (25-6 83 से 28-11-83)	1 (8-2-82)	9 (27.8.80 से 23.1.84)	—	—	—	—	66
13.	नाथारा	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	फीरवासी	28 (15-3-83 से 3-12-83)	3 (14-3-83 से 2-7-83)	—	—	—	—	—	—	23
15.	राथु	20 (19-7-82 से 19 1-84)	—	—	—	—	—	—	—	28

1	2	3	4	5	6	7	8	6	10	11
16.	रोदु	45 (9-8-82 से 24-1-84)	4 (27-1-83 से 18-7-83)	2 (2-11-83)	1 (19.12.79)	—	—	—	—	52
17.	मालासी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	लुकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	श्यामपुरा	1 (20-5-83)	—	—	—	—	—	—	—	1
20.	बालसमन्द	4 (19-4-83 से 16-7-83)	—	—	1 (16.8.82)	—	—	—	—	5
21.	सनवाड़	41 (12-3-81 से 23-1-82)	1 (14-7-81)	1 (8-5-79)	—	—	—	—	—	43
22.	रींगन	71 (2-4-81 से 8.3.83)	2 (5-10-82 से 26.3.83)	—	—	—	1 (28.1.84)	—	—	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	छपरा	15 (6.12.82 से 16.12.83)	—	—	—	—	1	—	—	16
24.	हुसैनपुरा	27 (3.1.81 से 16.8.82)	2 (20.1.84)	6 (7.2.81से 2.1.84)	1 (16.11.81)	—	—	—	—	36
25.	सीनवा	32 (31.3.83 से 21.1.84)	1 (16.8.82)	—	1 (19.7.82)	—	1 (22.6.81)	—	—	35
26.	भारनाव	11 (15.4.82 से 21.1.84)	—	—	1 (31.10.80)	—	—	—	—	12
27.	भारदीया	9 (4.1.84)	2 (12.4.83)	—	3 (25.2.80 से 4.1.84)	—	—	—	—	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	मातु	27 (24.2.83 से 30.12.83)	—	—	—	—	—	—	—	27
29.	भामास	1 (21.8.82)	—	—	1 (21.8.82)	—	—	—	—	2
30.	सुनारी	29 (21.8.80 से 25.10.83)	4 (6.10.82 से 26.7.83)	1 (14.1.83)	1 (31.12.83)	—	1 (26.7.83)	—	—	36
31.	श्रोडीट	32 (28.8 82 से 24.1.84)	—	2 (14.4.82 से 10.8.82)	—	—	1 (3.11.83)	—	—	35
32.	हिरावती	10 (31.1.81 से 24.1.84)	—	—	—	—	—	—	—	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33. हुदास		42 (18.9.82 से 24.1.84)	1 (16.9.83)	—	1 (6.10.82)	—	1	—	—	45
34. बलदू		90 (13.7.81 से 14.6.83)	3 20.7.82 से 30.11.82)	2 (10.6.83से 13.10.83)	7 (11.7.81से 2.11.82)	—	—	—	—	102
योग		1249	96	18	53	—	17	—	3	1436

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 52 का विवरण)

दिनांक	शेस्टरिंग/ ब्लाक का समय	132 के०वी० बारां ग्रिड सब स्टेशन विद्युत अवरोध का समय	पुन: विद्युत प्रवाह का समय	अवरोध का कुल समय	33 के०वी० कोटा जीएसएस समय अवरोध	पुन: बन्द	अवधि	11 के०वी० समय अवरोध	पुन: बन्द	अवधि	कुल अवरोध का समय जिसमें विद्युत प्रवाह प्राप्त नहीं हुआ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.11.83	6 Hrs.	....	....	....	17.42	18.01	19 Mts.	....	....	....	19 Mts.
13.11.83	Block, 6to 12&12to 6 PM				18.20	18.38	18 ,,	....	....	....	18 ,,
14.11.83	कोई प्रतिबन्ध नहीं	....	....	....	5.30PM	6.00PM	30 ,,	....	....	....	30 ,,
15.11 83	–do–	....	....	....	3.45 ,,	6.10 ,,	2.25 ,,	....	....	....	2.25 ,,
16.11.83	–dc–	....	....	....	9.40AM	1.00 ,,	4.20 ,,	....	....	....	2.25 ,,
17.11.83	–do–	....	....	....	8 30 ,,	11.00AM	2.30 ,,	....	....	....	2.30 ,,
–do–	–do–	....	....	....	7.30 ,,	1.45PM	6.15 ,,	....	....	....	6.15 ,,
–do–	–do–	....	....	....	2.20PM	2.50 ,,	0.30 ,,	....	....	....	0.30 ,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33 के०वी० बारां ग्रिड सब स्टेशन से सप्लाई											
18.11.83	कोई प्रतिबंध नहीं	6.54Hrs	12.50Hrs	5.56Mts.	....	....	....	....	....	....	5.56 Hrs.
19.11.83	-do-	9.24 ,,	12.25 ,,	3.11 ,,	....	....	....	....	....	....	3.11 ,,
20.11.83	-do-	15.35 ,,	17.30 ,,	1.55 ,,	....	....	....	....	....	....	1.55 ,,
21.11.83	-do-	....	....	....	7.37AM	7.57AM	20Mts.	....	....	....	0.20 ,,
22.11.83	-do-	7.50 ,,	13.02 ,,	5.12 ,,	....	....	....	....	....	....	5.12 ,,
23.11.83	-do-	7.11 ,,	16.59 ,,	9.30 ,,	....	....	....	....	....	....	9.38 ,,
24.11.83	-do-	7.30AM	19.55 ,,	12.17 ,,	....	....	....	....	....	....	12.17 ,,
25.11.83	-do-	6.32 ,,	9.15AM	2.43 ,,	....	....	....	....	....	....	2.43 ,,
26.11.83	6Hrs Block	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
27.11.83	6to12 Noon	11.06	17.04	5.58	....	....	....	....	....	....	....
28.11.83	12Hrs. 6Hrs.	....	....	....	....	3.15PM	30Mts	....	....	....	5.58 Hrs.
29.11.83	-do-	....	....	....	2.45PM	7.35 ,,	10 ,,	....	....	....	0.30 ,,
30.11.83	-do-	....	....	....	7.25 ,,	5.30 ,,	15 ,,	....	....	....	0.10 ,,
					5.15 ,,	18.00 Hrs		....	....	....	0.15 ,,
1.12.83	6 to 12	....	....	....	12.20 ,,	....	....	....	....	....	5.40 ,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.83	6 to 12	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
4.12.83	-do-	....	....	....	10.02AM	10.30AM	28Mts	....	....	....	0.26 Hrs.
11.12.83	-do-	....	....	....	16.25PM	16.50PM	33 ,,	....	....	....	0.33 ,,
					9.22	9.42 ,,	20 ,,	....	....	....	0.20 ,,
13.12.83	-do-	....	....	....	10.39 ,,	11,30 ,,	1 Hrs.	....	....	....	1.00 ,,
15.12.83	6-6 घन्टे की सप्लाई 2 ब्लाक में	7.20AM	8.15AM	0.55Hrs	6.30AM	11.15AM	4.45 ,,				4.45 ,,
			—	—	—	—	एम०ग्रो०सी०बी० में-तेल बदलने हेतु				
18.12.83	6to12& 12 to 6 Hrs	16.05	18.13Hrs	2.08 ,,	....	....	....	....	....	....	2.08 ,,
19.12.83		6.30 Hrs	7.15 ,,	0.45 ,,	....	....	....	...	....	....	0.45 ,,
-do-		15.28 ,,	17.50 ,,	2.22 ,,	....	....	....	....	....	....	2.22 ,,
20.12.83		6.45 ,,	7.20AM	0.35 ,,	....	....	....	....	....	....	0.35 ,,
-do-		15.15 ,,	18.30 ,,	3.15 ,,	....	....	....	....	....	....	3.15 ,,
22.12.83	6to 12Hrs	10.29AM	16.03 ,,	5.34 ,,	....	....	....	....	....	....	5.34 ,,
23.12.83	-do-	8.28 ,, Low Voltage	11.30 ,,	3.02 ,,	....	....	....	....	....	....	3.02 ,,
28.12.83	-do-	6.20	7.15 ,,	0.55 ,,	....	....	....	....	....	....	0.55 ,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.12.83	6to12 Hrs.	12.30	14.40AM	2.10Hrs.	....	....	....	....	....	....	2.10 Hrs.
1.1.84	6to12 Noon	....	....	....	10.15	11.15	1.00Hrs	....	....	....	1.00 Hrs.
3.1.84	-do-	....	....	....	9.15	9.30	0.15 „	....	....	....	0.15 „
4.1.84	-do-	9.05AM	12 29PM	3.24Hrs	....	....	....	....	....	....	3.24 „
7.1.84	-do-	7.20 „	9.22 „	2.02 „	....	....	....	....	....	....	2.02 „
8.1.84	-do-	8.40 „	10.25 „	1.45 „	....	....	....	....	....	....	1.43 „
12.1.84	-do-	7.50 „	10.50 „	3.00 „	....	....	....	....	....	....	3.00 „
16.1.84	-do-	5.40 „	6.00 „	0.20 „	....	....	....	....	....	....	0.20 „
18.1.84	12 to 6 PM	12.00 „	13.25 „	1.25 „	....	....	....	....	....	....	1.25 „
19.1.84	-do-	....	....	....	15.20	15.45	0.25 „	....	....	....	0.20 „
					16.22	16.55	0.33 „	....	....	....	0.33 „
21.1.84	-do-	....	....	....	14.47	14.57	0.10 „	....	....	....	0.10 „
23.1.84	-do-	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
26.1.84	-do	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
29.1.84	6to12Hrs	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.84	6to12Hrs	7.15	10.20Hrs	3.05Hrs	....	....	....	....	....	....	3.05 Hrs.
4.1.84	-do-	6 00	7.20 ,,	1.02 ,,	....	....	....	....	....	....	1.02 ,,
		7.24	7.48 ,,	0.24 ,,	....						
5.2.84	-do-	एम०ग्रो०सी०वी० बारों की सप्लाई के कारण				....	....	....	....	....	0.24 ,,
		6.25Hrs	10.10Hrs	3.45 ,,	....						
6.2.84	-do-	6.27 ,,	9.40 ,,	3.13 ,,	....	....	....	....	....	....	3.45 ,,
		(Gear Voltage)				....	....	....	....	....	3.33 ,,
8.2.84	-do-	6.30 ,,	7.40 ,,	1.10 ,,	....	....	....	....	....	....	1.10 ,,
		7.43 ,,	11.07 ,,	3.24 ,,	....	....	....	....	....	....	3.24 ,,
12.2.84	-do-	8.05 ,,	12.05 ,,	4.00 ,,	....	....	....	....	....	....	4 00 ,,
	(Over Voltage)										
13.2.84	-do-	7 50 ,,	8.40 ,,	0.50 ,,	....	....	....	....	....	....	0.50 ,,
	(कम दबाव)										
16.2.84	-do-	10.20 ,,	10.40 ,,	0.20 ,,	....	....	....	....	....	....	0.20 ,,
21.2.84	-do-	6.20 ,,	7.20 ,,	1.00 ,,	....	....	....	....	....	....	1. 0 ,,
24.2.84	-do-	9.25 ,,	10,25 ,,	1,00 ,,	....	....	....	....	....	....	1 00 ,,

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 53 का विवरण)

वर्ष 1983–84 में राज्य में खोले गये उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची

1– दौसा (जयपुर)

2– डीडवाना (नागौर)

3– रामगढ़ शेखावाटी (सीकर)

4– हरसाना (अलवर)

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

सत्र 1983–84 में स्वीकृत किये गये उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची

जिला जयपुर

क्रमांक	विद्यालय का नाम	पं० स०/तहसील	स्वीकृत क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	विमलपुरा	गोविन्दगढ़	प०13(7)सी-1/83 24–10–83
2.	किशनमानपुरा (कन्या)	गोविन्दगढ़	24–10–83
3.	गोविन्दपुरा बासड़ी पं० विलान्दपुर	शाहपुरा	,,
4.	जयसिंहपुरा	विराटनगर	,,
5.	केशोपुरा (मांग्यावास)	जयपुर	,,
6.	ठीकरिया	जयपुर	,,
7.	मोरदा	कोटपूतली	,,
8.	दांतिल (कन्या)	कोटपूतली	,,

1	2	3	4
9.	रोजवाड़ी	बस्सी	24-10-83
10.	ठीकरिया गूजरान (कन्या)	बस्सी	,,
11.	पड़ासोली	दूदू	,,
12.	ग्रासलपुर (कन्या)	दूदू	,,
13.	जाहोता (कन्या)	ग्रामेर	,,
14.	रीजदा	ग्रामेर	,,
15.	लूनियावास	सांभर	,,
16.	पचकोड़िया (कन्या)	सांभर	,,
17.	डीरासना	जमवारामगढ़	,,
18.	माथासूला (कन्या)	जमवारामगढ़	,,
19.	कपूरवाला (कन्या)	सांगानेर	,,
20.	चांवड का मण्ड (कन्या)	जमवारामगढ़	,,
21.	खारकड़ा	जमबारामगढ़	,,
22.	भांपदा	लालसोट	,,
23.	राहूवास (कन्या)	लालसोट	,,
24.	घरणवास (हापावास)	दौसा	,,
25.	पापड़दा (कन्या)	दौसा	,,
26.	खाजलपुरा	चाकसू	,,
27.	हरसूलिया	फागी	,,
28.	घाटगेट (कन्या)	जयपुर शहर	2-11-83
29.	चांदपोल गेट	जयपुर शहर	11-11-83
30.	पुलिस ग्रकादमी	जयपुर शहर	,,
31.	तोपखाना (कन्या)	जयपुर शहर	,,
32.	हेमल्सावाला	लालसोट	,,
33.	गुल्लाणा	बांदीकुई	,,
34.	तामड़िया (कन्या)	चाकसू	,,

1	2	3	4
35.	वासनपाड़ा	सिकराय	11–11–83
36.	बूड़थल	बस्सी	18–11–83
37.	गहलोता	दूदू	,,
38.	सामरेडकलां	जमवारामगढ़	22–11–83
39.	सोठाना	विराटनगर	,,
40.	धवली (कन्या)	शाहपुरा	,,
41.	पांचोली (कन्या)	सिकराय	28–11–83
42.	पुन्दरपाड़ा (कन्या)	बांदीकुई	,,
43.	बांसा (कन्या)	गोविन्दगढ़	,,
44.	सुन्दरपुरा	कोटपूतली	,,
45.	भोम्याजी विद्यालय (कन्या)	जयपुर शहर	,,
46.	खगूरिया पंचायत करडासर	सांभर	,,
47.	इन्दावा	लालसोट	,,
48.	ठीकरिया मीनान (माडा योजना)	चाकसू	17–12–83
49.	घूमना (माडा योजना)	सिकराय	,,
50.	हरिपुरा	दौसा	20–12–83
51.	तालवाबिहाजर	विराटनगर	,,
52.	रेटा	दूदू	,,
53.	थली	चाकसू	26–12–83
54.	बिन्दरवाड़ा	सिकराय	,,
55.	नीभर	विराटनबर	,,
56.	पंडितपुरा	बांदीकुई	,,
57.	मालवीयनगर	जयपुर शहर	,,
58.	अजबपुरा बड़कापाड़ा	लालसोट	,,
59.	दातला मीणान (माडा योजना)	जमवारामगढ़	,,
60.	बनेटी (कन्या)	कोटपूतली	,,

1	2	3	4
61.	मन्डावरी	फागी	26–12–83
62.	माग्यावास	सांगानेर	,,
63.	प्रतापपुरा	आमेर	,,
64.	महेसराखुर्द	दौसा	6–1–84
65.	भिन्डरवाड़ा	सिकराय	,,
66.	जमात	लालसोट	,,
67.	मोरीजा (संस्कृत विद्यालय)	चौमू	4–1–84
68.	जसवन्तपुरा (संस्कृत विद्यालय)	शाहपुरा	,,
69.	नागलबेला (संस्कृत विद्यालय)	जमवारामगढ़	,,
70.	सरुंड	कोटपूतली	11–1–84

जिला अलवर

1.	जट गावड़ा	बहरोड़	प० 13(7) शि–1/83 24–10–83
2.	कुतीना (कन्या)	बहरोड़	,,
3.	लालपुर	बानसूर	,,
4.	बिलाली	बानसूर	,,
5.	डोरोली	कठूमर	,,
6.	जाडला (कन्या)	कठूमर	,,
7.	बासनीबाड़ा	मुण्डावर	,,
8.	चांदपुर	मुण्डावर	,,
9.	माधोगढ़	उमरेन	,,
10.	ईमलाली (कन्या)	लक्ष्मणगढ़	,,
11.	नीकट	रामगढ़	,,
12.	खूंटेटाकलां	रामगढ़	,,
13.	बम्बोरा (कन्या)	किशनगढ़बास	,,

1	2	3	4
14.	नयाबास (कन्या)	अलवर शहर	”
15.	राजगढ़ (कन्या)	राजगढ़	”
16.	चावण्डी कलां	तिजारा	”
17.	रमाना	तिजारा	”
18.	बिरकड़ी	राजगढ़	2-11-83
19.	घोरोड़ा	राजगढ़	”
20.	उकोरी	राजगढ़	31-11-83
21.	अजबपुरा (कन्या)	थानागाजी	”
22.	धौंरकी	खैरथल	”
23.	हसनपुरा	लक्ष्मणगढ़	18-11-83
24.	नांगलबाबला	मुण्डावर	”
25.	अलावड़ा (कन्या)	रामगढ़	22-11-83
26.	गूगलकोटा	बहरोड़	”
27.	पतलिया	कोटकासिम	28-11-83
28.	बालावास (कन्या)	बानसूर	”
29.	कांकरोली	कठूमर	”
30.	लाजपतनगर (कन्या)	अलवर शहर	6-12-83
31.	बाघोर (कन्या)	तिजारा	”
32.	मोलावास	मुण्डावर	20-12-83
33.	बहरामपुर	कठूमर	26-12-83
34.	खैरथल मण्डी (संस्कृत विद्यालय)	खैरथल	4-1-84
35.	भूड़ा	राजगढ़	11-1-84
36.	सेहरा	लक्ष्मणगढ़	19-1-84
37.	काठूवास	बहरोड़	6-2-84

जिला धौलपुर

1.	धनौरा	बाड़ी	प० 13(7)शि–1/83 24–10–83
2.	सुनीपुरा	बाड़ी	,,
3.	चड़ियन का पुरा	राजाखेड़ा	,,
4.	मनरोली	राजाखेड़ा	2–11–83
5.	सहरोली	धौलपुर	2–11–83
6.	डंडोली (कन्या)	धौलपुर	28–11–83
7.	मोठियापुर (कन्या)	बेसड़ी	,,
8.	भदियाना	धौलपुर	,,
9.	बजीना (कन्या)	राजाखेड़ा	,,
10.	बड़ीसिधावली	राजाखेड़ा	19–1–84
11.	कुम्हेरी	धौलपुर	,,

जिला भरतपुर

1.	दयोपुर	सेवर	प० 13(7)शि–1/83 24–10–83
2.	पीपला (कन्या)	सेवर	,,
3.	पीपरोली	कामां	,,
4.	सिहांवली	नगर	,,
5.	जहाज	बैर	,,
6.	सिरस (कन्या)	बैर	,,
7.	गाढापुरा	रूपवास	,,
8.	सामरी (नोहरदा)	रूपवास	,,
9.	नगलाधूत	बयाना	,,
10.	तरसूमा	बयाना	,,
11.	पीपलऊ	नदबई	,,

1	2	3	4
12.	बिरहरु	कुम्हेर	24-11-83
13.	चित्रमर	कुम्हेर	,,
14.	खोह (कन्या)	डीग	,,
15.	लेवड़ा	कामां	,,
16.	सहंगावा (कन्या)	सेवर	11-11-83
17.	भारोली चौथ	डीग	,,
18.	नैकपुर (कन्या)	रूपवास	18-11-83
19.	खोडीदेवीसिंह (कन्या)	नदबई	28-11-83
20.	रहीमगढ़	बैर	,,
21.	नगला (परपोती)	बैर	,,
22.	बनोरा (कन्या)	बयाना	,,
23.	गांधी-सीकरो (कन्या)	नगर	,,
24.	बावनी (कन्या)	कामां	,,
25.	धरमोनी	बैर	11-1-84
26.	नयागांव	बैर	19-1-84
27.	महरावर	कुम्हेर	21-1-84

जिला अजमेर

1.	लोरडी	मसूदा	प. 13 (7) शि/1-83 24.10.83
2.	नायला	मसूदा	,,
3.	बनजारी	जवाजा	,,
4.	शाहपुरा मोहल्ला	ब्यावर शहर	,,
5.	गांधी नगर (मदनगंज)	किशनगढ़ शहर	,,
6.	रूपनगढ़	किशनगढ़	,,
7.	मुहानी	श्रीनगर	,,

1	2	3	4
8.	मेवाडिया पगारा	पीसांगन	24–11–83
9.	गुढा खर्द	भिनाय	"
10.	किटाप	भिनाय	"
11.	दिलवाड़ा	श्रीनगर	"
12.	लोहरवाड़ा	श्रीनगर	"
13.	नापाखेड़ा	केकड़ी	"
14.	कनईकलां	केकड़ी	"
15.	रलावतां (कन्या)	किशनगढ़	11.11.83
16.	लमाना (कन्या)	पीसांगन	22.11.83
17.	अरनाली (कन्या)	ब्यावर	"
18.	मण्डावरिया (कन्या) पं. झाडोल	अराई	"
19.	सनोदिया (आश्रम विद्यालय) माडा योजना	सिलोरा	28.11.83
20.	तिलोरा (कन्या)	पीसांगन	6.12.83
21.	बिजयनगर (कन्या)	मसूदा	"
22	देवगांव (कन्या)	केकड़ी	"

जिला–बीकानेर

1.	तखतपुरा	लूनकरणसर	प.13(7)शिक्षा-1/83 दि. 24–10–83
2.	लखासर	लूनकरणसर	"
3.	झाडेली	नोखा	"
4.	गजसुखदेसर	नोखा	"
5.	अक्कासर (कन्या)	कोलायत	"
6.	कोडमदेसर	कोलायत	"
7.	चिताना काहिरा (कन्या)	नोखा	11.11.83

1	2	3	4
8.	कीचरों का चौक	बीकानेर सिटी	11–11–83
9.	ब्रिनानी चौक	बीकानेर सिटी	,,
10.	कतरियासर (कन्या),	लूनकरणसर	28.11.83
11.	नया शहर (कन्या)	बीकानेर	6.12.83

जिला–गंगानगर

1.	भोजेवाल	सूरतगढ़	प. 13 (7) शिक्षा–1/83 दिनांक 24.10.83
2.	61 एफ	करनपुर	,,
3.	1 सी सी	पदमपुर	,,
4.	जनाएा	भादरा	,,
5.	नेठराना (कन्या)	भादरा	,,
6.	खितलिया	हनुमानगढ़	,,
7.	उतरादाबास (कन्या)	टीबी	,,
8.	66 एन पी	रायसिंहनगर	,,
9.	लुहारा (22–23 एफ एफ)	रायसिंहनगर	,,
10.	ढाबा (रेल्वे स्टेशन)	हनुमानगढ़	,,
11.	इन्दरगढ़ (कन्या)	सादुलशहर	,,
12.	महियावाली	गंगानगर	,,
13.	कोठा (कन्या)	गंगानगर	,,
14.	चक एफ एल एल	गंगानगर	,,
15.	14 एस पी एम (वोधुवाली ढाणी)	गंगानगर	,,
16.	परलोका (कन्या)	नोहर	,,
17.	मलवाणी	नोहर	,,

1	2	3	4
18.	बाबरियावाली ढाणी पं. डबलीवास	हनुमानगढ़	2–11–83
19.	धानकावाली ढाणी पं. जण्डावाली	हनुमानगढ़	,,
20.	मण्डी पीलीबंगा	पीलीबंगा	,,
21.	चक ज्वालासिंहवाला (कन्या)	हनुमानगढ़	11–11–83
22.	माणकसर	हनुमानगढ़	18–11–83
23.	रावतसर उतरादावास	विश्नोईयान (पंचायत हनुमानगढ़)	,,
24.	सतजण्डा (कन्या)	रायसिंहनगर	,,
25.	पाण्डूसर	नोहर	28–11–83
26.	मोहला	श्रीकरणपुर	,,
27.	शेरपुर	भादरा	,,
28.	श्रीनगर (कन्या) 43 जी जी	श्रीकरणपुर	,,
29.	नेतेवाला (कन्या)	गंगानगर	,,
30.	रा. उ. प्रा. वि. नं. 1	गंगानगर शहरी क्षेत्र	,,
31.	मिर्जेवालीमेर (कन्या)	हनुमानगढ़	20–12–83
32.	चक 5–8 ए	अनूपगढ़	21–12–83
33.	365 आर डी हैड	अनूपगढ़	,,
34.	281 आर डी हैड	अनूपगढ़	,,
35.	फतूही	गंगानगर	11–1–84
36.	भागंवा	भादरा	,,
37.	करडवाली	रायसिंहनगर	6–3–84

जिला सीकर

1.	रामजीपुरा	दांतारामगढ़	प० 13(7)शि–1/83 24–10–83
2.	अजबपुरा	दांतारामगढ़	,,

1	2	3	4
3	बागडोदा	फतेहपुर	24–10–83
4.	भिराना (कन्या)	धोद	,,
5.	फ़ुतेहपुरा	धोद	,,
6.	जुगराजपुरा	श्रीमाधोपुर	,,
7.	भाडली (कन्या)	श्रीमाधोपुर	,,
8.	तिडोकी	लक्ष्मणगढ़	,,
9.	गनेड़ी (कन्या)	लक्ष्मणगढ़	,,
10.	धासीपुरा	खण्डेला	,,
11.	गुरारा (कन्या)	खण्डेला	,,
12.	केरपुरा	खण्डेला	11–11–83
13.	डूडवा	लक्ष्मणगढ़	,,
14.	दंदातरु (कन्या)	फतेहपुर	,,
15.	श्यामगढ़ (कन्या)	सीकर	,,
16,	मोल्यासी	धोद	,,
17.	नांगल	पीपराली	,,
18.	दलपतपुरा	नीमकाथाना	18–11–83
19.	माथाका (नांगल)	नीमकाथाना	,,
20.	गांवड़ी (कन्या)	नीमकाथाना	,,
21.	भोपतपुरा पंचायत जेंजूसर	श्रीमाधोपुर	22–11–83
22	कुडली	सीकर	21–12–83
23.	मावडांखुर्द (कन्या)	नीमकाथाना	26–12–83
24.	बींजासी	धोद	,,
25.	होल्याकाबास (संस्कृत विद्यालय)	श्रीमाधोपुर	4–1–84
26.	तिहाय (कन्या)	फतेहपुर	11–1–84
27.	खाटूश्याम जी (कन्या)	दांतारामगढ़	6–2–84

1	2	3	4
		जिला चूरू	
1.	बिरमसर	रतनगढ़	प०(7) शिक्षा–1/83 24–10–83
2.	हनुमान बालिका वि० रतनगढ़	रतनगढ़	24–10–83
3.	भोजासर	सरदार शहर	,,
4.	भादासर दिखनादा	सरदार शहर	,,
5.	जिगलाना ताल	तारानगर	,,
6.	प्रा० वि० नं० 2, तारानगर	तारानगर	,,
7.	लालासर	चूरू	,,
8.	उटवालिया	चूरू	,,
9.	गिजारसर	सुजानगढ़	,,
10.	रेड़ी	सुजानगढ़	,,
11.	न्यामा	सुजानगढ़	,,
12.	खारिया कनिराम	सुजानगढ़	,,
13.	कातरो	सादुलपुर	,,
14.	कानराण	सादुलपुर	प० 13 (7) शिक्षा–1/83 24–10–83
15.	बम्बू	डूंगरगढ़	प० 13 (7) शिक्षा–1/83 11–11–83
16.	ढाणी बड़ी (कन्या)	सादुलपुर	,,
17.	विरंनी बड़ी (कन्या)	राजगढ़(चूरू)	प० 13(7) शिक्षा–1/83 18–11–83
18.	दूंकर (कन्या)	सुजानगढ़	प० 13(7) शिक्षा–1/83 22–11–83
19.	रोबिया (कन्या)	चूरू	प० 13(7) शिक्षा–1/83 28–11–83
20.	मेलूसर (कन्या)	सरदार शहर	,,
21.	प्राथमिक विद्यालय नं. 5 राजलदेसर	रतनगढ़	,,

1	2	3	4
22.	छाडसर कारलान	तारानगर	प० 13(7)शिक्षा–1/83 20–12–83
23.	बीबासर	डूगरपुर	प० 13(7)शिक्षा–1/83 26–12–83
24.	लूदी धाबर (संस्कृत)	राजगढ़	प० 13(7)शिक्षा–1/83 4–1–84
25.	विल्लूबास रामपुरा	सरदार शहर	प० 13(7)शिक्षा–1/83 11–1–84

जिला झुंझुनू

1	2	3	4
1.	बुहाना (कन्या)	बुहाना	प० 13(7)शिक्षा–1/83 24–10–83
2.	लोटिया	सूरजगढ़	,,
3.	वलरिया	नवलगढ़	,,
4.	झाझंड़ (कन्या)	नवलगढ़	,,
5.	मझाउ	उदयपुरवाटी	,,
6.	छउ (कन्या)	उदयपुरवाटी	,,
7.	नरसिंहपुरा	झुंझुनू	,,
8.	खानपुर नया	झुंझुनू	,,
9.	बजावा	चिड़ावा	प० 13(7)शिक्षा–1/83 24–10–83
10.	मुकन्दगढ़ वार्ड नं० 11	मुकन्दगढ़	प० 13(7)शिक्षा–1/83 11–11–83
11.	ढीलसर	अलसीसर	प० 13(7)शिक्षा–1/83 22–11–83
12.	कुल्हाड़ियों की ढाणी	अलसीसर	,,

1	2	3	4
13.	पाटोदा	अलसोसर	प. 13 (7) शिक्षा-1/83 22-11-83
14.	बिरनी	अलसीसर	,,
15.	कूंलोठ (कन्या)	सूरजगढ़	प० 13 (7) शिक्षा-1/83 28-11-83
16.	टीबाबसई (कन्या)	खेतड़ी	,,
17.	गौरीर (कन्या)	खेतड़ी	प० 13 [7] शिक्षा-1/83 2-11-83
18.	भोजास पंचायत कुमाड	झुंझुनू	,,
19.	ककडेउर कलां	अलसीसर	,,
20.	पिचानवा [कन्या]	सूरजगढ़	प० 13 (7) शिक्षा-1/83 6-12-83
21.	टीबाबसई	खेतड़ी	,,
22.	थत्तरवाला [कन्या]	झुंझुनू	,,
23.	पोसाना-गुढ़ा	उदयपुरवाटी	प० 13 (7) शिक्षा-1/83 26-12-83
24.	जोधपुरा-गुढ़ा	उदयपुरवाटी	प० 13 (7) शिक्षा-1/83 4-1-84
25.	महरमपुर [संस्कृत] झुंझुनु	झुंझूनू	,,
26.	पिलोद	सूरजगढ़	6-2-84

जिला-जोधपुर

1.	पालड़ी राणावसान	भोपालगढ़	प० 13 [7] शि-1/83 24-10-83
2.	सोखला	ओसियां	,,
3.	माणकलाव	मण्डोर	,,
4.	खातियासनी	मण्डोर	,,

1	2	3	4
5.	बीनावास	बिलाड़ा	प. 13(7) शिक्षा-1/83 24-10-83
6.	मोडीयाजोशी (कन्या)	लूणी	,,
7.	मोलकासनी	बिलाड़ा	,,
8.	खारियामीठापुर (कन्या)	बिलाड़ा	,,
9.	शेरगढ़ (कन्या)	शेरगढ़	,,
10.	झिझमियाकलां	शेरगढ़	,,
11.	सोवरागांव	बाप	,,
12.	बामणी	फलौदी	,,
13.	सिवांचीगेट (कन्या)	जोधपुर	,,
14.	भवाद	ओसियां	,,
15.	डाबड़ी [बेरड़ी का वास]	ओसियां	,,
16.	बम्बा [कन्या]	जोधपुर सिटी	11-11-83
17.	चान्दबावड़ी	जोधपुर सिटी	,,
18.	गेवा चोखा (कन्या)	सूरसागर	,,
19.	भाण्डू खुर्द	लूणी	,,
20.	चौकड़ी	भोपालगढ़	,,
21.	खींचन (कन्या)	फलौदी	18-11-83
22.	केतूघीरजी की ढाणी	शेरगढ़	,,
23.	रुदिया	भोपालगढ़	22-11-83
24.	भोपालगढ़ (कस्बा) (कन्या)	भोपालगढ़	,,
25.	हरलाई स्टेशन [कन्या]	ओसियां	28-11-83
26.	बालेसरसता (कन्या)	बालेसर	20-12-83
27.	भगत की कोठी (कन्या)	जोधपुर शहर	11-1-84
28.	सियारा	भोपालगढ़	26-1-84
29.	चाखू [जाटों की ढाणी]	बाप	6-1-84

1	2	3	4
		जिला सिरोही	
1.	सोरड़ा	रेवदर	प०13(7) शिक्षा-1/83 दिनांक 24-10-83
2.	रेवदर [कन्या]	रेवदर	,,
3.	चडग्राल	सिरोही	11-11-83
4.	पालडी (कन्या)	शिवगंज	,,
5.	ग्रामथला	ग्राबूरोड	18-11-83
6.	देलवाड़ा	ग्राबूरोड	,,
7.	दादाबाडी	शिवगंज	,,
8.	चनार	ग्राबूरोड	22-11-83
9.	नीचलागढ़ (कन्या) संस्कृत	ग्राबूरोड	28-11-83
10.	घरट	पिण्डवाडा	4-1-84
		जिला जालौर	
1.	लेटा	जालौर	प 13(7)शिक्षा-1/83 दिनांक 24-10-83
2.	बेरट	जालौर	,,
3.	धामानी की पोलियां	सांचौर	,,
4.	खिरोडी (कन्या)	सांचौर	,,
5.	कूका	भीनमाल	,,
6.	ज़ेरण	भीनमाल	,,
7.	दांता पंचायत दांतोल	सांचौर	18-11-83
8.	रतनपूर	रानीवाड़ा	22-11-83
9.	रामपुरा	रानीवाड़ा	,,
10.	डीगांव (कन्या)	रानीवाड़ा	,,
11.	भरुडी (कन्या)	जसवन्तपुरा	28-11-83
12.	तडवा (कन्या)	तायला	,,
13.	साथू (कन्या) संस्कृत	जालौर	,,

237

1	2	3	4
13.	बीठूडा	आहोर	11-1-84
14.	भादराजून (कन्या)	आहोर	,,
		जिला—पाली	
1.	बीचला	रायपुर	प. 13(7) शि-1/83 24-10-83
2.	मैसिया	रायपुर	,,
3.	जाटों का गुढ़ा	देसूरी	,,
4.	मांडल	रानी	,,
5.	नाणी (कन्या)	बाली	,,
6.	शेखावास	मारवाड़ जंक्शन	,,
7.	आखण्डी (बगड़ी)	सोजत	,,
8.	सांवलताखुर्द (भाकरीकलां)	पाली	,,
9.	बोगला (चौकडिया)	मारवाड़ जंक्शन	,,
11.	वारसा	मारवाड़ जंक्शन	,,
11.	जवाई बांध	सुमेरपुर	,,
12.	बसन्त	सुमेरपुर	,,
13.	सांगावास	जैतारण	,,
14.	पृथ्वीपुरा	जैतारण	,,
15.	बाडेकल (कन्या)	जैतारण	11-11-83
16.	मंडला (कन्या)	सोजत	,,
17.	पांचणदरिया	रोहट	18-11-83
18.	मिल एरिया (कन्या)	पाली शहर	,,
19.	कुरजा (कन्या)	सुमेरपुर	28-11-83
20.	सेमदड़ा (कन्या)	रायपुर	,,
21.	रानीकलां (कन्या)	रानी	,,

1	2	3	4
22.	जाणूदा (कन्या)	मारवाड़ जंक्शन	28-11-83
23.	खेतरली	बाली	"
24.	सेसली	बाली	2-11-83
25.	देवली हुल्ला [रायपुर]	सोजत	26-12-83
26.	सिवांस	खारची	11-1-84
27.	सुरायता	सोजत	20-1-84

जिला नागौर

1	2	3	4
1.	पांचोली	कुचामन	प.13[7]शि-1/83 24-10-83
2.	टोडास [कन्या]	कुचामन	"
3.	भूमियासती	मेड़ता	"
4.	ग्वालू	मूंडवा	"
5.	ढाबला	मूंडवा	"
6.	बलाया	डेगाना	"
7.	डगारसनी	डेगाना	"
8.	रोहिणी [कन्या]	नागौर	"
9.	बाल्याणी [बाकलिया]	लाडनूं	"
10.	रोई [कन्या]	लाडनूं	"
11.	बांसडू	परबतसर	"
12.	भिवाकलां (भेवाकलां)	मकराना	"
13.	कनेडिया	जावल	"
14.	जोबीणा	जावल	"
15.	डूसिया	मकराना	"
16.	जोलिया (कन्या)	कुचामन	"
17.	मेण्डकरा (कन्या)	डीडवाना	11-11-83

1	2	3	4
18.	डाबरी	लाडनूं	18–11–83
19.	फोगड़ी	डीडवाना	"
20.	सांजू (कन्या)	डेगाना	22–11–83
21.	गोहुटन (कन्या)	मूंडवा	28–11–83
22.	खाखडडी	कुचामन	"
23.	अरसियाला (कन्या)	रियां	"
24.	तांतवास (कन्या)	नागौर	"
25.	भनवानपुरा	कुचामन सिटी	"
26.	डाकोता (कन्या)	परबतसर	"
27.	पवडला	डेगाना	26–11–83
28.	डाबोली मीठी	डेगाना	11–1–84

जिला जैसलमेर

1.	डाबला	जैसलमेर	प. 13(7) शिक्षा–1/83 24–10–83
2.	रामां	जैसलमेर	11–11–83
3.	फतहगढ़ (कन्या)	सम	22–11–83
4.	मांडवा (कन्या)	सांकड़ा	28–11–83

जिला बाड़मेर

क्रमांक 1	विद्यालय का नाम 2	पंचायत समिति/तहसील 3
1.	भोजासर	सिणधरी
2.	धोरीमन्ना (कन्या)	धोरीमन्ना
3.	राणासर	शिव
4.	रामसर (कन्या)	बाड़मेर

1	2	3
5.	सिलोर	सिवाणा
6.	सिणधरी (कन्या)	सिणधरी
7.	जसोल (कन्या)	बालोतरा
8.	बरिया	बालोतरा
9.	सणाउ	बाड़मेर
10.	फागलिया	चौहटन
11.	पनाऊला	बाड़मेर
12.	कम्पनियों की होदी (केसरिया)	बाड़मेर
13.	सरवड़ी	बालोतरा
14.	कोसलू	सिणधरी
15.	मलवा	बालोतरा
16.	पीपराली	धोरीमन्ना
17.	हरसानी का ग्राटा ग्राम थोलसां	धोरीमन्ना
18.	खनियाणी	शिव
19.	कवास (कन्या)	बाड़मेर
20.	जूनीमीठाखेड़ा	सिणधरी
21.	चाडों की ढाणी	सिणधरी
22.	जेसारणिया	धोरीमन्ना
23.	देइसर (कन्या)	चौहटन
24.	बायतू भोपजी (कन्या) संस्कृत	बायतू
25.	गिड़ा	बाड़मेर
26.	नीम्बलकोट	सिणधरी
27.	वेसाला (कन्या)	बाड़मेर

क्रमांक	विद्यालय का नाम	पं०स०/तहसील	स्वीकृति क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
	जिला कोटा		
1.	अमृतकुआं (कन्या)	रामगंजमण्डी	प०13(7)शि–1/83 24–10–83
2.	नारेड़ा	बारां	,,
3.	फतहपुरा (कन्या)	बारां	,,
4.	गेंता (कन्या)	इटावा	,,
5.	डूंगरली	इटावा	,,
6.	मोरपा (कन्या)	दीगोद	,,
7.	ल्यावदा	किशनगंज	,,
8.	कस्बाथाना (कन्या)	किशनगंज	,,
9.	खेढ़ारसूलपुर (कन्या)	लाडपुरा	,,
10.	खाण्डा सहरोल	किशनगंज	22–11–83
11.	धाकडखेड़ी	लाडपुरा	,,
12.	बड़गांव	लाडपुरा	,,
13.	हिंगी	अटरु	11–11–83
14.	भंवर नया गांव	छबड़ा	,,
15.	तिसाया	अन्ता	,,
16.	बड़ोदिया कलां	खैराबाद	6–12–83
17.	डूंगरज्यां (संस्कृत विद्यालय)	सुल्तानपुरा	4–1–84
18.	भावपुरा (कन्या)	छीपाबड़ौद	6–12–84
19.	बोरखेड़ा (कन्या)	लाडपुरा	,,
	जिला सवाई माधोपुर		
1.	मानटाउन [कन्या]	शहर	दिनांक 24–10–83
2.	मंडरु	टोडाभीम	,,

1	2	3	4
3.	रतियापुरमोड़ की पाटोर पर	करौली	24–10–83
4.	करौली [कन्या]	करौली	,,
5.	बुकना	सपोटरा	,,
6.	पिलोदा [कन्या]	गंगापुर	,,
7.	जीवली	गंगापुर	,,
8.	मोरपा	बाभनधाल	,,
9.	पाटौदा	हिण्डौन	,,
10.	झोपड़ा	खण्डार	,,
11.	रायसीना	टोडाभीम	दिनांक 19–1–84
12.	पहाड़ी	टोडाभीम	,,
13.	गेरई [कन्या]	सपोटरा	,,
14.	मोहन नगर [कन्या]	हिण्डौन सिटी	,,
15.	हलदेना	महुवा	दिनांक 18–11–83
16.	देवलेन	टोडाभीम	,,
17.	कोरीपुरा पंचायत रघुपुरा	करौली	,,
18.	पोलूखोड़ा [कन्या]	बौंली	दिनांक 22–11–83
19.	हीरापुर	गंगापुर	,,
20.	गाजीपुर [कन्या]	महुवा	,,
21.	पाल [कन्या]	नादौती	दिनांक 28–11–83
22.	मुई [कन्या]	सवाईमाधोपुर	,,
23.	करेल [बापनवास]	बौंली	दिनांक 20–12–83
24.	गेतोड	बौंली	दिनांक 26–12–83
25.	सीगोरकलां	खण्डार	,,
26.	बडागांव भडकोली	बौंली	दिनांक 21–2–84

1	2	3	4
		जिला—टोंक	
1.	बागडी	मालपुरा	प० 13[7] शिक्षा ग्रुप-1/83 दिनांक 24-10-83
2.	डूंगरी कलां	मालपुरा	,,
3.	खण्डवा	निवाई	,,
4.	चतुर्भुजपुरा	निवाई	,,
5.	नासिद वड़ा [कन्या]	देवली	,,
6.	लाम्बा	टोडारायसिंह	,,
7.	सोसन	टोंक	,,
8.	ककोड [कन्या[	उनियारा	दि० 11-11-83
9.	कनवाड़ा	देवली	,,
10.	पीपलू [कन्या]	टोंक	दि० 22-11-83
11.	रानीपुरा	उनियारा	,,
12.	नगरवाड़ा [कन्या]	निवाई	दि० 28-11-83
13.	धौली [कन्या]	मालपुरा	,,
14.	मूडिया कलां	टोडारायसिंह	,,
15.	चिरोज	टोंक	दि० 20-12-83
16.	पथराज कलां	टोडारायसिंह	दि० 26-12-83
17.	टोकरावास	उनियारा	दि० 11-1-84
		जिला—झालावाड़	
1.	अकावद	खानपुर	प. 13(7) शिक्षा-1/83/दि० 24-10-83
2.	पनवाड़ (कन्या)	खानपुर	,,
3.	बुद्धवाड़ा	मनोहरथाना	,,
4.	कामखेड़ा	मनोहरथाना	,,
5.	सामरिया	पिड़ावा	,,
6.	सूलिया	पिड़ावा	,,
7.	पगारिया	डग	दि० 22-11-83
8.	पचाराना	खानपुर	,,
9.	कोटड़ा (कन्या)	पिड़ावा	दि० 28-11-83

1	2	3	4
		जिला बून्दी	
1.	सुन्दरपुरा	बून्दी	प. 13(7) शिक्षा–1/83 दि० 24–10–83
2.	जमीतपुरा	बून्दी	,,
3.	रोणीजा	हिण्डोली	,,
4.	चतरगंज	हिण्डोली	,,
5.	पीपरवाला	नैनवां	,,
6.	बांसी (कन्या)	नैनवां	,,
7.	बगीची	केशोरायपाटन	11–11–83
8.	जावटी कलां	तालेड़ा	11–11–83
9.	सुंवासा (कन्या)	तालेड़ा	28–11–83
10.	टहला (कन्या)	हिण्डोली	6–12–83
		जिला–उदयपुर	
1.	चौकड़ी	रेलमगरा	प० ( ) शिक्षा–1/83 24–10–83
2.	माकरांदा	राजसमंद	,,
3.	परशाद (कन्या)	सराड़ा	,,
4.	चन्दौड़ा (रठौड़ा)	सराड़ा	,,
5.	हुटाली	सराड़ा	,,
6.	इडाणा	सलूम्बर	,,
7.	टाडावाडा गुजरान	कुम्भलगढ़	,,
8.	ग्राईडाणा	ग्रामेट	,,
9.	उगमण कोटड़ा	खेरवाड़ा	,,
10.	कल्याणपुर (कन्या)	खेरवाड़ा	,,
11.	मण्डियाना	खमनोर	,,
12.	बिलोता	बड़गांव	,,
13.	बसी	देवगढ़	,,

1	2	3	4
14.	टोगी	भीम	24–10–83
15.	डबोक (कन्या)	मावली	,,
16.	सागवा	मावली	,,
17.	राजपुरा	वल्लभनगर	,,
18.	आमलिया	झाड़ोल	,,
19.	सुल्तानजी का खैरवाड़ा	झाड़ोल	,,
20.	बिलाबल	सलूम्बर	,,
21.	टेकण	धरियावद	,,
22.	छोटी उन्दरी	गिरवा	,,
23.	जावर माइन्स (कन्या)	गिरवा	,,
24.	बस्सी (कन्या)	सलूम्बर	प० ( ) शिक्षा–1/83 11–11–83
25.	लुसानी (कन्या)	देवगढ़	,,
26.	सेमियल	गोगून्दा	,,
27.	खडवामनिया	मावली	,,
28.	थूर (कन्या)	बड़गांव	,,
29.	बांतीसर	गिरवा	,,
30.	गगागुढ़ा पंचायत चितोड़िया	धरियावद	प० ( ) शिक्षा–1/83 22–11–83
31.	सेवन्तरी (कन्या)	कुम्भलगढ़	,,
32.	कन्तोड़ा	सराड़ा	प० ( ) शिक्षा–1/83 28–11–83
33.	शामपुरा पंचायत सेनारी	सराड़ा	,,
34.	झोंथरी	खैरवाड़ा	,,
35.	भोमटाबाड़ा	खैरवाड़ा	प० 13(7)शिक्षा–1/83 28–11–83

1	2	3	4
36.	गूजोल (कन्या)	खमनौर	प. 13 (7) शिक्षा/1–83 24–11–83
37.	पालखण्डेला (कन्या)	सलूम्बर	,,
38.	नान्दवेल (कन्या)	भिण्डर	,,
39.	दादिया (कन्या)	गोगून्दा	,,
40.	मांडवा (कन्या)	कोटड़ा	,,
41.	चांदवास	झाड़ोल	,,
42.	दांतोसर	सलूम्बर	प० ( )शिक्षा–1/83 2–11–83
43.	खन्डेल (कन्या)	रेलमगरा	प० ( )शिक्षा–1/83 17–12–83
44.	वड़गांव	भिण्डर	प० ( )शिक्षा–1/83 26–12–83
45.	थोरिया (संस्कृत)	कुम्भलगढ़	,,
46.	करेबड़ी	खैरवाड़ा	19–1–84
47.	फतहनगर (कन्या)	मावली	,,

जिला भीलवाड़ा

1.	जालमपुरा	हुरड़ा	प० 13(7)शिक्षा–1/83 24–10–83
2.	सालरिया कलां	बनेड़ा	,,
3.	गुड्डा रोजडी	जहाजपुर	,,
4.	ऊंवा	जहाजपुर	,,
5.	कांवलास	आसीन्द	,,
6.	बाजून्दा	आसीन्द	,,
7.	आमली (कन्या)	लहाड़ा	,,
8.	सांतलियास	सदाड़ा	,,

1	2	3	4
9.	देवरिया	शाहपुरा	प० 13(7)शिक्षा–1/83 24–10–83
10.	नन्दराय (कन्या)	कोटड़ी	,,
11.	गाजूणा (शिवपुर)	मांडल	,,
12.	कारोई (कन्या)	सुवाणा	,,
13.	झांझोला	माण्डलगढ़	,,
14.	बरुंदनी (कन्या)	माण्डलगढ़	प०13(7)शिक्षा–1/83 24–10–83
15.	सांगवा	भीलवाड़ा	प०13(7)शिक्षा–1/83 11–11 83
16.	गुरला (कन्या)	भीलवाड़ा	,,
17.	आमली हाकला पंचायत बासेड़ा	शाहपुरा	प० 13(7)शि.–1/83 18–11–83
18.	थल	माण्डलगढ़	प० 13(7)शिक्षा–1/83 22–11–83
19.	थड़ोदा	माण्डलगढ़	,,
20.	जितियाभाको	कोटड़ी	,,
21.	डाबला (कन्या)	बनेड़ा	,,
22.	सनोदिया	हुरड़ा	,,
23.	मालौला (कन्या)	सुवाणा	,,
24.	रीछड़ा	सुवाणा	,,
25.	जावल	कोटड़ी	,,
26.	नारायणखेड़ा	रायपुर	प० 13(7)शिक्षा–1/83 28–11–83
27.	खाजूरी (कन्या)	जहाजपुर	,,
28.	रतनपुरा (कन्या)	आसीन्द	

1	2	3	4
29.	हमीरगढ़ (संस्कृत)		प० 13(7)शिक्षा–1/83 4–1–84
30.	सरखिया चारनान	जहाजपुर	6–2–84
31.	वरण	बनेड़ा	

जिला चित्तौड़गढ़

1	2	3	4
1.	तुम्बड़िया	चितौड़गढ़	प० ( )शिक्षा–1/83 24–10–83
2.	अमरपुरा	चितौड़गढ़	,,
3.	बिनायका	बड़ी सादड़ी	,,
4.	लक्ष्मीपुरा	बड़ी सादड़ी	,,
5.	गुन्दली	भोपालसागर	,,
6.	दोवनी	कपासन	,,
7.	दलोठ (कन्या)	अरनोद	,,
8.	देवपुरा	भैंसरोडगढ़	,,
9.	बेगूं	बेगूं	,,
10.	सुन्दरी बेहरीन	गंगरार	,,
11.	आजोलिया का खेड़ा	गंगरार	,,
12.	सरसी	निम्बाहेड़ा	प० ( )शिक्षा–1/83 11–11–83
13.	घनोरा (कन्या)	निम्बाहेड़ा	प० ( )शिक्षा–1/83 18–11–83
14.	जोधपुरिया	बेगूं	,,
15.	रघुनाथपुरा (कन्या)	गंगरार	प० ( )शिक्षा–1/83 28–11–83

1	2	3	4
16.	कुथना (कन्या)	मदेसर	प० ( ) शिक्षा–1/83 28–11–83
17.	घीरजी का खेड़ा (कन्या)	बड़ी सादड़ी	,,
18.	कीरतपुरा (कन्या)	मदेसर	,,
19.	रामपुरिया (आश्रम वि०)	प्रतापगढ़	,,

जिला डूंगरपुर

1.	पाडला गोकलिया	डूंगरपुर	प० 13(7)शि.–1/83 24–10–83
2.	पुनाली (कन्या)	डूंगरपुर	,,
3.	बीछीवाड़ा (कन्या)	बीछीवाड़ा	,,
4.	खजूरी	बीछीवाड़ा	,,
5.	गणेशपुर	आसपुर	,,
6.	आसपुर (कन्या)	आसपुर	,,
7.	गुढ़ा जसराजपुरा	सीमलवाड़ा	,,
8.	ओवरी (कन्या)	सागवाड़ा	,,
9.	पाडलाथूर	आसपुर	11–11–83
10.	नोकना	सागवाड़ा	,,
11.	डेपाना	सागवाड़ा	22–11–83
22.	धनगांव	सीमलवाड़ा	,,
13.	करावाड़ा (कन्या)	बीछीवाड़ा	,,
14.	मोदर	बीछीवाड़ा	,,
15.	पालडोजा	डूंगरपुर	,,
16,	पीपलादा	डूंगरपु	,,
17.	सूरजगांव (संस्कृत विद्यालय)	सागवाड़ा	1–4–84

1	2	3	4
		जिला बांसवाड़ा	
1.	महूडी	सज्जनगढ़	प० 13(7)शि-1/83 24-10-83
2.	वसूनी (उकाला)	कुशलगढ़	,,
3.	झरनिया	बांसवाड़ा	,,
4.	चीखला (कन्या)	बागीडोरा	,,
5.	रुपजी का खेड़ा	घाटोल	,,
6.	मोदागांव (कन्या)	घाटोल	,,
7.	खैरन का पारडा	गढ़ी	,,
8.	साकरिष्फ	गढ़ी	,,
9.	पोठीवाडा	आनन्दपुरी	,,
10.	बोलाना (कन्या)	गढ़ी	,,
11.	दादूका (कन्या)	गढ़ी	11-11-83
12.	आनन्दपुरी	बागीडोरा	,,
13.	भूंगड़ा (कन्या)	घाटोल	,,
14.	डांगल	घाटोल	,,
15.	टिमरुआ	गढ़ी	18-11-83
16.	सेनलवाड़ा	दानपुर	28-11-83
17.	बड़गांव	दानपुर	,,
18.	लोड़दा	बांसवाड़ा	,,
19.	मनार	गढ़ी	26-12-83
20.	सिलथिया (मोटा टान्डा) (संस्कृत विद्यालय)	घाटोल	4-1-84
21.	बुड़वा	बागीडोरा	13-1-84
22.	ठीकरिया	बांसवाड़ा (मुख्यालय तलवाड़ा)	6-2-84

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 54 की सूचना)

मन्दिर श्री बीजासन माताजी द्वारा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी की कृषि भूमि के ग्राम खसरा नं० रकबा व काबिज व्यक्तियों की सूची

क्र.सं.	नाम ग्राम जहां भूमि है	ख०	रकबा	वर्तमान में कब्जा किसका है।	विवरण
1	2	3	4	5	6
1	अनघोरा	14	14)3	सोनिया पुत्र भुवान माली	सा० सुमेरगंज मण्डी
	,,	18	13।।।3	पं० श्री रामकुमार पुत्र कसराम	सा०सुमेरगंज मण्डी।
	,,	83	5)4	माधो पुत्र मागोक मीना महापुरा	
		16	4।।2	इन्द्रभाई पुत्र रामभाई गुजराती मण्डी ध्रुवदेव ब्राह्मण	
		743			
	योग	4	37।।।2	,,	कार्यवाही तहसील में जेरकार है।
2	खेड़वी माफी	142	1/3	बड़ोणा पुत्र भूरा माली	खेड़वी माली
		143	1।2	,,	
	योग	2	2।।	,,	,,
3	श्योदानपुरा	6	22।।।3	पुं० नारायणनाथ गणपतनाथ पुत्र ओघड़नाथ भगेड़ा	
4	झोडा	11	15)	कान्हानाथ पुत्र छोटूनाथ दरा माताजी	
		273	5।2	गोपीनाथ पुत्र रामचन्द्र नाथ दरा माताजी	
		274	2।।)	बृजमोहन पुत्र दुर्गानाथ व कान्हानाथ	
			2।4	छोटूनाथ जगन्नाथ पुत्री गौरीनाथ	
		275	2।।)	दरा माताजी व सम्भूनाथ पुत्र कालूनाथ	
		304			

1	2	3	4	5	6
		277	64 चाह		
		355			
		276	6111	प्रभूनाथ पुत्र धन्नानाथ ओघड़नाथ पुत्र देवनाथ ब्राह्मण सा० दरा माताजी पुजारी	
		286	13114	व परसराम पुत्र श्री देवीनाथ	
		277	7111		
		288	1511		
		278	3112		
		289	41)4		
		290	2)		
		291	211	पृष्ठांकित पुजारीयान	
		292	311		
		293	411)		
		294	314		
		295	1113		
		296	19)3		
		297	114		
		298	1)		
		299	411		
		305	312		
	झोंड़ा	308	2111	पृष्ठांकित पुजारियान	
		310	53	चाह	
		306	212	परसनाथ लक्ष्मीचन्द पि० देवीनाथ का दरा	
		302	114	शम्भूनाथ पुत्र कालूनाथ	

1	2	3	4	5	6
		303	1।1	पृथ्वीराज पुत्र हरनीनाथ कान्हानाथ छोटूनाथ जगन्नाथ पुत्र गौरीनाथ–गोपीनाथ व नन्दानाथ रूपनाथ रामा मेवासनाथ पुत्र रामचन्दनाथ द्वारा माताजी	
	योग	28	134॥3		
	झोडा				
	अनघोरा	4	377॥2		
	थड की माफी	2	2॥)		
	श्योदानपुरा	1	22॥)3		
	योग	35	197॥3		

ह०
पटवारी
इन्द्रगढ़ व ॥
2-3-84

ह०
नायब तहसीलदार
(पं०स०) इन्द्रगढ़

254

परिशिष्ट 15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 57 की सूची)

माध्यमिक विद्यालय की सूची

1. नागौर :—राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोगेलाव, खजवाना, संखवास, जोष्वासी, पांचलसिद्धा, ऊंटवालिया कुल—6

राजकीय उच्च प्राथमिक शालाओं की सूची

1. नागौर :—राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय थिरोद, नारवा कलां, अलाय नं. 1, उच्च प्रा. वि. कन्या अलाय, साडोकण, कंकड़ाय, भावण्डा, बैराथलकलां, जसावरी, कड़लू, गोदारा की ढाणी, कुड़छी, सथरेण सं. 1, बरणगांव, सिगोद, सेनणी, श्यामसर, करणू, तातंबास, पालड़ीजोधा, चाऊ, माडपुरा, भाकरोद, बिरलोका, चूंटीसरा कुल—24

राजकीय प्राथमिक शालाओं की सूची

1. नागौर :—रा. प्रा. वि. इनाणा ढाणी, जोशियाद, लूगदा, भवाद, अख्यासन, गोगेलाव, दूकोसी, बाराणी, कांटियां, गुवाना, सूरजनियावास, नोखाखुर्द, इन्दास, खारड़ा, अलाय नं. 2, 3, 4, जेसोलाव मोडी, जानिया, सोलियाणा, माणकपुर, खारीकमलोता, भूंडियाड़ी, मंडाणा, बैराथलखर्द, धवा, सथेरण, वरड़ा, बींठवाल, टांकला सं. 1, अहमदपुरा, पांचलासिधा, विश्नोईयान ढाणी, ब्राह्मणों की ढाणी, ताडास, टांकला नं० 2, पांचला सं० 1 व 2, बेलावास, गोलासनी, मटनोखा, श्रीबालाजी नं० 1. करणु 3, 4 व 5, फिरोजपुरा, साटिकाखुर्द, खटोडा, रूण, ऊंटवालिया, बासनी खलील, मेड, पेरावा, गोठडा, भदवासी, डिगसरा, मूंदियाड, गवालू, कालियास, तांतवास, घोडारण, रोहिणी, नंदवाणी, जोधीयास, पोटालिया, माजरा, चांतरा गांजरा, खूडाखुड़ाखुर्द, रायधनू, पालडी पिचकियां, गठीलासर, सुधारों की ढाणी, गठीलासर, पारासरा, आचीणा (गंवाई स्कूल) व ढाणियां, मकोडी, मांजवास, ढाकोरिया, बालवा नं० 2, मकोडी नं० 1, मूंदियाड, बरबटा, खेलास, ताडसर, गाजू, खरनाल, खटोडा (ढाणी), सटिका, खारोडा, गुडलाब्रासदा, फागली, चेनार, मुण्डसर, गोवाखुर्द बापोड, बलवाणी, कालड, हिलोडी, ताऊसर, सीलगांव, मोडास = 103